लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48, मंगलवार, 2 मई, 1978/ 12 वैशाख, 1900 (शक)

No. 48, *Tuesday, May* 2, 1978/*Vaisakha* 12, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1–17
तारांकित प्रश्न संख्या 925 से 927 और 930 से 933	*Starred Questions Nos. 925 to 927 and 930 to 933	1–17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	17–157
तारांकित प्रश्न संख्या 928, 929 और 934 से 945	Starred Questions Nos. 928, 929 and 934 to 945	17–27
अतारांकित प्रश्न संख्या 8665, 8666, 8668 से 8760, 8762 से 8790 और 8792 से 8849	Unstarred Questions Nos: 8665, 8666, 8668 to 8760, 8762 to 8790 and 8792 to 8849	27–157
आगरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में	Re. Police Firing in Agra	157–158
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	158–159
(एक) केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लिमिटेड के बंद किये जाने की संभावना—	(i) Likely winding up of Central Fisheries Corporation Limited—	158
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	158
(दो) विशेष रूप से एयर इंडिया के विमान भाड़ा ढांचे में पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की कमजोर स्थिति के बारे में समाचार—	(ii) Indian Rupee reportedly at a disadvantage compared to Pound Sterling especially in air fair structure of Air India—	158
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	158
(तीन) सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा निदेशकों के नामनिर्देशन की आवश्यकता—	(iii) Need for Nomination of Directors by Government on the Board of Synthetic & Chemicals Ltd., Barelly—	158–159
श्री सुरेन्द्र बिक्रम	Shri Surendra Bikram	158–159

किसी नाम पर अंकित तह † इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभामें उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—142 L.S.S./ND/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(चार) 1 मई, 1978 को आगरा में बौद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का समाचार—	(iv) Reported Police Lathi Charge on Buddhist Demonstrators at Agra on 1st May, 1978—	159
श्री कचरूलाल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	159
(पांच) आई०टी०आई०, नैनी में तालाबन्दी का समाचार—	(v) Reported Lockout at I.T.I., Naini—	159
श्री धीरेंद्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	159–160
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance—	161–165
टोंड दूध और डबल टोंड दूध के मूल्य में वृद्धि करने का दिल्ली दुग्ध योजना का निर्णय—	Decision of Delhi Milk Scheme to increase the price of toned milk and double-toned milk—	161–165
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	161–163
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	161–165
श्री कचरूलाल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	163
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	164
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	164
कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 25 अप्रैल 1978 को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य—	Statement *re.* Correction of certain information given by the Minister of Agriculture and Irrigation on 25th April, 1978—	165
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	165
विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1977—	Electricity (Supply) Amendment Bill—	166-181
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	166-176
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu	168–169
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	169
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	170
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	171–172
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	172

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	172- 173
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	173
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	173
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukumdeo Narain Yadav	174
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram	174
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	174
खंड 2 से 25 और 1—	Clauses 2 to 25 and 1—	176
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	176–181
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	176–181
कोयलाखान राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1978—	Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Bill 1978—	181- 192
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	181–182 190–192
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	182–183
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	183–184
श्री दुर्गाचन्द	Shri Durga Chand	184
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	184
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	185
श्री युवराज	Shri Yuvraj	186
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh	186
श्री एन्थू साहू	Shri Ainthu Sahoo	186–187
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	187
श्री रामसेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	188
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	188
श्री राजेंद्र कुमार शर्मा	Rajinder Kumar Sharma	189
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	189–190
खंड 2 से 20 और 1—	Clauses 2 to 20 and 1—	192
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran	192

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 2 मई, 1978/12 वैशाख, 1900 (शक)

Tuesday, May 2, 1978/Vaisakha 12, 1900 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पहाड़ी स्थानों की यात्रा के लिए रियायत

925. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 500 किलोमीटर और उससे अधिक की दूरी तक के पहाड़ी स्थानों की यात्रा के लिये रियायत दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि देहरादून के मामले में इस दूरी सीमा में कोई छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि पठानकोट और नंगल, जो इस दूरी सीमा में नहीं आते हैं, के मामले में छूट देने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। 500 कि० मी० और उससे अधिक की दूरी सीमा देहरादून सहित सभी पहाड़ी स्थानों के लिए समान रुप से लागू होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। पठानकोट पहाड़ी स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है लेकिन नांगल को शामिल नहीं किया गया है।

Shri Durga Chand: In his speech on Railway Budget the Minister of Railways stated in paragraph 69(iv) on page 28 that "hill concession for specified stations, which was available prior to 1975, will be restored." He also stated that Pathankot hill station was included in the list. But the people going from Delhi cannot take advantage of this concession, because Pathankot is only 488 Kilometres away from Delhi/New Delhi. I would like to know the criterion on the basis on which the distance of 500 Kms. was fixed. I would also like to know the norms which have been adopted for declaring such hill stations. About Himachal Pradesh I want to say that there is hardly any place in Himachal Pradesh which is not a hill station.

2—142 LSS/ND/78

People coming from distant places will be in a position to take advantage of this hill travel concession but people of Haryana and Punjab will not be entitled to take this advantage. May I know whether the Minister will reconsider this distance of 500 Kms. fixed for this purpose?

Prof. Madhu Dandavate: As regards the point of distance, it has been reviewed several times from 1951 to 1978. In 1951 hill travel concession was for 240 Kms. It was reviewed in 1970 and this distance was increased to 400 Kms. In 1972 it was, on further review, increased to 800 Kms. and in 1975 it was reduced to 500 Kms. The matter was reviewed again in 1978-79 and after considering all the aspects it was decided to restore the position which was in 1975 and so concession was given for 500 Kms.

As regards the norms, they are fixed by the Committee after taking into account the gross earning which accrued from different distances fixed and also the profit as well as loss accrued therefrom. The intention is to give more benefit to the tourists as compared to those who go there daily for their own business. That is why this restriction was imposed. Taking all these aspects into consideration the committee decided to give hill travel concession for a distance of 500 Kms.

As regards Pathankot, I want to repeat it again that it is there is the list of hill stations and I assure you that all the concessions given for hill stations will be given in case of Pathankot also, because Pathankot station is a feeding railway head for going to other hill stations. That is why the name of Pathankot was included in the list.

Another point is about the basis on which hill stations have been selected. I think there is no point of discord as to what place is hill station and what not. Those places are considered hill stations where tourist go in large number, Sometimes a place of good climate is confused with the hill station. But actually there is a difference between a hill station and a place of good climate. Hence such places and the process of pilgrimage have been differentiated from the hill stations. The list of hill stations is separate.

Shri Durga Chand: The Minister has given an assurance in case of Pathankot. But for going to Himachal Pradesh Nangal is as much important as Pathankot is. At present no concession is given to the passengers going to Manali Dharamshala, Palan and Sikander Nagar by Himachal Express. Every passenger who goes to Simla purchases ticket for Kalka because beyond Kalka railway journey is too much time consuming so people catch taxis from there for Simla. In this context I would like to know whether he would include the names of Nangal and Kalka also in the list on the basis on which Pathankot's name was included; if not, the reasons therefor.

Prof. Madhu Dandavate : The Ministry of Railways has got full information about the railway heads from where people go to hill stations. According to the information available with us, I can say that Pathankot serves several hill stations while Nangal does not. That is why we did not give to hill concession to Nangal. If hon. Member supplies me the information about Nangal as to the hill stations which it serves, I assure him that I will reconsider the said list.

Chowdhry Balbir Singh: Hon. Minister has told the criterion that a place where tourists go on a large scale is a hill station. Nangal stands this test well, Nangal is a township where tourists go from all over India. In view of it, will the Hon. Minister give same preference to Nangal? Kalka is also in the same category. As Pathankot serves Dalhousie and Kullu, similarly Kalka serves Simla,

Kasauli Dharampura and certain other places. Will he therefore provide this facility by keeping both Nangal and Kalka stations in this category since those are very important stations?

Prof. Madhu Dandavate : As regards Kullu-Manali most of people go there from Pathankot. In connection with Nangal we shall certainly consider the suggestions on the basis of this information given by the hon. Minister.

Chowdhry Balbir Singh : You are already aware of it. **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये। उन्हें उत्तर भी देने दीजिये। आप स्वयं ही प्रश्न पूछ कर उसका उत्तर नहीं दे सकते।

Prof. Madhu Dandavate : I can assure the hon. Member that if it is established that there is enough number of passengers from this head to the hill stations, we shall certainly think over it.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि एक समिति ने ऐसा निर्णय किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो समिति ने निर्णय किया है वह अंतिम है अथवा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके अपने निजी अनुभव से आवश्यक परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस जीवन में कोई भी चीज अन्तिम नहीं है। समिति ने जो विचार व्यक्त किया है उस पर कभी भी पुनर्विचार हो सकता है और इन प्रभुसत्त सभा को भी सुझाव देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है क्या इन सुझावों की रोशनी में समिति द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव पर पुनः विचार किया जा सकता है।

बुकिंग क्लर्कों आदि के रूप में स्वयं सेवक

*926. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई कर्मचारी तदर्थ आधार पर बुकिंग क्लर्क, टिकट कलक्टर आदि के पदों पर स्वयंसेवक के रुप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्ति किये गये हैं और उन्हें जोनवार, कितना पारिश्रमिक दिया गया है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और यह एक अनुचित श्रमिक प्रथा है; और

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों को उन पदों पर जिन पर वे कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां। ऐसे कुछ कर्मचारियों को उनके ड्यूटी समय के बाद तैनात किया जाता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) जी नहीं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से आते हैं, वे केवल कुछ साधारण काम के लिए ही रखे जाते हैं।

(घ) बुकिंग क्लर्कों के रुप में नियुक्त कर्मचारियों को साधारण लेखे के अनुरक्षण का प्रार्थमिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जो टिकट जांच में लगे होते हैं, एक चल-टिकट परीक्षक के अधीन उन्हें भी टिकट जांच का प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रणाली कब से तथा किस रेलवे में लागू की गई है । संभव है आपके पास प्रश्न के (घ) भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध न हो ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस तथाकथित स्वयंसेवी आधार पर कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य देने का निर्णय क्यों किया गया ? यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका क्या आधार है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक मुझे याद है यह योजना वर्ष 1970 में लागू की गई थी । **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : वर्ष 1917 में ।

प्रो० मधु दण्डवते : सब से पहले यह योजना वर्ष 1970 में लागू हुई थी, रूसी क्रांति के वर्ष 1917 में नहीं। और तब से यह योजना क्रियान्वित-अधीन है। मैं कह चुका हूं कि यद्यपि भाग (ख) संबंधी जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा यह जानकारी आंशिक रुप में अभी भी उपलब्ध है आर मैं उसे माननीय सदस्य को देने को तैयार हूं। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन तथा मध्य रेलवे जोन और उनके सब के बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक रुपया प्रति घण्टा की दर से प्लेट फार्म टिकट बेचने के कार्य पर लगाया गया है। दक्षिण रेलवे में किसी भी कर्मचारी को बुकिंग क्लर्क के रूप में उपयोग में नहीं लाया गया है। 223 कर्मचारियों को पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्वयंसेवी आधार पर टिकट चैक करने के काम पर लगाया गया था और मध्य रेलवे जोन में 21 मंत्रालय-कर्मचारियों को दो रुपये प्रति घण्टा की दर से मानद मत पर चूंकि क्लर्क के रूप में काम पर लगाया गया था तथा प्रति-माह औसतन 36 कर्मचारी को टिकट चैक करने के काम पर लगाया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन, मंत्री महोदय हमें इस का औचित्य नहीं बता रहे हैं। ऐसी क्यों किया गया, यदि कोई काम किया जाना है तो नये लोग क्यों नहीं भर्ती किये जाते तथा जब हमारे पास इतने बेरोजगार लोग है तो क्यों इधर उधर से कर्मचारियों को छांट कर स्वयंसेवी आधार पर उन्हें काम पर लगाया जा रहा है? मैं इस का औचित्य जानना चाहूंगा। कुछ मामलों में ऐसा क्यों किया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उसका उत्तर इस लिये नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने इसके लिये अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा था । अब पूछा है तो मैं तो उत्तर भी दूंगा। जहां तक इस तरह के स्वयंसेवी कार्य का संबंध है यह कार्य नित्य रुप से हमेशा नहीं रहता है। विशेषकर उप नगरीय मार्गों पर कमी अधिक काम के कुछ घण्टे होते हैं जिन में कुछ घंटा अतिरिक्त काम करने की जरुरत रहती है परन्तु वह कार्य समूचे कार्य का इतना महत्वपूर्ण भाग होता है कि कुछ लोगों को स्वयं सेवी आधार पर कुछ मानद राशि दे कर कुछ अतिरिक्त कार्य देना पड़ता है और इससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिलती है। नियमित कर्मचारियों को इस कार्य दिनभर पर बिठाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश नहीं होती है। परन्तु कुछ 'पीक' अर्थात् अधिक कार्य के घण्टे होते तो उस समय उन्हें यह कार्य दिया जाता है **(व्यवधान)** जहां तक रेल मंत्रालय का प्रश्न है; यह 24 घण्टे खुला रहता है। अब यह जो स्वयं सेवी कार्य है हम देखते हैं कि यह काफी लाभप्रद है और

कभी कभी रेल कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों को कुछ लाभ हो जाता है और उनकी आय कुछ बढ़ जाती है। इसी प्रकार कुछ निर्धन वर्ग, जो कुछ अतिरिक्त आय चाहते हैं, पहले से ही कुछ कार्यालयों में काम कर रहे हैं और जब उनकी रोस्टर ड्यूटी खत्म हो जा ी है तो यदि वे चाहे तो उन्हें कुछ अतिरिक्त काम भी दे दिया जाता है। अधिक काम के इन घंटों में यदि छात्र वर्ग भी स्वयंसेवी रुप में इस तरह का काम करना चाहे तो वे कल्याणकारी संगठनों के माध्यम से आगे आ रहे हैं। इसलिये हम यह स्वयंसेवी काम दे रहे हैं। इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पुत्र-पुत्रीयों को काम देने की बात अलग है। परन्तु कर्मचारियों में से केवल कुछ एक को काम दिया जाता है छात्र तो कर्मचारी नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने बताया कि तीन वर्ग हैं। कुछ रेल कर्मचारियों को यह अतिरिक्त कार्य दिया जाता है। कुछ लोग रेल कर्मचारियो के पुत्र-पुत्रियां है और उन्हें भी काम दिया जाता है। रेलवे के बाहर के कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी यह अतिरिक्त कार्य दिया जाता है। जो छात्र यह कार्य करने को आते है उन्हें भो यह कार्य दिया जाता है।

Shri Somjibhai Damor : Will the hon. Minister be pleased to state as to when is he going to stop this deployment on *ad hoc* basis since only favourites are given chances and there are malpractices going on in this system? What steps is he taking to check it?

Prof. Madhu Dandavate : I have already stated in reply to Shri Chatterjee's question that it is not so big a work, that there is a need to recruit regular employees. And I would like to inform you that there is no resentment among railway employees over this sort of taking voluntary work since this can provide job to their own sons and daughters so as to supplement their income. Thus there is no discontent among them on this issue.

Shri Ram Vilas Paswan : I would like to know from the hon. Minister whether reservations according to their quota is also given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in these *ad hoc* appointments or not? If so, how many appointments have been given and how many persons are working ?

Prof. Madhu Dandavate : I would like to inform the hon. Member reservations are kept for temporary and permanent jobs. In this scheme also we are prepared to give them work. Still I assure you that priority would be given to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Official Languages Act, 1963

*927. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the provisions of Section 3(3) of the rules formulated under the Official Languages Act, 1963 are being fully implemented in his Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tenders, permits etc. issued during the last six months of 1977 and the number thereof, out of them, which were issued in Hindi along with English; and

(c) if the provision of the said section is not being fully implemented, the reasons therefor and the steps taken by Government for its implementation?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) : A statement is enclosed.

Statement

As full implementation of the provision of section 3(3) of the Official Languages Act, as amended, involves creating of a large machinery for undertaking translation work, attempts are made to implement these provisions to the maximum extent possible for issuing these documents in both Hindi & English. However, some-times these are issued only in English due to urgency.

During the last six months of 1977, 568 general orders, circulars, notices, tenders, permits etc. were issued and out of these 438 were issued in Hindi-English bilingual form.

Check point has been set up in the Roneo Section, so that copies of such documents are not made out unless they are presented in both the languages. Several other steps including, review of quarterly progress reports of various sections regarding use of Hindi, review of progress at the periodical meetings of the Official Languages Implementation Committee, monthly special checks in the Roneo Section and reiteration of Governments' instructions on the subject, from time to time, etc., are being taken to ensure maximum implementation of these provisions. Steps are also being taken to provide suitable machinery for this purpose.

Shri Nawab Singh Chauhan : I congratulate the hon. Minister for the good work done. He has enumerated certain difficulties stating that a large number of employees are required to take up translation work in order to fully implement the provisions of Section 3(3) of Official Language Amendment Act. Therefore, because of this difficulty, only 438 orders were issue in Hindi-English diglot form out of total 568 orders issued during the last 6 months of the year 1977. I would like to know why there is such a difficulty. How long will it take you to make good the deficiency in the number of translators ?

Prof. Madhu Dandavate : Sir, I can claim with confidence, that as compard to all other departments, Railways are doing more work in Hindi. As per the figures given by me just now, during the last six months of 1977, 568 general orders, circulars, tenders, permits etc. were issued and out of these 438 were issued in Hindi-English bilingual form. Only in 130 cases English only was used. It is our constant effort to cover up this gap also as early as possible. But the difficulty is that a ban was imposed a few years ago on certain posts in order to economise expenditure. After this ban, we could not have the number of translators as per our need. In case this ban is released in future we shall be able to appoint more people or promote people to these posts. I think this difficulty will not come in future.

Shri Nawab Singh Chauhan : I have already congratulated the hon. Minister for these achievements. He has just now stated that much work has been completed, and that a ban is there on the recruitments of translators which will be relaxed in future. I want to know when this work will be completed. Should I take it that it will be completed soon ? The hon. Minister has told us that steps has been taken by him and also that a large number of employees would be required to implement the provisions fully. What steps has he taken in this direction? He has not given the details thereof.

Prof. Madhu Dandavate : Sir, we shall finish the remaining jobs also very soon. We hope that and we live on hope. We have full hope that we shall complete it soon.

Secondly, in case the translation work is not done adequately. We have provided that when the documents are received in the Roneo Section for cyclostyling, the officer their would enquire whether the document is in English or

Hindi. If the documents do not carry Hindi translation, then the officer sending the documents is asked to send the Hindi translation also. Only English version is not cyclostyled. At times it so happens that it is necessary to cyclostyle the certain documents in one language only and also urgently; in that case this condition is relaxed and concession is given only when their orders to that effect from an officer of the rank of a Joint Director or higher than that with this provision in force, I think the work is going on properly.

श्री के० गोपाल : सब जानते हैं कि यह सरकार हिन्दी के मामले को लेकर ही गिरने जा रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मंत्रालय में अनुवाद कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च होती है ? दूसरे, क्या यह सच है कि जो कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते है या जो अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं जानते हैं, उन्हें दण्डित किया जाता है तथा उन्हें इस आधार पर पदोन्नत नहीं किया जाता है कि उन्हें हिन्दी नहीं आती, और क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें हिंदी सीखने पर बाध्य किया जाता है तथा कहा जाता है कि अन्यथा उनकी पदोन्नति रोक दी जायेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसके दो पहलू हैं। जहां तक किसी कर्मचारी को हिंदी सीखने के लिए बाध्य करने का सवाल है तत्संबंधी प्रावधान ये हैं। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर हैं उन्हें हिंदी सीखने के लिये हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। जहां तक अनुवाद कार्य का संबंध है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह कार्य उन लोगों को नहीं दिया जाता जो इस भाषा को नहीं जानते। वस्तुत: यह हमारे अपने ही भले में है कि हम अंग्रेजी दस्तावेजों का गलत हिंदी में अनुवाद न करायें क्योंकि यद्यपि अंग्रेजी में लिखे दस्तावेजों में तो हमारी नीति सही लिखी होगी परन्तु ऐसे हिंदी अनुवाद में हमारी नीति का गलत अर्थ बन जायेगा, तथा हम अनुवाद कार्य ऐसे लोगों को नहीं सौंपते जो हिंदी भाषा में पूरी तरह अनुभव प्राप्त तथा अभ्यस्त न हों। जहां तक बाध्य करने का प्रश्न है, हम हिंदी को बढ़ावा तो जरूर दे रहे परन्तु किसी पर लाद नहीं रहे हैं।

श्री के० गोपाल : खर्च के बारे में मेरे अन्य प्रश्न का क्या उत्तर है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इसके लिये अलग से सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 928 श्री मावलंकर यहां नहीं है।

श्री नाथू सिंह : मैं वह प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका संबध जयपुर से है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री कामत को यह प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। यह सब क्या है ?

अगला प्रश्न !

निर्वाचन विधियों में सुधार

*931. **श्री अमर राय प्रधान† :**

श्री हितेन्द्र देसाई :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन विधियों में सुधार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) विचारार्थ मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : जी हां। प्रस्ताव निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन बनाए रखने, निर्वाचनों में सरकारी प्राधिकार और तंत्र के दुरुपयोग से बचने, निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरणों और धनशक्ति को दूर करने, निर्वाचनव्ययों को घटाने, निर्वाचन अर्जियों को शीघ्र निपटाने, मतदान की आयु को घटाने आदि जैसे विषयों के संबंध में हैं।

श्री अमर राय प्रधान : मंत्री महोदय का धन्यवाद है कि वह चुनाव कानूनों में सुधारों पर विचार करने को तैयार हैं। तारकुंडे समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है। श्री वी० एम० तारकुंडे की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्योय समिति ने जिनकी नियुक्ति श्री जय प्रकाश नारायण के कहने पर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की राष्ट्रीय कार्य-कारी परिषद द्वारा की गई थी, ने लोक सभा तथा विधान सभा से चुनावों के लिये उम्मीद वारों को राजकोष से सहायता देने की सिफारिश की है।

इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार चुनावों संबंधी नियमों में इस तरह से संशोधन करेगी कि (क) चुनाव कानूनों में "वापस बुलाने का अधिकार" शामिल किया जाये ताकि लोकतंत्र के स्वामित्व हेतु तथा दल बदल को हतोउत्साह करने के लिये--जो प्रायः इस सभा में होता है तथा इसके रुप में चूना गया एक जघन्य अपराध करता है--प्रावधान किया जा सके; (ख) महत्वहीन उमीदवारों को कम किया जा सके तथा राजकोष से चुनाव खर्चोंको एक आधार बनाया जा सके जिसके द्वारा उनकी दृष्टि से कम साधनों वाले तथा अधिक साधन प्राप्त उमीदवार को समान स्तर पर रखा जा सके?

श्री शांति भूषण : तारकुंडे समिति का प्रतिवेदन जिसमें विभिन्न चुनाव सुधारों का सुझाव दिया गया है सरकार के प्रति सक्रिय रूप से विचाराधीन है। सभा को यह सूचित करने में मुझे प्रसन्नता है कि एक मंत्री मण्डलीय समिति उन सभी सिफारिशों पर विचार करने के लिये गठित की गई है जो न केवल तारकुंडे समिति ने बल्कि स्वयं चुनाव आयोग द्वारा भी की गई हैं। पहले संसद् सदस्यों की संयुक्त समिति बनी थी जिसने चुनाव सुधारों पर विचार किया था तथा वस्तुतः एक विधेयक पुरःस्थापित भी किया जा चुका है। परन्तु इसके पश्चात् यह घोषणा की गई थी कि इस मामले पर अन्य विपक्षी दलों से भी विचार विमर्श कर लिया जाये। मंत्रीमण्डलीय समिति इन सभी बातों पर विचार कर रही है और इसके द्वारा निष्कर्ष निकाल लिये जाने के पश्चात् इस मामले पर राजनैतिक दलों से विचार विमर्श किया जायेगा। परन्तु जिस मामले का माननीय सदस्य ने विशिष्ट रुप में जीक्र किया है अर्थात 'वापस बुलाने का अधिकार' उस पर भी मंत्रीमण्डलीय समिति विचार करेगी जहां तक दल बदल को रोकने का प्रश्न है उसके बारे में सभा में एक विधे-यक पेश करने का विचार सरकार के विचाराधीन है और चुनावों पर सरकार द्वारा खर्च करने की जो बात है उस पर मंत्रीमण्डलीय समिति पहले ही कुछ विचार कर चूकी है।

श्री अमर राय प्रधान : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इन चुनावों का कराने के लिये सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की एक समिति गठित की जायेगी ?

श्री शांति भूषण : जैसा कि मैंने कहा है इन सभी मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति विचार कर रही है और उसके तदर्थ निर्णयों के पश्चात् ही इन प्रस्तावों पर विपक्षी दलों के

साथ बातचीत की जायेगी ताकि अन्तिम रुप से कोई दृष्टिकोण सामने आ सके। इसके पश्चात् ही आगे कुछ किया जा सकता है।

Shri Phurangi Prasad: On what issue has the Cabinet Committee is in unanimus. Would you like to explain that?

Shri Shanti Bhushan: The proposals are still under consideration. There have been some meetings of the Cabinet Committee. Until these are finally discussed will can it he said on what issues it has consented.

श्री पी० राजगोपाल नायडु: क्या सरकार सानुपातिक प्रतिनिधित्व को भी एक सुधार के रुप में मानकर विचार कर रही है।

श्री शांति भूषण: सानुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी कहीं समितियों ने विचार किया है। इस संबंध में भी समय समय पर प्रस्ताव किये जाते रहे हैं और इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा। अब इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाये अथवा न किया जाये ताकि फिर कोई अन्य ऐसा बीच का तरीका निकाला जाये जो स्वीकार्य हो, अथवा यदि सानुपातिक प्रतिनिधत्व की बात को फिर से ही अस्वीकृत कर दिया जाये, इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है।

New Railway Line in Maharashtra

*931. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a demand for laying a new railway line from Nanded to Udgir or Batur and from Gangakher to Bodhan in the Marathwada region in Maharashtra State;

(b) whether Government propose to lay a new railway line in the mean time from Nanded to Kalebar Co-operative Sugar factory right up to Kandhar; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) : Yes, Sir. Representations have been received for construction of these lines but due to shortage of resources it will not be possible to take up their construction at present.

Shri Keshavrao Dhondge: I feel much pained as also agitated to find that the present Ministers also reply to the questions in the same manner as was done by the Ministers in the Congress Govt. We want to call them friends but what is the cure if the friends also behave in that very fashion? I want to know whether you sympathetically consider or not the demand which has been being made by Marathwada and which has also been recommended to the centre by the Maharashtra Administration? Or you would consider that when you get money? Are you going to stay till that time? So, far several years our demand i.e. people's demand is for a line linking Nanded, Parbani and Usmanabad districts of Marathwada. I want to know whether you ask us to bring money before putting our demand to you since you do not have resources. It should not be so. After all it is your duty. If our demand is legitimate, may I know whether the Govt. is prepared to amend their answer sympathetically or not?

Prof. Madhu Dandavate : First of all I would request Shri Dhondge not to feel angry. I shall certainly give an answer to your satisfaction.

Firstly you have asked whether there will be same of telling that there is no money and we would not take up any work in hand. I have repeatedly said

in this House the new Govt. will exercise a different policy in regard to new lines. Earlier it has been a practice that whenever there had been a demand an assurance was recorded on the paper, to take up that line. But when the questions rose for sanction, it used to be stated that there was paucity of funds. Thus they kept everybody happy but sanctioned none. On the contrary our policy is to allocate more and more funds to the lines already in our hands and complete them and thereafter take up the other lines, instead of only approving lines in a big scale. Therefore I would like to tell the hon. Member last year seven of the 28 lines have been completed. One line was found unremunerative and as such it was dropped. Three more lines were added to the remaining 20 lines of which two are in backward areas. Now we shall concentrate on those thirty lines and would complete them.

I want to assure Shri Dhondge that we are paying more attention towards backward areas. We are short of resources and we are trying to find a way out. We should get assistance and support from this House also. That is why I have submitted a proposal. I have not asked for money from you but only your approval. We are economising at a large scale with the help of the employees. Instead of Rs. 32 crores we have saved Rs. 92 crores. But this surplus is dissolved in paying the outstanding dues. Therefore, if the Planning Commission permits us to convert this surplus into a developmental fund..............

अध्यक्ष महोदय : एक लम्बे प्रश्न का उत्तर आवश्यक तो नहीं कि लम्बा ही हो।

प्रो० मधु दन्डवते : यह शिकायत उचित है। इसके पश्चात् यह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

Therefore, I want to inform you that if we get permission to create this developmental fund, we can find some way out for the backward areas. I want to assure that we are thinking about it day and night.

Shri Keshavrao Dhondge : The reply by the hon. Minister is Parliamentary trick to reject a legitimate suggestion. They would neither say a 'no' nor would they do it. The former Railway Minister had also said that it would be considered. After all what is the difference between this reply and that of the former Minister's reply. The hon. Minister has said that he is going to order a survey. I want to know whether all these lines would be surveyed and if so, when ? How much expenditure is expected on these lines? If the hon. Minister cannot take up full line at one time; then he should sympathetically consider setting up a line between Nanded and Kalehar Cooperative Sugar Factory. Or should we wait for a magic lamp of Alibaba to come here.

Prof. Madhu Dandavate : We shall never go to Alibaba. As regards expenditure, I would like to state that Nanded Udagir line is 110 Kilometres long and at least Rs. 21 crores will have to be spent thereon. The line from Gangakhed to Bandhar is 150 Kilometers long and would entail an expenditure of Rs. 27 crores.

Shri Keshavrao Dhondge : How much will be required from Nanded to Kalehar Sugar Factory and further upto Kandhar?

Prof. Madhu Dandavate : We can consider of extending it. So, expenditure will have to be incurred on this much large scale. I have given an assurance in this regard. Also I want to say that Marathwada is a backward region. In the last budget we have increased the approved money to start new work in the field of conversion. I want to assure that we would pay attention to this backward area.

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल द्वारा पेरानाइट्रो-फेनोल का उत्पादन

*932. श्री डी० डी० देसाइ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल के पैरा-नाइट्रो-फनोल का उत्पादन करने के निर्णय पर लघु रसायनिक एकक क्षुब्ध हैं ;

(ख) क्या स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए इन एककों द्वारा किया जाने वाला पेरा-नाइट्रो-फेनोल का उत्पादन पर्याप्त है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल द्वारा पैरा-नाइट्रो-क्लोरी-बेनेजना के अपने समस्त उत्पादन का उपयोग पेरा-नाइट्रो-फेनोल बनाने के लिए किया जायेगा ;

(घ) क्या ऐसी स्थिति में पेरा-नाइट्रो-फेनोल बनाने वाले लघु एककों को कच्चा माल अर्थात पेरा-नाइट्रो-क्लोरो-बेनेजना मिलना बन्द नहीं हो जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो लघु एककों क हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwor Mishra): (a) to (e): A statement is enclosed.

Statement

(a) and (b): One small scale unit and the Federation of Associations of Small Industries of India have represented to Government that the Hindustan Organic Chemicals Ltd. should not be allowed to manufacture para-nitro-phenol as the small scale units are in a position to meet the total requirements. They apprehend that the Hindustan Organic Chemicals Ltd. would utilise their entire production of para-nitro-chloro-benzene, an intermediate, for their captive consumption for the manufacture of para-nitro-phenol and that this material would not thus be available to the manufacturers of para-nitro-phenol in the small scale sector. The output of para-nitro-phenol by the small scale units is insufficient to meet the domestic requirements and substantial imports are being made to supplement the indigenous availability.

(c) and (d): The Hindustan Organic Chemicals Ltd. plan to set up a capacity for the manufacture of 500 tonnes per annum of para-nitro-phenol. They are also expanding their capacity for the manufacture of para-nitro-chloro-benzene which is an intermediate for the manufacture of para-nitro-phenol. The Hindustan Organic Chemicals Ltd. have committed themselves to meeting the demand of para-nitro-chloro-benzene in full of the existing units in the small scale sector manufacturing para-nitro-phenol.

(e) Does not arise.

श्री डी०डी०देसाई : हम प्रश्न के एक आधारभूत मामला उठता है। सरकार नें दावा किया है कि वह इस्पात संयंत्रो, विद्युत संयंत्रो, आधारभूत रसायनों तथा मध्यवर्तियों जैसे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल उद्योग को स्थापना करेंगे जिनकी स्थापना देश के अन्य उद्योगों के लिए इस्पात, विद्युत तथा अन्य आधारभूत कच्चो सामग्री का उत्पादन करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां सरकार ने डाइस्टफ उद्योगों के लिये आधारभूत रसायनों तथा मध्यवर्तियों के लिये एक संयंत्र स्थापित किया है। मैं मंत्री महोदय से यह बताने के लिये अनुरोध करूंगा कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को स्थापना देश में ही स्थापित बड़े एककों तथा उद्योगों को सप्लाई करने हेतु आधारभूत

रसायनों एवं मध्यवर्तियों के उत्पादन के लिय की गई थी , और यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने अधिक सूक्ष्म उत्पाद तैयार करके लघु उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में आने से पूर्व अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है, और यदि इन दायित्वों का पूरा होना स्वीकार कर लिया जाय तों यह सुनिश्चित करने के लिय उनके पास क्या उपाय अथवा प्रावधान हैं कि इस लघु क्षेत्र में उत्पादन द्वारा देश की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं ?

Shri Janeshwar Mishra : Para-nitro-phenol is an important chemical and in our country it is produced in the small scale industries. When Hindustan Organic Chemicals Ltd. found that the small scale industry is unable to cope with the demand, they also decided to produce DNP. It is the policy of the Govt. of India to encourage small scale industries but if they fail to meet the demands then it is necessary that the production should be increased in the large scale industries.

श्री डी० डी० देसाई : पेरा-नाइट्रो-फेनोल के उत्पादन के लिये पेरा-नायट्रो-क्लोरों-बेनेजीन एक आधार भूत कच्ची सामग्री है। लघु उद्योग इसका उस सीमा तक उत्पादन कर रहे हैं जिस सीमा तक उन्हें कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है। पैरा-नाइट्रो क्लोरो-फेनोल की मात्रा जितनी कम उन्हें पडती है उतना उत्पादन आप बड़े पेमाने के उद्योगों में करें यदि कोई अवरोध पैदा होता है तो आपात करना पड़ता है। इसलिए हमें सदा के लिए यह निर्णय करना है कि क्या भारत सरकार पेंट्रोलियम औषध, रसायन इस्पात, तथा विद्युत उद्योगों की स्थापना करके......

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दायरे को बढ़ा रहे हैं । आप सभी उद्योगों की बात एक साथ करते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : जी हां, सभी उद्योगों। इन सभी उद्योगों कि स्थापना के पश्चात् क्या वे इन उद्योगों के उत्पादों का पूरा उपयोग स्वयं अपने लिये करेंगे अथवा देश में ही अन्य उद्योगों के द्वारा बाद में उपयोग के लिए उन्हें रख लिया जायेगा? और यदि ऐसा विचार है तो . . .

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से नहीं पैदा होता है। हम केवल पेरा-नाइट्रो-क्लोरो-बनेजीन पर चर्चा कर रहे है अन्य उत्पादों के बारे में नहीं ।

श्री डी० डी० देसाई : पेरा-नाइट्रो-क्लोरो-बेनेजीन जो कि एच० ओ० सी० का एक उत्पाद है, पेरा-नाइट्रो-फेनोल निर्माता परवर्ती उद्योगों हेतु कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। यदि वह क्षेत्र है जहां कच्ची सामग्री का निर्माता लघु उद्योगों के उत्पादन क्षेत्र में आ रहा है जो कि उसी के ग्राहक है।

यदि ऐसा है तो यह कच्चा माल बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों के बारे में सरकार की घोषित नीति के विरूद्ध होगा यद्यपि डाऊन स्ट्रीम यूनिटों द्वारा प्रोसेसिंग के लिये उन की क्षमता बहुत है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मूल नीति सम्बन्धी प्रश्न की चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री डी० डी० देसाई : प्रधान मंत्री यहां बैठे है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री देसाई, इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई : यदि आपने प्रश्न को समझा नहीं है तो में इसे स्पष्ट करता हूं। देश में तेल शोधक कारखाने है, देश में रसायनिक संयंत्र तथा इस्पात संयंत्र है। क्या वे सभो अपने कच्चे माल को, जिसका वे उत्पादन करते है, उत्पादन के लिये खपत कर सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पैरा-नाइट्रो-क्लोरो-बेंजीन का उत्पादन पर्याप्त था, और इसका नियतन पर्याप्त था जिससे इस कच्चे माल के लिये आंतरिक मांग को लघु उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता ? क्या लघु उद्योगों को यह बता दिया गया था कि यह माल उपलब्ध होगा तथा वे लघु उद्योग क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना कर सकते हैं ? यदि ऐसा है तो क्या वे पी० एन० सी० का उत्पादन करने में असफल रहे ?

Shri Janeshwar Mishra : Mr. Speaker, Sir, the hon. Member is mainly asking about P.N.C.B. which is used as raw material for producing P.N.P. The commissioner has not so far submitted this Report regarding the number of small scale units functioning in the country and their production capacity. But according to estimate prepared by any Ministry only 7 or 8 small scale Industries are working in our country but no report has been received so far about those industries. But the commission and Company in Bombay made a complaint to the effect that if H.O.C. starts producing P.N.C. their raw material will not be available to those units. In this respect H.O.C. has assured the Ministry that first. The requirements of small scale industries will be met and their additional raw material will be produced for their own requirement.

श्री डी० डी० देसाई : जब कच्चा माल बनानेवाले उस कच्चे माल का उपयोग करके तैयार माल का उत्पादन करने लगते है तब वे अपने कच्चे माल के मूल्य प्राय: बढ़ा देते है तथा इससे प्रतियोगिता को स्थिति समाप्त हो जाती है।

Shri Hukamdeo Narayan Yadav : I would like to know from the Government this thing. P.N.P. is produced by small scale industries. But they are not able to meet the full requirement, and therefore, the production of this item is entrusted to the large scale industries. In that case the price of the material produced by large scale industries will definitely be less than the price of this material produced by the small scale industries in the market. The result of this will be that the existing units of Small Scale Industry will be closed down and the entire work will be concentrated in the hands of big industrialists. May I know whether the Government have visualised this situations and have decided to restrain the big industries from producing this item to encourage small scale industries and to set up more units in small scale sector so that they may meet the requirement of the country in full?

Shri Janeshwar Mishra : Effect of P. N. P. produced by H. O. C. on the price of the produce of small scale Industries has not been worked out finally but I think the prices of the products of both the scales will to uniform. But the main problem in that small scale industries are unable to check the affluents, which cause water pollution. It is therefore, necessary to entrust the job of producing P.N.P. to some big industry in view of the fact that only big industries are capable of checking water pollution.

Expansion of Capacity by Chhatisgarh Distillery at Bhilai, Madhya Pradesh

*933. **Shri Bharat Singh Chowhan** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the present contractor of Chhatisgarh Distillery at Bhilai, Madhya Pradesh, has recently, expanded its sanctioned capacity of fifteen lakhs of proof litres of the country spirit to twenty-five lakhs litres inspite of the ban of Government for any such expansion of the Distilleries of Government;

(b) whether this was done without obtaining the administrative approval of Government regarding estimates of the plants, machineries, building and other equipments and invitation of tenders for rates, offers etc., for the same;

(c) whether the Excise Commissioner, Gwalior Madhya Pradesh, intimated the Government that the lease of three years of Chhatisgarh Distillery was due to expire in April, 1978 for inviting fresh tenders;

(d) if the answers to (a), (b) and (c) above are in the affirmative how the contractor of Chhatisgarh Distillery could have expanded its capacity; and

(e) action proposed to be taken against the persons who have violated the rules?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) The Chhatisgarh Distillery which is owned by the Government of Madhya Pradesh and run by a contractor was permitted by the State Government on 25-3-1977 to expand its capacity by 10 lakh Proof litres for the manufacture of country liquor subject to the condition that the distillery does not employ more than 49 workers. This expansion was permitted by the State Government under their own powers as the distillery employing less than 50 workers does not attract the provisions of the IDR Act.

(b) to (d) : These matters are within the purview of the State Government of Madhya Pradesh.

(e) Does not arise.

Shri Bharat Singh Chowhan : In his reply the hon. Minister has fixed the entire responsible on the State Government but according to the policy of the Central Government and under twelve points laid down by the Government there is clear cut direction to the effect that production capacity of alcohol should not be increased in the factories. I would like to know whether there is any difference of opinion in the issue of prohibition between the Central Government and the State Governments?

Shri Janeshwar Mishra : The approach of Central Government and the State Governments is not different on the issue of prohibition. But if there are less than 50 workers in a distillery, then Central Government cannot interfere; under the rules this subject is completely within the purview of the State Government. Therefore, if this question was raised in the Assembly of Madhya Pradesh before it has raised in Parliament then it would have been much better.

Shri Bharat Singh Chowhan : This is the clear policy that prohibition should be made successful with the cooperation of State Governments under the direction of the Central Government. In these circumstances production of liquor has increased from 15 lakh litres to 25 lakh litres. Is this decision not quell the policy of prohibition and does it not encourage drinking? Under 12 point programme it has been specifically indicated that industrial institution should be discouraged to produce liquor, I can read out it. Central Government has imposed ban on it. If such a permission is given to distillery in the states then will it not adversely affect prohibition programme. May I know the steps being taken by the Central Government to enforce 12 point programme on prohibition?

Shri Janeshwar Mishra : Mr. Speaker. Sir, I admit even now that prohibition policy of the Government of India should be enforced in the whole Country but Chhatisgarh Distillery is completely within the jurisdiction of the State Government of Madhya Pradesh and we have no right on it. Therefore, we are unable to take any step in this matter.

श्री के० लकप्पा : यह मामला छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के ठेकदार से सम्बन्धित है जिससे 10 लाख लीटर की क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई जबकि इस प्रकार के क्षमता विस्तार पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। यह प्रतिबन्ध भारत सरकार द्वारा लगाया गया है अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में किन व्यक्तियों का हाथ था और क्या इस पार्टी के साथ उत्पादन शुल्क आयुक्त ने मध्य प्रदेश के मंत्रालय के साथ सांठ-गांठ करके पक्षपात किया है तथा भारत सरकार और आपके मंत्रालय के निदेशों का उल्लंघन किया है ? क्या आप इस मामले की जाँच कराएंगे या जाँच का आदेश देंगे क्योंकि उससे मद्य निषेध के बारे में सरकार की घोषित नीति विफल हो जाएगी। प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या इस सम्पूर्ण घटना पर विचार किया जायेगा क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के किसी मंत्री का हाथ है जिसने उत्पादन शुल्क आयुक्त के साथ सांठ-गांठ की हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह 1977 में बढ़ाई गई थी।

श्री के० लकप्पा : किन्तु विस्तार का अनुमोदन अप्रैल में किया गया था। यह भूतपूर्व सरकार ने नहीं किया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निदेशों का उल्लंघन क्यों किया ? क्या आप इस मामले में कार्यवाही करेंगे ?

Shri Janeshwar Mishra : Hon. Member has made a suggestion that the Central Government, in accordance with their policy, should advise the Government of Madhya Pradesh that such permit should not be issued. But I reiterate that Chhatisgarh Distillery is completely under the control of Madhya Pradesh Government and that we cannot exercise any influence on it.

श्री के० लकप्पा : देखिए मंत्री महोदय किस तरह से उत्तर दे रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The reply just now given by the hon. Minister is technical one. Prohibition policy is being carried out with mutual cooperation of Central Government and the State Governments. On the one hand you want to increase the capacity of that distillery and thus you are developing the same; capacity of other distilleries in certain other states is also increased—publicity is being made for that—and on the other hand they are talking about prohibition. May I know whether the hon. Minister and the hon. Prime Minister will assure the House that state Governments will be advised that in future distilleries should not be allowed to increase their capacity and that no new distillery should be set up and that ban should be imposed on the advertisements regarding such distilleries? Apart from this capacity of the existing distilleries will be diversified gradually for other items.

Shri Janeshwar Mishra : Mr. Speaker, Sir, licence for Chhatisgarh Distillery was issued in 1975. There was a contractor.

श्री के० लकप्पा : आप कृपया अप्रैल, 1978 की बात करिये।

Shri Janeshwar Mishra : Kindly listen to me. In 1975 the building was owned by the Government of Madhya Pradesh but a private contractor was issued licence to produce liquor. Permission to increase the production capacity of

that distillery was given in 1976. At that time Janata Party was not in power. That application was pending with the Government therefore Government could not reverse the decision already taken earlier even though the Government of Madhya Pradesh specifically states that such permission should not be given. It would be better if Madhya Pradesh Government........... **(Interruptions)**

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दिलायेगी कि इस कारखाने को क्षमता नही बढ़ाई जायेगी तथा नया कारखाना स्थापित नही किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मैंने आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने को नही कहा था ।

Shri Janeshwar Mishra : Government certainly propose to impose ban on the use of liquor in the country. I assure the House that wherever use and sale of liquor is found to be on increase, Government will try their best to curb their trend.

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ? यदि आप इससे संतुष्ट है, तो मैं बैठ जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हे दूसरी बार भी स्पष्ट करने की अनुमति दे दी है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह सदन को यह आश्वासन देंगे कि कोई नया शराब कारखाना नही खोला जायेगा तथा राज्य सरकारों द्वारा क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों की ओर से वह कैसे आश्वासन दे सकते हैं !

श्री कंवर लाल गुप्त : वह राज्य सरकार से सिफारिश कर सकते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह सुनिश्चित करने के लिये कि मद्य निषेध नीति का उल्लंघन न किया जाये राज्य सरकारों के साथ बात-चीत की जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Prime Minister has, several times appealed to the people of Country suggesting that prohibition is a must in the country. In view of the intention of the Prime Minister will the hon. Minister state whether Government propose to decrease the number of licences for liquor shops in view of the fact that number of such licences are increasing, more shops are being opened and new distilleries are being set up?

Shri Morarji Desai : I have just now stated, which, I suppose, the hon. Member did not follow. Hon. Member has come from Madhya Pradesh. Why does he not exercise his influence there? We will support him. We have taken up this matter with all the State Governments requesting that such things should not happen. I have no doubt in it that state Governments will be bold enough in this matter.

डा० सुशीला नायर : भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारो के दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, शराब बनाने के नये कारखाने खोलने की अनुमति नहीं दी जायगी तथा शराब की नई दुकाने खोलने की अनुमति नहीं दी जायगी । अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री या माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस ठेके के बारे में समाप्त हो गया था जिसे अप्रैल, 1978 में नवीकृत किया गया था सरकार द्वारा जारी किये गये इन स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करने की कैसे अनुमति दे सकती है ।

क्षमता 15 लाख लिटर से बढ़ाकर 25 लाख लीटर कर दी गई । यह तो हमारी आखों में धूल झोंगना है। हम स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन चाहते हैं कि बढ़ी हुयी क्षमता की मंजूरी को रद्द कर दिया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही यह कह चुका हूं, किन्तु आदेश पास करना तथा निर्माण करना राज्य सरकारों का कार्य है। हम केवल उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं और यह हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारों को यह बात तर्क संगत लोगो तथा इस मामले को हल कर दिया जायेगा। किन्तु इस समय मैं कोई स्पष्ट बात नहीं कह सकता । यह सम्भव नहीं है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : भारत सरकार के निदेशों का घोर उल्लंघन किये जाने के अतिरिक्त इस मामले में एक अधिक गम्भोर समस्या निहित है। उन्होने 1978 से ठेके को आगे बढ़ाने के लिये उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। मंत्रो महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि यह कांग्रेस सरकार ने किया था। यदि कांग्रेस सरकार ने 1975 में 15 लाख लोटर की मंजूरो देते समय गलती की थो तो जनता सरकार ने ठेके को अवधि बढ़ाई है तथा 25 लाख लीटर का ठेका दिया है तथा उसके लिये उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन भी नहीं किया है। यह गम्भोर मामला है। मुझे आशा है है कि भारत सरकार इस ओर ध्यान देगो । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस मामले की जांच की जायेगी तथा उस बारे में सदन को रिपोर्ट दी जायेगी तथा संम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि याद हो तो मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि 1975 में 25 लाख लीटर की अनुमति दी गई थी। उन्होंने तो केवल ठेके की अवधि बढ़ाई है।

Shri Janeshwar Mishra : The hon. Prime Minister has clarified the position that Government of India can only persuade the State Governments to check additional production of liquor. This House has not given any power to the Central Government to exercise pressure on State Governments. Therefore we can not put any pressure on them.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यात्रा का समय काम करना

*928. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच सीधी लाइन पर यात्रा करने में लगभग 24 घंटों का समय लगता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे संतोषजनक मानती है,

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिदिन एक अधिक तेज रफ्तार वाली (सुपर फास्ट) रेलगाड़ी चलाकार जो केवल कुछ ही स्टेशनों पर रुके, उक्त यात्रा के समय को कम

करने का है जिससे गुजरात और राजस्थान की राजधानी क्रमश: अहमदाबाद और जयपुर के साथ देश की राजधानी दिल्ली का सम्बन्ध स्थापित हो सके,

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : 1 अप और 2 डाउन दिल्ली-अहमदाबाद मेल द्वारा लगने वाला समस्त यात्रा समय क्रमश: 22.10 और 22.50 घंटे है।

(ग) से (ङ) : दिल्ली और जयपुर के बीच नं० 501/502 पिंकसिटी एक्सप्रेस एक तेज गाड़ी पहले से ही उपलब्ध है। मार्गवर्ती खंडों पर सीमित लाइन क्षमता और दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली और अहमदाबाद के बीच फिलहाल, एक तेज गाड़ी चलाने का परिचालनिक दृष्टि से औचित्य नहीं है।

Conservation of Petroleum Products

*929. **Shri Ishwar Chaudhury:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a proposal for conservation of petroleum products during the current year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to implement it?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) to (c): The steps proposed to be taken during the year 1978-79 towards conservation of various petroleum products and the manner of implementation thereof are given below:

I. *Furnace oil conservation:*

The steps earlier taken in this regard are being continued and the broad scheme of the programme for the year 1978-79 will be as under:

(a) Furnace oil utilisation surveys are proposed to be conducted through the Petroleum Conservation Action Group (PCAG) in the following:—

(i) about 220 units in the organised sector like engineering, processing, textiles, glass, ceramics, cement etc;

(ii) the core sector industries such as steel, power and fertilizer industries; and

(iii) about 300 small scale industries through group discussions/demonstrations.

(b) Efforts regarding promotion of programmes of switch-over from petroleum fuels to coal and producer gas (based on coal), wherever technologically feasible, are to be continued; and

(c) The introduction of norms of consumption of furnace oil for certain selected industries like textile, paper, pulp, glass, etc., is being done in consultation with the concerned industry associations.

II. *Diesel oil conservation:*

(a) The PCAG plans to work for the upgradation of skills of drivers and mechanics in the 24 model depots to be set up by it in State Transport Undertakings. It is also planning the institution of recommended management control systems in those model depots for demonstrating and effecting diesel economy;

(b) It is proposed to organise a series of meetings with major fleet operators and arrange several group discussions/demonstrations at important trucking centres to educate owners and operators on diesel economy measures;

(c) It is proposed to launch training programmes for motor vehicle inspectors and driving instructors through training schools at 25 centres on diesel economy measures;

(d) The PCAG has completed the identification of the potential for diesel conservation and the measures required to be taken therefor in Itarsi Locoshed of Central Railway. Studies on similar lines are also planned to be conducted in other locosheds of Indian Railways; and

(e) A study for Light Diesel Oil (LDO) utilisation in lift irrigation pumps in the State of Gujarat which is one of the major consumers of this product has been carried out. A campaign will be launched to educate the farmers on the methods to be adopted for the efficient use of LDO.

III. *Technical information service* :

(a) It is proposed to produce two films on diesel economy through vehicle maintenance and better driving habits;

(b) The mailing of Monthly Technical Information Service Bulletin to nearly 1000 engineers in industry and State Transport Undertakings is to continue. The bulletin gives a wide range of information on fuel saving methods and devices; and

(c) A programme is being drawn up by the PCAG in association with the Directorate of Audio-Visual Publicity to publish booklets, pamphlets and wall posters to disseminate information on the economy measures covering all petroleum products to create an awareness at all levels.

गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स कम्पनी द्वारा कैप्रोलेक्टम के मूल्य कम किया जाना

*934. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स कम्पनी ने अपने जमा हुए स्टाक से छुटकारा पाने के लिए कैहोलेक्टम के मूल्यों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन भी दिया है कि वह ओ०जो०एल० के अन्तर्गत कैप्रोलेक्टम की अनुमति देने संबंधी निति का पुनः विलोकन करे ;

(ग) यदि हां, तो क्या कम्पनी ने अपने यूरिया के धारण मूल्यों में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया था, और

(घ) यदि हां, तो उनके इस अनुरोध के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख), : जी हां। आयात नोति के पुनरोक्षण के लिए गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर्स कम्पनी के अभ्यावेदन पर पहले ही विचार लिया जा चुका है। 1978-79 की नई आयात नोति के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि कैप्रोलेक्टम का आयात स्टेट केमिकल्स ऐण्ड

फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से किया जाय, जो आयात करने से पहले सरकार की अनुमति लेंगे।

(ग) और (घ) : जी हां, कम्पनी के अभ्यावेदन को जांच के लिये उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को भेज दिया गया है।

मर्केन्टाइल कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन

*935. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ मर्केन्टाइल इम्प्लायीज, यूनियन ने 15 अप्रैल, 1977 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियों के हितों और सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) अगर उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : कम्पनी कार्य विभाग को फेडरेशन आफ मर्केन्टाइल इम्प्लायीज यूनियन से दिनांक 7-4-77 को मै० आर्मस्ट्रांग स्मिथ लि०, जो दिल्ली एवं कलकत्ता में अपनी शाखाओं सहित, बम्बई में पंजीकृत हुई, के कार्यकलापों से सम्बन्धित, एक पत्र प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में शिकायतें थी कि कलकत्ता शाखा में कर्मचारियों की छंटनी की गई है एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1973 में 80 से कम करके 1976 में 22 कर दी है। बम्बई तथा दिल्ली कार्यालयों में भी कर्मचारी वर्ग की छंटनी की गई है। यह भी वर्णित था कि कम्पनी की कलकत्ता शाखा, अपेक्षित धन की कमी के कारण, आदेशों को पालन करने में समर्थ नहीं थी तथा सरकारी निर्देशक कर्मचारियों के साथ साथ कम्पनी के हितों की सुरक्षा करने में पुर्णतः असफल रहे हैं।

मै० आर्मस्ट्रांग स्मिथ लि० मै० बेलापुर शुगर एण्ड अलाईड एन्डस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है। म० बैलापुर शुगर एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज लि० में 28-3-1973 से दो वर्षों की अवधि के लिये दो सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये थे। कथित अवधि के पश्चात उनकी नियुक्तियों को सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया गया था। तथापि, य दोनों सरकारी निदेशक स्वयं मै० आर्मस्ट्रांग स्मिथ लि०, में इसके मै० बैलापुर शुगर एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज लि० की एक सहायक होने के नाते से, निदेशकों के पदों पर नियुक्त हो गये थे।

कम्पनी को परिवाद निर्देशित किये गये थे। कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि कलकत्ता एकक लाभकारी आधार पर कार्य नहीं कर रहा था अतः इसे बन्द करने का निर्णय किया गया है। पुनः कम्पनी की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जिससे यह कलकता शाखा के निर्माण, एकक को कायम रखने के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर सके।

कम्पनी द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति की दृष्टि से, सरकार के लिये कम्पनी के आन्तरीक कार्य-कलापों में हस्ताक्षेप करना संभव नहीं है।

मिट्टी के तेल का अधिक मूल्य और अनुपलब्धता

*936. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बजट में उत्पाद शुल्क बढाये जाने के बाद मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता अथवा इसका अधिक मूल्य लिये जाने और इसका मूल्य बढ़ जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मिट्टी का तेल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) संघीय बजट 1978-79 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क बढ़ाने के बाद तेल कम्पनियों या पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता या इसके लिये अधिक मूल्य लिये जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) मिट्टी के तेल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) देश में इस उत्पाद का उचित स्टाक बनाये रखने के लिये मिट्टी के तेल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था की गई है।

(2) मिट्टी के तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये तथा राज्य सरकारों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखने के लिये तल कम्पनियों में से राज्य समन्वयको (स्टेट कोआर्डिनेटर्स) की नियुक्ति की गई है।

(3) राज्य सरकारों से सतर्क रहने के लिये अनुरोध किया है ताकि मिट्टी के तेल की कोई कमी न हो और मिट्टी के तेल की कमी तथा उसके मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही आवश्यक है तो वे राज्य समन्वयकों तथा इस मंत्रालय के ध्यान में इससे लायें।

बंगाल इम्यूनिटी, पश्चिम बंगाल की गतिविधियों के बारे में जांच करने के लिए समिति का प्रतिवेदन

*937. **श्री चित बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल इम्यूनिटी (पश्चिम बंगाल) की गतिविधियों के बारे में जांच करने के लिये केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : **(क)** जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(i) श्रमिक अब कम्पनी को अपने पैरों पर फिर से खड़ा करने के इच्छुक हैं उपयुक्त वित्तीय तथा प्रबन्धकीय व्यवस्था की आवश्यकता है।

(ii) लागत निर्धारित करने की बुनियादी पद्धति प्रारम्भ की जानी चाहिए।

(iii) बंगाल इम्यूनिटी सोरा और एण्टी-टाक्सिन्स में, जो लाभ प्रद पद है, की स्थिति अभी भी मजबूत है। मार्केटिंग का पर्याप्त रुप से प्रसार करने से अन्य मदों को बिक्री भी की जा सकती है जिसके लिए पर्याप्त अनुकुल वातावरण पहले ही बनाया जा चुका है।

(iv) व्यावसायिक प्रबंधन का बिल्कुल अभाव है तथा रिपोर्ट की उपयुक्त प ति भी नहीं है।

(v) मार्केटिंग में क्षेत्रीय कर्मचारियों की सख्या कुछ बढाने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

(vi) कम्पनी का कोई युक्तिसंगत प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) कार्यक्रम नहीं है। दो-तीन साल के अन्दर प्रमुख नवीनीकरण का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस बीच मशीनों में छोटे-मोटे मरम्मत किए जायें जिससे वे कम से कम 80 प्रतिशत क्षमता उत्पादन दे सकें।

(vii) उत्पादों में विविधता लाने पर भी विचार किया जाना चाहिए और एसे उत्पादों पर जिनमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

(viii) कम्पनी लगभग 40—50 लाख रुपयों के मासिक विक्रय से संतोषजनक स्थिति प्राप्त कर सकती है और इसके लिए नौ महीनों की अवधि में लगभग 95 लाख रुपयों के निवेश (इन्वेस्टमेंट) की आवश्यकता होगी।

(ix) बंगाल इम्यूनिटी रिसर्च सेंटर के रुप में कम्पनी के पास एक सुव्यवस्थित शोध तथा विकास संस्थान है जिससे पहले भी कम्पनी की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भविष्य में भी जिसकी संभावनायें हैं।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपक्रम के आकार, इसके विक्रय तथा रोजगार, उत्पादों के स्वरूप तथा जनता और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध का तत्काल अधिग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि गत कुछ वर्षों के कम्पनी के काम से यह स्पष्ट था कि बैंकरों की वित्तीय सहायता के बावजूद इसके प्रबन्ध के वर्तमान ढांचे को लकर इसे व्यावहारिक रुप से सफलता के साथ चलाना संभव नहीं था।

(ग) समिति की रिपोर्ट सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विदेशी कम्पनीयों की विदेशी साम्यपूंजी में कमी

*938. **श्री डी० अमात :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 मार्च, 1978 के सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह उल्लेख है कि हाथी समिति ने विदेशी फर्मों की विदेशी साम्य पूंजी को तत्काल कम करके 40 प्रतिशत करने तथा बाद में उत्तरोत्तर कम करके 26 प्रतिशत से कम करने की सिफारिश की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस विवरण द्वारा हाथी समिति की सिफारिश में सुधार किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि "बल्क" औषधियों के "सोफिस्टोकेशन" के बारे में तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 40 प्रतिशत से अधिक पूंजी रखने की किस प्रकार अनुमति दी जायेगी, इस बारे में विवरण स्पष्ट नहीं है तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास अनिर्णीत पड़े उनके आवेदनों का क्या होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, आवश्यक औषधों के उत्पादन में कोई बाधा न पहुंचने के उद्देश्य से, उच्च तकनीक की प्रपुंज औषधों (बल्क ड्रग्ज) का मापदण्ड सरकार द्वारा जानबूझ कर अपनाया गया है। ऐसी विदेशी कम्पनियों को, जो केवल फार्मूलेशन्स तैयार करती हैं या केवल तकनीक रहित ड्रग्स तैयार करती है या ये दोनों तैयार करती हैं, तत्काल अपनी साम्य-पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत तक करनी होगी। हाथी समिति की रिपोर्ट से भी बहेतर फैसला सरकार ने यह लिया है कि विदेशी कम्पनियों की शेष साम्यपूंजी का 66 प्रतिशत सरकारी वित्तीय और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं में लगाया जाय और यथा संभव शेषांश कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों के पक्ष में लगाया जाय। हाथी समिति ने बल्क ड्रग्स और फार्मूलेशन्स के विदेशी निर्माताओं के बीच कोई अन्तर नहीं रखा और न ही उसने साम्यपूंजी में भारतीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी की कल्पना की थी।

(ग) चूंकि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रत्येक विदेशी औषध कम्पनी के कार्यकलापों का मूल्यांकन करना होगा, हर कम्पनी द्वारा प्रयुक्त तकनीक के स्तर और प्रकार का अलग-अलग पुनरीक्षण अनिवार्य होगा।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विवरणपत्र के पैरा 16.2 के अनुसार एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है जिसमें रसायन और उर्वरक विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, तकनीकी विकास विभाग और विज्ञान तथा तकनीकी विभाग के सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञ हैं। यह समिति निश्चय करेगी कि उच्च तकनीक वाली बल्क ड्रग्स कौन सी हैं।

फेरा (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के अन्तर्गत सभी आवदन पत्रों पर माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विवरण पत्र के पैरा 17 के अनुसार विचार किया जायगा।

बिहार में घरेलू गैस की सप्लाइ

*939. **श्री लखनलाल कपूर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों में घरेलू गैस सप्लाई करने के लिये कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समस्त देश में गैस के मूल्य समान होंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : बिहार में, पहले से इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि० द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) का 21 (इक्कीस) नगरों में और काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग

(इंडिया) लिमि० द्वारा दो कस्बों में विपणन किया जा रहा है। बिहार में और अधिक नगरों और कस्बों में एल० पी० जी० के विपणन का विस्तार आगामी दो-तीन वर्षों में सम्भव होगा। जब बम्बई हाई को सम्बद्ध गैस से एल०पी०जी० को पृथक करने की परियोजना के कार्य आरम्भ करने से, नई शोधनशालाओं को आरम्भ करने से, और वर्तमान शोधनशालाओं में एल० पी० जी० के उत्पादन की अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना से यह गैस बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जायेगी । इस प्रकार का विस्तार निम्नलिखित बातों पर आधारित होगा :—

(i) पूर्वानुमानित ग्राहक संख्या

(ii) पूर्ति केन्द्र से मार्केट की दूरी

(iii) सुरक्षित तथा सुलभ परिवहन साधन की उपलब्धता

(iv) वितरण उपकरणों का अधिकतर उपयोग और

(v) कार्य संचालन की व्यवहार्यता ।

(ग) सरकार द्वारा देश के 13 विभिन्न स्थानों के लिये एल०पी०जी० (लीक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस) का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है । एल०पी०जी० (लीक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस) के लिये शोधनशाला के बाहर मूल्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एजेण्टों का कमिशन और तेल विपणन कम्पनियों का लाभ एक समान हैं। लीक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस के फुटकर विक्रय मूल्यों में, परिवहन लागत, बिक्री कर, चुंगी आदि, जो देश के भीतरी स्थानों में भिन्न भिन्न हैं, सम्मिलित हैं। इन कारणों से देश भर के लिये अथवा क्षेत्रीय आधार पर लीक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) के लिये कोई एक समान बिक्री मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटाये गये व्यक्तियों को पूरी मजूरी दिया जाना

*940. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटाये गये व्यक्तियों को पूरी मजूरी का भुगतान करने के लिए रेल मंत्रालय ने कोई आदेश जारी किया है जैसा कि श्रम मंत्रालय ने किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित एसोसियेशनों से सम्बद्ध होने के कारण जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं और जिन्हें वर्तमान नियमों के अंतर्गत नौकरी पर पुनः ले लिया गया है, उन्हें साधारणतया पूरा वेतन एवं भत्ते देने के गोपनीय आदेश जारी किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) : इन आदेशों का विवरण देना लोकहित में नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

*941. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में जो स्थान पीछे नहीं भरे गये हैं उन्हें भरने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): 1-1-1978 को रेलों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :--

	चतुर्थ श्रेणी	
	(सफाईवालों को छोड़कर)	(सफाईवाले)
कुल	750322	53806
अनुसूचित जाति . . .	132876	45653
अनुसूचित जन जाति . . .	38446	757

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती की स्थिति पर निरंतर निगाह रखी जा रही है। सितम्बर 1977 में की गई समीक्षा के आधार पर, रेलों पर अराजपत्रित सेवाओं में (जिनमें चतुर्थ श्रेणी सेवाएं भी शामिल हैं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटे में जहां-कहीं कमी रह गयी हो, वहां उस कमी को यथासंभव सीमा तक 31 मार्च, 1978 तक पूरा करने के लिए सभी रेलों पर 1-10-1977 से एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया गया था जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 1978 के अंत तक चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जाति के 809 और अनुसूचित जन-जाति के 1443 कर्मचारी भर्ती किये गये थे तथा अनुसूचित जाति के 491 और अनुसूचित जन-जाति के 621 कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के भीतर ही उच्चतर ग्रेडों पर पदोन्नत किया गया था।

बढ़िया औषधियां बनाने की विदेशी तकनीकी जानकारी

*942. **श्री गोविन्दा मुंडा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में विदेशी कम्पनियों द्वारा बहुत सी बढ़ियां औषधियां बनाई जाती है और भारत में ऐसी कम्पनियों की कोई शाखा अथवा सम्बद्ध कम्पनी नहीं है; और

(ख) ऐसी विदेशी कम्पनियों से पर्याप्त तकनीकी जानकारी लेने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) प्रपुंज औषधों (बल्क ड्रग्स) की आवश्यकता तथा इस उद्योग के विकास में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अर्थात् सरकारी भारतीय तथा सभी क्षेत्र जिनमें विदेशी क्षेत्र भी शामिल हैं, औषधों की एसांकेतिक सूची पहले ही बनाई गई है।

उच्च तकनीक वाली औषधों के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों के प्रस्तावों पर गुण-दोषों के आधार पर तथा नई औषध नीति के मानदण्डों के अन्तर्गत विचार किया

जायेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान एककों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध तथा विकास कार्यकलापों द्वारा और राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं के प्रयत्नों से तकनीक और आयातित प्रक्रियाओं में सुधार लाने के प्रयत्न जारी रहेंगे। परन्तु जहां भी विशिष्ट प्रकार की तकनीक बाहर से लेने की आवश्यकता होगी वह ली जायेगी।

Late Running of Trains

†*943. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government are aware that trains are not generally running in time;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of trains which were generally running late in January, February and March, 1978 as compared to that running during the corresponding months of 1977; and

(d) the improvement being made in this direction?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The punctuality performance of all passenger carrying trains on different zonal railways during the period January to March, 1978 ranged between 87.9% and 98.8%.

(b) The punctual running of trains has been affected generally on account of factors, such as, alarm chain pulling, disconnection of hose-pipes by miscreants, heavy storms, rains, foggy weather, public agitations, accidents, time loss due to loco and signal defects, etc.

(c) The percentage of trains losing punctuality on different zonal railways ranged between 1.2% and 12.1% during January to March, 1978 as compared to 0.7% and 18.5% during the corresponding months of 1977.

(d) Intensive punctuality drives have been launched on all the Zonal Railways and special measures have been taken to introduce round the clock monitoring of the important Mail/Express trains at the Divisional, Zonal and Railway Board's level. At the Railway Board, punctuality of nearly 140 important Mail/Express trains is being watched daily. Railways have also been asked to concentrate on prevention of accidents and to take preventive steps to guard against unauthorised alarm chain pulling by the unsocial elements by maintaining close liaison with State Governments.

Advertisement given to political parties by Synthetics and Chemicals Limited, Bareilly

*944. **Shri Surendra Bikram :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the political parties which were given advertisements as indicated in the 1977 balance sheet of Synthetics and Chemicals Limited, Bareilly that Rs. 4,40,000 and Rs. 35,000 were paid for advertisements to political parties and the names of the journals which were paid for advertisements indicating the amount paid in each case;

(b) whether a copy each of the said journals in which advertisements were given will be laid on the Table of the House; and

(c) whether these advertisements were published due to the pressure of some particular persons?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) A statement is laid on the table of the House.

(b) No copy of the said journals is available with the Government.

(c) The question whether these advertisements were published due to the pressure of some particular persons is under investigation by the C.B.I.

Statement

The name of the political party to which advertisements were given, as indicated in the 1977 balance sheet of M/s. Synthetics and Chemicals Limited, is: "All India Congress Committee".

The details regarding the journals as furnished by the company are as follows:—

(i)	27 Issues of "Special Republic Day Number Congress Issue" in English langauge @ Rs. 10,000/- for one full page in each one of them.	Rs. 1,10,000
(ii)	11 Issues of "Gantantra Divas Congress Ank" in Hindi language @ Rs. 10,000/- for the full page in each one of them.	Rs. 1.10,000
(iii)	10 Issues of similar souveniors in regional languages @ Rs. 6,000/- per page.	Rs. 60,000
		Rs. 4,40,000

Regarding the balance of Rs. 35,000/- the company has informed that the All India Congress Committee has intimated to it that its office is sealed and as soon as the seal is removed they will make available the information relating to the said sum.

निर्वाचन कराने के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग

*945. **श्री उग्रसेन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन कराने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कोई अध्ययन किया गया था ; और

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया के साथ इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से निर्वाचन कराने की पद्धति तैयार करने और उस पर आने वाली लागत निकालने के बारे में विचार-विमर्श किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1977 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन के संचालन में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करने के संबंध में इलक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया के महा प्रबन्धक के साथ बातचीत की थी और इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया से यह अनुरोध किया था कि वह इस बात का अध्ययन करे कि यह प्रस्ताव कहां तक साध्य है। उक्त कारपोरेशन इस विषय पर अभी विचार कर रहा है।

Closure of Maharana Mills Ltd. Porbandar

†8665. **Shri Dharmasingh Bhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Maharana Mills Limited. Porbandar had submitted a memorandum to the Ministry of Railways on 14th March, 1978 stating therein that the Mill was closed down because of non-supply of steam coal due to shortage of wagons and demanded regular supply of monthly quota of wagons;

(b) if so, the details of complaints and demands made in the memorandum dated 14th March and the action taken in this regard and when it was taken;

(c) the steps taken by Government to ensure regular monthly supply of wagons for transportation of steam coal to Maharana Mills Limited. Porbandar and action proposed to be taken in this regard; and

(d) the monthly quota of wagons for transportation of steam coal sanctioned to Maharana Mills Ltd. Porbandar and when it was sanctioned?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) and (c) : Maharana Mills, Porbandar complained that their Mill was facing difficulties on account of irregular and inadequate receipt of coal and they had been forced to close their unit from midnight of 10-3-1978. A complaint was also made for misdespatch of four BOX wagons. On receipt of this representation, orders were issued for cent per cent allotment being made for this Mill against their March programme. All possible efforts are being made to step up loading of coal not only for this concern but other consumers also and to ensure regular supply to the extent possible.

(d) This Mill was sanctioned a quota of 40 wagons per month initially vide a sanction letter, dated 31-12-1977. This quota was increased to 55 wagons per month from March to December 1978 and the additional sanction was issued on 2-3-1978.

केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के लिए राज्यों को अनुदान

8666. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदान दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी रकम दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्रीय अधिनियमों से संबंधित राजभाषाओं में अनुवाद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। किन्तु इन राज्यों को उनके द्वारा किये गए अनुवाद कार्य के लिए 40 रु० प्रति मुद्रित पृष्ठ की दर से संदाय किया जाता है और ऐसे प्रत्येक पृष्ठ में सुसंगत अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ के कम से कम 400 शब्द होते हैं ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय अधिनियमों के तेलुगु भाषा में अनुवाद के लिए अब तक 6160 रु० की रकम दी जा चुकी है ।

विदेशी औषध कम्पनियों के लिए प्रतिबन्धित मद

8668. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के प्वाइण्ट 23, पृष्ठ 10 पर यह उल्लेख किया गया है कि "स्माल सैक्टर विल बी प्रोहिबिटेड एरिया

फार फोरेन कम्पनी" (कि विदेशी कम्पनियों के लिए लघु क्षेत्र निषिद्ध है) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विदेशी कम्पनियों के लिये प्रतिबंधित तथा लघु क्षेत्र के लिये रक्षित मदें कौन सी हैं; क्या यह सच है कि भारत में फार्मूलेशन के निर्माण के लिये पर्याप्त प्रौद्योगिकी विद्यमान है ;

(ग) क्या सरकार फार्मूलेशन के निर्माण लघु उद्योगों के लिये रक्षित रखेगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार लघु उद्योगों पर से मूल्य नियंत्रण उठा लेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । सरकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी विदेशी औषध कम्पनी चाहे प्लांट और मशीनरी उसमें निवेश का मूल्य कुछ भी हो, को छोटे पैमाने में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और ना ही उसे इस क्षेत्र की रियायतें उपलब्ध होनी चाहियें ।

(ख) माननीय मंत्री द्वारा संदर्भित विवरण पत्र के अनुबंध-i में उल्लेखित सूची-I और II में उन प्रपूंज औषधों के नाम दिये गये हैं जिनका कि भविष्य में विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाना वर्जित है ।

निम्नलिखित औषधें छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई हैं:—

(1) गिलाईसरो फास्फेट तथा गिलाइसरो फास्पेरिक एसिड ।

(2) लैनोलोन एन हाईड्रस ।

(3) पैरासोटामोल

(4) साईट्रेटस/टारेटरेट ।

यह सत्य है कि सूत्रयोगों के निर्माण के लिये तकनालाजी देश में उपलब्ध है ।

(ग) देश में प्रपुंज औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर आयात पर निर्भरता को न्यूनतम करने के विचार से प्रपुंज औषधों का निर्माण करने वाल यूनिटों की आर्थिक व्यवहार्यता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं है कि सूत्रयोगों का उत्पादन एकमात्र छोटे पैमाने के क्षत्र के लिये आरक्षित रखा जाय। परन्तु संगठित क्षेत्र में सूत्रयोगों का उत्पादन करने वाले यूनिटों की प्रक्रिया को सीमित रखा गया है। भारतीय एवं विदेशी औषध निर्माताओं को उनके प्रपूंज औषध उत्पादन के मूल्य क्रमश: 10 गुना और पांच गुना सूत्रयोग उत्पादन की स्वीकृति दी जाती है ।

इस प्रकार छोटे पमाने के क्षेत्र में सूत्रयोगों का उत्पादन करने की काफी संभावना है। उन्हें यह भी लाभ है कि संगठित क्षत्र के एकको को अपने प्रपूंज औषधों के उत्पादन का एक बड़ा भाग असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को देना होता है ।

(घ) विवरणपत्र के पैरा 55 तथा 58 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिय मूल्य नियंत्रण से पूर्ण छूट दना वांछनीय या आवश्यक नहीं समझा जाता। इस संबंध में नीति का उल्लेख 29-3-78 को सभा पटल पर प्रस्तुत किय गय विवरण पत्र के पैरा 58 में किया गया है ।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित बल्क औषधियों का वितरण

8669. **श्री आर० के० अमीन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजसी के माध्यम से आयातित बल्क औषधियों के वितरण की नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाई जने वाली बल्क औषधियो के स्वदेशी उत्पादन का सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण करना अनिवार्य है और यदि हां, तो देश में उत्पादकों को मूल्य संरक्षण देने के लिये क्या व्यवस्था है ;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण नियंत्रण के प्रयोजन के लिये देश में उत्पादन की जाने वाली बल्क औषधियों के नाम क्या हैं और उन बल्क औषधियों के ब्यौरे क्या है जिनके उत्पादन को वितरण नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं लाया गया ; और

(घ) इस कार्य में लगी कम्पनियों के नाम क्या है और क्या देश में औषधियों के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है अथवा इस संबंध में किसी परिवर्तन का निर्णय व्यक्तिगत अधिकारियों पर इन तथ्यों को देखते हुए छोड़ दिया गया है कि कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों उनकी इच्छानुसार हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरणीबध्द प्रपुंज औषधों के वितरण के संबंधों में सरकार की मूल नीति (जो अब 1978-79 की आयात नीती के परिशिष्ट 9 में सम्मिलित की गई है) 20 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर में बतायी जा चुकी है ।

(ख) सरणीबद्ध औषधों के स्ववेशी उत्पादन के अनिवार्य वितरण के संबंध में कोई विशिष्ट नीति नहीं निर्धारित की गई है परन्तु यदि सरणीबद्ध औषध के स्ववेशी निर्मात सरणीबद्धन करने वाली एजोन्सियों की सेवाओं का काम उठाना चाहते हैं तो वे संबंद्ध एजेन्सियो के साथ अपना पंजीकरण कराकर प्रपुंज औषधों की वह मात्रा बता सकते है जो वितरण के लिये उपलध होगी। वित्तीय वर्ष के लिय इस प्रकार का पंजीकरण पूर्व वर्ष के 15 जनवरी तक कराना आवश्यक है। ऐसो औषधों के स्ववेशो निर्माताओं के लिये मूल्य संरक्षण की व्यवस्था मूल मूल्यों क तरीक से की गई है जिसके अनुसार यदि स्वदेशी निर्माता का अवधारण मूल्य मूल मूल्य से अधिक है तो दो मूल्यों के बीच अन्तर तक स्वदेशी निर्मातओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और यदि इन निर्माताओं के अवधारण मूल्य मूल मूल्यों से कम है तो व दो मूल्यों के बीच अन्तर की राशि सरणीबद्ध एजेंसी को देंगे ।

(ग) और (घ) : इन सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के नाम जिनका अनुमानित उत्पादन गत तीन वर्षों में आयात योजना तथा सरणीबद्ध एजेंसी द्वारा वितरण के प्रबन्ध निश्चित करने के लिये विचार में लिये गये थे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

ऐसी कोई सरणीबद्ध औषध नहीं है जिसके स्ववेशी उत्पादन को आयात योजना तथा वितरण प्रबन्ध निर्धारित करत समय विचार में नहीं रखा गया हो। अतः किसी ऐसी कम्पनी जो कि इसका उत्पादन कर रही हो को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त नीति का एक समान कार्यान्वयन किया गया है और किसी एक अधिक री द्वारा उससे विचलन का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

प्रपुंज औषध/औषध मध्यवर्ती जिनकी उपलब्धता का वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के लिए आयात योजना तैयार करते समय देशी उत्पादन के जरिए ध्यान रखा गया था

1. एमीडोपीराइन
2. स्मलजीन
3. मेट्रोनीडाजोल
4. नीट्रोफूरनटोन
5. केथियलसल्फाथियाजोल
6. पइपराजाइन और उसके लवण
7. फेनोवारबिटोन और उसके लवण
8. सल्फाडीमीडाइन
9. सल्फागीनिडाइन
10. सल्फागीनिडाइन उसके लवण तथा उप-उत्पाद
11. स्ट्रेपटिम इसिन सल्फेट
12. रीवोफ्लवाइन (विटामिन बी 2) और रीवोफलेवाइन-5 फासफेट सोडियम
13. थाइमाइन मोनोनिट्रेट और हाईक्लाराईड (विटामिन बी 1)
14. फ्लोरिक एसिड
15. आक्सट्रैसीलीन, उसके लवण और उप-उत्पाद
16. नाइट्रोफुराजोन
17. एमपीसीतीन
18. क्लोरामफि निकोल
19. कैफिन और उसके लवण
20. क्लोरोक्यून और उसके लवण
21. एरीथोमाइसीन और उसक लवण
22. फुरुसीमाइड
23. फुराजोलाइडोन
24. इन्डोमेथासीन
25. आक्सीफेनीसोलोन
26. प्रेडन इसोलोन
27. पन्थानोल
28. प्रेनीलामाइन लेक्टेट
29. सल्फाथीयाजोल
30. सल्फाथियाजाइन
31. सल्फामेथीआक्सजोल

32. ट्रीमेथोप्रीम

33 विटामिन ए और उसके इसटर्स

34. क्टिरिक ऐसिड

35. बिटापीकोलाइन

Gangapur City Railway Station

8670. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Divisional Superintendent, Kotah, Western Railway has not so far made arrangement for providing building for housing the R.M.S. Office at the Gangapur City Railway Station (Kotah, Western Railway) even after repeated reminders given in writing to him by the Post Master General of the Posts and Telegraphs Department, Rajasthan, Jaipur in this regard;

(b) if so, the reasons therefor and the time by which arrangements will be made in this regard and whether the entire correspondence relating thereto will be laid on the Table of the House; and

(c) whether in the absence of a building, the R.M.S. office has not been able to discharge its duties properly in the public interest since 1970; and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : Based on a programme for new works given by P&T Board, the Railways accommodate such works in their works' programme subject to availability of funds.

At Gangapur City railway station, a railway building measuring 100 sq. m. has been given on rent to the P&T Department. A portion of this building is being used as a Posts and Telegraphs office and in the remaining portion the R.M.S. office is located. The P&T Board have not proposed any new R.M.S. building at this station and hence the question of taking up R.M.S. works at this station does not arise. We have no information whether the R.M.S. office at this station has not been able to discharge its duties properly since 1970.

'रेस्टोरिंग इमेज आफ ज्यूडिशियरी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख

8671. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री तारीख 21 मार्च 1978 के "ट्रिब्यून" समाचारपत्र में "रेस्टोरिंग इमेज आफ ज्यूडिशियरी" शीर्षक के अन्तगत प्रकाशित लख के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे लोक तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में न्यायपालिका को सुदृढ बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या न्यायपालिका की तटस्थता के लिये आचारसंहिता बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय से कहा जायगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : 'ट्रिब्यून' के तारीख 21 मार्च, 78 के अंक में जो लख प्रकाशित हुआ है उसमें ऐसे कुछ विनिश्चयों का उल्लेख किया गया है जिनसे सरकार के उस वचन में जनता का विश्वास पुनः पैदा करने मे मदद मिली है जो उसने स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध मे दिया था।

था। लेख में न्यायपालिका के प्रति संसदीय संयम की परम्पराएं बनाने की और न्यायाधीशों के आचरण के लिए नए मानक और मानदण्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। जहां तक संसदीय संयम की परम्पराएं स्थापित करने का संबंध है, इस विषय पर संसद को विचार करना है। जहां तक न्यायाधीशों के लिए आचरण के मानदण्ड निर्धारित करने का संबंध है सरकार का यह काम नहीं है कि वह ऐसे मानदण्ड निर्धारित करे या ऐसे मानदण्ड निर्धारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय से कहे। संविधान में हमारे न्यायधीशों की जो स्थिति है उस पर विचार करते हुए, यह न्यायाधीशों पर निर्भर करेगा कि यदि कोई आचारसंहिता बनाना आवश्यक समझें तो वे अपने लिए ऐसी संहिता बना सकते हैं।

मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता

8672. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्राजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता के प्रारम्भ किये जाने की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1978 तक, वर्षवार, इसकी परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) प्रशिक्षण के लिये विदेशों में इंजीनियर भेजने और विदेशों से इंजीनियरों अथवा प्रतिनिधिमंडलों के आने पर इस परियोजना लागत में से कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या यह आशा की जाती है कि कुल परियोजना लागत के 250 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है यदि प्रगति की वर्तमान दर बढ़ाई नहीं जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्त परियोजना को तजी से पूरा करने के लिये क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-3-78 तक महानगर परीवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता पर कुल 35.11 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसका वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1972–73	1.68
1973–74	3.71
1974–75	6.02
1975–76	5.90
1976–77	8.78
1977–78	9.02 लगभग

(ख) भारतीय इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण दिये जाने पर 3,38,206 रुपये खर्च हुए, वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है :—

1974–75	14,790 रु०
1976–77	1,14,785 रु०
1977–78	2,08,631 रु०

4—142 LSS/ND/78

इस से आये हुए परामर्शदाताओं पर किया गया वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है :—

1970—71	. . . .	98,806 रु०
1971—72	. . . .	1,38,284 रु०
1976—77	. . . .	97,556 रु०
	जोड़ .	3,34,646 रु०

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

1 अप्रैल, 1978 से आरम्भ की गयी नई रेलगाड़ियां

8673. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978 से आरम्भ की गयी नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने और रेलवे की अर्थ-व्यवस्था पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) नयी गाड़ियां चलाये जाने से संबंधित खंडों में भीड़-भाड़ कम हो जायेगी। माल भाड़े की तुलना में यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं से लाभ-प्रदेयता के स्थूल विश्लेषण से पता चलता है कि वे उन पर आने वाले समग्र खर्चे से कम बैठती हैं।

विवरण

समय सारिणी, अप्रैल, 1978 में नयी गाड़ियां/अनुपनगरीय गाड़ियां

प्रचलन **बड़ी लाइन**

1. मद्रास-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. मोकामा-बरौनी सवारी
3. न्यू जलपाइगुड़ी-हल्दीबाड़ी सवारी
4. भुसावल--नागपुर सवारी
5. अंबाला छावनी-चंडीगढ़ कालका शटल
6. बर्दवान-आसनसोल सवारी
7. काकिनाडा पोर्ट-सामलकोट सवारी
8. विरार-दहाणु रोड शटल
9. राजामुंडी-ताडिपालिगुडेम सवारी (केवल एकदिशा में)

मीटर लाइन

10. अहमदाबाद-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
11. भावनगर से सिहोर सवारी (केवल एक दिशा में)
12. सादुलपुर-हिसार सवारी . . .
13. पालनपुर-डीसा सवारी
14. सिकन्दराबाद-फलकनुमा शटल

उपनगरीय गाड़ियां

1. एक जोड़ी हवड़ा-बर्दवान स्थानीय गाड़ियां (एच.बी कार्ड होकर)
2. एक जोड़ी हवड़ा-बंडेल स्थानीय गाड़ियां
3.
4. } दो जोड़ी सियाल्दह-राणाघाट स्थानीय गाड़ियां
5. एक जोड़ी सियाल्दह-मध्यमग्राम स्थानीय गाड़ियां
6. एक जोड़ी सियाल्दह-हब्रा स्थानीय गाड़ियां
7.
8. } दो जोड़ी सियाल्दह-बरुईपुर स्थानीय गाड़ियां

विदेशी कम्पनीयों और बडे औद्योगिक गृह की आस्तियां

8674. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 और 31 मार्च, 1978 को क्रमश: विदेशी कम्पनियों की कुल आस्तियां क्या थी ;

(ख) 31 मार्च, 1977 और 31 मार्च, 1978 को 20 बड़े भारतीय औद्योगिक गृहों की कुल आस्तियां क्या थी और इन तारीखों को 5 सर्वोच्च औद्योगिक गृहों की आस्तियां क्या थी ;

(ग) वर्ष 1973 (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का संशोधन) और मार्च 1977 के बीच कितनी विदेशी कम्पनियां खत्म हुई और उसके क्या कारण है;

(घ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी विदेशी कम्पनियां बंद हुई और कितनी कम्पनियों ने अपना काम बंद करने का निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 31 मार्च, 1977 तक भारत में 482 विदेशी कम्पनियों के व्यापारीक स्थान (अर्थात् शाखायें) थे। इन 482 शाखाओं में से 216 की भारत में परिसम्पतियों का मूल्य जिसके 1976-77 के वर्ष के तुलना-पत्र उपलब्ध है, 1625 करोड़ रु० की राशि का था। 1977-78 के वर्ष की यही सूचमा अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) 20 भारतीय औद्योगिक घरानों की 31 मार्च 1977 तथा 31 मार्च 1978 तक की कुल परिसम्पतियों के मूल्य की बाबत सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इन 20 घरानों को नवीनतम उपलब्ध 1975 के वर्ष में परिसम्पतियों का मूल्य 4465.17 करोड़ रु० की राशि का था। 1975 के वर्ष में शीर्षस्थ पांच घरानों की परिसम्पतियों का मूल्य अलग अलग निम्न प्रकार है :--

घराने का नाम	परिसम्पतियों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1. टाटा	909.68
2. बिड़ला	858.81

3. मफतलाल	.	244.23
4. जे० के० सिंघानियां	. . . . .	290.56
5. थापर	. . . . . .	197.90

(ग) तथा (घ) : वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार, अब तक विदेशी कम्पनियों की 10 शाखाओं ने भारत में अपने व्यापार का समापन करने का निर्णय किया है, क्योंकि उन्होंने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासनार्थ उल्लिखित मार्गदर्शक नियमों के अनुसरण में अनुज्ञात साम्य स्तरों के अन्तर्गत इस देश में कार्य करने में असमर्थता प्रगट की है।

रेवास उर्वरक एकक को तारापुर ले जाना

8675. **श्री वसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "रेवास फर्टिलाइजर यूनिट में बी शिफ्टेड टू तारापुर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इस मामले में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समाचार में की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की प्रक्रिया क्या है;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : जी, हां। चनेरी, ऊसर, मंड़वा तथा तारापुर को ध्यान में रखकर विभिन्न स्थानों पर परियोजनाओ की स्थापना से आस-पास के वातावरण पर प्रभाव की जांच करने के लिए एन सी ई पी सी के तत्वावधान में गठित कार्यकारी दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

(क) कार्यकारी दल की राय है कि बड़े पैमाने की उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिए चनेरी और ऊसर बिल्कुल उपयुक्त स्थल नहीं है;

(ख) जबकि रेवास स्थल के कई तकनीकी-आर्थिक लाभ है, और अगर सावधानियां प्रयोग में लाई जाए तो जल प्रदुषण पहलू कम किया जा सकता है; वर्ष के कुछ समय के दौरान उपलब्ध आकड़ों की निबाध अंदर-अंदर वायु प्रदुषण स्थिति कुछ चिन्ता का विषय है। अधिक हरियाली वाले अलिबाग क्षेत्र में एक प्राकृतिक भूभौतिकीय संतुलन है। कार्यकारी दल ने यह भी नोट किया है कि मंड़वा में रहने वाले लोग आत्म-निर्भर तथा आर्थिक तौर पर अच्छे हैं। वातावरण-सम्बन्धी सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर, कार्यकारी दल ने रेवास में संयंत्र की स्थापना की सिफारिश नहीं की है।

(ग) सभी वातावरण सम्बन्धी प्रभाव के पहलुओं की ओर से तारापुर स्थल स्वीकार्य है।

सरकार ने कार्यकारी दल की सिफारिशें को स्वीकार करने तथा तारापुर में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तारापुर में गैस की अधिकतम उपलब्धि के लिए विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन किये जा रहे है। प्रारम्भिक अध्ययनों से पता चला है कि मांडवा से तारापुर में परियोजना की स्थिति बदलने के निर्णय से उर्वरक परियोजनाओं की (लागत) समय-सारणी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Cases filed in Supreme Court

†8676. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of appeals which were filed in Supreme Court from various States during the last three years and the number out of them, which were admitted;

(b) whether any special scheme is being formulated to admit maximum number of appeals and if so, the details thereof; and

(c) the number of cases which have been pending in Supreme Court for the last three years or more and whether it is a fact that a case of the value of less than ten lakhs of rupees is not admitted, if so, the number of cases of the value of rupees ten lakhs or less amount, which were filed, but not admitted?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) According to the information furnished by the Supreme Court, the appeals in the Supreme Court are registered after grant of special leave to appeal by the Supreme Court under Article 136 of the Constitution and are also filed as of right pursuant to grant of certificate of fitness under Article 132(1), 133(1), 134(1) (a) (b) & (c) by the various High Courts, and under the various statutes like the Representation of Peoples' Act etc.

The total number of such appeals registered during the last 3 years are as follows:—

Year	No. of Civil Appeals	No. of criminal Appeals
1975	1960	406
1976	1911	596
1977	2913	517

(b) No such scheme is being formulated. The power under Article 136 of the Constitution for grant of special leave to appeals is an exceptional and overriding power, to be used by the Supreme Court in its discretion in suitable cases.

(c) The number of appeals pending in the Supreme Court as on 1-1-1978 for three years or more is as follows:—

Civil Appeals 4,702

Criminal Appeals ... 359

After the amnedment of Article 133 of the Constitution by the Constitution (30th Amendment) Act, 1972, clauses (a) & (b) of Article 133(1) under which a certificate could be granted by the High Courts on grounds of valuation of the subject matter in dispute were deleted, the valuation of the subject matter in dispute is no criterion for the grant of certificate of fitness or for grant of special leave to appeal under Article 136 of the Constitution. The Supreme Court have further intimated that there is no provision in the Rules for the parties to state the value of the subject matter of the appeal at the admission stage and it is therefore, not possible to give the statistics asked for in the last part of the question.

Foodstuffs in Railway Canteens

8677. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Ministry has now increased the prices of foodstuffs served in railway canteens; and

(b) if so, the reasons therefor as the prices of these foodstuffs have not increased in the market?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

क्वार्टर का आवंटन

8678. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने उत्तर रेलवे प्रशासन को पत्र संख्या ई (जी) 77 एल जी 3-3, दिनांक 10 जनवरी, 1978 द्वारा इलाहाबाद डिवीजन के पूरे क्वार्टर संख्या 133 ए बी सी के पर्सोनल ब्रांच पूल से ट्रांसपोर्टेशन पूल में स्थानान्तरित कर के उसका आवंटन उसके अनधिकृत निवासी के नाम में नियमित करने के निदेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश किन परिस्थितीयों में जारी किये गये थ;

(ग) क्या यह सच है कि चूंकि उत्तर रेलवे का अतिरिक्त चीफ इंजीनियर उक्त अनधिकृत निवासी को लाभ पहुंचाना चाहता था अत: रेलवे बोर्ड के आदेश जनरल मैनेजर (इंजीनियरिंग) के पत्र संख्या 289-डब्ल्यू/ओ टी/ए एल डी/(आर्ट) दिनांक 12 जनवरी, 1978 के द्वारा सबंधित डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट को प्रेषित कर दिये गये थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद डिवीजन के सभी अनधिकृत कब्जाधारियों को उक्त क्वार्टरों का नियमित आवंटन करने तथा जुर्मानों, किराया आदि की वसूली को रद्द कर देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : श्री पी० एन० जगोटा, अनुदेशक, मंडल यातायात प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद ने कार्मिक शाखा पूल के रेलवे क्वार्टर नं० 133 ए० बी० सी० में पिछले आवंटी श्री एस० एन० श्रीवास्तव की सहमति से एक कमरा अधिगृहित किया हुआ था लेकिन इसके लिए सरकारी अनुमति नहीं ली गयी थी । 31-10-75 को श्री श्रीवास्तव के सेवा निवृत्त हो जाने पर श्री जगोटा ने उक्त क्वार्टर को अपने नाम आवंटित किये जाने के लिए मंडल अधीक्षक को आवेदन पत्र दिया था । इस मामले पर मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद ने विचार किया था, जिसने विनिश्चय किया कि श्री जगोटा को जो टाइप iii का हकदार है परिवहन पूल के दूसरे वार्टर को कार्मिक शाखा के इस क्वार्टर के बदले में अंतरित करके वह क्वार्टर उन्हें आवंटित कर दिया जाये । लेकिन ये आदेश कार्यान्वित नहीं किया गये । बाद में, प्रधान कार्यालय को अभ्यावेदन करने पर मुख्य परिचालन अधीक्षक द्वारा यह निर्णय किया गया कि इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए श्री जगोटा द्वारा अधिगृहित कमरा उन्हें आवंटित कर दिया जाये । मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने पर इस क्वार्टर का आवंटन दो विभिन्न व्यक्तियों के नाम करना जो अलग-अलग टाइप के हकदार थे, उपयुक्त नहीं समझा गया । अत: मंत्रालय द्वारा मंडल अधीक्षक के पहले निर्णय को ही मान्यता दे दी गयी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भाग (क) और (ख) में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

D. M. C. Request for vacant Railway land

8679. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Delhi Municipal Corporation has asked for 4-5 feet wide tract of vacant Railway land for widening the lane from old Rohtak Road to Bagh Kade Khan passing through Railway Accounts Office and Fourth Class quarters, which is as prescribed in the Master Plan;

(b) the reasons as to why Railway Department is not handing over this piece of land for civic amenities when this land has been earmarked for the Road in the Master Plan and Municipal Corporation is prepared to make the payment for the same; and

(c) the steps so far taken in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): A 2.9 metres wide passage for pedestrians and cyclists connecting the old Rohtak Road to Bagh Kade Khan was permitted through the Railway Colony sometime ago. Widening of this passage is not shown in the Master Plan.

Municipal Corporation has been writing to the Northern Railway for some time past about their intention to widen this passage and requesting the Railway Administration to relinquish land required by them for this purpose.

Widening of this passage, as mentioned above, is neither contemplated in the Master Plan nor is it acceptable to the Railway Administration as the formation of a pucca public road through the Railway Colony will affect the peace and privacy of the railway staff living in the quarters close by. The Municipal Corporation has already been advised to this effect.

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

8680. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की कुछ सेवा शर्तें जो कुछ समय पूर्व एकपक्षीय रूप से बदली गई थीं, अभीतक दोबारा बहाल नहीं की गई हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों के कुछ वर्गों के मामले में मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों और बोनस में भी कमी की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार, मिल रही सभी सुविधाओं को दोबारा बहाल करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : आई ओ सी के अधिकारियों के वेतनमानों तथा भत्तों को युक्ति संगत बनाने तथा उनको सार्वजनिक क्षेत्र में मिलने वाले वेतनमानों एवं भत्तों के सामान्यत: अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आई ओ सी के अधिकारियों के संशोधित वेतनमानों तथा भत्तों के सम्बन्ध में फरवरी, 1976 में आदेश जारी किये थे, जो पहली अगस्त, 1974 से लागू होंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत मँहगाई भत्ते के एक भाग को मूल वेतन में मिलाकर

आई ओ सी अधिकारियों के वेतनमानों को संशोधित करते समय निम्न परिवर्तन किये गये हैं :

(i) सप्ताह में 48 घण्टों के काम पर, विशेष तेल भत्ता एक ही स्तर पर रोक दिया गया है।

(ii) आई ओ सी के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता उसी दर से दिया जायेगा जिस दर से इन नगरों में आई ओ सी के कर्मचारियों को यह दिया जाता है। परन्तु उन मामलों में संशोधन से पूर्व दिये जाने वाले किराया भत्तों की धन राशि को संरक्षित रखा गया है, जहां संशोधित दरों के अपनाये जाने के फल स्वरूप कोई कटौती होती है।

(iii) परिवहन भत्ता आवश्यकता पर आधारित बनाया गया है। परन्तु पृथक अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रति पूर्ति धन राशि को संरक्षित रखा गया है, चाहे वें नये आधार पर इसके लिये हकदार न भी हों।

(iv) अन्य सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्योगों के अनुरुप बनाने के लिये, वेतन का महंगाई भत्ते से मिलकर अधिकतम सीमा 2450 से घटा कर 2400 रुपये कर दी गई है।

बोनस अधिनियम के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को बोनस मिलता है। यह कहना सही नहीं है कि ये परिवर्तन उनके सेवा नियमों का उल्लंघन कर के किये गये है।

कालावा यात्री संघ

8681. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे बम्बई के कार्यकारी इंजिनियर (विशेष वर्क्स सिविल) को हाल ही में कालावा यात्री संघ (जिला थाना महाराष्ट्र) और सह्याद्रि को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थाना (महाराष्ट्र) से अप्रैल, 1978 में लिखित अभ्यावेदन प्राप्त ए है;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या क्या मांगें की गई हैं;

(ग) उक्त अभ्यावेदनों के बारे में रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : कालावा कार शेड के निर्माण और कार अनुरक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए कालावा स्टेशन के पूर्वी छोर की ओर पहुंच मार्ग को बदलने का विचार है। इस परिवर्तन को ग्राम पंचायत एवं जिला कलक्टर की पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है परन्तु कालावा पैसेंजर एसोसिएशन (जिला थाना महाराष्ट्र) तथा सह्याद्रि को० आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० थाना, (महाराष्ट्र) दोनों ने इस मार्ग-परिवर्तन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं।

इसके अतिरिक्त कालावा सह्याद्रि को-आपरेटिव सोसायटी ने कालावा कार शेड के लिए प्रस्तावित भूमि के ऊपर एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का भी अनुरोध किया है।

क्योंकि प्रस्तावित मार्ग परिवर्तन अपरिहार्य है इसलिए रेलवे के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परिवर्तन के कारण मार्ग की लम्बाई लगभग केवल 450 मीटर ही होगी।

दिल्ली छावनी के निकट उपरि पुल का निर्माण

8682. **श्री राम कंवार बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की कालोनियों से आने जाने वाले यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलवे उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन के निकट जेल रोड पर कि० मी० 14/4-5 पर वर्तमान समपार सं० 12 (बी) को बदलने का प्रस्ताव है। सामान्य व्यवस्था आरेखों (ड्राइंगों) और रेलवे तथा सड़क प्राधिकरण के बीच लागत के हिस्से के सिद्धांतों के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और दिल्ली नगर निगम/सड़क प्राधिकरण की योजनाओं की लागत के हिस्से को अपनी स्वीकृति देनी है, इसलिए अभी यह कहना सम्भव नहीं होगा कि उसका निर्माणकार्य कब हाथ मे लिया जायेगा ।

राजपत्रित अधिकारियों को यात्रा संबंधी सुविधायें

8683. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों विशेष रुप से राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उठाई जा रही निःशुल्क रियायती यात्रा संबंधी सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाने और कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधाएं देने के विषय को युक्तियुक्त बनाने का समय-समय पर प्रयास किया गया है । दरअसल मे, श्रेणी I और II के अधिकारियों के लिए एक वर्ष में दिये जाने वाले सुविधा पासों की संख्या जो असीमित थी, घटाकर पहले 12 सैट की गयी और बाद में इसे 6 सैट कर दिया गया । श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के लिए सुविधा पासों की संख्या जो उनके द्वारा की गयी सेवा के वर्षों से संबंधित थी, बढ़ाकर 5 वर्ष की सेवा तक एक सैट तथा उसके बाद 3 सैट कर दी गयी ।

चूंकि इन निःशुल्क यात्रा सुविधाओं का निर्धारण सेवा की शर्तों, जिनमें अधिकारियों के मामले में समूचे भारत में नियुक्तियां शामिल हैं, को ध्यान में रखकर किया गया है, अतः ये सेवा की शर्तों का एक हिस्सा बन गयी हैं और सरकार की पासों के वर्तमान मापदण्ड में किसी प्रकार की परीवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे म चयन, पदोन्नतियों, नियुक्तियों आदि की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन

8684. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 से और उसके बाद विशेषकर पुर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियरी विभाग, में; किये गये चयनों, पदोन्नतियों, स्थानान्तरणों, नियुक्तियों आदि के मामलों की

मंत्रालय के स्तर से सतर्कता अथवा अन्य विभाग द्वारा कोई उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं जो अन्य रेलवे से इस रेलवे में अभी आने है जब कि वे अधिकारी जो इस रेलवे में अपनी नियुक्ति की तारीख से काम कर रहे हैं, अपने स्थानान्तरण के आदेश रद्द करवा लते हैं; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में और उससे ऊपर 5 वर्ष के बाद एक रेलवे से दूसरे रेलवे में अधिकारियों के स्थानान्तरण की सामान्य नीति बनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नही ।

(ख) अधिकारियों को किसी एक जगह पर रहने के लिए कोई समय निश्चित नही किया गया है। और जब कभी आवश्यकता होती है, प्रशासनिक हित में उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

लक्ष्मीकान्तपुर स्टेशन पर यात्रियों को असुविधा

8685. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिहालदह डिवीजन में लक्ष्मीकान्तपुर स्टेशन के परिसर का उपयोग रेल सुरक्षा दल के लिए कनात बनाने के लिए किया गया है जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को बहुत समय से कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी नही । लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस दस्ते के 10 व्यक्तियों का वहां शिविर है और वे महिला प्रतीक्षालय और लक्ष्मीकान्तपुर स्टेशन अहाते के एक भाग में रह रहे हैं। इस दस्तों का डकैती विरोधी ड्यूटियों के सम्बन्ध में स्टेशन पर शिबिर लगा हुआ है ।

वर्दियों पर व्यय

8686. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 64 वें अध्याय में वर्दियों पर 2.28 करोड़ रुपये का आनुमानित व्यय किया था जब कि 6 दिसम्बर, 1977 के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में यह व्यय 87 लाख रुपयें उद्धृत किया गया था ; और

(ख) क्या रेल मंत्री इस मामले की पुन: जांच करेंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे कि वर्दियों पर व्यय में इतनी भारी कटौती के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : तृतीय वेतन आयोग ने अपनी 1973 की रिपोर्ट के अध्याय 64 में वर्दियों पर जो 2.28 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया है वह वर्ष 1970-71 से संबंधित है तथा उसमें कपड़े की लागत,

सिलाई, प्रभार तथा वर्दियों के रक्षण के लिए लगाये जाने वाले अस्तर एवं अन्य वस्तुओं आदि का व्यय भी शामिल है। रिपोर्ट के संबंधित भाग का उद्धरण नीचे दिया गया है :—

"अध्याय 64 :

कर्मचारी सुविधाएं :

वर्दियों, अस्तर एवं अन्य वस्तुएं :

पैरा 3 : 1970-71 में केन्द्रीय सरकार का वर्दियों आदि पर 4.28 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है जिसके वितरण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

विवरण	रेलवे . . .	2.28 करोड़ रुपये
	डाकतार . . .	1.32 करोड़ रुपये
	अन्य . . .	0.78 करोड़ रुपये

6 दिसम्बर, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (ख) के बारे में दिये गये उत्तर में वर्दियों को सिलाई आदि पर किया गया वार्षिक व्यय 84 लाख रुपये (न कि 87 लाख रुपये) है तथा उसमें अन्य किसी प्रकार का व्यय जैसे कपड़े की मूल लागत, अस्तर तथा अन्य वस्तुओं पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है।

इस दृष्टि से इस मामले की पुन: जांच पड़ताल कराने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि वर्दियों पर होने वाले व्यय में भारी कमी की गयी है।

Employees of Traffic and Commercial Department

†8687. **Shri Brij Raj Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of the employees in the Traffic and Commercial Department who are residents of Bareilly and posted in Bareilly itself;

(b) the date since when the aforesaid employees are posted in Bareilly; and

(c) the reasons for not considering transfer of such employees?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 122.

(b) 65 for more than 5 years and 57 for less than 5 years.

(c) The staff are not transferred unless there are specific complaints against them, as there is now no system of periodical transfers.

तालचेर उर्वरक संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर

8688. **श्री बैरागी जेना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि तालचेर उर्वरक संयंत्र, तालचेर जयश्री कैमिकल्स लिमिटेड, गंजम में कुशल और अकुशल स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) उक्त प्रत्येक संगठनों में नियुक्त स्थानीय व्यक्तियों को प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी।

रेलवे द्वारा माल डिब्बों में कोयले की कम लदान किये जाने के बारे में शिकायतें

8689. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे द्वारा मालडिब्बों में कोयले का कम लदान किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीरम वैक्सीन तथा अन्य जीवन रक्षक औषधियों की कमी

8690. **श्री फकीर अली अंसारे :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1978 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्थानीय बाजारों में ही नहीं वरन पूरे आसाम राज्य में सीरम वैक्सीन तथा अन्य जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन औषधियों की केवल आसाम राज्य में ही नहीं वरन समूचे देश में कमी है ; और

(ग) वैक्सीन तथा जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किए गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । मामले को शीघ्र ही असम सरकार के साथ तथ्यों की पुष्टि करने तथा मुख्य मुख्य निर्माताओं के साथ उनके उत्पादन की असम को की गई सप्लाई के सम्बन्ध में जानने के बारे में कारवाई की गई थी । राज्य सरकार ने केवल सीरम तथा वैक्सीन (टीका) की कमी की पुष्टि की है । अन्य औषधों की उपलब्धता बताई गई है । जब कि सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पूना ने बताया है कि असम राज्य में उनके स्टाकिस्टों के पास सप्लाई करने के कोई आर्डर बकाया नहीं है । मैसर्स बाइआलाजिकल इवेन्स, हैद्राबाद जिस किसी विशेष क्षेत्र मे इसकी आवश्यकता सूचित की जाती है, शिघ्र ही सप्लाई करने के लिए तैयार रहती है । असम सरकार को तदनुसार सूचित किया गया है ।

(ख) और (ग) : देश भर में किसी प्रकार की दवाइयों की आम कमी ध्यान में नहीं आई है । जब कभी इस विभाग के ध्यान में किसी खास दवाई की कमी लाई जाती है, सम्बन्धित निर्माताओं के साथ अपने उत्पादों की कमी वाले क्षेत्र में शाघ्र सप्लाई करने के सम्बन्ध में मामला उठाया जाता है । अगर उनको कोई इस सम्बन्ध में समस्याएं हो, उन पर भी विचार किया जाता है । सरकार ने अभी ही बंगाल इम्यूनिटि कम्पनी जोकि सीरम और वैकसिन के मुख्य निर्माता हैं, जिनके अनुचित तरीके से काम करने में उपलब्धता पर भी प्रभाव डाला है कि मामलों की जांच करने के लिए गठित की गई सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन है । हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीरा वैकसिन आदि का उत्पादन करने वाली संस्थाओं का सक्रिय बनाने का भी निश्चय किया है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को पहले ही ऐसी कारवाई करने के लिए कहा गया है ।

उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की सप्लाई

8691. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं में कुकिंग गैस सप्लाई किये जाने को क्या व्यवस्था है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों अथवा जिलों को इस वस्तु की सप्लाई में कोई कमी आई है ; और

(ग) इस वस्तु को सप्लाई के लिये आगरा का कितना कोटा है और गत तीन वर्षों में गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में कितनी कमी रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तरल पेट्रोलियम, गैस (खाने पकाने वाली गैस) शोधनशाला में उत्पादन किये जाने के बाद बाटलिंग प्लांटों में सिलैण्डरो में भरी जाती है और वहां से यह निश्चित क्षेत्रों के वितरकों को भेजी जाती है। वितरक अपने पास पंजीकृत ग्राहकों को आवश्यकतानुसार गैस को सप्लाई करते हैं । नये गैस कनेक्शन वितरकों द्वारा गैस की उपलब्धि के अनुसार उनके पास पंजीकृत व्यक्तियों को इस आधार पर देते हैं कि जो पहले आया था उसे पहले गैस दी जायेगी ।

(ख) पिछले वर्ष को तुलना में 1977-78 में तरल पेट्रोलियम, गैस को समस्त उपलब्धता 6% अधिक थी । परन्तु कुछ अवसर ऐसे थे जब कि तेल कम्पनियां / शोधन शालाओं में अनुमानित "शट डाऊ" परिवहन मे गड़बड़ी आदि जैसे विभिन्न कारणों से किसी विशेष राज्य में गैस की मांग की पुर्ण पुर्ति करने में असमर्थ रही थी ।

(ग) किसी नगर या जिले विशेष के लिए तरल पेट्रोलियम गैस का कोई कोटा निश्चित नही किया गया है । प्रयत्न यही किए जाते है कि एक बार ग्राहकों का नामांकन किए जाने के बाद उनकी घरे सिलन्डरों की मांग की पूर्ण पूर्ति की जाए । कोयले सें इस उत्पादन की सिमित उपलब्धता के कारण तथा सर्दी के महोनों में मांग उपलब्धता से कहीं अधिक होने के कारण आगरा में तरल पेट्रोलियम गैस सप्लाई स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ा था । मांग की पूर्ति करने के लिये वैकल्पिक स्रोतों से गैस लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । गत तीन वर्षों में आगरा में तरल पट्रोलियम गैस का विक्रय निम्न प्रकार था :—

1975-76	1976-77	1977-78
2250 मीटरी टन	2470 मीटरी टन	2640 मीटरी टन (लगभग)

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

8692. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का प्राथमिकता के आधार पर आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान अब तक किये गये इन उत्पादों के कुल आयात का मदवार मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : देश में जिन पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है उनका नियमित रूप से आयात किया जाता है । ये उत्पाद मुख्यत: मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, नेफ्था, भट्ठी का तेल और विशिष्ट उत्पाद है । कुल आवश्यकता का वार्षिक अनुमान तैयार किया जाता है और सप्लाई और मांग संतुलन

की नियमित और सामयिक समीक्षा के आधार पर इन उत्पादों के आयात की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1977 और 1978 के लिए इन उत्पादों के आयात की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

आयात

(मात्रा – हजार मी० टन में)

(मूल्य रुपये करोड़ में)

उत्पाद	1977 वास्तविक		1978 (जून-मार्च) (वास्तविक)	
	मात्रा	मूल्य (लगभग)	मात्रा	मूल्य लगभग
मिट्टी का तेल . . .	1041	128.3	501	63.4
हाई स्पीड डीजल तेल . .	666	72.3	258	28.7
नेफ्था	222	24.3	66	6.3
भट्ठी का तेल . . .	698	49.8	77	5.4
अन्य	26	5.6	4	0.9

टाटा, टिस्को और टेल्को में सरकार के प्रतिनिधि

8693. **श्री के० मालन्ना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टाटा', 'टिस्को' और, 'टेल्को' के निदेशक मंडलों में सरकार के प्रतिनिधि हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन कम्पनियों में सरकार के कितने-कितने शेयर हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इन कम्पनियों के हुए लाभ-हानि का विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) टाटा नाम की कोई कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है ।

17-8-1977 तक बनाई गई नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार श्री मन्तोश सोंधी को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) के निदेशक मंडल में 25-5-1977 से सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (टेल्को) के निदेशक मंडल में, 11-8-1977 तक बनाई गई नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं है

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा टिस्को और टेल्को में धारित शेयरों के ब्यौरे निम्न प्रकार दिये जाते है :—

कम्पनी का नाम	शयर धारण की संख्या	
	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड 17-8-1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार	—	3,526
टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० (टेल्को) 11-8-1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार	50	69,021

(ग) टिस्को और टेल्को प्रत्येक के द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़े, पिछले पांच वर्षों के निम्न प्रकार दिये जाते हैं :— (करोड़ रुपये में)

	वर्ष समाप्ति	करके पूर्व लाभ	करके पश्चात लाभ
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	31.3.1973	5.52	5.52
	31.3.1974	14.22	9.77
	31.3.1975	27.98	15.18
	31.3.1976	12.67	9.42
	31.3.1977	18.05	12.05
टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (टेल्को)	31.3.1973	8.32	4.72
	31.3.1974	10.07	5.57
	31.3.1975	6.77	5.41
	31.3.1976	8.55	7.64
	31.3.1977	10.56	10.56

रेलवे में ठेका श्रमिक

8694. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे में वेतन सूची में (पे रोल्स) ठेका श्रमिकों को संख्या कितनी है ;

(ख) उनका न्यूनतम वेतन क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्थायीक्रम से खपाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रैलों पर ठकेदारों द्वारा काम पर रखे जाने वाले श्रमिकों को संख्या से सम्बन्धित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है ।

(ख) अनुसूचो में दिये गये नियोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक। न्यूनतम वेतन की दरें, जो कि भारतीय रेलों पर लगे हुए अकुशल ठेका श्रमिकों पर लागू होती है वें 3.50 रु० और 5.15 रु० के बीच है । अद्र्ध कुशल और कुशल श्रमिकों के लिए ये दरें क्रमशः 4.67 रु० से 6.84 रु० और 7-00 रु० से 10-25 रु० के बोच हैं ।

रेलों पर ठेका श्रमिकों के ऐसे अन्य मामले में जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची में दिये गये नियोजन में नहीं आते हैं, समान काम के लिए स्थानीय रूप से देय वेतन के बराबर देय होते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया के 283 अप यात्री रेलगाड़ी के साथ सैलूनों को जोड़ना

8695. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 283 अप यात्री रेलगाड़ी, जो बलिया (एन०ई०आर०) से चलती है, के साथ चार व्हिलर सैलूनों को जोड़ने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता के लिए उपलब्ध 8 बोगियों के सामान्य भार को कम करके ऐसे सैलून जोड़े जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या फरवरी, 1978 में उपरोक्त रेलगाड़ी में सैलून कोई जोड़ा गया था; और

(घ) क्या सरकार को इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो शिकायत का स्वरूप क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (घ) : जी नहीं।

(ग) जी हां।

गुजरात में विदेशी सहयोग वाली कम्पनियां

8696. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी कम्पनियां विदेशी सहयोग से काम रही है;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) गुजरात में ऐसी प्रत्येक कम्पनी के निदेशकों के नाम क्या हैं; और

(घ) गुजरात में ऐसी कम्पनियों में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जनवरी 1969 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात राज्य में पंजीकृत 47 कम्पनियों को विदेशी सहयोग के अनुमोदन प्रदान किये गये है।

(ख) तथा (ग) : इन 47 कम्पनियों के नामों के साथ साथ इनके नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार उनके निदेशकों के नाम संलग्न विवरण पत्र में दिये जाते है।

(घ) इन 47 कम्पनियों में लगी हुई विदेशी पूंजी की कुल राशि की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है।

[ग्रंथालयों में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2219/78]

कछार जिले में तेल

8697. **श्रीमती रशीदा हक चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कछार जिले में हाथीधारा, काकोछोरा और चारगोला जैसे कुछ तेल क्षेत्रों का पता लगा है और जहां 4500 मीटर तक गहरे कुए खोदे गये हैं;

(ख) उक्त क्षेत्र से अशोधित तेल का नियमित उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) यदि कार्य पहले हो आरम्भ हो चुका है तो उत्पादन आरम्भ होने से अब तक वहां कितना उत्पादन किया गया है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : कछार जिल में अभी तक कोई तेल प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक किये गये भू-गर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ अनुकूल रचनाओं का पता चला है। इन में से चार गोल नामक स्थान पर 5-7-1977 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा खुदाई प्रारम्भ की

गई और अब तक कुआ 4500 मीटर की प्रतियोजित गहराई के बजाय 2500 मीटर तक खोदा जा चुका है। इस क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन क्षमता इन स्थलों की खुदाई किये जाने और परीक्षण करने के बाद ही ज्ञात होगी।

Protest against changing route of Train from Jabalpur to New Delhi

8698. **Shri Narmada Prasad Rai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been demonstrations and agitations and memoranda have been submitted to him in protest against changing of route of the train running from Jabalpur to New Delhi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the decision being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Minister of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) In order to provide direct travel facilities for passengers on Jhansi-Manikpur-Katni section towards Delhi, No. 149/150 Hazrat Nizamuddin-Agra Cantt Qutab Express is being extended to/from Jabalpur from 1-5-1978 via this route. This will meet the demands for providing direct travel facility for Satna Industrial area, Rewa area, Chitarkut and Harpalpur (Khajuraho) tourist areas and will thus cover wider interests of the travelling public.

अशोधित तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

8699. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में अशोधित तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान) के प्रथम वर्ष में स्टाक, उत्पादन और आयात कि क्या स्थिति होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना निम्न प्रकार है :—

. . .	1975	1976	1977
1. अशोधित तेल उत्पादन . . .	8283	8659	10185
2. शोधनशाला उत्पादन . .	20438	21261	22796
3. अशोधित तेल आयात . . .	13669	14032	14850
4. पी०ओ०एल० उत्पादन आयात. . .	2291	2340	2709

(ग) 1978-79 के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन 12.70 मि० मी० टन तक होने का अनुमान है और लगभग 15 मि०मी० टन तक आयात करना पड़ेगा। वर्ष के दौरान शोधनशालाओं का उत्पादन लगभग 27 मि०मी० टन तक होने का अनुमान है।। पेट्रोलियम, उत्पादों का सम्भावित आयात लगभग 2.6 मि०मी० टन तक होने का अनुमान है। सभी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्टाक की स्थिति पर्याप्त है।

भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन से बनी पांच कम्पनियों के मुख्य कार्यालय

8700. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन से बनी पांच कम्पनियों के मुख्य कार्यालयों के स्थान तथा उन पर व्यय के संबंध में हाल में विवाद रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : एफ सी आई और एन एफ एल जिनके मुख्यालय दिल्ली में है, का निम्नलिखित पांच कम्पनियों में पुनर्गठन किया है :—

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
2. नेशनल फर्टिलाइजर लि०
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०
4. राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
5. फर्टिलाइजर (योजना एवं विकास) इंडिया लि०

फर्टिलाइजर (पी एण्ड डी) इंडिया लि० तथा राष्ट्रीय केमीकल्स लि० के मुख्यालय क्रमशः सिन्दरी और बम्बई में हैं। शेष तीन कम्पनियों के मुख्यालय अभी दिल्ली में ही रहेंगे। इन कम्पनियों की स्थिति के सम्बन्ध में अन्तिम प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों ने इन कम्पनियों के मुख्यालयों की स्थिति के बारे में कई विवाद प्रकट किये है। इनको निर्णय लेने के समय सरकार ध्यान में रखेगी।

पुनर्गठन के कारण तीन नई कम्पनियों का पंजीकरण हुआ है जिसपर लगभग 82 लाख रुपये पंजीकरण फीस के रूप में सरकार को दिये गये है । प्रशासनिक व्यय, जिसमें पंजीकरण फीस शामिल है, पर लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है ।

रेल कर्मचारियों को यात्रा सुविधायें

8701. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरकोनम में इंजीनियरिंग वर्कशाप के कर्मचारियों के समान ही अरकोनम में तथा मुख्यालय/डिवीजनल कार्यालय मद्रास में कार्य करता रेल कर्मचारियों के यात्रा सुविधाओं देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) केवल उन्हीं खण्डों पर रेल कर्मचारियों को मुफ्त आवासीय कार्ड पास/सुविधा सीजन टिकट दिये जाते हैं जहां ये 14-12-1953 से पहले दिये जाते थे ।

मद्रास सेन्ट्रल–अरकोणम–कटपाडी खण्ड पर इंजीनियरी कारखाना, अरकोणम के कर्मचारी 14-12-1953 से पहले इस सुविधा का उपयोग करते थे और यह अभी तक जारी है। चूंकि 14-12-1953 से पूर्व इस खण्ड के अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी, इसलिए उन्हें इस खण्ड पर यह सुविधा देना सम्भव नहीं हो सका है ।

Robberies in Trains

†8702. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that train robberies are on the increase;

(b) whether it is also a fact that running staff in the railways has no arrangements to provide protection; and

(c) if so, whether arrangements are proposed to be made which may enable the running staff to provide protection to the passengers itself instead of depending on Police and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

डाक्सी साइक्लीन का निर्माण

8703. **श्री नरेन्द्र पी० नथवानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्सी साइक्लीन का निर्माण करने के लिए किन कम्पनियों को आशयपत्र और/अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और ऐसे आशयपत्र और लाइसेंस किन तिथियों को जारी किए गए ;

(ख) यदि इन कम्पनियों ने अपने निर्माण संयंत्रों की स्थापना करने और भारत में डाक्सी साइक्लीन का उत्पादन करने हेतु अब तक कोई प्रगति की है तो वह क्या है ;

(ग) वे डाक्सी साइक्लीन का वाणिज्यिक उत्पादन किस तिथि से करने लगेंगी ;

(घ) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का डाक्सी साइक्लीन का आयात हुआ और आगामी दो वर्षों में मात्रा तथा मूल्य में उसका अनुमानतः कितना आयात किया जायगा ; और

(ङ) क्या सरकार के पास अन्य कम्पनियों के कोई आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा मूल आवेदनपत्रों की तिथियां क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मैसर्स आई डी पी एल और मैसर्स रैनबाक्सी दो कम्पनियां हैं जिन्हें डाक्सी साइक्लीन के निर्माण के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए है। पहली कम्पनी का 22-2-1974 को आशयपत्र और बाद वाली कम्पनी को 12-4-77 को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था ।

(ख) और (ग) : आई डी पी एल ने पहले ही इटली के मैसर्स फारमाफिन से इस मद के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त की है। यह बताया गया है कि कम्पनी ने प्रयोगशाला में प्रक्रिया की जांच की है। पाइलट प्लांट में स मद के परीक्षण उत्पादन और नियमित उत्पादन की क्रमशः दिसम्बर, 1978 और जनवरी 1979 में आरम्भ होने की संभावना है। रैनबाक्सी इस मद का अपने द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी पर उसने उत्पादन को आधार बनाने का प्रस्ताव है और उनका 1979 के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन आ भ करने का प्रस्ताव है ।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान डाक्सी साइक्लीन के आयातों के मल्य और मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा कि०ग्रा०	मूल्य (रुपये लाखों में)
1974-75 . .	392	14.64
1975-76 . .	1936	41.55
1976-77 . .	3601	73.31

1978-79 के दौरान 4.6 मी० टन डाक्सी साइक्लीन की मात्रा के अपेक्षित आयात की आशा है। 1979-80 के लिए अपक्षित आयात की मात्रा का अब तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) प्रति वर्ष 5 मी० टन डाक्सी साइक्लीन के निर्माण के लिए मैसर्स फाइजर से औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए प्राप्त एक आवेदनपत्र लंबित पड़ा है। उनका आवेदनपत्र सरकार को 8-9-72 को प्राप्त हुआ था।

कम्पनियों द्वारा धनराशि का लाभ और लाभांशों में परिवर्तन किया जाना

8704. **श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाभांशों पर सीमा की छूट के बाद विभिन्न उद्योगों को चला रही कम्पनियों के प्रबन्धकों की ओर से उद्योग के आधुनिकीकरण और अनुरक्षण के लिये रखी गई धनराशि को लाभ और लाभांशों में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रवृत्ति देखी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थाई प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कम्पनी (लाभांशों पर अस्थाई प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1974 को संशोधित करते हुए, लाभांशों पर 12 प्रतिशत के बाहर की अदायगियों पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। घोषित लाभांश के अधिशेष को रोका गया लाभांश माना गया था जो दो समान वार्षिक किस्तों में 5 जुलाई, 1976 और 5 जुलाई, 1977 को देय था। चूंकि घोषित लाभांश की राशि पर कोई सीमा नहीं लगाई गई थी और केवल मात्र लाभांशों को अदायगियां पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत रोकी गई थी, अत: 6 जुलाई, 1976 को इस अधिनियम को वापिस लेना लाभों और लाभांशों की ओर उद्योग के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए कम्पनियों द्वारा निधियों के किसी परावर्तन के लिये किया जाना नहीं समझा जा सकता है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात में बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित गैस संयंत्र

8705. **श्रीमती मृणाल गोरे : क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से निकली गैस से सम्बन्धित गैस प्लांट का गुजरात ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में संयंत्र ले जाने का आर्थिक लाभ क्या होगा?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग): अपतटीय गैस का विखण्डन करने के लिये सुविधाओं की स्थापना किये जाने का सरकार ने सिद्धान्त रुप में निर्णय कर लिया है ताकि विभिन्न विखण्डों का समुचित उपयोग किया जा सके। गैस विखण्डन संयंत्रो की संख्या, उनकी क्षमता, उनके स्थान आदि विचाराधीन हैं।

अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की संख्या

8706, **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उपरोक्त दो सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क)

	अनुसूचित जाति
श्रेणी I	38
श्रेणी II	71

(ख) और (ग): श्रेणी I सेवा के प्रारम्भिक ग्रेड में भर्ती तथा पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों को 7 1/2% आरक्षण कोटा दिया गया है। श्रेणी I सेवा में उच्चतर ग्रेड के अन्तर्गत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। श्रेणी I सेवा में, प्रवरण द्वारा पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है लेकिन जिन पदों का वेतन अन्ततोगत्वा 2250/- रुपये या इससे कम प्रति माह होता है, उनमें पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को पैनल पर रखा जाता है, जो विचार किये जाने के लिए इतने वरिष्ठ हों कि उनके नाम उन रिक्त स्थानों की संख्या के भीतर आएं जिनके लिए पैनल बनाया जाता हो, लेकिन शर्त यह है कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझे जायें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो श्रेणी I सेवा के प्रारम्भिक ग्रेड में भर्ती करता है, इस निर्धारित कोटे का पालन किया जाता है। गत तीन वर्ष के दौरान, तकनीकी श्रेणी I सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 44 रिक्त स्थानों में से अनुसूचित जाति के 2 उम्मीदवार और गैर तकनीकी सेवाओं में आरक्षित 15 रिक्त स्थानों में से अनसूचित जाति के 3 उम्मीदवार भर्ती किये गये थे। इस प्रकार उनकी अनुपलब्धता प्रकट होती है। उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण न भरे गये आरक्षित स्थान, बाद के तीन वर्षों तक अग्रागीत किये जाते हैं और उन्हें अनु० जाति/अनु० जन-जाति के उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

रेलवे सुरक्षा दल, जहां 1975 से 30 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की जाती हैं, में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद को छोड़कर, श्रेणी II की रेल सेवाओं में कोई सीधी भर्ती नहीं है। अभी तक केवल एक ही भर्ती हुई है जिसके आधार पर

कल सात उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति के एक अधिकारी के नाम की सिफारिश की गयी थी। लेकिन, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

श्रेणी II सेवा में रिक्तियां .वरण द्वारा पदोन्नति कर के भरी जाती हैं। श्रेणी II सेवा में, प्रवरण द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण के नियम 20-7-74 से लागू हुए।

श्रेणी I सेवा में पदोन्नति का कोटा श्रेणी II सेवा से अधिकारियों के प्रवरण द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नतियों के मामले म आरक्षण नियम 25-2-76 से लागू हुए।

चूंकि प्रवरण द्वारा श्रेणी II सेवा में पदोन्नत के मामले में आरक्षण नियम केवल 20-7-74 से प्रभावी हुए, इसलिए श्रेणी I सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिए श्रेणी II सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति के उन कर्मचारियों की संख्या, जो पिछले दो वर्षों के दौरान श्रेणी II सेवा में पदोन्नत किये गये, नीचे ी गयी है :

1975–76	1976–77
18	23

राजपत्रित सेवाओं में प्रवरण द्वारा पदोन्नति के मामल में आरक्षित रिक्त स्थानों को अग्राणीत नहीं किया जाता है। राजपत्रित कोटियों में पदोन्नति के सम्बन्ध में सरकार की नीति के अनुसार, आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किये जाने का कोई अलग क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के जो उम्मीद्वार विचार के सामान्य क्षेत्र में आते हों उनके लाभ पर ही विचार किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीद्वारों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे उच्चतर ग्रेडों में, जिनमें श्रेणी II राजपत्रित सेवा भी शामिल है, प्रवरण में अपक्षित स्तर तक आ सके, प्रवरण से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये हिदायतें जारी की गयी हैं।

उर्वरकों के लिए 1978-79 का योजना बजट

8707. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978–79 के योजना बजट में गैस तथा अन्य प्रकार की सामग्री पर आधारित नई परियोजनाओं सहित उर्वरकों के लिये 236.41 करोड़ रुपयों का अलग परिव्यय दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों की एक करोड़ पयों की राशि का वितरण किस प्रकार किया गया तथा उपयुक्त बजट में निर्धारित राशि का उपयोग कितनी क्षमता के कहां कहां और कब नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिय किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बायलरों जैसी प्रमुख मदों की सप्लाई न किये जाने के कारण सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और राष्ट्रीय उर्वरक के भटिंडा संयंत्र को चालू करने में बहुत विलम्ब हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय के 1978-79 के योजना बजट में नयी प्रायोजनाओं सहित उर्वरकों के लिए 236.41 करोड़ रुपये का परिव्यय निहित हैं।

(ख) गत वर्ष बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित दो नई उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना से संबंधित प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान लगाया गया था। एफ सी आई द्वारा प्रारंभिक कार्य पर 10 लाख रुपये की राशि खर्च की थी, चूंकि यह राशि अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी अतः एफ सी आई इस राशि को अपने पास उपलब्ध निधि से पूरा करने में समर्थ थी और एक करोड़ रुपये के विशिष्ट प्रावधान का उसके द्वारा प्रयोग नहीं किया गया। 1978-79 के बजट में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसका प्रयोग पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त गैस पर आधारित दो नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जायेगा, जिनमें से प्रत्येक की दैनिक क्षमता 1350 टन अमोनिया और 1800 टन यूरिया की होगी, और इसके अलावा नामरुप में गैस पर आधारित 600 टी पी डी अमोनिया और 1000 टी पी डी यूरिया की क्षमता वाले एक अन्य एकक की स्थापना के लिए एक लाख रुपये की अग्रिम व्यवस्था भी की गई है। प्रायोजना के ब्यौरों को अन्तिम रुप किया जा रहा है और आवश्यक निदेश स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसका कार्यान्वयन किया जायेगा।

(ग) भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा बायलरों की सप्लाई और उनको चालू करने में हुए विलम्ब के परिणाम स्वरुप भठिन्डा और सिन्दरी आधुनिकीकरण संयंत्रों को चालू करने में 8 सप्ताह से 17 सप्ताह का विलम्ब हुआ। मैलप्राधिकारियों द्वारा शीघ्र सप्लाई करने और अन्य विलम्ब को रोकने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं।

बम्बई हाई का चरण-III

8708. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई के चरण III के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) चरण-III के उद्देश्य किस तारीख तक पूरे होने की संभावना है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Closure of Barauni Fertilizer Factory

†8709. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertiliezrs** be pleased to state :

(a) whether Barauni Fertilizers factory has been lying closed for the past six months;

(b) if so, the loss substained thereby and the authority responsible therefor; and

(c) the daily production capacity of the factory?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir. The plant has been shut-down since 29-1-1978 on account of heavy leakage in the waste heat boiler in the ammonia synthesis convertor and pre-ponement of the annual maintenance turn around. The plant is expected to restart production shortly.

(b) An independent enquiry conducted into the breakdown has revealed that the breakdown was not in any way within the control of the plant management or as a result of any failure or negligence on any one's part. Excluding the period of normal maintenance turn around of one month, the loss of production during the remaining two months of unscheduled shutdown has been estimated at about 15,000 tonnes of nitrogen equivalent to about 32,600 tonnes of urea.

(c) The plant has a daily production capacity of 1000 tonnes of urea.

Electricity to Stations in N. E. & Northern Railways

†8710. **Shri Phirangi Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the Stations in North Eastern and Northern Railway on which there are no electric sub-stations under the department in the absence of which there is no supply of electricity to such Stations in accordance with the distribution of electricity prescribed by the concerned States from time to time with the result that for want of light at the Stations there are train collisions, passengers are looted and murders are committed;

(b) whether Government will clarify their policy in this regard and indicate the preventive measures therefor; and

(c) whether Railways propose to set up their own electric Stations for regular supply of electricity for proper light arrangements at such stations.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The names of stations in North Eastern and Northern Railways suffering from irregular electric supply due to absence of electric substations (power houses) under the Department are enclosed in Annexures I & II respectively. Electrical power at these Stations is generally purchased from the concerned State Electricity Boards. On account of general power shortage in the country, a power crisis has developed due to which the State Electricity Boards resort to power rostering and unscheduled power interruptions have also become quite frequent. To cater for such power failures/interruptions, Railway has provided stand-by diesel generating sets at important Stations essentially to meet the basic requirements of train operation.

(b) Railway Stations are electrified on the recommendations of Railway Users' Consultative Committee based on the guidelines:—

(i) at least one pair of night trains should be halting at the Station.

(ii) there should be commercial importance of the Station especially in regard to the number of passengers entraining/de-training from the night trains.

(iii) tariff and service connection charges payable to the concerned State Electricity Boards for electrification of the Station should be reasonable.

At important Stations, generally to meet the requirements of train operations, stand-by Diesel Generating Sets are also provided.

The Government Railway Police functioning under the control of the State Governments is entrusted with the responsibility of ensuring the safety of the passengers and security of their belongings. Railway officials maintain close coordination and cooperation with the State Police authorities. Whenever there is a spurt in criminal activities affecting passenger safety, the attention of the State Governments is drawn. Recently, M. R. had drawn the attention of Chief Ministers of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Their response has been encouraging.

(c) Railways do not propose to set up their own Electric Stations (Power-houses) for regular supply of electricity for lighting arrangements at Railway Stations because the costs are prohibitive. However, to meet the needs of train operations at important electrified stations, stand-by Diesel Generating Sets are provided. **[Placed in Library. See No. L. T. 2220/78.]**

गोवा की बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए पारित संकल्प

8711. **श्री अमृत कासर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा, दमण और दीव की बार एसोसिएशन द्वारा हाल ही में मुम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ का संघ राज्य क्षेत्र गोवा पर विस्तार करने के बारे में सर्वसम्मत रूप से पारित संकल्प का पता है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायपीठ का गोवा पर विस्तार करने का विचार कर रही है जैसा कि तारीख 6 अप्रैल, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था; और

(ग) गोवा, दमण और दीव बार एसोसिएशन द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ का विस्तार करने के बारे में पारित संकल्प के बारे में सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) गोआ अधिवक्ता एसोसिएशन यह अभ्यावेदन करता रहा है कि गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और यह कि जब तक उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं होती है तब तक के लिए किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ गोवा में स्थापित की जाए। गोवा प्रशासन ने यह सूचित किया है कि उसे दक्षिण गोवा अधिवक्ता एसोसिएशन से तारीख 27-3-1978 का एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें उस एसोसिएशन ने निम्नलिखित क्रम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए अपना अधिमान व्यक्त किया है ;

(i) मुम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ; या

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायपीठ, या

(iii) कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ।

(ख) और (ग) : सरकार गोवा में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

रानिप-साबरमती मीटर गेज रेलवे स्टेशन

8712. **श्री अनन्त दवे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रानिप-साबरमती मीटर गेज रेलवे स्टेशन पैदल उपरि पुल बनाने के लिये रानिप यात्री एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन रेलवे प्राधिकारियों को मिला है;

(ख) क्या यह सच है की रेलवे प्राधिकारियों ने उस पुल के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) रानिप पैसंजर्स एसोसिएशन को सूचित कर दिया गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार रेल पथों को पार करने के लिए ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण जिन्हें उन पर होने वाली पूरी लागत को भी वहन करना होता है, द्वारा प्रायोजित किये जाते है। ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब लागत वहन करने का वचन देने के साथ-साथ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव प्रायोजित किया जायेगा, ऊपरी पदल पुल बनाने के बारे में रेलवे शीघ्र कार्रवाई करेगी।

औषध उद्योग के लिए औषध सलाहकार और औषध विकास आयुक्त की नियुक्ति

8713. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रसायन विभाग में जूनियर तकनीकी अधिकारी से लेकर औषध सलाहकार तक तकनीकी व्यक्ति नियुक्त किये हैं ;

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय में जब तकनीकी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो मंत्रालय इन तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय महसूस करता है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय तकनीक रूप से प्रस्तावों की जांच करने के लिये सक्षम नहीं है ; और

(घ) औषध उद्योग के लिए विकास आयुक्त की जरूरत क्या है और क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय का औषध एकक, रसायन मंत्रालय का बी० आई० सी० पी० और तकनीकी स्टाफ इस संघटन द्वारा नियुक्त किया जायगा, यदि नहीं, तो एक ही प्रयोजन के अनेक प्राधिकरणों पर सरकारी राजस्व का अनावश्यक खर्च क्यों किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : औषध और भेषेज एक बहुत अधिक जटिल और तकनीकी विषय है अतः विभिन्न मामलों पर विभाग के ही तकनीकी अधिकारीयों द्वारा दिन प्रतिदिन और तात्काल तकनीकी सहायता/सलाह आवश्यक है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षे ों के नमुनों से यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि संघठित क्षे सरकारी क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र में (भारतीय और विदेशी दोनों में) एककों का विकास होगा औषधों और सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण औषध वार रूपरेखा को अद्यतन बनाया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलु भी शामिल हैं, प्रौद्योगिकी संबंधी निदेशों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन आयुक्त नीति पर सलाह और औद्योगिक लाइसेंसिंग के प्रयोग का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जब कभी आवश्यकता पड़ी तो डी०जी०टी०डी० में उपयुक्त स्तर क साथ परामर्श भी किया गया था लेकिन उनका संबंध केवल संगठित क्षेत्र के एककों तक ही है।

(घ) हाथी समिति ने औषध उद्योग के विकास का समन्वय करने के लिये एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस उद्देश्य को अधिक दृढ और सुनियोजित ढंग से प्राप्त करने की दृष्टि से एक वैकल्पिक तीन ढांचे अर्थात औषध उद्योग के लिए नीति

और योजना समिति औषध उद्योग के लिए विकास परिषद् और विकास आयुक्त (औषध उद्योग) के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय संगठन के बारे में निर्णय किया गया है ।

विकास आयुक्त (औषध उद्योग) के कार्य में अन्य बातें के साथ साथ निम्न लिखित भी शामिल होंगे :–

(i) औषध मूल्य नियंत्रण (आदेश) अनिवार्य पदार्थ अधिनियक के अन्तर्गत मूल्य की योजना को लागू करना।

(ii) कच्चे माल, देशी आयातित और सरणीबद्ध की सप्लाई के लिए नीति की सिफारिश करना और उनके वितरण को देखरेख करना ताकि औषध निर्माताओं को आबंटित कच्चे माल के प्रभावी उपयोगिता को सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) सरणीबद्ध मदों की सूची तथा उसकी उपलब्धता और वितरण का समय समय पर विद्यमान अन्तराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आई०टी०सी० नीति को तैयार करने में सहायता को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण करना ।

(iv) सरणीबद्ध और आयातित माल के दुरुपयोग को रोकने के ध्यान में रखकर चप ।त्म निरीक्षण करना ;

(v) औषधों को कमी का पुनरीक्षण करना तथा ऐसी प्रत्याशित कमी के लिए कदम उठाना तथा यदि वह कमी होती है तो उसे दूर करना ; और

(vi) औषध उद्योग के विकास के लिए परामर्श संस्था के रूप में कार्य करना ताकि सरकार की नीति के अनुसार नए उद्यम कर्ताओं को नए एकक स्थापित करने में सहायता दीजाए ।

फिलीप्स पेट्रोलियम और डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनीज लिमि०, कलकत्ता के बीच समझौता

8714. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री कोचीन तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों के लिये लाखों डालरों के भुगतान के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स पेट्रोलियम, द्वारा कलकत्ता क डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी टेडको कि गये भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फिलिप्स पेट्रोलियम और डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड के बीच 31 मई, 1963 को हुए समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी और कलकत्ता को डंकन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमि०, जो कि प्राईवेट कम्पनीयां है, के बीच 31 मई, 1963 को एक समझौता हुआ। इसके अनुसार फिलिप्स ने कोचीन रिफाइनरी लिमि० से प्राप्त तकनीकी सेवा शूल्क को कुछ राशि डंकन ब्रदर्स की, फिलिप्स कम्पनी के कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए दी। क्योंकि यह स्वतंतता दो प्राईवेट कम्पनीयों के बीच है। इसलिये इस समझोते की एक प्रति और इससे सम्बन्धित भुगतान का ब्यौरा सभा पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

Repair of Damaged Railway Lines

†8715. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have repaired all those railway lines which were damaged due to natural calamities; and

(b) if so, whether railway lines damaged in Rajasthan have also been repaired?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Prompt repair works are undertaken and completed without delay whenever a railway line is damaged due to natural causes such as floods, breaches, cyclones, etc.

(b) Railway lines damaged in Rajasthan have already been restored.

Passengers travelling without ticket from Palwal Station

†8716. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of passengers from Palwal Railway station on the Delhi-Agra line travel without ticket;

(b) whether Government are also aware that this number has further increased in the absence of permanent ticket checking staff; and

(c) if so, whether Government propose to provide ticket checking staff on each train between Palwal and Delhi on a permanent basis soon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : As a result of 255 checks conducted on the Delhi-Palwal section in 1977-78 as against 181 checks in 1976-77, the sale of tickets at the booking windows and the earnings realised therefrom at Palwal station have shown considerable increase.

No posts of Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors are in operation at Palwal station. However, one squad of Travelling Ticket Examiners has been posted at Faridabad which conducts checks on Palwal-Delhi section.

These arrangements are considered adequate for the present.

यात्री तथा माल की यातायात की तीव्र गति

8717. **श्री डी०बी० चंद्रगौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर तथा दिल्ली में यात्री तथा माल यातायात में तीव्र गति लाने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है और छठी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) इस बारे में चालू वित्तीय वर्ष में किस सीमा तक कार्य पूरा कर लेने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : अगली पंचवर्षीय योजना में यात्री और माल यातायात की सम्भावित वृद्धि की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अपेक्षित और व्यवहारिक लाइन क्षमता, चल-स्टाक आदि में वृद्धि करके अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी जा रही है। बड़े शहरों में तथा आसपास वर्तमान वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित बड़े कामों को पूरा किये जाने की सम्भावना है :-

(i) पूर्व रेलवे में कलकत्ता के निकट डानकुनि स्टेशन पर अतिरिक्त पर माल टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था।

(ii) दक्षिण रेलवे में बेंगलूर सिटी और कृष्णराजपुरम के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था।

(iii) उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में लाजपत नगर और ब्रार स्क्वेयर के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था और लाजपत नगर में क्रासिंग स्टेशन ; और

(iv) उत्तर रेलवे दिल्ली क्षेत्र में तुगलकाबाद यार्ड (चरण-1) के ढांचे में परिवर्तन।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कथित भ्रष्टाचार

8718. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में निम्नलिखित बातों के बारे में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(एक) रेल राजस्व तथा श्रम का अपव्यय, (दो) बिना टिकट विशेष रेलगाड़ियां चलाना, (तीन) विलम्ब शुल्क बकाया उतराई भाड़ा आदि माफ कर दिया जाना, (चार) भाड़े में धोखाधड़ी, (पांच) खराबी तथा दुर्घटनाओं के दौरान भोजन भत्ते में धोखाधड़ी, (छः) ठेकेदारों को अधिक भुगतान, (सात) ठेकेदारों द्वारा धनराशि से सम्बन्धित मुकदमों की उपेक्षित पैरवी, (आठ) पदोन्नति, यात्रा भत्ता, समयोपरि भाते आदि के मामलों मे पक्षपात तथा भाई-भतीजा वाद आदि; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा मे क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। फिर भी कुछ व्यक्तियों, ट्रेड यूनियनों और अन्य निकायों से कथित कदाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । लेकिन कदाचार के विशेष आरोप वाली शिकायतों की भली प्रकार जांच की जाती है। जब कभी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाते हैं, उनके खिलाफ उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चिकित्सा सुविधायें

8719. **श्री रोबीन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं से अत्यन्त असंतुष्ट है और उन्होंने इस बारे में कई बार प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अस्पताल में मेडिसन, विकलांग-विद्या (आर्थोपेडिक), रेडियोग्राफी, चर्म-रोग, दिल की बिमारी के लिये कोई विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : चितरंजन रेल-इंजिन कारखाने से सम्बद्ध रेलवे अस्पताल में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओ को अपर्याप्तता के बारे में चितरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। कुछ मुख्य विशेषताओं के साथ, इस अस्पताल में सुविधाएं बढायी गयी है और इस अस्पताल को रेलों के मण्डल अस्पताल के मानक के बराबर कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त यदि किसी मामले में विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्व रेलवे के निकटस्थित मुख्यालय अस्पताल में अथवा कलकत्ता के चिकित्सा कालेज अस्पतालों में, जैसी कि सब जगह साकान्य प्रणाली है, भेज दिया जाता है। कर्मचारियों और उनके परिवारों की सीमित संख्या के लिए, चितरंजन अस्पताल में जो सुविधाएं सुलभ हैं, वे पर्याप्त समझी जाती हैं ।

Expenditure incurred on the Korba Fertiliser Plant

8720. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on the Korba Fertiliser Plant;

(b) the present stage of the project;

(c) the land acquired for setting it up there and the expenditure incurred on the construction of buildings and roads; and

(d) the number of officers/employees working there at present and the annual expenditure incurred thereon?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार

8721. **श्री अमरराय प्रधान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन विधि में सुधार करने के पश्चात्, निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक विनिश्चय किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह): (क) और (ख) : निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार के प्रश्न पर निर्वाचन सुधार संबंधी अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। इस विषय का गहन अध्ययन और इस पर सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। अतः इस संबंध में कोई विनिश्चय करने में सरकार को कुछ समय लगेगा।

A. H. Wheeler

†8722. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether complaints have been received by the Government that the agents of M/s. A. H. Wheeler take the delivery of bundles of magazines from Railway Parcels Office without producing railway receipt;

(b) whether the agents of the company are compelled to obtain certificate from Railway Parcels Office for the magazines not received or received in short number; and

(c) if so, why this is being done against the railway rules and whether action is proposed to be taken in this regard and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) : No such complaint has been received by the Railways.

(c) Does not arise.

वर्ष 1978-79 में कुकिंग गैस की व्यवस्था के लिये योजना

8723. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से अधिक तेल निकलने की वर्तमान सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी वर्ष, 1978-79 में और अधिक नगरों में कुकिंग गैस देने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि में लगभग कितने गैस कनैक्शन दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : बम्बई हाई कच्चा तेल केवल आयातित कच्चे तेल का स्थान ले सकता है। अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस केवल तभी उपलब्ध होगी जब विखंडन यूनिट (प्रोनेटिंग यूनिट) तरण पट्रोलियम, गैस को बम्बई हाई संबंध गैस से अलग करना आरम्भ कर देगा। उचित उद्योग द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग तीन लाख नये तरल पेट्रोलियम गैस उपभोक्ताओं के नामांकन की बात कही गई है। इस उद्देश्य के लिये अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस मुख्यत : हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० शोधनशाला की कैटिलिटिक डीबोटलिंग प्रायोजना के आरम्भ होने पर और अशोधित तेल में नियत एलपी जी का आयात करके पूरा करने का प्रस्ताव है। 1978-79 वर्ष के लिए नाम दर्ज करने की योजना का विवरण आयात उद्योग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद तथा दिल्ली डिवीजन

8724. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री पोटर्स को आपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड इलाहाबाद तथा दिल्ली डिवीजन को दिये गये ठेकों के बारे में 2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली स्टेशन पर 1 फरवरी, 1977 से वस्तुएं उठाने-धरने के लिये ठेका श्रमिकों के रूप में रोजगार देने हेतु कितने सोसायटी ने कितने कमचारियों के लिये लाइसेंस प्राप्त किये थे;

(ख) क्या जैसा कि ठेका श्रमिक विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970 में अपेक्षित है उक्त कार्य करने के लिये रखे गये श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान प्रमुख नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो फरवरी 1977 से मार्च 1978 तक की अवधि में अलग-अलग प्रतिमास श्रमिकों को वेतनों की अदायगीयों का और समिति द्वारा दिये गये बिलों एवं रेलवे प्रशासन से प्रतिमास अलग-अलग प्राप्त अदायगियों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना एकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Proposal to provide Janata Meal in Chhatisgarh Express

8725. **Shri Aghan Singh Thakur** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have made arrangements to serve Janata meals in some trains;

(b) if so, whether Government also propose to provide Janata meals in Chhatisgarh Express train running from Bilaspur to Nizamuddin; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): Except the two pairs of 'Rajdhani' Express trains, 'Janata Khana' is supplied to the passengers on all the trains on which mobile catering units viz. Dining/Pantry/Buffet/Kitchen Cars etc. have been provided. Since there is no mobile catering car on Chhatisgarh Express, 'Janata Khana' cannot be supplied to the passengers from this train. However, passengers can obtain low priced food packets available at various stations on the route of this train.

अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का लाभ

8726. **सुशील कुमार धारा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने लेखा कर्मचारियों को क्लर्क ग्रेड एक के रूप में अगले ग्रेड में उनकी पदोन्नति के समय मिलने वाली चार अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के लाभ को वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): लेखा-परीक्षा विभाग में, प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये कर्मचारी पुष्टिकरण परीक्षा पास कर लेने पर 130-300 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में 150 रुपये की अग्रिम स्टेज पर नियत किये जाते थे । इसके अलावा, लेखा-परीक्षा विभाग में, प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नत कर्मचारियों को पुष्टिकरण परीक्षा पास कर लेने पर सामान्य नियमों के अन्तर्गत पूर्व-संशोधित वेतन-मानों में अपने निर्धारण के समय चार अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जाती थीं ।

रेलवे लेखा विभाग में लिपिक ग्रेड II के कर्मचारियों की लिपिक ग्रेड I के रुप में पदोन्नति पर ग्रेड I श्रेणी के वेतनमान में चार अग्रिम वेतन-वृद्धियां प्रदान करने की योजना, लेखा-परीक्षा विभाग में प्रचिलित उपर्युक्त योजना के आधार पर थी । संशोधित वेतन संरचना में लेखा-परीक्षा विभाग की उपर्युक्त प्रणाली को समाप्त करने के सिफारिश तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गयी है । परिणाम-स्वरूप रेलवे लेखा कर्मचारियों को जाने दिया वाला प्रोत्साहन भी पूर्व-संशोधित वेतन संरचना में वर्तमान समता बनाये रखने के लिए, समाप्त कर दिया गया है ।

Setting up of Petrol Pumps in Bihar

8727. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up at least one petrol pump in each Block in Bihar to ensure easy supply of diesel and mobile oil to farmers; and if not, the reasons therefor; and

(b) whether Government are aware that due to lack of transport facilities farmers face difficulty during monsoons and their transportation expenditure also goes up because of location of petrol pumps at distant places ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) The locations of new retail outlets (petrol pumps) are decided by individual oil companies on the basis of economic viability of such outlets. The norms now adopted by oil companies for installation of new retail outlets are broadly as follows:—

(i) In metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras the outlets would be installed, by and large, according to Metropolitan Master Plans and availability of sites.

(ii) In other cities/towns having a population of 2.5 lakhs or above no new outlet would be installed within 3 kms. of an existing outlet unless the average combined monthly sales of High Speed Diesel and Motor Spirit of the outlet(s) within the 3 km. radius exceed 100 KL.

(iii) In other areas excluding National Highways, no new outlet would be installed within 4 kms. of an existing outlet unless the average combined monthly sales of High Speed Diesel and Motor Spirit of outlet(s) within the 4 km. radius exceed 80 KL.

(iv) As regards National Highways no new outlet would be installed within 15 kms. of an existing outlet unless the average monthly sales of the existing outlet(s) within the 15 km. radius exceed 80 KL.

Like in other parts of the country, these norms will be followed in opening new outlets in Bihar.

(b) Government are aware of lack of transport facilities in rural areas and the need for improving these facilities. Opening of new outlets would, however, have to be based on sustained economic viability in accordance with the norms indicated above.

केरल में फ्ल्यूड कैटेलिटिक क्रैकर परियोजना की स्थापना

8728. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा फ्ल्यूड कैटेलिटिक क्रैकर परियोजना को स्वीकृति दे दी जाये तो केरल राज्य सरकार इस परियोजना के लिये अपेक्षित सम्पूर्ण पूंजी लगाने को सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख):मई, 1977 में कोचीन रिफाइनरी लिमि० ने द्वितीय स्तर की तेल साफ करने की सुविधाओं की स्थापना के लिये प्रस्ताव रखा जिसमें बम्बई हाई कच्चे तेल को साफ करने के लिये 39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एरोमेटिक फीड स्टाक का उत्पादन भी शामिल है । इस प्रस्ताव को बाद में पुन: संशोधित किया गया था ताकि इससे सम्बन्धित सुविधाओं से बम्बई हाई कच्चा तेल अथवा आयातित कच्चा तेल अथवा बम्बई हाई और आयातीत कच्चे तेल के मिश्रण को साफ किया जा सके । संशोधित योजना की पूंजीगत लागत 33 करोड़ रुपये है। यदि पहले के अनुसार एरोमेटिक फीड स्टाक के उत्पादन को भी मिला दिया जाये तो उसकी लागत 6 करोड़ रुपये और बढ़ जायगी । छठी योजना (1978-83) और उसके पश्चात् दो वर्षों के दौरान स्थापित होने वाली/चालू होने वाली शोधन क्षमता/अनुपूरक प्रक्रिया क्षमता की जांच करने के लिये सरकार ने दिसम्बर, 1977 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी। अन्य बातों के साथ साथ इस अध्ययन दल ने चीन में अनुपूरक प्रक्रिया सुविधाओं की स्थापना करने की संभावना का अध्ययन किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1978 में प्रस्तुत की थी और इस समय यह सरकार के विचाराधीन है ।

दिसम्बर, 1977 में केरल के मुख्य मंत्री ने एक पत्र भेजा था जिसमें उन्हों ने कोचीन में एरोमेटिक फीड स्टाक के उत्पादन के लिये कोचीन में एक प्रयोजना में अपनी रुची व्यक्त की थी जिससे राज्य में महत्वपूर्ण औद्यौगिक विकास हो सकता है और उन्होंने

6—142 LSS/ND/78

ऐसा विचार भी व्यक्त किया था कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार और अधिक विकास के लिये 25 करोड़ रुपये तक के साधन जुटाने के लिये प्रयत्नशील होगी ।

पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने कठिनाइयां

8729. **श्री ज्योतीर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तेल की खुदाई के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जहां तक डायमण्ड हार्बर पर कुएं का सम्बन्ध है, जिसकी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई की जा रही है, वहां कुएं में एक केसिंग पाइप के पृथक हो जाने के कारण कुछ समस्यायें आ गई थीं। वह कठिनाई दूर हो गई है और पुनः कुएं की खुदाई का काम चल रहा है ।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक राजधानी एक्सप्रेस चलाने के लिए अभ्यावेदन

8730. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अहमदाबाद के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी और दिल्ली में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में इस समय, दिल्ली-अहमदाबाद के बीच एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

औद्योगिक लाइसेंस के बिना काम कर रही विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां

8731. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 विदेशी कम्पनियां जिनका उल्लेख प्रायः गैर मान्यता प्राप्त विदेशी कम्पनियों के रुप में किया जाता है अभी तक इस बहाने को लेकर बिना औद्योगिकी लाइसेंस चल रही है कि या तो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है या संयंत्र और मशीनरी में लगी पूंजी 10 लाख रुपये से कम है;

(ख) क्या वर्ष 1962 और 1964 में जारी की गई अधिसूचनाओं में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विदेशी कम्पनियों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन से छूट नहीं दी जायगी भले ही उनमें कर्मचारीयों की संख्या कितनी हो और संयंत्र मशीनरी में कितनी ही पूंजी लगी हुई हो;

(ग) क्या वर्ष 1973 या 1977 में जारी की गई अधिसूचनाओं में इन शर्तों का अधिलंघन नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) तीन वर्षों में की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों से यह कहने का है कि वे ऐसे उत्पादों का निर्माण बन्द कर दें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय ऐसी आठ कम्पनियां हैं जिनको विदेशी इक्विटी 40% से अधिक है जिन पर कि औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की धाराएं लागू नहीं होती।

इन आठ कम्पनियों में से तीन कम्पनियों में 50 से कम कर्मचारी काम करते है। उपरोक्त अधिनियम की धारा (ग) और (घ) के अनुसार औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम की धाराएं उन पूर्ण रुप से विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं होगी जिन की फैक्ट्री में यदि वह ऊर्जा से चलती हो 50 से कम कर्मचारी और यदि ऊर्जा के बिना चलती हो तो 100 से कम कर्मचारी काम करते हो। शेष पांच कम्पनियों की अपनी कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं है अत: औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें सक्रिय औद्योगिक उद्यम नहीं माना जा सकता।

(ख) और (ग) : जिन अधिसूचनाओं का संदर्भ दिया गया है उनसे औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि ये कम्पनियां औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम की धाराओं के सीमा क्षेत्र में नहीं आती अत: इन कम्पनियों द्वारा उपरोक्त अधिनियम की किसी धारा के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक फेरा की धाराओं के उल्लंघन का सम्बन्ध है तो यदि कोई उल्लंघन किया गया है तो फेरा के अन्तर्गत प्राप्त उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय इस का पता लग जायेगा।

औषधियों के मूल्यों के बारे में हाथी समिति की सिफारिश

8732. **श्री गोविन्द मुन्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने औषधियों के मूल्यों के बारे में किसी नीति की सिफारिश की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य नीति में कोई परिवर्तन किया है; यदि हां, तो मूल्यों में कितनी कमी की जाएगी; यदि नहीं, तो हाथी समिति की सिफारिशों को अनावश्यक रुप से क्यों बदला गया है तथा इस के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री० जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : औषध और भेषज उद्योग समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों और मूल्य निर्धारण नीति पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

नई औषध नीति की घोषणा हाल ही में की गई है। नई नीति में श्रेणी-I, II और III में दिये गये सूत्रयोगों के मूल्यों को रोकने की व्यवस्था की गई है। श्रेणी-I और II के सूत्रयोगों के मूल्यों को प्रमुख मूल्य स्तर पर रोका जाएगा। जहां कहीं मूल्य प्रमुख स्तर से अधिक हो, उनको प्रमुख स्तर तक कम किया जायेगा जहां वे कम हों, उनको उसी स्तर पर स्थिर किया जायेगा। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित

लगभग 100 प्रपूंज औषधों के मूल्यों भी स्थिर रहेंगे। ये स्थिर मूल्य प्रथम एक वर्ष के लिये प्रभावी रहेंगे, जिसके दौरान नीति में निर्धारित मार्क अप/लाभ प्रदत्ता के पैरामीटरोंको ध्यान में रखते हुए सभी औषधों के मूल्यों का अध्ययन किया जायेगा ।

हाथी सामिति की अस्वीकृत अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरणपत्र 25 अप्रैल, 1978 में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर में दिया गया था ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा आयातित टैक्नोलाजी

8733. **श्री गोविन्द मुन्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विदेशों से किन "बल्क" औषधियों के लिए टैक्नोलाजी का आयात किया है, प्रत्येक औषधि के लिए टैक्नोलाजी का आयात किस तिथि को किया गया, यह किन स्त्रोतों से खरीदा गया और टैक्नोलाजी की ऐसी खरीद के लिए क्या मूल्य दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक बार जब इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने टैक्नोलाजी का आयात किया तो, उसे अप्रचलित टैक्नालाजी दी गई ;

(ग) यदि हां, तो उसी प्रकार की औषधियों का निर्माण करने वाली अन्य कम्पनी की तुलना में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटड के पास उपलब्ध टैक्नोलाजी की मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) उन बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूकिटकल्स लिमिटेड ने टैक्नोलाजी का विकास किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : एन्टीबायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश के लिए 28 मार्च, 1962 को और 13 जून 1962 को सिन्थेटिक औषध संयंत्र के लिए हस्ताक्षरित किए हुए ठेकों के अनुसार मैसर्स टेम्पो- एक्पोर्ट मास्को (यू०एस०एस०आर०) के प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित औषध प्राप्त किए गए है :

एन्टीबायोटिक्स

सोडियम पेनीसिलिन प्रकेन पेसिलिन, स्ट्रेपटो माइसिन, सल्फेट टेट्रामाइकलिन, हैड्रोक्लोरण्ड, आक्सो अैडा साइकलिन हड्रोक्लोराइड नोस्टेन क्लोरो टेट्रा साकलिन

सिन्थे औषध

फेना सेथ्यक सल्फानोला माइड सल्फागूनी डादन सल्फा उग्भोडाइल विटामिन बी : साडियम सल्फासिल, फोलिक एसिड विटामिन बी 2 अन्ल जिन एमीडोरिन पादपरा जाइन लवण डाईथिमल कारबामेजाइन सीट्रेट निकोटोनामइड (नियासीनामाइड) आई० एन० एच० फनाबारवीटोन एसेटाजोलामाइड ।

यू० एस० एस० आर ने तकनीकी सेवाओं भारतीय कर्मिकों को प्रशिक्षण और यू० एस० एस० आर० उपकरणों के लिए 9.52 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की थी ।

उपरोक्त प्रपुंज औषधों के लिए प्रौद्योगिक पिछले 1960 के वर्ष के दौरान विश्व में किसी भी तुलनायक स्तर की थी ।

1969 और 1973 के बीच में टैट्रासाइक्लिन हैड्रोक्लोराइड पेंसलिन, स्ट्रैप्टोमाइसीन और आक्सीटैट्रासाइक्लिन के बारे में यू० एस० एस० आर० द्वारा आई० डी० पी० एल० को अद्यतन प्रौद्योगिकी को निःशुल्क व्यवस्था की गई थी।

आर० एण्ड डी० औषध और भेषज उद्योग में एक तत्व है। गत दशक के दौरान सारे विश्व में प्रौद्योगिकी पर्याप्त मात्रा में आयात की गई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गत दशक में कई नए औषध जारी किए गए जो कई पुराने औषधों से श्रेष्ठ थे। अतः आई० डी० पी० एल० ने गत कुछ वर्षों में पेंसिलिन, टैट्रासाइक्लिन और नियासी नाइसाइड के बारे में नवीनतम प्रौद्योगिकी का आयात किया है। इनके अलावा अर्द्ध-सिन्थेटिक पेंसिलिन, इरथ्रोमाइसिन और डाक्सीसाइक्लिन के लिए प्रौद्योगिकी भी नहीं आयात की गई थी।

मद	स्रोत	प्रौद्योगिकी को खरीदने के लिए दिया गया मूल्य	
न्यासी नामाइड न्यासिन मेथियल इथियल पोरा डाइन	मैसर्स बेफर्स स्वीडिन एण्ड मैसर्स लेन्जा स्विटजरलैंड	स्विडिश क्रोनर्स	2,000,000
पोटेशियम पेन० जो०	मैसर्स आई०एस०एफ०एसपीए० इटली	यू० एस० डालर	4,00,000
अर्द्ध सिन्थेटिक पेंसिलिन	वही	,, ,,	5,00,000
टैट्रासाइक्लीन	मैसर्स आरची फार एसपीए इटली	,, ,,	3,00,000
ऐरिथ्रोमाइसीन	वही	,, ,,	3,00,000
डोक्सी साइक्लीन	मैसर्स अल्फा फार्मस्यूटिकल एस०पी०ए० इटली	,, ,,	50,000

उपर्युक्त ठेके का हुई प्रौद्योगिको उपलब्ध नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिक हैं। इन को मार्च 1976 और फरवरी 1977 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृति दो गई थी और नई प्रौद्योगिकी कार्यान्वियनाधीन है। यह प्रौद्योगिको इन औषधों के अन्य निर्माता कम्पनियों के साथ तुलनात्मक है।

(घ) आई०डी०पी०एल० ने निम्नलिखित औषधों के लिए अपनी आर एण्ड डी प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित प्रौद्योगिको विकसित की है और ये उत्पादन के लिए संयंत्र स्तर पर कार्यान्वित की गई है :—

फीथालियल सल्फासेटामाइड, थियासेटाजोन, पाइपराइजाइन लवण, सल्फामेथीजोल, क्लोर प्रोमाइड, नोट्रोफूरेंसजोन, नोट्रोफररनटोन, सल्काफानाजोल, फेथियल सल्फाथिया जोल, थियामाइन, मानोनीट्रेट, थियामाइन प्रोमियल डिसूल फाइड, रिबेफलेविन-5-फास्फेट मेट्रोनीडाजोल और ग्रोसोफूलविन।

निम्नलिखित औषधियों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है :—

डियाजोपम, ग्लाइबेनोलामाइड, पैरासेटोमोल, पीरीडोक्सिन हैड्रोक्लोराइड, ट्रीमेथोप्रिन, फराजोलीडोल, प्रोसेन, एच०सी०एल०, आक्सीलोसेन, इन्डोमेथा, सिन फूसेमाइड, सल्फामेथोक्साजोन, फेनीलबुटाजोन, एथो-बारबीटोन, हेकोबारबीटोन, सल्फाडीमेथोक्सन और मेथियलडोपा।

घरेलू उपचार की औषधियों और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

8734. **श्री गोविन्द मुन्डा** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभापटल पर रखा गया विवरण पत्र हाथी समिति के निर्देश पदों की मद संख्या 7 से संबंधित है जिसके अनुसार आवश्यक औषधियां और घरेलू उपचार की औषधियां आम जनता को उपलब्ध की जाती थी ;

(ख) यदि हां, तो विवरणपत्र में की गई सिफारिशें कहां तक यह सुनिश्चित होती है कि घरेलू उपचार की औषधियां जनता को निर्बाध रूप में प्राप्त होंगी ; कीमतों में किस प्रकार कमी होगी ; क्या उनका निर्माण भारतीय लघु निर्माताओ द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक और घरेलू औषधियों के लिए उन्हें कितने उत्पादन की अनुमति दी गई है ; और

(ग) इस बारे में हाथी समिति सिफारिशों में क्या परिवर्तन किये गये थे और ऐसा करने के क्या कारण थे ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। विचारार्थ विषय का अभिप्राय यह है कि "आम जनता को विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में', आम घरेलू उपचार और अनिवार्य औषध की व्यवस्था के लिए उपायों की सिफारिश करता है।

(ख) मूल्य नियंत्रण के उद्देश्य के लिए सरकार ने औषध सूत्रयोगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। सरकार की नई औषध नीति में श्रेणी, I, II और III सूत्रयोगों के मूल्यों को स्थिर करने की व्यवस्था है जिसमें अधिकतर आम खपत के अनिवार्य औषध शामिल हैं। श्रेणी I और II के लिए सूत्रयोगों के मूल्य नेतृत्व मूल्य स्तर तक स्थिर किए जायेंगे। जहां कहीं भी ऐसे मूल्य नेतृत्व मूल्यों से अधिक हैं तो वे नेतृत्व स्तर तक लाए जाएँगे। तथापि जहां वे कम है वे ऐसे कम स्तर पर स्थिर होंगे। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अब तक मूल्यांकित लगभग 100 प्रपुंज औषधों के मूल्य भी स्थिर रहेंगे। यह स्थिरता आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिये रहेगी जिसके दौरान मार्क-अप के पैरामीटरों/नीति में अंकित लाभप्रदत्ता को ध्यान में रख कर नए तरीके से सभी औषधों और सूत्र योगों के मूल्यों का अध्ययन किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में सुव्यवस्थीकरण और वितरण पद्धति में विकेन्द्रीकरण को बढ़ाने की संभावनाएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम प्रयोग की दवाइयों और घरेलू उपचार के वितरण के लिए रुढियुक्त एजेंसियों का प्रयोग करने की, औषध और सोन्दर्य प्रसाधन अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर छानबीन की जाएगी।

जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण और प्रोत्साहन का संबंध है, सरकार यह निर्णय लिया है कि विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा निर्मित घरेलू उपचार में अधिक उत्पादन को सामान्यत: नियमित नहीं किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि विदेशी कम्पनियों जो घरेलू उपचार के निर्माण में लगी हैं उनको क्षमता में किसी विस्तार अथवा अब से अतिरिक्त मदों के रूप में ऐसे कार्य कलाप को लने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। इन उपायों से, जो लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण के लिए चयन मदों के आरक्षण के साथ जुड़े हुए हैं, लघु उद्योग क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन देंगे।

(ग) संशोधन के साथ अस्वीकार्य अथवा स्वीकार्य हाथी समिति की सिफारिशों को दर्शानेवाले एक स्पष्टीकरण विवरण पत्र 25 अप्रैल, 1978 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था।

पठानकोट और जोगिन्दरनगर के बीच स्टेशनों पर क्वार्टरों की संख्या

8735. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट-जोगिन्दरनगर रेलवे लाइन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर क्वार्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में उक्त लाइन पर कितने क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उस लाइन पर काम कर रहे सब रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पठानकोट-जोगिन्दरनगर लाइन प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर बने हुए क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम	क्वार्टरों की संख्या
1	2	3
1.	नूरपुर रोड .	23
2.	तलाड़ा . .	16
3.	भरमाड़	3
4.	जवांवाला शहर	29
5.	हरसर देहरी	18
6.	मेघराजपुरा हाल्ट	—
7.	नवारोटा सूरियां	21
8.	बदियाल हिमाचल हाल्ट	—
9.	नंदपुर भटौली	11
10.	गुलेर	24
11.	ज्वालामुखी रोड	16
12.	कोपड़लाहड़	19
13.	कांगड़ा	16
14.	कांगड़ा मंदिर	3
15.	समलोटी	9
16.	नगरोटा	59
17.	चामुंडा मार्ग हाल्ट	—
18.	पारोर	12
19.	सुलाह हिमाचल	11

1	2	3
20.	पालमपुर हिमाचल	54
21.	पंचरुखी	10
22.	मझेस हिमाचल हाल्ट	—
23.	बैजनाथ पपरोला	65
24.	बैजनाथ मंदिर	2
25.	एहजू	16
26.	चौतरा बहतर हाल्ट	—
27.	जोगिन्दर नगर	27

इसके अलावा इन स्टेशनों के बीच काम करने वाले गैंगमैनों के लिए 43 क्वार्टर हैं।

(ख) इस खंड पर अगले 5 वर्षों में किसी भी क्वार्टर के निर्माण का कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया है।

(ग) इस खंड पर तैनात 653 रेलवे कर्मचारियों में से, 407 को रेलवे क्वार्टर दिये गये हैं।

पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

8736. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल लाइन पर कार्य कर रहे रेल कर्मचारियों को कोई विशेष पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल पेपर मिल कम्पनी के निदेशक बोर्ड के निदेशक

8737. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के निदेशकों के नाम क्या और प्रत्येक के पास कम्पनी के कुल कितने-कितने शेयर हैं ;

(ख) प्रत्येक शेयर की यूनिट कीमत कितनी है और 500 और इससे अधिक शेयर रखने वाले मुख्य शेयरधारियों का ब्यौरा क्या है ; तथा उनके पास कितने मूल्य के शेयर हैं;

(ग) क्या सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के कार्य में कुप्रबन्ध और निदेशक बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में सूचना और शिकायतें मिली है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में क्षति, कारखाने का बन्द होना और वित्त और सरकारी राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है (अनुलग्नक क)

(ख) एक विवरण संपत्र लग्न है (अनुलग्नक ख)

(ग) और (घ) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 196 (2), 193, 163 के उपबन्धों के पालन न करने, कुछ पक्षों को वितरकों के रूप में नियुक्त करने, अदक्ष प्रबन्ध कार्यालय के

कर्तव्यच्युत अधिकारियों के कारण कम्पनी को बारम्बार हानियां उठाने के आरोपों युक्त शिकायतें प्राप्त हुई थी। कम्पनी की लेख-वाहियों आदि का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अंतर्गत निरीक्षण सितम्बर-नवम्बर, 1975 में किया गया था, एवं उस समय प्राप्त शिकायतों की की गई जांच थी। निरीक्षण के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा व्यापारियों की नियुक्ति के सिवाय, कुछ भी गम्भीर मामले नहीं पाये गये थे। व्यापारियों के संबंध में, कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 294 कक का, लागूकरण, परीक्षान्तर्गत है निरीक्षण के समाप्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त शिकायतों को बाबत, कम्पनी रजिस्ट्रार ने स्थिति की परीक्षा की है, तथा कम्पनी के दस्तावेजों की लागत लेखा-परीक्षा करने का सुझाव दिया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा के आदेश दिये गये हैं। आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2221/78]

रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा

8738. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि रेल दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने के मामले इस उद्देश्य से गठित किये गये एक न्यायाधिकरण द्वारा तय किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : रेल दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले यात्रियों को मुआवजे का भुगतान करने के नियम भारतीय रेल अधिनियम, 1890 तथा दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 1950, 1974 में यथा संशोधित, द्वारा शासित होते हैं।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अनुसार ऐसी प्रत्येक भयंकर दुर्घटना, जिसमें मरने वालों की संख्या 10 या इससे अधिक हो अथवा हताहतों की संख्या 20 से अधिक हो तो ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार तदर्थ रूप से सीमित अधिकार प्राप्त दावा आयुक्तों की नियुक्ति करती है जो दावे के मामलों को स्वीकार कर दावे का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक मामूली रेल दुर्घटना में, जिसमें मरने वालों की संख्या 10 या इससे कम है ; अथवा हताहतों की संख्या 20 या 20 से कम हो तो ऐसे मामलों में दावे का निर्धारित जिला मजिस्ट्रेटों जजों द्वारा किया जाता है जिन्हें इन कार्यों के लिए पदेन दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और जिन्हें भारत के गजट में अधिसूचित कर दिया गया है। प्रयेक रेल दुर्घटना के पश्चात् साधारण तथा प्रत्येक दावा करने वाले व्यक्ति को रेल दुर्घटना के दिन से तीन महीने के भीतर भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियुक्त दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों के पास दायर कर देना होता है। विशेष कारण वश दावा आयुक्त एक वर्ष के अन्दर भी दावे की अर्जी स्वीकार कर सकता है। किसी गलत व्यक्ति के दावे की रकम का भुगतान न हो, दावे दायर करने वाले व्यक्ति तथा रेल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खुली कोर्ट में बहस की जाती है और इस कोर्ट द्वारा फैसला दिये जाने से पहले इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जाता है। इन दावों का निपटारा न्यायालय द्वारा बिना कोई देर किए किया जाता है।

बीना-दिल्ली

8739. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 के अन्त तक बीना-दिल्ली रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त लाइन के विद्युतीकरण का कार्य अक्तूबर, 1978 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कुछ नहीं। इस कार्य को करने के लिए अभी तक मंजूरी नही दी गयी है।

(ख) जी नही।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता।

Expenditure incurred on passenger sheds etc. in Gujarat

8740. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on passenger sheds, godowns, station rooms and employees quarters in the stations between Jetalsar Junction to Porbandar, Porbandar to Jamnagar and Shahpur Sorath to Saradiya in Saurashtra in Gujrat in 1976-77 and 1977-78 indicating the nature of expenditure incurred there; and

(b) whether any expenditure is to be incurred thereon or any work is to be done in 1978-79 and if so, station-wise details of the work to be done and expenditure to be incurred?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Details are as under:—

Section	1976-77 Rs.	1977-78 Rs.
(i) *Jetalsar-Porbander section :*		
Passenger sheds and godowns	Nil	Nil
Station buidlings	2000	Nil
Staff Quarters	1,92,000	1,07,000
(ii) *Porbander-Jamnagar Section*	Nil	Nil
(iii) *Shahpur Sorath and Saradia*	Nil	Nil

(b) Outlay proposed to be incurred during 1978-79 on passenger sheds, station rooms and employees' quarters, godowns etc. on the three section is as under:—

Jetalsar—Porbandar Section :	
Jetalsar Station	
Passenger sheds	48,000
Station buildings . . .	40,000
Staff quarters	3,44,000
Porbandar—Jamnagar Section . .	Nil
Shahpur Sorath—Saradiya Section .	Nil

Supply of Steam Coal

†8741. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any representations have been received from Shri Jagdish Oil Industries Private Ltd., Porbandar (Gujarat) demanding supply of steam coal wagons to enable them to keep the vanaspati industry running;

(b) if so, the types of Railway wagons demanded and nature of complaints made therein and when and what action was taken thereon by Government;

(c) the monthly requirement of coal wagons and number of steam coal wagons allotted to the above firm from January to December 1977, monthwise and the number of those proposed to be allotted between January to December, 1978 together with the date of allotment (from January to April, 1978); and

(d) the reasons for short supply of coal wagons to this industry and what action will be taken by Government to see that there is no shortage of wagons in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

चाक की ढुलाई

8742. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाक मर्चेन्ट एसिसोसिएशन पोरबन्दर, राणावाव पोरबन्दर, सौराष्ट्र (गुजरात) ने चाक और चाक-पूर्ण की ढुलाई के वैगनों के लिए उनके मंत्रालय और महाप्रबन्धक पश्चिम रेलवे बम्बई तथा मंडलीय अधीक्षक, भावनगर से 21 मार्च, 1978 को अनुरोध किया था और यदि हां, तो उसमें क्या मांगे की गई हैं ;

(ख) इन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है और कब और किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी और की जायेगी ;

(ग) राणावाव और पोरबन्दर स्टेशनों पर अलग अलग इन चाक उद्योगों के लिये कितने वैगनों का दैनिक कोटा नियत है और यह कब नियत किया गया था और कब से लागू किया गया था ;

(घ) अब चाक एसोसिएशन पोरबन्दर राणावाव ने राणावाव और पोरबन्दर स्टेशनों के लिए कितने वैगनों की मांग की है और

(ङ) क्या पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन के कुछ अधिकारियों ने 6-2-1978 को राणावाव का दौरा किया था और यदि हां, तो इन अधिकारियों से किस प्रकार की मांगे की गई और उन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, प्रतिदिन सात माल-डिब्बा के वर्तमान कोटे को बढ़ाकर 14 मालडिब्बा प्रतिदिन करने के लिए और प्राथमिकता कोटि 'इ' से प्राथमिकता कोटि 'डी' में उन्नयन के लिए ।

(ख) कोटे में वृद्धि सक्रिय रूप से विचाराधीन है। लेकिन, इसक्षेत्र में अत्यधिक उच्चतर प्राथमिकता यातायात की प्रस्तुत की और सीमेंट, रसायन सरीखे निर्धारित अवधि यातायात को देखते हुए इस यातायात की कोटि का उन्नयन संभव नहीं है।

(ग) 29-1-1977 से राणावाव और पोरबन्दर के लिए क्रमश: 5 और 2 मालडिब्बों का दैनिक कोटा आबंटित किया गया है ।

(घ) चाक परिषद् ने इन स्टेशनों से 14 मालडिब्बे प्रतिदिन करने की मांग की है ।

(ङ) जी हां, रेलवे अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के अवसर पर, चाक/चाक यातायात के लदान में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया था। लदान का काम, जनवरी 1978 में 9 माल डिब्बे प्रतिदिन से बढ़कर फरवरी में 9 मालडिब्बे प्रतिदिन और मार्च 1978 में 10 माल डिब्बों का औसत प्रदान कर दिया गया जबकि इससे पहले कोटा 7 माल-डिब्बे प्रतिदिन था ।

Construction work on Platform at Mahidpur Road Station

8743. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 85 on 21-2-1978 regarding platform in Mahidpur Road Station and state:

(a) whether construction work on the platform at Mahidpur road station has been started and; if so, whether the level of the platform is being kept very low as a result of which passengers will face great difficulties ;

(b) whether its level is proposed to be raised for the convenience of passengers;

(c) the per day average number of passengers there ;

(d) whether in view of the passengers traffic, shed and overbridge are not required at this station;

(e) the number of times development of the station was undertaken since its construction to date to provide various facilities for passengers;

(f) whether water and lavatory facilities have not been provided there so far; and

(g) whether adequate arrangements have not been made at the station to protect passengers from heat, cold and rain; and if so, the steps being taken to provide these facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) A new rail level platform is proposed to be built at Mahidpur Station in addition to the existing high level platform. The work is now in progress.

(b) No, as the existing one is a high level platform.

(c) Average number of passengers per day dealt at this station is 775.

(d) provision of a shelter on the platform is not justified for the present. By way of covered accommodation, the station is provided a waiting hall of area of about 60 sq. mtrs. Foot over-bridge is also not considered justified for the present.

(e) Improvement/augmentation of the existing passenger facilities at stations is a continuous process and amenities required are provided from time to time accordig to need. This station was constructed some time around the year 1912 and at present following facilities are available:

(i) A high level platform — 300 mt. long.

(ii) The platform surface is partly asphalted.

(iii) Benches on platform — 8 Nos. and in the waiting hall — 3 Nos.

(iv) One water hut.

(v) Latrines with 4 seats.

(vi) The station is electrified and provided with 18 shady trees.

(f) The station is provided with latrines with 4 seats and a water hut as stated above.

(g) The existing waiting hall is considered adequate for the present level of passenger traffic.

भारतीय तेल निगम के सेवा से बर्खास्त किये गये या सेवा निवृत्ति के लिये बाध्य किये गये अधिकारी

8744. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के कितने अधिकारियों को गत तीन वर्षों में सेवा से बर्खास्त किया गया अथवा उन्हें सेवा निवृत्ति के लिये बाध्य किया गया ;

(ख) कितने मामलों में न्यायालयों ने कार्रवाई को गलत अथवा गैर-कानूनी बताया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन सभी लोगों को बहाल कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों में अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर इंडियन आयल कारपोरेशन के 10 अधिकारी नौकरी से निकाले गये और ये कोई अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामले नहीं थे ।

(ख) और (ग) : जी, कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ऊपरी पुलों का निर्माण

8745. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और रेल प्रशासन को गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के थाना जिले में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उपरी पुलों का निर्माण करने लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : कालबा रोड और वैटाना रेलवे स्टेशनों पर उपरो पैदल पुलो के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन स्टेशनों उपरीपैदल पुलोंके निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि औचित्यपूर्ण पाये गये तो इस काम को आगामी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो ।

बम्बई के निकट नये पेट्रोल रसायन उद्योग समूह की स्थापना

8746. **श्री आर० के० महालगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट दूर एसोसियटेड गैस पर आधारित बम्बई के निकट नये पट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने की संभाव्यता और वांछनीयता का अध्ययन करने के लिये परामर्श दाता नियुक्त किये गये हैं, यदि हां तो कब और ऐसे परामर्श दाताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में उपयोग तथा निर्यात के लिये पेट्रो-रसायनों का उत्पादन करने के लिये बम्बई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस फीड स्टाक सप्लाई के लिये उपयोग किये जाने पर तकनीकी आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये मसर्स स्टोन एंड वेब्स्टर इंडिया कारपोरेशन की सेवायें प्राप्त की गई थी । करार नाम पर 17 सितम्बर, 1977 को हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) मैसर्स स्टोन एंड वेब्स्टर की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को जनवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी ।

(ग) इस बीच, भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की आवश्यकता की अध्ययन करने के लिये सरकार ने 3 सितम्बर, 1977 को एक कार्यकारी दल नियुक्ति की थी : इस कार्यकारी दल ने भी पेट्रो-रसायन उत्पादन के लिये बम्बई हाई तथा पश्चिम बसीन क्षेत्र की गैस के उपयोग की संभावना पर विचार किया था । कार्यकारी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है जो कि विचाराधीन है ।

Upgradation of officers' posts

8747. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 683 on the 11th April, 1978 regarding Officers' posts upgraded and state:

(a) the different pay scales attached to the posts of 9200 Class IV Group 'D' employees;

(b) when these employes were given promotions, date-wise ; and

(c) whether promotions were not given with effect from 1st August, 1976 in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. F7(21)-E. 111 (A)/74 dated the 10th January 1977 and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The posts were upgraded from the revised scale of Rs. 200—250 to Rs. 210—270.

(b) and (c): The upgradation of these posts was part of the scheme of cadre restructuring of Group 'C' and 'D' cadres on Railways undertaken by the Ministry of Railways. This scheme which provided that the date of effect would be from the date the upgraded posts were filled up as such, was therefore different from the scheme of creation of Selection Grade posts in respect of which guidelines were issued by the Ministry of Finance vide their Office Memorandum of 10-1-1977, providing for retrospective effect from 1-7-1976.

The actual date of filling up of individual upgraded posts in the different units on the Zonal Railways, is bound to differ even from employee to employee and could be from any date either prior to or after 1-8-1976.

केरल में खुदाई-कार्य

8748. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल बेसिन में तेल का अनुमानता कितना भंडार है ;

(ख) मानसून के शुरु होने से पूर्व खुदाई कार्यों के लिये कितने स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ग) परिणाम जानने के लिये प्रत्येक स्थान पर औसत कितना समय लगता है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अभी तक कोई जानकारी नहीं है :

(ख) केवल एक है ।

(ग) वर्तमान स्थान पर कुएं को खोदने और उसका परीक्षण करने के लिये लगभग दो मास ।

बम्बई हाई के लिये हेलिक्काप्टर सेवा

8749. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई तक हैलिकप्टर सेवा के संचालन हेतु 31 मार्च, 1978 तक कितनी राशि अदा की गई ;

(ख) यह काम कौन कर रहा है ;

(ग) इसके लिये किन शर्तों पर सहमति हुई ;

(घ) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने इन सेवाओं को आरम्भ करने का प्रस्ताव दिया है ; और यदि हां, तो उनकी क्या शर्तें हैं ;

(ङ) क्या इंडियन एयर लाइन्स के प्रस्ताव को स्वीकार करने से वर्तमान व्यवस्था समाप्त करनी होगी ;

(च) वर्तमान शर्तों के अन्तर्गत यह व्यवस्था कब तक चलेगी ; और

(छ) इस परिवर्तन से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (छ):—सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी :

Palampur-Gandhidham

8750. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a railway crossing has been made near Chandisar railway station on Palampur-Gandhidham railway line of Western Railway to regulate traffic going to and coming from Chandisar and Muzaffarganj villages but no person has been posted to regulate it with the result that the people of these villages experience great difficulty and whether keeping this in view arrangements will be made to post a person there permanently; and

(b) if so, by what time and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): No new level crossing has been constructed. There is however an existing level crossing (No. 14) at the station the gates of which remain normally open to road traffic during the day. The gates are manned by a Safaiwala during the day time. At night as the traffic is light the gates remain closed and the keys remain with the Pointsman on duty who opens the gates whenever approached by the road users. Under the circumstances, there is no need for posting another person for the level crossing, permanently.

Revision of Pay Scale of Employees of I. D. P. L.

8751. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had visited I.D.P.L., Rishikesh on 18th, 19th and 20th September, 1977 and whether he had given the assurance to the workers there that their pay scales would be revised soon and whether negotiation committee was constituted in accordance with the assurance ; and

(b) if so, the progress achieved so far in this direction and the time by which the matter of pay scales and promotion of the workers will be decided ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) : During the visit of Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers to IDPL, Rishikesh, from the 18th to 20th September, 1977, a charter of demands including issues relating to the wage structure and promotion policy submitted by the unions was discussed and it was decided that a Negotiating Committee consisting of the representatives of the management and the unions would be formed to finalise a draft proposal for wage revision, etc. The Committee has held a number of sittings and it is expected that the issues will be finalized early.

द्विभाषिक आशुलिपिकों के पद

8752. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा खण्ड में (अंग्रेजी एवं हिन्दी के आशुलिपिकों को छोडकर) द्विभाषिक आशुलिपिकों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं और ये पद कब से खाली पड़े हुए हैं; इन पदों को अब तक न भरे जा सकने के क्या कारण हैं ;

(ख) जब कभी द्विभाषिक आशुलिपिकों के पद खाली होते हैं तो क्या वे समाचार-पत्रों में विज्ञापित किये जाते है और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को परिचालित किए जाते है;

(ग) द्विभाषिक आशुलिपिको के भर्ती नियमों में कितनी बार परिवर्तन किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक बार क्या विशिष्ठ परिवर्तन किये गये थे ; और

(घ) द्विभाषिक आशुलिपिकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्यों नहीं की जाती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्तिभूषण) : (क) इस समय राजभाषा खंण्ड में (प्रादेशिक भाषाओं के) द्विभाषिक आशुलिपिकों के 6 पद खाली हैं। इनमें से 2 पद एक वर्ष से कम समय से, 2 पद एक वर्ष से अधिक समय से तथा 2 पद दो वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े हैं। इस मंत्रालय के राजभाषा खण्ड के पदों के लिए पुनरीक्षित भर्ती नियमों को, अभी अंतिम रूप दिया जाना है इस लिए प्रादेशिक भाषाओं के प्रारूपकारों की, जिनके लिए ये द्विभाषिक आशुलिपिक रखे जाने थे, भर्ती अभी रुकी हुई है और इसी कारण द्विभाषिक आशुलिपिकों के खाली पदों को भरा नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट की, जिसने इस बात का अनुमान लगाया था कि राजभाषा खंण्ड को कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। ज्यों ही आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट की सिफारशीं को क्रियान्वित किया जाएगा और अधिकारियों के पदों के लिये भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा त्यों ही खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं के द्विभाषिक आशुकिपिकों के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि वे पद केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे उपयुक्त सेवकों के अन्तरण, द्वारा भरे जाएं जो निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी से नीचे का पद धारण न करते हों और जिनके पास अपेक्षित अर्हता हो और यदि ऐसा न हो सके तो ये पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। भर्ती के पहले ढंग के अनुसार, खाली पदों की जानकारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों / विभागों को भी परिचालित की जाती है। यदि भर्ती का पहला ढंग सफल नहीं रहता है तो भर्ती के दूसरे ढंग का सहारा लिया जाता है अर्थात् खाली पदों की सूचना रोजगार कार्यालयों को (अब कर्मचारी चयन आयोग को) दी जाती है :

(ग) सन् 1963 से हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं, दोनों के द्विभाषिक आशुलिपिकों के पदों के लिए समान भर्ती नियम थे। ये नियम 1972 में संशोधित किए गए और यह उपबन्ध किया गया कि यदि अंग्रेजी की आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले उम्मीदवार इस बात के पात्र होंगे कि उनके नाम पर विचार किया जाए। (प्रादेशिक भाषाओं के) द्विभाषिक आशुलिपिकों और (हिन्दी एवं अंग्रेजी के),

द्विभाषिक आशुलिपिकों के पदों के लिए अलग अलग भर्ती नियम सन 1977 में बनाए गए थे। हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपिकों के पदों के लिए भर्ती नियमों में सभी पदों को सीधी भर्ती रा भरे जाने का तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी, आशुलिपि और टंकण में परीक्षा करके चयन का उपबन्ध है। प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी आशुलिपिको के लिए भर्ती नियमों में यह उपबन्ध है कि ये पद केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे उपयुक्त सेवकों के अन्तरण द्वारा भरे जाएंगें जिनके पास अपेक्षित अर्हता हो और यदि ऐसा न हो सके तो ये पद सीधी भर्ती भरे जाएंगे इन दो प्रवर्गों के आशुलिपिकों की भर्ती के ढंग भिन्न भिन्न विहित किए गए थे क्योंकि रोजगार कार्यालयों की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा प्रादेषिक भाषाओं के लिए आशुलिपिकों की सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं था। सन 1977 के बाद इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए तारीख 4-11-75 के संकल्प के अनुसार यह अपेक्षित है कि सभी काडर-बाह्य/वर्ग 3 के एकल पदो (अब ग्रुप 'ग' के पदों) पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की मार्फत की जाए।

Supply of Wagons

†8753. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether people have continuously made complaints to higher officers against some of employees of Allahabad Division for committing irregularities and for harassing by adopting unfair means in the matter of supply of wagons in Shikohabad and if so, the reasons for not taking any action by officers in the matter?

The Ministry of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): No. Only three complaints containing a number of allegations against a Trains Clerk of Shikohabad Station were received through a letter from Shri Maharaj Singh, former Member of Parliament. Three allegations relating to detention of wagons, irregular issue of two different cut off memo instead of placement of wagons for simultaneous unloading, and failure to realise demurrage charges on four tank wagons, were substantiated during investigation by Northern Railway. Suitable disciplinary action has been taken against the staff held responsible.

In addition, an anonymous complaint against a Trains Clerk of Shikohabad was also received. As per extent instructions, no investigation into this complaint was made.

Cost of Production of Rubber in Synthetic and Chemical Ltd., Bareilly

†8754. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the cost of production of rubber in Synthetic and Chemical Ltd., Bareilly and the market price thereof?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : The information is being collected and would be laid on Table of the Sabha.

रामागुन्डम, तालचेर हल्दिया, उर्वरक कारखाने में उर्वरक का उत्पादन

3755. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुण्डम, तलचेर, हल्दिया उर्वरक कारखानों में व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें उनकी निर्धारित क्षमता पर उर्वरक का उत्पादन हो रहा है ?

7—142L.S.S.(ND)/78

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। तालचेर और रामागुण्डम उर्वरक परियोजना द्वारा अप्रैल, 1979 से वाणिज्यक उत्पादन शुरु होने की आशा है तथा हल्दिया उर्वरक परियोजना द्वारा वाणिज्यक उत्पादन जुलाई, 1979 से आरम्भ किये जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के भोजनयानों में रखे गये नैमित्तिक कर्मचारी

8756. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले भोजन यानों में नैमित्तिक कर्मचारियों को रखने की प्रथा है ;

(ख) यदि हां, तो जौनवार ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार उनको रखे जाने से भ्रष्टाचार पैदा होता है और परिणामत: रेलगाड़ियों में उपलब्ध किये जाने वाले भोजन का स्तर गिरता है ; और

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों को मौसमी, छूट-पुट और सविरामी कामों के लिए नियोजित किया जाता है जबकि लम्बी अवधि की प्रकृति का काम नियमित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(ख) भोजनायानों में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

(ग) नैमित्तिक श्रमिक जब भोजनयानों में लगाये जाते हैं तो सीधे नियमित कर्मचारियों के अधीन काम करते हैं। अत: ऐसे नियोजन में कदाचार उत्पन्न होने अथवा परोसे जाने वाले भोजन के स्तर में गिरावट आने का कोई कारण नहीं है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Journals and Magazines brought out by Railways

†8757. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of publications and journals and magazines brought by the Ministry/Department in 1977;

(b) the number of publications and journals and magazines out of them brought out in Hindi also and the reasons for not publishing in Hindi the remaining ones;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications and journals and magazines in Hindi which are still being brought out in English ; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Hindi knowing Employees

†8758. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of sections in his Ministry/Department at present and the number of those sections out of them in which more than 80 per cent employees are Hindi knowing employees;

(b) the total number of sections in which notes and drafts are written in Hindi at present and the reasons for not doing so in the remaining sections; and

(c) whether clea. instructions have been issued to all the sections for writing notes and drafts in Hindi and if not the reasons therefor ?

The Ministry of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Total number of sections : 165 The number of sections having 80 per cent of the staff knowing Hindi: 88

(b) Number of sections where more than 25 per cent noting is done in Hindi is 22. In remaining 66 sections quantum of noting done in Hindi is less than 25 per cent.

(c) All employees are free to use Hindi or English for transacting their official work. Instructions are there to encourage them to use Hindi more and more in noting and drafting.

स्टेशनों पर पेय जल

8759. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि साबरमती स्टेशन और अहमदाबाद के निकट अन्य स्टेशनों सहित पश्चिम रेलवे के अनेक स्टेशनों पर उपयुक्त तथा शुद्ध पेय जल को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही उक्त स्थिति को ठीक करने तथा सुधारने के लिए सक्रिय और तात्कालिक कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पश्चिम रेलवे के साबरमती और अहमदाबाद के निकटवर्ती अन्य स्टशनों सहित पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ तथा बरतनों में भरा हुआ पेय जल सप्लाई किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा अर्जित लाभ

8760. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान देश में एक या अधिक विदेशी स्वामित्व वाली औषध निर्माण फर्मों ने कोई लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फर्मों अथवा कंपनियों द्वारा उक्त लाभ में से कितनी राशी विदेशों को भेजी जा रही है और उसी अवधी के दौरान अर्जित कुल आय में से उसकी प्रतिशतता क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : वर्ष 1975 और 1976 के दौरान संगिठत क्षेत्र में विदेशी औषध कम्पनीयों द्वारा अर्जित किया हुवा शुद्ध लाभ और 1974-75 तथा 1975-76 की अवधि के दौरान इन कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गई राशि के बारे में उपलब्ध सूचना का एक विवरण पत्र संलग्न है।

वर्ष 1976-77 / 1977 के लिए वैसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	वर्ष	शुद्ध लाभ	बाहर भेजी गई राशि
1	2	3	4	5
1	मैसर्स आबोट लैब्स (आई)	1975	48.31	—
	लि०	1976	(-) 6.51	उपलब्ध नहीं
2	मैसर्स वीकम (ई) प्राइवेट लि०	1975	1.53	,,
		1976	2.18	,,
3	मैसर्स ब्रीज बेल्केस एण्ड क० (इ)	1975	18.58	—
	प्रा० लि०	1976	47.12	3.91
4	मैसर्स मे एण्ड बेकर लि०	1975	32.48	उपलब्ध नहीं
		1976	26.40	,,
5	मसर्स सिमिथ क्लाइन एण्ड फरेंच	1975	23.70	20.55
	आई लि०	1976	33.90	उपलब्ध नहीं
6	मैसर्स रोश प्रोडक्टस लि०	1975	59.02	8.59
		1976	73.55	उपलब्ध नहीं
7	मैसर्स इण्डियन शेरिंग लि०	1975	उपलब्ध नहीं	,,
		1976	,,	,,
8	मैसर्स पार्के डेविज (इ) लि०	1975	56.84	—
		1976	89.91	उपलब्ध नहीं
9	मैसर्स एन्गलो फ्रेंच ड्रग कम्पनी	1975	1.04	0.01
	(ईस्टर्न)	1976	5.29	उपलब्ध नहीं
10	मैसर्स ग्लैक्सो लैब्स (इ) लि०	1975	205.65	62.84
		1976	307.93	86.24
11	मैसर्स जानसान और जानसन लि०	1975	30.97	4.21
		1976	55.78	उपलब्ध नहीं
12	मैसर्स फाइजर लि०	1975	166.63	15.60
		1976	236.46	उपलब्ध नहीं
13	मैसर्स वीथ लैब्स लि०	1975	24.40	4.45
		1976	31.48	11.09
14	मैसर्स सीबा गैगी आफ् (इ) लि०	1975	168.00	21.33
		1976	216.00	उपलब्ध नहीं
15	मैसर्स सिनामिड (इ) लि०	1975	138.70	1.35
		1976	175.73	59.70

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
16	मैसर्स एलकलो एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ (इ) लि०	1975	10.00	22.00
		1976	44.00	27.00
17	मैसर्स ई बर्क (इ) प्राइवेट लि०	1975	18.84	3.83
		1976	23.39	उपलब्ध नहीं
18	मसर्स मर्क शार्प एण्ड डूमे आफ (इ) लि०	1975	23.00	0.02
		1976	40.79	13.45
19	मैसर्स सेंडोज (इ) लि०	1975	69.35	4.68
		1976	79.00	33.43
20	मैसर्स बूटस कम्पनो (इ) लि०	1975	89.73	4.79
		1976	109.83	10.17
21	मैसर्स रिचरडयन हिन्दुस्तान लि०	1975	40.00	3.25
		1976	53.00	10.89
22	मैसर्स वेयर (इ) लि०	1975	234.93	59.14
		1976	182.13	23.27
23	मैसर्स होजेस्ट फार्मेस्यूटीकल लि०	1975	63.80	9.48
		1976	92.06	20.36
24	मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लि०	1975	35.54	5.20
		1976	54.71	10.99
25	मैसर्स वोफेन्स (इ) लि०	1975	उपलब्ध नहीं	—
		1976	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26	मैसर्स करटर वैल्स लि०	1975	1.52	0.47
		1976	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
27	मैसर्स आर्गेनन (इ) लि०	1975	76.09	4.30
		1976	100.05	4.06
28	मैसर्स पूनी सैकिया लि०	1975	2.12	0.40
		1976	2.02	1.07
29	मैसर्स सिनीवियोटिक्स लि०	1975	13.15	1.34
		1976	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30	मैसर्स शुरहिद गैगी लि०	1975	55.59	0.18
		1976	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31	मैसर्स ज्योफरी मैनंड कम्पनी लि०	1975	56.60	6.03
		1976	73.29	20.32

नई औषध नीति का प्रभाव

8762. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिये भारत की नई नीति ने अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या औषधियों के मूल्य में कोई कमी हुई है ;

(घ) कब तक परिणाम प्राप्त होने की आशा है ;

(ङ) क्या सरकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 में कोई और संशोधन कर रही है ;

(च) क्या कुछ विदेशी औषध कम्पनियां सरकार के निदेशों को सख्ती से लागू नहीं कर रही है ; और

(छ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : नई औषध नीति की घोषणा हाल ही में की गई है । नई नीति में श्रेणी–I, II और III में दिये गये सूत्रयोगों के मूल्यों को रोकने की व्यवस्था की गई है । श्रेणी I और II के सूत्रयोगों के मूल्यों को प्रमुख मूल्य-स्तर पर रोका जायेगा । जहां कहीं मूल्य प्रमुख स्तर से अधिक हों, उनको प्रमुख स्तर तक कम किया जायेगा; जहां वे कम हों उनको उसी स्तर पर स्थिर किया जायगा । औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित लगभग 100 प्रपुंज औषधों के मूल्य भी स्थिर रहेंगे । ये स्थिर मूल्य प्रथम एक वर्ष के लिये प्रभावी रहेंगे, जिसके दौरान नीति में निर्धारित मार्कअप/लाभप्रदत्ता के पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए सभी औषधों के मूल्यों का अध्ययन किया जायेगा । मूल्यों के प्रभाव सहित इस नीति के परिणामों के बारे में इतनी जल्दी अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) और (छ): विदेशी कम्पनियों और अन्य औषध कम्पनियों द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के कथित उल्लंघन के लिये उक्त आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि यदि किसी कम्पनी ने लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक विस्तार किया हो अथवा किसी औद्योगिक लाइसेंस में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करके कोई अन्य कार्य किया हो अथवा उनको दिये गये किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन किया हो अथवा किसी अन्य कानून का 1973–77 के दौरान अथवा उससे पहले उल्लंघन किया हो तो उनके खिलाफ उसी आधार पर कार्यवाही की जायेगी जिस आधार पर इसी प्रकार का उल्लंघन करने के लिये उद्योग के अन्य क्षेत्रों की कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

तारकुंडे समिति की सिफारिशें

8763. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण निर्वाचन सुधारों के लिये तारकुंडे समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ;

(घ) कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है ;

(ङ) क्या सरकार इस प्रश्न पर एक नई समिति गठित करने का विचार कर रही है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) सरकार का इन सिफारिशों को कब तक पूरी तरह क्रियान्वित करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख), (ग), (घ) और (छ) : तारकुंडे समिति द्वारा निर्वाचन सुधारों के विषय में की गई सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है । इन सुधारों पर विनिश्चय किए जाने और उन विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए संसद् में विधेयक पुरःस्थापित किए जाने में कुछ समय लगेगा ।

(ङ) और (च) : इस समय ऐसी कोई समिति गठित करने की बात नहीं सोची जा रही है । सरकार के समक्ष संसद् की संयुक्त समिति द्वारा की गई निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी सिफारिशें तारकुंडे समिति की रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें आदि हैं इसलिए सरकार निर्वाचन संबंधी सुधार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कोई अन्य समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझ ी है ।

संविधान (बयालिसवें) संशोधन अधिनियम में संशोधन

8764. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के बयालिसवें संशोधन अधिनियम में संशोधन पुरःस्थापित करने का विनिश्चय नहीं किया है ;

(ख) क्या इस बारे में विपक्षी दलों के साथ कोई वार्ता शुरू की गई है;

(ग) क्या विपक्ष के रवैये को देखते हुए संशोधन विधेयक इस सत्र में पुरःस्थापित नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) ऐसे कौन-कौन से उपबंध हैं जिन पर विपक्षी दलों के साथ समझौता हो गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) : सरकार ने संसद् के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की है और विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में संविधान के संशोधन के लिए चालू सत्र के दौरान एक विधेयक पुरःस्थापित करने का उसका विचार है। इसमें अन्य बातों के साथ संविधान (बयालिसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों पर भी विचार किया जाएगा ।

संसद् में विधेयक पुरःस्थापित किये जाने पर इन प्रस्तावों के ब्यौरे उपलब्ध होंगे ।

दक्षिण त्रिपुरा में छिद्रण कार्य की देखरेख के लिए सोवियत संघ विशेषज्ञों का दल

8765. **श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण त्रिपुरा में गजालिया के स्थान पर छिद्रण-कार्य की देखरेख करने के लिये सोवियत संघ के विशेषज्ञों का एक दल बुलाया है ; और

(ख) यदि हां तो छिद्रण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और उसकी क्या संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 6 मार्च 1978 को अन्तर्राजकीय आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर इण्डो-सोवियत आयोग की चतुर्थ बैठक के एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें त्रिपुरा में ओ० एन० जी० सी० द्वारा एक कुंए की खुदाई के लिए सोवियत संगठनों की सहायता की व्यवस्था है इसके लिए अभी समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं ।

त्रिपुरा में गोजालिया संरचना पर एक कुएं की खुदाई ओ० एन० जी० सी० द्वारा सोवियत सहयोग से जुलाई 1978 में होने की संभावना है । इस कुएं की खुदाई करने के बाद ही तेल की संभावना का पता चलेगा ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

8766. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 से 77 तक बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ तथा उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में बरौनी में अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का कितना भंडार था और इस समय कितना भंडार है ;

(ख) बरौनी स्थित भारतीय तेल निगम के कैलसीनेशन प्लांट में गत पांच वर्षों में कितने अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक की खपत हुई और इस अवधि में इस कारखाने में कैलसीनेड पेट्रोलियम कोक का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या बरौनी में अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक का बहुत बड़ा फालतू भंडार होने के उपरान्त भी भारतीय तेल निगम ने पश्चिम बंगाल में बज बज स्थित कैलसीनेशन कारखाने को जिसे वर्ष 1971 से 1976 तक नियमित रूप से सप्लाई की जाती रही थी, इसकी सप्लाई करने से इंकार कर दिया था जिसके कारण कारखाने को बन्द करना पड़ा और लगभग 200 कर्मचारियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा ; और

(घ) क्या भारतीय तेल निगम हाल्दिया तथा गोआ स्थित नये कैलसीनेशन प्लांटों के लिये अपरिष्कृत पेट्रोलियम कोक की सप्लाई कर रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क)

वर्ष	बरौनी शोधनशाला में कुल कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन	बरौनी शोधनशाला में वर्ष के अन्त में राक पट्रोलयम कोक का भंडार
1972–73 . .	89.4	33.9
1973–74 . .	83.5	57.2
1974–75 . .	92.8	57.2
1975–76 . .	107.5	72.3
1976–77 . .	112.0	76.8
वर्तमान भंडार (1–4–1978)		81.8

(ख)

वर्ष	बरौनी शोधनशाला में निस्सतापन पेंट्रोलियम कोक का उत्पादन	बरौनी शोधनशाला के निस्सतापन संयन्त्र में कच्चे पेट्रोलियम कोक की खपत
1972–73 .	22.5	31.3
1973–74 .	22.7	31.8
1974–75 . .	32.5	44.9
1975–76 . .	45.2	59.1
1976–77 . .	26.4	35.3

(ग) इंडिया कार्बन लिमि० को गोहाटो शोधन शाला से बाहर गोहाटो स्थित इसके निस्तापन (कैल्सोनेशन) संयंत्र के लिये दोर्घ कालीन करार के अन्तर्गत कच्चे पेट्रोलियम कोक की पहले से ही पूर्ति को जा रहो है । इंडिया आयल कारपोरेशन लिमि० ने इंडिया कार्बन लिमि० को बजबज स्थित इसके निस्सत्तापन संयंत्र के लिए कच्चे कोक को पूर्ति करने का कोई वचन नहीं दिया है । तब भो वर्ष 1976 के अन्त तक बरौनो शोधनशाला से बाहर इंडिया कार्बन लिमि० के बजबज स्थित इसके प्लांट के लिये समय समय पर परन्तु किसी नियमित आधार पर नहीं, कच्चा पेट्रोलियम कोक की पूर्ति की जा रहो थी । फिर भो जनवरो, 1977 से इस पार्टी के बज बज थित संयंत्र के लिये बरौनो से इस उत्पाद को पूर्ति नहीं की जा रहो है क्योंकि यह कम्पनी अपने दोनों—गोहाटी और बजबज स्थित प्लांटों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये गोहाटी शोधनशाला और असम आयल कम्पनी, डिग्बोई से प्राप्त होने वाली सप्लाई से कच्चा पेट्रोलियम कोक उपलब्ध कर सकती है । गोहाटी शोधनशाला से बाहर के सारे कच्चे पेट्रोलियम कोक को उठाने के लिये किये गये ठेके के बावजूद मैसर्स आई सी एल गोहाटी इस मद की सारी मात्रा को नहीं उठा रही है ।

(घ) पेट्रोकार्बन एण्ड कैमिकल्स के हल्दिया स्थित निस्सतापन संयत्र के लिए कच्चा पेट्रोलियम कोक की पूर्ति की जा रही है । गोवा स्थित गोवा कार्बन के संयंत्र को फरवरी, 1977 तक जब यह प्लांट बंद हो गया था, इस मद्द की सप्लाई की जा रही थी ।

हाथी समिति की सिफारिशों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

8767. **श्री डी० अमात : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने 49 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी कम्पनियों को 1:5 के अनुपात में बल्क औषध/फार्म्युलशन के उत्पादन की सिफारिश की थी ;

(ख) हाथो समिति के सिफारिशों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और उन सिफारिशों पर यह कैसे सुधार होगा ;

(ग) क्या सरकार ने हाथी समिति के प्रतिवेदन के अध्याय पांच की सि ारिश संख्या 45 पर विचार किया है ; और क्या विदेशी कम्पनियों को रियायत देने से भारतीय और लघु-क्षेत्र के विकास में कमी होगी ; और

(घ) सरकार का विचार विदेशो कम्पनियों के अधिक उत्पादन का कैसे नियमित करने का है और इसका भारतीय/लघु उद्योग एककों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) और (घ) : जब कि हाथी समिति ने अधिक उत्पादन के विनियम के लिए प्रस्ताव केवल एक शर्त दिया था कि कुल उत्पादन का 50 % और संगठित सूत्रयोगों को उपलब्ध कराया जाए और उनको इसकी अनुमति तब दो जाएगी जब ये भारतीय अथवा सरकारो क्षेत्र द्वारा ऐसे मद निर्मित नहीं किए जाते है अथवा ऐसे मदों की भविष्य में निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं है । तथापि सरकार ने प्रपुंज सूत्रयोग के 1:5 अनुपात का भी शर्त लगाया है । हाथी समिति द्वारा प्रस्तावित शर्त को अधिक्रमण, प्राधिकृत मदों के बारे में अतिरिक्त वास्तविक उपलब्ध क्षमता के अनुपयोगिता

को रोकने तथा देश में अपेक्षित औषधों और सूत्रयोगों को रोकने के ध्यान में रख कर स्वीकार नहीं किया गया है। और गैर संगठित सूत्रयोगों को प्रपुंज औषध उत्पादन की पर्याप्त प्रतिशतता के शर्त द्वारा भी भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता मिलने की संभावना है। क्षमता के नियम के लिए शर्त 29–3–78 को लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र के पैराग्राफ 27 से 36 में दिए गए हैं। भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र निम्नलिखित नियमों द्वारा और भी सुरक्षित हो जाएंगे :—

(1) विदेशी क्षेत्र द्वारा घरेलू उपचार में अधिक उत्पादन का सामान्यत: नियमन नहीं किया जाएगा।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र विदेशी कम्पनियों के लिए वर्जित क्षेत्र होगा।

(3) वर्तमान विदेशी कम्पनियों को भविष्य में सूत्रयोग लाइसेंस केवल तब दिया जाएगा जब वही मूल स्तर से अन्य प्रौद्योगिकी प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ जुडा हुआ होगा।

(4) किसी भी विदेशी कम्पनी को औषध क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऋण लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(5) विनियंत्रण श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाले सूत्रयोग में अधिक उत्पादन का सामान्यतः नियमन नहीं किया जाएगा और

(6) किसी भी अप्राधिकृत उत्पादन का नियमन नहीं किया जाएगा अथवा उसके भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र हितों को पर्याप्त मात्रा में उपयोगी बनाने की आशा है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

8768. **श्री डी० अमात :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में इस बात का उल्लेख है कि विदेशी फर्मों ने 63 करोड़ रुपये की बल्क औषधियों का उत्पादन किया और 292 करोड़ रुपये के फार्म्युलेशन बनाये ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी क्षेत्र की औषधियों के उत्पादन, प्रत्येक बल्क औषध में आयात के तत्व निर्मित मात्रा, लागत-बीमा भाड़ा मूल्य और देश में उसके मूल्य के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन अधिकांश बल्क औषधियों में आयात तत्व बहुत अधिक था और बल्क औषधियों के लिये बहुत ऊंचे मूल्य घोषित किये गये और सरकार विदेशी फर्मों पर किस प्रकार नियंत्रण रखेगी कि वे बल्क औषधियां बनाते समय आयात तत्व 5 प्रतिशत से कम रखे और भारतीय क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) विदशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित कुछ मुख्य बल्क ड्रगज के नाम निम्नलिखित हैं :—

ए. ऐन्टी बायोटिक्स

1. स्ट्रैप्टामाईसिन
2. क्लोरमफुनेनीकोल
3. टेट्रामाईक्लीन और आक्सी टेट्रासाईक्लीन उनके साल्टस तथा डेरीवेटिवज्

4. नीयोमाईसीन
5. ट्राईमेथोप्रिम

बी. सल्फा ड्रग्स

1. सल्फाडायाजीन
2. सल्फाफैनाजोल
3. सल्फामेथ आक्साजोल
4. सल्फासोमीडीन

सी. विटामिन्स

1. विटामिन ए
2. विटामिन बी 12

डी. ऐन्टी ऐमियोबिक

1. मीट्रोनईडाजोल
2. डाईलोक्सामाईड फुरोऐट
3. इन्टैस्टोपेन सबस्टास
4. डाई-आईओडोहाड्रोक्सी कुयोनोलीन

ई. ऐन्टी यावेटिक्स

1. ग्लाईवेनक्लामाईड
2. क्लोरप्रोपामिड
3. टोलबूटामिड
4. इनसूलिन

एफ. ऐन्टी मलेरियल

1. ऐमोडायाकुईन
2. क्लोरोक्यून फोस्फट

जी. ऐन्टी मलेरियल

1. ऐमोडोयाकुईन
2. क्लोरोक्यून फोस्फेट

एच. ऐनलजैसिक्स

1. फिनाईलबूटाजोन
2. ओक्सीफिनबूटाजोन

आई. अन्य औषधियां

1. वोफेनियम हाईड्रोक्सो नेफ्थोरो
2. डाईईथाईल कार्बामेजोन सिर्टे्र
3. प्रोकेन ऐच सी ऐल
4. जाईलोकेन

दूसरे प्वांइटों पर सूचना यथा सम्भव एकत्र को जायेगी तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) (i) यह सम्भाव्य है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित कई बल्क ड्रगज में स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए गए कच्चे माल के रूप में आयात अंश अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति के जारी रहने को रोकने के ध्यान स सरकार ने नई औषध नीति में निर्णय लिए है कि आयातित बल्क औषधों के आधार पर औषध फार्मूलेशन्स का निर्माण अथवा उपान्तिम स्तर (पेनल्टिमेट स्टेज) से बल्क औषधों का निर्माण करने वाली विशेष औषध कम्पनियों को दो वर्षों के अन्दर ही मूल स्तर से सम्बन्धित बल्क औषध का निर्माण करना होगा। सभी मामलों में विदेशी कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा, जिस पर गुणदोषों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(ii) जहां तक प्रौद्योगिकी क हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान का प्रश्न है सरकार के निर्णय 29-3-78 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र के पैरा 39 और 40 पर दिये गये हैं।

विदेशी औषध फर्मों को दिए गए फार्म्युलेशन्स के बारे में विवरण

8769. **श्री डी० अमात : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29-3-78 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के मुद्दा संख्या 22 में बताया गया है कि वर्तमान विदेशी कम्पनियों को आधारभूत चरणों से ही बल्क ड्रग्स से, सम्बन्धित फार्मूलेशन्ज दिये जायेंगे ;

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशी फर्मों ने कितनी बल्क ड्रग्स का उत्पादन किया है ;

(ग) क्या भविष्य में भी उन्हें इन्ही की अनुमति दी जायेगी ;

(घ) विदेशी कम्पनियों को भविष्य में फार्मूलेशन्ज देने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को विदेशी समझा जायेगा अथवा भारतीय?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित कुछ मुख्य बल्क औषधों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

एन्टी बायेटिक्स

1. स्ट्रैपटोमाईसीन
2. क्लोरमफेनीकोल
3. टैट्रासाईक्लाइनज
4. नियोमाईसिन

सल्फा ड्रगज

1. सल्फाडायज़ीन
2. सल्फाफेनाजोल
3. सल्फामेयोक्साजोल
4. सल्फासेमोडाईन

विटामिन्स

1. विटामिन-ए
2. विटामिन-बी 12

ऐन्टी ऐमियोबिक

1. हेलोजीनेटिड ओक्सीक्यूनोजीनज
2 मेट्रोनाईडाजोल
3. डाईलोकसामाईड फराऐट
4. इन्टेस्टोपेन सबस्टांस

ऐन्टी डायाबेटिक

1. ग्लाईवेनक्लामाईड
2. क्लोरप्रोपामाईड
3. टोलबूटामाईड
4. न्सूलिन

ऐन्टी टी बी

1. सोडियम पी ए एस
2. आई एन एच

ऐन्टी मलेरियल

1. ऐमोडायाक्यून
2. क्लोरोक्यून फोस्फेट

ऐनेलजैसिक्स

1. फिनाईलबूटाजोल
2 ओक्सीफेनबूटाजोन

विविध

1. बीफेनियम हाईड्रोक्सी नफ्योऐट
2. डाई-ईथाईल कारवामेजीन स्ट्रिट
3. प्रोकेन ऐजसीऐल
4. जाईलोकिन
5. ट्राई मेथोप्रिन

(ग) विदेशी कम्पनियों को अपने विद्यमान श्रेणी से बल्क औषधों का निर्माण करने की स्वीकृति दी जायेगी अगर (i) ऐसी मदों के निर्माण के लिए सरकार से कानूनी रूप में अनुमोदन प्राप्त हो तथा (ii) उनके द्वारा उपान्तिम अवस्था से निर्मित की जा रही बल्क औषधों दो वर्ष की अवधि के अन्दर मूल अवस्था से निर्मित की जाती हो ।

भविष्य में विदेशी औषध कम्पनियों को केवल उन औषधों का निर्माण करने की स्वीकृति दी जायगी जिसमें उच्च तकनीकी हो तथा औषध उद्योग में सरकारी/भारतीय क्षेत्र के केवल एक मात्र निर्माण के लिए रखी गई हो ।

(घ) भविष्य में विद्यमान विदेशी कम्पनियों को फार्मूलेशन लाइसेंस तभी दिये जायेंगे अगर उत्पादन मूल अवस्था से उच्च तकनीकों की बल्क औषधो के साथ सम्बन्धित है।

(ङ) 40 प्रतिशत की विदशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के बराबर मानी जायेगी ।

श्रम न्यायालय के निदेश

8770. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम न्यायालय ने रेलवे प्राधिकारीयों को उन कर्मचारियों को पूरी मजूरी देने का निदेश दिया है जिनके सेवा से निकाले जाने/बर्खास्त किये जाने/सेवा समाप्त किये जाने के आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कितने मामलों में हुआ है तथा क्या दिए गए निदेश के अनुसार उन्हें पूरी मजूरी का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) क्या उन सभी कर्मचारियों को जिनके सेवा से निकाले जाने आदि के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये गये हैं, पुरी मजूरी का भुगतान करने हेतू नीति निर्णय लेने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कानूनी स्थिति की जांच किये जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।

कोयले को लदाई उतराई के लिए श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त होना

8771. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले की लदाई-उतराई तथा लोको शड से राख उठाने के लिए नियुक्त श्रमिकों से उन्हें रेल कर्मचारी समझने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या आर० एल० टी० पंचाट में बताया गया है कि ऐसे कार्य का स्वरूप स्थायी है और इसके लिए नैमित्तिक कर्मचारी रखने की अनुमति नही है ;

(ग) यदि हां, तो इन्हें स्थायी रेल कर्मचारी क्यों नहीं समझा जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि इस कार्य के लिए अभी भी नैमित्तिक कर्मचारि रखे जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों के वेतन दरों से सम्बन्धित मामले पर विचार करते समय रेल श्रम अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी थी कि इंजनों के टेंडरों में कोयला डालने वाले श्रमिक नैमित्तिक श्रमिकों की कोटि में नहीं आते ।

(ग) चूंकि पूरे वर्ष रेलवे लोको शेडों में कोयले का आगमन नियमित नहीं होता और यह प्रत्येक लोको शेड में कोयले के प्राप्त होने वाले वैगनों पर निर्भर करता है इस कार्य के लिए ठेके के मजदूर साधारणतया अधिक उपयोगी पाये गये हैं । लेकिन, जिन स्थानों पर यह कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है वहां पर कार्य की बढ़ती/घटती मात्रा को देखते हुए नैमित्तिक श्रमिकों को लगाया जाना अपरिहार्य हैं । वैसे भी कर्षण का स्वरूप भाप से बिजली/डीजल कर्षण में

तेजी स परिवर्तित होता जा रहा है। क्योंकि सभो रेलवे लोको शेडों में इंजनोंमें कोयला डालने तथा राख हटाने का कार्य प्रतिदिन घटता जा रहा है, इस लिए इस कार्य के लिए नियमित कर्मचारियों को लगाना उचित नहीं है।

(घ) जी, हां।

रेलवे में संविदा श्रम अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन

8772. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविदा श्रम (नियंत्रण और उत्पादन) अधिनियम, 1970 को रेलवे में लागू करने के लिए सरकारने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या 1977 और 1978 में विभागीय श्रमिकों से ठेका श्रमिकों का काम दिये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों द्वारा संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धो के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(i) रेलों पर विभिन्न संविदा कार्य के सम्बन्ध में प्रमुख नियोजनों का विशेष उल्लेख किया जाता है;

(ii) संविदा श्रमिको को भरती करने वाले रेल प्रशासनों ने अधिनियम के अधीन अपेक्षित पंजीकरण कर लिया है ;

(iii) सम्बन्धित प्राधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिए गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करे कि ठेकेदार भरती किए गए श्रमिकों को प्रमुख नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि जो इन सभी भूगतानों को प्रमाणित करेगा, की उपस्थिति में नियमित रूप से भुगतान करता है ; तथा

(iv) इस आशय के सभी आदेश जारी कर दिए गये हैं, कि ठकेदार प्रत्येक संविदा के निष्पादन में एक उक्ति धारा समाविष्ट कर दी जाय ताकि उससे अधिनियम की सभी संबध्द व्यवस्थाओं तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

Railway Lines in U. P.

†8773. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the years for which schemes regarding laying of railway lines in Uttar Pradesh have been pending;

(b) the names of schemes the work on which had started but was stopped later together with the names of places where the above schemes were started; and

(c) when Government propose to start work thereon now and when they are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) to (c) : A statement is attached.

Statement

New Lines/Gauge conversion projects inprogress

Sl No.	Description	Date of commencement	Length in Kms	Estimated cost (Rs. in Crores)	Target date of completion.	Outlay during 1978-79 (Crores)	Remarks
1	Shahdara-Saharanpur BG rail link.	23-1-74	157.80	25.06	1-4-80	3.82	Shahdara to Baghpat Road (35 Kms. completed and opened on 8-4-77. Section from Baghpat to shamli is planned to be opened during 1978-79.
2	Barabanki-Samastipur MG to BG via Muzaffarpur & provision of new M.G. line between Katarniaghat and Kauriyalghat (partly in U.P.)	1971-72	603.00	69.00	1980	12.97	Katarniaghat- Kauriyalagha to opened on 5-2-77. Samastipur Muzaffarpur Sonepur (111.21 Km) section also opened to BG traffic.
3	Chittauni-Bagaha BG restoration.	9-11-73	28.41	6.74	Not yet fixed	0.0001	Work will be resumed after the financial arrangements for construction of river training works for Gandak bridge are finalised
4	Provision of BG links to Ramnagar and Kathgodam from Moradabad and Rampur.						
	(a) Phase I—Moradabad-Ramnagar MG section to BG.	1974-75	77.50	7.51	1985	0.18	Earthwark of phase-I has been done. Further work will be taken up after the recommendations of U.P. Govt regarding the priorities to be given for different phases of the project are received
	(b) Phase-II—New BG line from Rampur to New Haldwani.	1974-75	78.40	12.98	Not yet fixed	0.0001	
	(c) Phase-III—Gauge conversion of Kashipur—Lalkua NG line to BG and parallel BG line between Lalkua and New Haldwani	1974-75	60.75 17.27	9.08	1988	0.02	
5	Gauge conversion of Varanasi-Bhatni into B.G.	1977-78	150.00	13.91	1985	0.0001	Work proposed to be taken up after Barabanki - Samastipur project makes substantial pogress.

Ticketless Passengers in 1977-78

†8774. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the number of ticketless passengers has increased in 1977-78;

(b) the number of ticketless passengers in Uttar Pradesh during the period from March, 1977 to March, 1978;

(c) the amount of loss suffered by Government threby; and

(d) the causes thereof and the measures taken to bring it down ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d): A statement is attached.

Statement

(a) During the period 1-4-1977 to 28-2-1978, 99,442 special checks were conducted against ticketless travel as against 88,737 in the corresponding period of the last year. As a result of these concentrated drives, the sale of tickets and earnings realised therefrom during the period 1-4-1977 to 28-2-1978 have shown considerable increase over the figures for the corresponding period of the last year.

(b) The statistics of ticketless travel are maintained railway zone-wise and not State-wise. It is, therefore, not possible to furnish the requisite information.

(c) On the basis of sample checks conducted on all Indian Railways during the year 1976-77, the loss on account of ticketless travel was estimated at about Rs. 18 crores per annum.

(d) The following steps have been taken to contain the evil of ticketless travel:—

(1) Special massive checks against ticketless travel are being conducted by mobilizing a large force of ticket checking staff, Railway Protection Force, Government Railway Police and local police personnel under supervision of senior railway officers.

(2) Joint drives against ticketless travel in co-ordination with the State Governments.

(3) Frequent concentrated surprise checks, especially by moving the checking parties accompanied by Railway Protection Force/Police and Railway Magistrates by road transport.

(4) Incognito checks by travelling ticket examiners in plain clothes.

(5) Replacement checks by headquarters and divisional ticket checking squads by intercepting the trains in mid-sections.

(6) Deployment of ticket checking staff of one railway system for ticket checking on another system.

(7) Educative propaganda against ticketless travel is carried out among the travelling public particularly among the student community.

There has been no let-up in the drive against ticketless travellers. The ticket checking activities have been further intensified.

Gazetted Security Officers in Delhi

8775. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of those gazetted Security Officers in Railway Department who have been working in Delhi for more than 10 years;

8—142 LSS/ND/78

(b) the reasons for which they have not been transferred; and

(c) whether it is in accordance with service rules?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) One.

(b) During the period, this officer was utilised in different capacities and was retained in Delhi in administrative interests.

(c) Yes, No rigid period of stay of Security Officers at one place has been prescribed in the Service Rules.

कलकत्ता में आइ० डी० पी० एल० एकक की योजना

8776. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित 'बिजनैस स्टेण्डर्ड' दिनांक 7 अप्रैल, 1978 में इंडियन ड्रगस् एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० कलकत्ता में एकक लगाने की योजना (आई०डी०पी०एल० प्लान्स यूनिट इन कलकत्ता) शीर्षक समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया हैं ;

(ग) उसमें उल्लिखित एकक की स्थापना में शीघ्रता करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) प्रस्तावित एकक के लिए समय सूची क्या है और राज्य प्राधिकारियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ): इंडियन ड्रग्स् एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशन के निर्माण के लिए पूर्वी भारत में एक यूनिट की स्थापना करने का अस्थायी प्रस्ताव है । इस प्रश्न की यथा समय जांच की जायेगी कि क्या नया सरकारी क्षेत्रीय एकक स्थापित किया जाये अथवा इसके विकल्प में, मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० नामक राष्ट्रीयकृत उपक्रम में उपलब्ध सुविधाओं का संकलन तथा विस्तार किया जाए तथा अन्य ऐसी औषध एककें जो स्थापित हो गई है अथवा जिनके सरकार के भावी नियंत्रण में आने की आशा है, का इन सुविधाओं के साथ मिलान किया जाए ।

फिलीप्स इंडिया लिमिटेड

8777. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय फर्म के एकक फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी और अभिदत्त पूंजी क्या है, प्रत्येक शेयर का यूनिट मूल्य क्या है और उसकी श्रेणी क्या है तथा इसकी आस्तियां क्या हैं ;

(ख) इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत इस कम्पनी ने विस्तार और/अथवा इसकी अनधिकृत क्षमताओं के उपयोग को नियमित करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) कम्पनी और शेयर पूंजी में विदेशियों के कुल कितने शेयर हैं और उनकी प्रतिशतता कितनी है ;

(च) क्या सरकार को कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके प्रबन्धक वर्ग/निदेशकों के विरूद्ध रिपोर्टें और शिकायतें मिली हैं; और

(छ) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नवीनतम सूचना के अनुसार मैसर्स फिलीप्स इंडिया लिमिटिड की कुल अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10 रुपये के 1,62,96,000 साम्य शेयरों को सम्मिलित करते हुए 16,29,60,000 रुपये है और 3 दिसम्बर, 1977 तक के तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी के परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 55,64,05,064 रु० है ।

(ख) कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है :—

श्री डब्लू० मैक लेन पोन्ट, अध्यक्ष और प्रधान निदेशक

श्री एस० पंडित

श्री एन० एस० फटरफेकर

श्री वी० रामामूथन

श्री एम० के० वर्मा

श्री बी० ए० समोन

श्री एस० वेंकटरमण

श्री जी० टी० रुइटर

(ग) और (घ): 1.6.1970 से आज तक विस्तार और नये उपक्रम की स्थापना के लिये एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 2122 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ब्यौरों का उल्लेख करता हुआ विवरण-पत्र और उस पर की गई कार्यवाही विवरण-पत्र में संलग्न है ।

अप्राधिकृत क्षमताओं के प्रयोग के विनियमित किये जाने के लिये प्रस्तावों का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विचार किया जाता है । यह सूना जाता है कि इस प्रकार की कम्पनी के इस प्रकार के विनियमित किये जाने के कुछ प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों, और औद्योगिक विकास विभाग और इलक्ट्रोनिक्स विभाग द्वारा विचार किया गया है ।

(ङ) 10 रु० प्रत्येक के 98,13,803 साम्य शेयर जो कम्पनी की कुल प्रदत्त शेयर पुंजी का गठन करते हैं, इस समय अनिवासीय द्वारा धारित है ।

(च) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट या शिकायत कुछ ही पूर्व प्राप्त नहीं हुई है ।

(छ) उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

क्र० सं०	विनिर्माण के मद	आवेदन-पत्र प्राप्ति की तारीख	विस्तार से पूर्व क्षमता	विस्तार के पश्चात क्षमता वार्षिक क्षमता	संयंत्र लागत (लाख रु० में)	सरकार का निर्णय आदेश की तिथि	सरकारी निर्णय के लिये मुख्य आधार
1	2	3	4	5	6	7	8
				धारा 21			
1	डाइमन्ड ड्राइंग डाइज	31–1–74	800 टुकड़े	5000 टुकड़े	3.73	17–6–75 को अनुमोदित	(1) विनिर्माण के मद बड़े घरानों, विदेशी बहुतायत् की कम्पनियों के लिए खुले हैं। (2) अतिरिक्त क्षमता के सृजन की आवश्यकता। (3) मद अल्प मात्रा की आपूर्ति के लिये हैं और निर्यात वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिये प्रतिबन्धात्मक स्तर पर अनुमति प्राप्त है।
2	जीएलएस लेम्प्स	28–3–74	8.00 मिलयन टुकड़े	17.00 मिलियन टुकड़े	166.60	5–5–76 को निरस्त्र किया	जांच के पश्चात एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग ने कतिपय शर्तों के आधार पर प्रस्ताव का सुझाव दिया। (1) विनिर्माता मद बड़े घरानों, विदेशी बहुतायात की कम्पनियों के लिये खुले नहीं हैं जब तक कि 60 प्रतिशत निर्यात बाध्याकर

1	2	3	4	5	6	7	8
							नहीं हो । कम्पनी भविष्य में विस्तार के साथ-2 अधिक उत्पादन को सम्मिलित करते हुए विद्यमान उत्पादन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्यात बाध्यकर को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी । (2) कम्पनी इस क्षेत्र में एकाधिकारिक स्थिति को पहले ही लागू कर रही है । (3) घरेलू मार्केट के लिये अतिरिक्त क्षमता के सृजन के कोई अवसर नहीं हैं जबतक कि तत्वतः निर्यात-मूलक नहीं हो । (4) भारतीय विनिर्मित और लघु उद्योग एककों के हितों की सुरक्षा ।
3	औद्योगिक लागू करने के लिये इलैक्ट्रोनिक्स मापक और देखरेख के लिए पद्धति	2-2-77	नये मद	500 पद्धति मापक चैन प्रत्येक केवल एक पैरामीटर मापक	11.60	28-10-77 को अनुमोदित	(1) विनियोगी मद बड़े घरानों विदेशी बहुतायत कम्पनियों के लिए खुले हैं। (2) मद का उर्वरक रिफाइनरी पैट्रोकैमीकल, इस्पात, शक्ति, कागज और रसायन उद्योग में विस्तृत प्रयोग होता है । देश में इस मद की मांग बढ़ रही है । (3) मद से आयात के प्रतिस्थापन की सम्भावना है ।

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
				धारा 22			
4	इलैक्ट्रो केमीकल इक्युपमेन्ट अर्थात . . .	24–1–74	नया उपक्रम	200 संख्या	135–00	5–7–55 को निरस्त किया	(1) प्रस्ताव की एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा आयोग की जांच की गयी, जिसको निरस्त करने का सुझाव दिया ।
	(1) हृदय संचालक संयंत्र और अनुसंधी . .						
	(2) रोगी संचालन प्रक्रिया और			100 संख्या			(2) तकनीकी का आयात आवश्यक नहीं था क्योंकि कि एन० आर० डी० सी० द्वारा भारतीय तकनीकी पर्याप्त विकसित है ।
	(3) हृदय और मनोविकार संयंत्र और अनुषंगी . .			100 सख्या			(3) कम्पनी ने स्थापित ब्रान्ड के नाम से सभी समयों पर भारतीय तकनीकी को नष्ट कर दिया होता ।
	(4) स्वास प्रणाली और बेहोस करने का यंत्र । . .			100 संख्या			(4) इन मदों के लिये सीमित मांग लघु उद्योग द्वारा की जा सकती है ।
5	वोल्टाज लेवल इन्डीकेटर .	14–10–74	नया उपक्रम	15 लाख संख्या	50.40	17–5–76 को अनुमोदित किया	(1) विनियोग के मद बड़े घरानों, विदेशी बहुतायत की कम्पनियों के लिए खुले हैं । (2) 100 प्रतिशत निर्यात मूलक सयंत्र ।

डीजल इंजिनों तथा लोकोमोटिवों का निर्माण

8778. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप वाराणसी में डीजल इंजनों तथा लोकोमोटिवों के निर्माण के लिए कोई सहयोग-करार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोग करार किन किन फर्मों के साथ किस-किस तारीख के कितनी-कितनी अवधि के लिये हुए और उन करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसे करार करने से पहले कोई अन्तर्राष्ट्रीय टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, यदि हां, तो क्या इन करारों के लिए जो शर्तें रखी गयीं थीं वे सब से कम खर्चीली और सर्वाधिक लाभकारी थी और यदि नहीं तो सबसे कम खर्चीली से अधिक खर्चीली शर्तें स्वीकार करने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या उक्त करार नवीकृत किये गये थे, और यदि हां, तो उक्त व नवीकरण से पहले अन्तर्राष्ट्रीय टेन्डर आमंत्रित किये गये थे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन सहयोग-करारों के अधीन अब तक इंजीनियरों को शुल्क तथा रायल्टी के रुप में कुल कितनी राशि अदा की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) एल्को प्रोडेक्टस इंक० यू० एस० ए० के साथ नीचे लिखे दो करार हुए थे :—

(i) डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए ।

(ii) डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए ।

उपर्युक्त करार 12 फरवरी, 1962 से प्रभावी थे और 10 वर्ष तक के लिए थे । इन करारों की ख्य-मुख्य बाते अनुबन्ध 'क' में दी गयी हैं ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

(ङ) 13,46,986.19 डालर ।

विवरण

डीजल रेल–इंजन और इंजनों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित करारों की मुख्य, मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. इस करार के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऐसे अभिकल्प के एल्को रेल इंजनों/इंजनों का भारत में निर्माण करने का सरकार को एकमात्र अधिकारी होगा और उन्हें बेचने तथा भारत में उपयोग करने का एकमात्र अधिकार नहीं होगा ।

2. यह करार 12 फरवरी, 1962 से प्रभावी होगा और 10 वर्ष के लिए होगा ।

3. एल्को रेल इंजनों, इंजनों के उत्पादन का सरकार द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा, उसके अनुसार डीजल रेल इंजन कारखाने या अन्य किसी कारखाने में उत्पादन करने में एल्को भारत सरकार को तकनीकी सहायता सुलभ करेगा । अन्य बातों के साथ-साथ इस तकनीकी सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं :—

3.1 परियोजना रिपोर्ट ।

3.2 कम्पोनेट और असेम्बली के निर्माण तथा रेल इंजनों/इंजनों के उत्पादन के प्रयोजन के लिए सहायता ।

विवरण—जारी

3.3 रेल इंजनों/इंजनों के निर्माण के लिए निर्माण आंकड़े, तकनीकी ज्ञान, क्रियात्मक आरेखण, सुधार, विनिर्दिष्टियां और सामग्री अनुसूची और एतत् सम्बन्धी सभी विवरणों सहित समस्त तकनीकी सूचना और परामर्श ।

3.4 एल्को रेल इंजनों/इंजनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित जिगों, फिक्सचरों और औजारों के लिए अभिकल्प ।

3.5 समय अनुसूचियां, उत्पादन लागत का प्राक्कलन, लागत लेखा और सांख्यिकीय ।

3.6 यूनाइटिड स्टेट्स अमेरिका में एल्को के कारखाने में चुने हुए भारतीय कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

3.7 कच्ची सामग्री, कास्टिंगों, कम्पोनेंटों, तैयार और अद्र्ध-तैयार पुर्जों, मशीनी औजारों, प्रैस ब्लाकों डाइयों, जिगों और फिक्सचरों की डीजल रेल इंजन कारखाने द्वारा यथा अपेक्षित खरीद ।

3.8 पूछे जाने वाले तकनीकी प्रश्नों के सम्बन्ध में परामर्श और एल्को रेल इंजनों से सम्बन्धित साहित्य भारत को सुलभ करना ।

4. इन करारों के अन्तर्गत किये गये उत्पादनों के निर्यात का भारत को अधिकार होगा ।

5. इन करारों से सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त थे :—

5.1 विभिन्न कम्पोनेंटों का भारत में निर्माण ।

5.2 एल्को अभिकल्प के अनुसार समग्र एल्को रेल इंजनों/इंजनों के संयोजन और निर्माण का अधिकार ।

5.3 एल्को अभिकल्पों के अनुसार ग्राहकों के औजार का निर्माण ।

5.4 एल्को अभिकल्पों के अनुसार डाइयों, जिगों और फिक्सचरों का निर्माण ।

5.5 एल्को रेल इंजनो और कम्पोनेंटों का भारत में तथा विदेशों में विक्रय तथा उपयोग ।

6. भारत में निर्मित एल्को रेल-इंजनों में से किसी एक सम्बन्धित नया या संशोधित बुलेटिन या मैन्युल, जब कभी एल्को द्वारा मुद्रित किया जायेगा, सरकार को एल्को द्वारा उसकी प्रतियां सुलभ करनी होंगी ।

7. सरकार को दी गयी सहायता के लिए पारितोषिक के रुप में एल्को को निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया जाना था ।

7.1 अभिकल्पों, आरेखणों, निर्माण आरेखणों तथा विभिन्न किस्मों के रेल इंजनों के लिए जिगों और औजारों, डाइयो और फिक्सचरों के आरेखणों की सप्लाई के लिए प्रत्येक किस्म के रेल इंजनों पर लागू 25,000/20,000 डालर का प्राथमिक इंजीनियरी शुल्क ।

7.2 एल्को अभिकल्प के अनुसार पहले 500 एल्को रेल इंजनों पर प्रत्येक के मूल्य के 1.5% के बराबर इंजीनियरिंग शुल्क ।

7.3 500 वें रेल इंजन के निर्माण के तुरन्त बाद के 12 महीनों में या परवर्ती किसी भी वार्षिक अवधि के दौरान 250 से ऊपर निर्मित प्रत्येक एल्को इंजन पर एल्को इंजन के मूल्य के 1.5% के बराबर इंजीनियरिंग शुल्क ।

7.4 विभिन्न किस्मों के इंजनों की प्रत्येक किस्म पर 50,000/45,000/40,000 डालर का प्रार्थमिक इंजीनियरिंग शुल्क ।

7.5 इंजोनिअरिंग स्वत्वाधिकार शुल्क इस प्रकार होगा :—

7.5.1 3 प्रतिशत का इंजीनियरिंग शुल्क और 500 वें इंजन के निर्गम की तारीख तक फाल्तू पुर्जों के रखरखाव के लिए निर्मित कम्पोनेंटों पर 2 प्रतिशत स्वत्वाधिकार और उसके उपरान्त मात्र 2 प्रतिशत स्वत्वाधिकार शुल्क ।

8. करारों की अवधि में वृद्धि न होने की स्थिति में केवल अगले 5 वर्षों के दौरान निर्मित ऐसे प्रत्येक इंजन के मूल्य पर 2 प्रतिशत स्वत्वाधिकार शुल्क एल्को को प्रदेय होगा ।

भारतीय और लघु क्षेत्र के औषध उद्योग के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

8779. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति ने भारतीय और लघु औषध उद्योग के लिए क्या सिफारिशें की हैं, 29—3—78 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार उनमें से कौनसी शिकारिशें सरकार ने स्वोकार कर ली हैं और कौनसी स्वोकार नहीं की हैं तथा कौनसी संशोधन सहित स्वीकार की हैं उन्हें स्वीकार न किये जाने और संशोधन सहित स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतोय और लघु औषध उद्योग सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र के बोच में कुचला पड़ा है और यदि हां, तो सरकार उसे किस प्रकार बचाना चाहती हैं ; और

(ग) क्या सरकार भारतोय औषध उद्योग को प्रगति के लिए केवल भारतीय और लघु औषध उद्योग के लिए कुछ रियायतें की घोषणा करने के लिए सहमत होगो ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारतोय क्षेत्र जिसमें औषध उद्योग के लघु पैमाने शामिल है के विकास पर हाथी समिति की सिफारिशें, तथा औषध उद्योग में विदेशो फर्मों की गतिविधियों पर प्रतिबन्धन भी, जो भारतीय क्षेत्र के विकास के पक्ष में होगी, औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय V में दी हुई हैं । अस्वीकृत अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत सिफारिशों से संबंधित एक विवरणपत्र लोक सभा के दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस विषय में सरकार के निर्णय 29 मार्च, 1978 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गय विवरणपत्र में हैं और भारतोय तथा लघु पैमाने के क्षेत्र का ध्यान रखेंगे ।

हाथी समिति के निर्देश पद

8780. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति के निर्देश पदों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र नेतृत्व की भूमिका अदा करें;

(ख) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गए विवरण (पृष्ठ 3) के अनुसार सरकारी क्षेत्र में 48 करोड़ रुपयों की बल्क औषधियों का निर्माण हुआ, यदि हां तो देश में उत्पादित सरकारी

क्षेत्र के द्वारा आयातित एवं वितरित बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है और क्या उनके द्वारा आयातित तथा वितरित बल्क औषधियां देश में निर्मित समझी जाती हैं, यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए, कितने आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदला गया, कितनों को नहीं बदला गया परन्तु जो वैध हैं, कितने औद्योगिक लाइसेंस बिना बल्क औषधियों के निर्माण के व्यपगत हो गए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों ने बल्क औषधियों की कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया है तथा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के लिए अनुमोदित बल्क औषधियों का निर्माण करने के लिए भारतीय क्षेत्र को अवसर देगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1976–77 के दौरान बल्क ड्रग्स उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र का शेयर 48 करोड़ रूपये दिखाया गया है। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित बल्क ड्रग्ज का उत्पादन किया जा रहा है :—

आई डी पी एल, ऋषिकेश

1. पोटेंशियम पैनसीलीन
2. सोडियम पैनसीलीन
3. प्रौकेन पैनसीलीम
4. स्ट्रेप्टोमाईसीन सल्फेर
5. टैट्रासाईक्लीन
6. आक्सी-टैट्रासाईक्लीन
7. ग्रीसियोफुलविन

आई डी पी एल, हैदराबाद

1. पी० फनोटीडाईन (टी)
   पी० फेनोटीडीईन (डी)
2. एनलजिन
3. एमीडोपाईरिन]]
4. सल्फेनीलमाईड (एफ० पी०)
5. सल्फागोनीडीन
6. (क) सल्फाडीनीडिन
   (ख) एस पी डी सल्फाडाईमिनमिडीन
7. (क) सल्फासाईल]
   (ख) एसपोडी सल्फासाईल
8. सल्फाफेनाजोल
9. फीहालाईल सल्फाथायालोज

10. (क) एच सी एल
(ख) एमपोउल
(ग) मोनोनाईट्रेट
(घ) प्रोपाईल-डाईसल्फाईड

11. (क) विटामिन बी-2
(ख) विटामिन बी 2-5 फोस्फेट

12. फोलिक ऐसिड

13. सोडियम पी ए एस

14. पिपराजीनज
(क) हाईड्रेन्ट
(ख) ऐडीपेट
(ग) सिटेट
(घ) फोस्फेट

15. एसीटजोलामाईड

16. (क) फेनोबारबीटोन
(ख) सोडियम फेनोबारबीटोन

17. नाई ट्रोफुरनटायोन

18. नाई ट्रोफुराजीन

19. क्लोरफरोपामाईड

20. मीट्रोनाईडाजोल

21. सोडियम एस्कोरबेट

22. नीकोटीनामाईड

23. थायासीटाजोन

24. मेलोनिक ईस्टर

25. फेनोटाओन सोडियम

26. सल्फामेथीनोल

27. डाई-थाईल कार्बामाईल रिट्रेट

28. डायाजापाम

एच ए एल

1. पेनसीलिन
2. स्ट्रेपटोमाईसीन सल्फेट
3. एम्पीसीलीन
4. विटामिन सी

सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माताओं द्वारा वितरित की गई आयातित औषधों के मूल्य अपने स्वदेशी उत्पादन के मूल्यों में शामिल नहीं किए गये है। 18 बल्क ड्रग्ज जो देश में सरकारी क्षत्र द्वारा आयातित की जाती है की सूची आयात नीति 1978 के परिशिष्ट में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

रेल इंजिनों की कार्यावधी

8781. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वाई० पी०/वाई० जी० इंजन की सामान्य कार्यावधी क्या है; और पूर्वोत्तर रेलवे में कितने इंजनों की कार्यावधी पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यावधि समाप्त हुए इंजनों को एक्सप्रस और यात्री रेलगाड़ियों के साथ पूर्वोत्तर रलवे में चलाया जा रहा है और इनकी मरम्मत भी अपूर्ण हैं अथवा इनके पुर्जों को बदला नहीं गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी दुर्घटनाएं हुई और इंजनों तथा रोलिंग स्टाक, अलग-अलग की खराबी के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे वैगनों को जिनकी बहुत समय से सामायिक मरम्मत नहीं की गई है रेल मार्गों पर चलाया जाता है जिसके कारण गत तीन वर्षों से पूर्वोत्तर रेलवे में गम्भीर दुर्घटनाएं हुई है ;

(ङ) रेलगाड़ी तथा इंजन के विभिन्न जांच केन्द्रों में समुचित निरीक्षण और सावधानी बरताने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(च) जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध और इन इंजनों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (शिव नारायण) : (क) वाई पी/वाई जी भाप इंजन की सामान्य आयु 40 वर्ष है। पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे कोई वाई पी/वाई जी इंजन नहीं है जिन्होंने अपना सामान्य जीवन पूरा कर लिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पूर्वोतर रेलवे में पिछले तीन वर्षों के दौरान इंजनों और चल स्टाक उपस्करों की खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	1975–76	1976–77	1977–78
इंजन . . .	3	—	1
सवारी डिब्बे .	3	4	3
माल डिब्बे . . .	17	27	13

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने के लिए सभी गाड़ियों की प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा आरम्भिक और अन्तिम स्टेशनों तथा विशिष्ट मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी जांच की जाती है ।

(च) गाड़ी दुर्घटना के प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है और जो भी व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी पाया जाता है उसके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। केवल सही इंजन ही काम में लाये जाते हैं ।

लालकुआं, पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों को सुविधाओं की मंजूरी

8782. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के मैदान, स्टेडियम संस्थान और स्कूल आदि जैसी कर्मचारियों को सुविधाओं की मंजूरी के बारे में जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) लालकुआ में, जो एक छोटा स्टेशन है और वहां पर बहुत कम कर्मचारी हैं, भारी लागत से एक स्टेडियम के निर्माण के लिये हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा दी गई मंजूरी के क्या कारण है ; और

(ग) सार्वजनिक राशिको इस बरबादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ऐसे स्थानों पर जहां रेल कर्मचारियों का केन्द्रीकरण होता है, उनमें समन्वित भावना जागृत करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल-कूद में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वहां के रेल कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए, खेल-मैदानों, स्टेडियमों और संस्थानों जैसी कर्मचारी सुविधाओं की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा की जाती है। रेलवे स्कूलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में, यद्यपि शिक्षा का विषय राज्य सरकार का है, रेलें कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में ऐसे स्थानों पर कुछ स्कूलों की व्यवस्था करती हैं जहां राज्य सरकार अथला अन्य एजेंसियो द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्कूल सुविधाएं अपर्याप्त हैं या बिल्कूल ही नहीं हैं ।

(ख) लालकुआं में एक स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई मंजूरी दी नही गयी है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

Canteens run by Railway Board

8783. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the other Ministries and offices, besides Railway Ministry in which canteens are being run by Railway Board and the number of such canteens being run and the amount of profit earned by Government from these canteens during the last two years ;

(b) whether it is a fact that some canteens are continuously running in loss and whether prior to that these canteens were being run by private contractors and Government was earning profit from them; and

(c) if so, whether Government propose to close down the canteens running in loss and give them to private parties on contract ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Railway Administration is not running any canteen in any Ministry or in any office. Even the canteen in the Railway Ministry is run by a Committee of Staff. Railways are, however, running catering services in the Parliament House.

(b) & (c) : Do not arise.

दयाबस्ती तथा नया आजादपुर के बीच रेल लाइन

8784. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दयाबस्ती तथा नया आजादपुर स्टेशन (दिल्ली) के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले में रेल अधिकारियों के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दयाबस्ती और नया अजादपुर स्टेशनों के बीच निम्नलिखित 2 रेल सम्पर्क पहले से ही मौजूद हैं :—

(i) दयाबस्ती और नया आजादपूर के बीच दिल्ली परिहार लाइन के रास्ते सीधा सम्पर्क ; और

(ii) दिल्ली और सब्जीमंडी के रास्ते ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

8785. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के रिक्त स्थानों को भरने की क्या प्रकिया है और उक्त आयोग की सदस्यता के लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं है ;

(ख) आयोग में कितने स्थान रिक्त पड़े है और उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगी कि बड़े व्यापार गृहों से घनिष्ठ संबंध रखने वाले विशषज्ञों की आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति न की जाय ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के सदस्यों के लिए, योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा स्तर का होना अपेक्षित है, तथा जिन्हें अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो, अथवा इनसे संबंधित समस्याओं को संव्यवहारित करने में क्षमता का परिचय दिया हो । एक सदस्य का चयन, उन अनेक व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के पश्चात् किया जाता है, जो ऊपर वर्णित अपेक्षाओं की संतुष्टि करते हों ।

(ख) वर्तमान में सदस्य का एक पद रिक्त है, तथा एक उपयुक्त व्यक्ति चयन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है ।

(ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति आयोग के सदस्य के पद के लिए चयन किया जाए, वह इस प्रकार के कोई वित्तीय अथवा अन्य हित न रखता हो, तथा न रखेगा, जिनसे उसके एक सदस्य के रूप में कार्य करने में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

शकूर बस्ती और दयाबस्ती के बीच रेल स्टेशन

8786. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० पी० आर० सेक्शन पर शकूर बस्ती (दिल्ली) और दयाबस्ती के बीच एक रेल स्टेशन या रेल हाल्ट बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में रेल अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : शकूरबस्ती और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। रेल प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन, न तो इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया और न ही वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण अतएव, इस स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई विचार नहीं है।

उर्वरकों का उत्पादन

8787. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत में उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना हुआ तथा इसके उत्पादन केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा यहां किस किस्म के उर्वरकों का उत्पादन होता है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में उर्वरकों का कुल आयात कितना हुआ तथा उसका उपरोक्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोलिंग प्लान के प्रथम वर्ष में इसके स्टाक, उत्पादन, आयात की संभावित स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध (i) में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध (ii) में दी गई है।

(ग) 1978-79 के दौरान 25 लाख मी० टन नाइट्रोजन, अभी 8 लाख मी टन पी 2 ओ 5 के उत्पादन की सम्भावना है। चालू योजना (रोलिंग प्लेन) के प्रथम वर्ष में आयातों और संभव भंडारों के बारे में सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2222/78।]

फरीदाबाद में प्लेटफार्म

8788. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'न्यू टाउनशिप फरीदाबाद' के मध्य रेलवे स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बूढ़े यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) जनता से प्राप्त अनुरोध पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : इस स्टेशन पर रेल पटरी की सतह वाले तीन प्लेटफार्म हैं और वर्तमान यात्री यातायात के लिए ये पर्याप्त समझे जाते हैं।

फरीदाबाद में दूसरा पुल

8789. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरीदाबाद में न्यू टाउनशिप रेलवे स्टेशन पर दूसरे पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : फरीदाबाद न्यू टाउनशिप स्टेशन पर दूसरे अतिरिक्त उपरी पैदल-पुल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Rupees 1 Lakh payable to Railways

8790. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4644 on 20th December, 1977 regarding amount outstanding against distillery at Raja-Ka-Sahaspur and state;

(a) the action taken in this regard;

(b) whether the amount to the tune of more than Rs. one lakh payable to Railways has since been realised; and

(c) the arrangements available for realising this amount and the action taken against the Station Master?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) An amount of Rs. 1,33,088.00 was shown as Wharfage Charges outstanding against M/s Ajudhia Distillery on Coal Consignments allegedly stacked on the Railway land.

(b) Although according to the railway records the land on which coal was stacked belongs to the railway an examination of the revenue records has revealed that the title of the railway to this plot of land is not clear. Action has therefore been taken to establish the ownership of this land and the case is subjudice.

Raising Wharfage charges against M/s Ajudhia Distillery on account of coal stacked on the disputed plot of land was not in order. Accordingly it is proposed to write off the Wharfage charges against the party.

(c) Does not arise.

Supply of Wagons and Tankers

†8792. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) number of wagons and tankers demanded for various commodities, commodity-wise at Dhoraji, Upleta, Bhayavdar, Porbandar, Jam Jodhpur, Manovdar, Ranavav, Paneli-Moti, Vanthali, Bantva and other railway stations in Saurashtra region in Gujarat in December, 1977, January, 1978, February, 1978 and March, 1978 month-wise;

(b) number of wagons and tankers, out of them, supplied, month-wise and number of wagons and tankers for which demands are pending, reasons therefor and when remaining persons will be supplied wagons and tankers;

(c) whether every Station Master was authorised to supply these wagons and tankers and if so, whether this power has been withdrawn in Bhavnagar Railway Division and reasons therefor;

(d) whether it takes a long time in supply of wagons and tankers and when this power will be restored to every station master; and

(e) number of wagons and tankers in Bhavnagar Division and number of those supplied during December 1977 and March, 1978, month-wise?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No information is separately compiled for the Saurashtra region which is served by Bhavnagar Division and partly by Rajkot Division of Western Railway. Including the outstanding registrations at the end of November, 1977, the demands for wagons placed at stations on these two Divisions totalled to 1,34,643 during the period December, 1977-March 1978. Commodity-wise information is not readily available.

(b) A total of 1,22,003 wagons were supplied and loaded in Rajkot and Bhavnagar Divisions during December 1977-March 1978 which was 6218 wagons more than the corresponding period of previous year. Supply of wagons to meet the remaining demands is arranged according to priority and subject to operational restrictions.

(c) and (d): Station Masters supply wagons according to allotment orders issued by Divisional office.

(e) Wagons are not earmarked for specific Divisions. Against target of daily loading of 445 wagons in Bhavnagar Division, the loading in December, 1977, January, 1978, February, 1978 and March, 1978 was 445, 484, 450 and 473 wagons respectively per day.

कम्पनियों द्वारा शेयर खरीदना

8793. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत एक वर्ष में अन्य कम्पनियों के 1 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के शेयर खरीदने के लिये आवेदन दिये है ;

(ख) कितने मामलों में अनुमति दे दी गई और कितने मामलों में अनुमति नही दी गई ;

(ग) सरकार ने गत एक वर्ष में कितनी कम्पनियों के शेयर खरीदें ; और

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या है और कुल कितनी राशि के शेयर खरीदे गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) : सरकार को, कम्पनियों में हिस्से खरीदने के लिये कम्पनी अधिनियम, 1 ... के उपबन्धो के अन्तर्गत कोई कोई अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है अतः इस प्रकार कम्पनी कार्य विभाग के पास, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागो द्वारा खरीदे गये हिस्सों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

9—142 LSS/ND/78

विवरण

1977 के वर्ष में अंकित कम्पनियों ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अन्तंगत एक करोड़ रु० से अधिक के हिस्से खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये ।

क्रम सं०	आवेदक कम्पनी का नाम	उस कम्पनी का नाम जिसके हिस्से खरीदने का प्रस्ताव था	नियोजन को राशि	अनुमोदित अथवा नही
1.	मैसूर पावर कारपोरेशन लि०	नागरगली सीमेन्ट कम्पनो लि०	1.50 करोड रु०	अनुमोदित
2.	स्पेन्सर एण्ड कम्पनी लि०	स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल्स प्रा० लि०	2.50 करोड रु०	अनुमोदित
3.	आई० टी० सी० लि०	भद्राचलम पेपर बोर्डस लि०	3.40 करोड रु०	अनुमोदित
4.	प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लि०	आयल पाम इन्डिया लि०	1.02 करोड रु०	अनुमोदित
5.	वेल्लरपुर इन्डस्ट्रीज लि०	पी० टी० गणेशा बेल्लारपुर पेपर इन्डस्ट्रीज लि०	3.25 करोड रु०	अनिर्णीत
6.	बेल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	मेघालय पेपर्स लि०	2.40 करोड रु०	अनिर्णीत
7.	वेल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	आन्ध्र प्रदेश रेयन्स लि०	3.60 करोड रु०	अनिर्णीत
8.	मोर्वीपान लि०	नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०	5.25 करोड रु०	अनिर्णीत

देश से बाहर भारतीयों के स्वामित्व वाली कम्पनियां

8794. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से बाहर भारतीयों के स्वामित्व वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है और भारतीयों द्वारा इन सभी कम्पनियो में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बहुत सी उक्त कम्पनियों ने अन्य देशों में सहायक कम्पनियां खोली हुई है ;

(ग) सरकार का इन कम्पनियों के कार्यकरण पर नजर रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) उक्त कम्पनियों की प्रत्येक देश में संख्या बतायें और उनमें कितनी कम्पनियों का स्वामित्व एकाधिकार गृहों के हाथों में है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) बाहर के देशों में 89 भारतीय संयुक्त उपक्रम उत्पादन कर रहे है, तथा 97 इस प्रकार के उपक्रम कार्यान्वयन के अन्तर्गत है । बाहर के देशो में संयुक्त उपक्रमों में जो उत्पादन कर रहे है, अनुमानित भारतीय निवेश लगभग 23 करोड़ रु० है ।

(ख) हां, श्रीमान जी । भारतीय कम्पनियों द्वारा बाहर सहायक कम्पनियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

(ग) भारतीय कम्पनियों को वाणिज्य मंत्रालय को, ब्यौरे जैसे कि किये गये निर्यात के वाणिज्यिक व वित्तीय परिणाम, संयुक्त उपक्रमों द्वारा भारत को धनका भेजा जाना आदि, देते हुये वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है।

(घ) बाहर के विभिन्न देशों में उत्पादन कर रहे तथा कार्यान्वयन के अन्तर्गत भारतीय संयुक्त उपक्रमों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	उत्पादन कर रहे	कार्यान्वियन के अन्तर्गत
मलेशिया	25	11
इन्डोनेशिया	7	9
थाईलैन्ड	5	4
फिलिपाइन्स	3	2
फिजी	1	2
मारीशस	6	3
नायजीरिया	4	5
सिंगापुर	4	3
श्रीलंका	3	2
हान्कांग	2	..
उगान्डा	1	..
केन्या	6	5
ब्रिटेन	4	3
पश्चिमी जर्मनी	1	..
फ्रान्स	1	..
अफगानिस्तान	1	2
यू० ए० ई०	4	16
ईरान	2	4
ओमान	2	3
यू० एस० ए०	5	3
कनेडा	2	1
नेपाल	..	6
बहरायन	..	1
हन्गरी	..	1
कुवैत	..	3
लीबिया	..	1
जाम्बिया	..	3
स्पेन	..	1
सऊदी अरेबिया	..	3
योग	89	97

भारत के एकाधिकारी घरानो ने बाहर के देशों में 31 सयुंक्त उपक्रम स्थापित किय है, जो उत्पादन कर रहें है तथा 21 इस प्रकार के उपक्रम कार्यान्वियन के अन्तर्गत है।

अधिकारियों को सुविधाओं में कमी करने से हुई बचत

8795. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल अधिकारियों को बंगले पर चपरासी, परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा और सेलून का उपयोग आदि प्राप्त सुविधाओं में कमी किये जाने के कारण वर्ष 1978-79 के दौरान कुल कितनी बचत होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बंगलो पिउन का सुविधा समाप्त करने से हुई बचत की मात्रा की निर्धारण इस स्थिति में नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मामले पर विस्तृत जांच की जा रही है। निरीक्षण यानों के उपयोग और गाड़ियों में ड्यूटि पासों पर परिवार सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने से प्रत्यक्ष बचत नहीं होगी लेकिन, मुक्त स्थान क्षमता के वैकल्पिक उपयोग के द्वारा अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि की प्रत्याशा है।

(ख) जी हां

(ग) रेलवे अधिकारी संघ के फैडरेशन ने, अभ्यावेदन किया है कि रेल अधिकारियों की ड्यूटी के गहन स्वरुप को देखते हुए जिसमें चौबीस घंटे की ड्यूटी, गहन फील्ड निरीक्षण, दुर्घटना और आपातकालीन ड्यूटी आदि शामिल हैं, प्रस्तावित उपायों से रेलों की प्रशासनिक कुशलता और प्रबंध संवर्ग के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

समुद्र में पाइप लाइन बिछाने के लिये टेंडर

8796. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई से अपने पत्तनों तक समुद्र में पाइप लाइन बिछाने और सालाया-विरामग्राम-कोयाली-मथुरा के बीच प्रमुख सम्पर्क लाइनें बिछाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये हैं;

(ख) देश में आयल इंडिया लिमिटेड और अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्मित और कार्य कर रही वर्तमान पाइप लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ग) भविष्य में पाइप लाइनों के महत्व नियमित विशेषज्ञता और तकनीकी परिवीक्षण को बनाये रखने की बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार भारतीय पाइप लाइन निगम की स्थापना करने का है जिससे विद्यमान तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी पाइप-लाइनों का समन्वय किया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके और इस बारे में भविष्य की योजना क्या है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई से यूरान तक तेल और गैस के परिवहन के लिए अन्तः सागरीय पाइपलाईन बिछाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये। इस सम्बन्ध में 13 सितम्बर, 1977 को आर्डर दिया गया था। सलाया-कोयाली-मथुरा पाइपलाइन प्रायोजना का संचालन इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जाता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यक्तिगत रूप से मंगाई औषधियों को छुड़वाने के लिए जारी किये गये निदेश

8797. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में उनके मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत एककों को व्यक्तिगत रूप से मंगाई गई औषधियों को छुड़वाने के लिये जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है और उक्त निदेश किन-किन तारीखों और कितनी-कितनी मात्रा के लिये जारी किये गये;

(ख) आई० टी० सी० नीति के किन उपबन्धों के अन्तर्गत उक्त निदेश जारी किये गये थे और क्या उक्त निदेश जारी करते समय विभिन्न एककों की लाइसेंस क्षमता की ओर भी ध्यान दिया गया था; और

(ग) औषधियों को सरकारी माध्यम से मंगाने के क्या कारण हैं और औषधियों को मंगाने की नीति क्या है और क्या इसके अपेक्षित परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 1977-78 के दौरान रसायन एवं उर्वरक विभाग ने केवल प्रथम यनिटों को एल बेस के विनियोजन सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1977 की अधिसूचना से 42 आई टी सी (पी एन) 77 के अनुसार आदेश जारी किये थे। आयात व्यापार नियन्त्रण निति के ढांचे के अन्दर छोटे पैमाने के यूनिटों तथा डी टी डी यूनिटों के अन्य सरणीवृद्ध औषध के वितरण के लिये इस विभाग ने परिसीमाए निर्धारित की हैं। वितरण नीति के लागू करते समय यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक होता है तो वह भी दिया जाता रहा है।

(ग) प्रपुंज औषधों के आयात को सरणीवृद्ध करने में सरकार के निम्न उद्देश्य है और यह करीब करीब प्राप्त किय गये है :—

(1) सभी उत्पादन एककों की आवश्यकताओं को समेकित करना जिससे कि विश्व बाजार में पर्याप्त मांग के आधार पर सौदेबाजी की जा सके और सप्लाई के लिये लाभप्रद मूल्य तथा रियीती शर्ते प्राप्त की जा सके।

(2) आयात/उच्च कोटी की नवीन तर औषधों के मार्केट में आने का इस प्रकार नियमन करना जिससे कि स्वेदश में उत्पादन होनी वाली वैसे ही चिकित्सीय औषधों के उत्पादन में कोई बाधा न पडे।

(3) औषधों के स्वदेशी उत्पादन का संरक्षण करना विशेषता: जब उत्पादन आंतरिक मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।

(4) कच्चे माल की एकसे मूल्यों पर बराबर बराबर सप्लाई को सुनिश्चित करना, विचौलियों के लाभ को काटना ताकि ऐसे कच्चे माल पर आधारित सूत्रयोग एक से और निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध हो।

(5) औषध उद्योग में छोटे पैमाने के एककों जिनको मांग आवश्यकता थोड़ी सी होती है को सहायता करना जिससे कि अलग-अलग कम्पनी द्वारा आयात अनार्थिक अथवा अव्यवहार्य हो जाये।

उत्पादकों के लाभ की अधिकतम सीमा

8798. **श्री आर० के० अमीन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि उत्पादकों द्वारा समग्र रूप से लाभ की अधिकतम सीमा का अनुसरण किया जाये;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि अधिकतम सीमा के अन्दर रहने के लिए उत्पादन लाभ का अपव्यय न करें; और ;

(ग) श्रेणी एक और दो के फार्मूलेशनों की 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्या आधार हैं तथा क्या सरकार का एक मात्र बिक्री एजंट प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : कम्पनी के अनुमेय खर्चों पर सामान्य वित्तीय नियन्त्रणों के अलावा सरकार समय समय पर (क) प्रक्रिया हानि, (ख) प्रपुंज औषधों को सूत्र योगों में परिवर्तित करने में लागत, (ग) पैकींग प्रभार के मानदण्ड घोषित करेगी। पैकिंग के मानदण्ड भी निर्धारित किए जाएंगे ताकि जीवन रक्षा की दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक फिजूल खर्च को रोका जाए। उच्चतम मूल्य से अधिक राशि जमा की जाएगी। औषओं आर सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करते समय ऐसे मानदण्डों पर ध्यान दिया जाएगा।

(ग) (i) सूत्रयोगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिस में से श्रेणिया i और ii अनिवार्य जीवन रक्षा सूत्रयोगों के अन्तर्गत आती है। श्रेणियो i आर ii के लिए क्रमश: 41% आर 55% का मार्क अप इस तथ्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है कि पूरे विश्लेषण पर श्रेणी iii के लिए 100% के निर्धारित मार्क-अप और श्रेणी 4 के विनियंत्रण के साथ इन मार्क-अपो के परिणामस्वरुप अनिवार्य और जीवन रक्षक सूत्रयोगों के मूल्य नियन्त्रित करते हुए निर्माताओं को उचित लाभ होगा।

(ii) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि औषधों और सूत्रयोगों के लिए थोक विक्रेता ऐजेंसिया, जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं अन्ततः समाप्त होनी चाहिए। यह भी निर्णय ले लिया गया है कि जहां वर्तमान नेतृत्व मूल्य 5 वर्ष से अधिक एक मात्र विक्रय एजेंसी कमीशन के आधार पर है, बी आई सी पी ऐसे नेतृत्व मूल्यों का पुनरीक्षण करेगी और उसके बाद ये उपयुक्त ढंग से कम किए जाएंगे।

बल्क औषधियों का उत्पादन कर रहे नये एककों के लिए संरक्षण

8799. **श्री आर० के० अमीन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के पैरा 48 के अनुसार सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि जब एक से अधिक निर्माताओं द्वारा देश में बल्क औषधों का उत्पादन किया जाता हो तो आरम्भ के सब फार्मुलेटरों को बिक्री का सामान्य बिक्री मूल्य अधिक सक्षम फर्मों की औसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, जिनके उत्पादन की प्रतिक्षतता अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उन नये एककों के लिये जो बल्क औषध के उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं मूल्य का निर्धारित किस आधार पर किया जायेगा; और

(ग) बल्क औषधियों का उत्पादन करने वाले नय एककों के संरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है और इस बारें में अपनाये जाने वाले तंत्र का पुरा ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : नए निर्माताओं द्वारा निर्मित संबन्धित प्रपुंज औषधों के मूल्य यथा लागत जांच और नई मूल्य नीति में दर्शाए गए पैरामीटरों के अन्तर्गत निर्धारित किए जाते हैं।

रेल टिकट

8800. **श्री अनन्त दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भचाऊ जैसे कुछ स्टशनों पर अहमदाबाद और बम्बई के लिए रेल टिकट उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या अब तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनवरी, 1978 से 14 अप्रैल, 1978 तक की अवधि के दौरान भचाऊ में, अहमदाबाद और बम्बई सेन्ट्रल के लिए टिकटों का स्टाक समाप्त हो गया था। अन्य स्टेशनों पर अहमदाबाद और बम्बई सेन्ट्रल के लिए टिकटों का स्टाक पर्याप्त है। भचाऊ में टिकटों के स्टाक की पुनः पूर्ति की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई औषधि नीति के अन्तर्गत नीति और योजना समिति

8801. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध और भेषज सम्बधी उच्च स्तरीय ग्रुप की नई औषध नीति के अन्तर्गत नीति और योजना समिति से बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उच्च स्तरीय ग्रुप के मुकाबले स समिति के निर्देश पद क्या है; और

(ग) क्या नीति और योजना समिति की सिफारिशें उनके मंत्रालय पर बाध्य होंगी और क्या उनके मंत्रालय ने उच्च स्तरीय ग्रुप की उन सिफारिशों का विश्लेषण किया है जो कुछ कम्पनियों के लिये असमान हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। सरकार ने आदेश दिनांक 31 मार्च, 1978 द्वारा औषध उद्योग के लिए नीति तथा योजना पर समिति गठित की है।

(ख) और (ग) : औषध उद्योग के लिए नीति तथा योजना पर समिति द्वारा विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :--

(1) देशी उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को ध्यान में रखकर नीति उपाय।

(2) घरेलू अनुसंधान और विकास में वृद्धि के लिए उपाय।

(3) आयात और प्रौद्योगिकी के स्थानान्तिरण के लिए आवश्यकता और उसके लिए शर्तें।

(4) मूल्यों और औषधों के मूल्यों पर स्वीकृति के लिए नीति।

(5) कच्चे माल के आयात/सरणी बन्द वितरण के अभिशासन पर नीति।

उच्च स्तरीय दल जो 16 अप्रैल, 1974 को संयुक्त किया गया था और जो अब उपर्युक्त समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है को भी नियुक्त किया गया है ताकि पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक रक मंत्रालय और स्वास्थ तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के बीच में औषध तथा भेषज के क्षेत्र में निकटतम समन्वय प्राप्त किया जाए :

(ii) औषध उद्योग के लिए नीति तथा योजना समिति के निर्णय अब उच्च स्तरीय दल के निर्णयों अनुसार मंत्री (पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक) की स्वीकृति से होंगे।

मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० द्वारा उत्पादन

8802. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स वार्डर हिन्दुस्तान लि० द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के बिना अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है तथा उनमें से एक वस्तु है टेडेंरल-सो ;

(ख) क्या सरकार को मूल्य का अनुमोदन करते समय यह ज्ञात नहीं था कि इस कम्पनी के पास इस ओषधि के लिए औद्योगिक लाइसेंस नहीं है क्या विधि मंत्रालय से सलाह ली गई थी, यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) इस प्रकार से, मामलों में उनके मंत्रालय को विधि मंत्रालय की राय पहली बार कब प्राप्त हुई तथा इस कम्पनी ने वाइथ और स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से प्रैडनीसोलन कब प्राप्त कीं ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने प्रैडनासोलोन देने के लिए स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० को कभी आदेश जारी किये थे और यदि हां; तो तिथि सहित जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख)। (i) मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लि० ने टेड्रल सो गोलियां के निर्माण के लिए मूल्य स्वीकृति हेतु वर्ष 1975 में आवदन दिया था। कम्पनो पहले हो टेड्रल गोलियों का निर्माण कर रही है इस लिए यह विचार किया गया था कि 14 दिसम्बर, 1962 को उनके द्वारा प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के अधिकार पर पार्टी टेड्रल सी गोलियों का निर्माण कर सकती है। अतः कम्पनी को 15 अक्तूबर, 1976 को मूल्य स्वीकृति दो गई थी। विधि मंत्रालय से परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी गई थी क्योंकि टेड्रल सी का मिश्रण प्रेडनीसोलोन के मिनिस्कूल मात्रा के विस्तार के अलावा वैसा था और किसी नए ट्रेड मार्क का भी प्रस्ताव नहीं था। अतः यह महसूस किया गया था कि 'नया मद' नहीं था।

(ii) दूसरा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जहां मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लि० औद्योगिक लाइसेंस के बिना औषध मदों का निर्माण कर रहे हैं। तथापि कोसकिन और वाटरबरी वपोरब के बारे में मूल्य स्वीकृति नहीं दी गई थी क्योंकि उन्हें नए मदों की परिभाषा के अन्तर्गत लाने के लिए इनका मिश्रण उनके वर्तमान उत्पादों से काफी भिन्न था।

(ग) (i) नए मद की परिभाषा को व्याख्या पर विधि न्याय एण्ड कम्पनी कार्य मंत्रालय के विचार जैसे कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में दिए गए हैं, अन्य मामले

के संदर्भ में 17 फरवरी, 1977 को प्राप्त हुए थे । चूंकि कई मामले थे जिन पर नए मद की परिभाषा की व्याख्या अपेक्षित है, सभी मामले टेड्रल सी सहित विधि मंत्रालय को उनके अन्तिम विचारों के लिए भज दिए गए हैं।

(ii) टेड्रल के लिए अक्टूबर, 1976, में मूल्य स्वीकृति प्राप्त करने के बाद मैसर्स वारनर हिंदुस्तान लि० ने 31 दिसम्बर, 1976 तक मैसर्स बीच लैन्स से प्रेडनीसोलोन के 4 कि० ग्राम प्राप्त किए थे ।

(घ) मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान लि० को मई, 1977 में प्रेडनीसोलोन की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । यह देखा गया था कि 1976 में मैसर्स वारनर हिन्दुस्थान लि० ने 9.36 करोड़ टेड्रल गोलियां निर्मित की थी और उनके पास उनके संयंत्र में 13 करोड़ गोलियां अतिरिक्त क्षमता है। अतः जून, 1977 में यह निर्णय ले लिया गया था कि इस कम्पनी को प्रेडनीसोलोन के 15 कि० ग्राम की सप्लाई इस शर्त पर की गई थी कि सभी गोलियां के अपने 1976 उत्पादन स्तर के अन्तर्गत टेड्रल सी गोलिया का उत्पादन करेंगे। कम्पनी इस शर्त से संतुष्ट नहीं थी और इस निर्णय के विरुद्ध उनका अभ्यावेदन रद्द किया गया था और कम्पनी ने इस मात्रा को नहीं लिया था।

तदनुरूपी कम्पनी ने सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें उनके गत खपत के आधार पर जैसे अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं के बारे में किया जाता है, उन्हें प्रेडनीलोसोन की सप्लाई की जाए। इस अभ्यावेदन को जांच करने के बाद स्टेट कमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० को कहा गया था कि मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान को 1977-78 के दौरान 1.5 कि० ग्राम की मात्रा सप्लाई की जाए जो मैसर्स बीच लैन्स लि० से प्राप्त प्रेडनीसोलोन 4 कि० ग्राम का उनकी 1976-77 की खपत का 40% बनता है। यह निर्णय लगभग $4\frac{1}{2}$ मास मेसर्स ीथ लैबेटेटरीज लि० संयंत्र के बन्द होने के कारण स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ लि० से सभी अन्य संबन्धित एककों को 1976-77 में खपत के 40% की सप्लाई की अनुमति के सामान्य निर्णय के अनुसरण में है।

मैसर्स रोशे और बैरोग्स वेलकम द्वारा ट्राइमेथीपिरिम और सल्फामिथी क्सोज गोले की तस्करी

8803. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुबन्ध 11 क, ख, ग, और घ में सल्फामोथोक्सोजोल और ट्राइमेथीपिरिम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स रोशे और बोरोयुग्स वैलकम ने ट्राइमेथोपिरिन और सल्फा मिथो सोलोज की तस्करी बल्क औषधियो का निर्माण किये बिना फार्म्युलेशन के लाइसेंस प्राप्त करने के तुरन्त बाद की थी और यदि हां तो इन फर्मों के विरुद्ध या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दोनों ही कम्पनियों द्वारा बाड-नामो के प्रयोग की अनुमति नहीं देती है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि मैसर्स रोश और मैसर्स बुरोज वैलकम ने अपने औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि सूत्रयोगों का उत्पादन उनके सल्फामेथोक्साजोल (रोश के मामले में) और ट्राइमेथोप्रिम (मैसर्स बुरोज वैल्कम के मामले में के उत्पादन पर आधारित होगा, सल्फामेथोक्सोजोल और ट्राइमथोप्रिम पर आधारित अपने सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए स्थानीय श्रोतों से सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम की कुछ मात्रा को खरीद की है।

इन कम्पनियों द्वारा औद्योगिक लासेंस में निहित शर्तों का उल्लंघन करने के मामले की विधि-मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जांच की गई है और यह पता लगा है कि आई० डी० आर० अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों में औद्योगिक लाइसेंस पर कोई विशेष शर्त लगाने की व्यवस्था नहीं है अतः आई०डी० आर० अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत ऐसी शर्त पर उल्लंघन करना दण्डनीय नहीं है क्योंकि यह नियम का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। वे इन निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि यदि औद्योगिक लाइसेंस में रखी गई शर्त का उल्लंघन करना दण्डनीय नहीं है क्योंकि यह नियम का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। वे इन निष्कर्श पर पहुचे हैं कि यदि औद्योगिक लाइसेंस में रखी गई शर्त का उल्लंघन करना आई० डी० आर० अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं है तो उक्त नियम में संशोधन करना आवश्यक होगा, ताकि उसके अन्तर्गत जारी किये गये अथवा बनाये गये किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र, लाइसस अथवा अनुमति पत्र के किसी निर्देश, आदेश, शर्त का उल्लंघन अथवा उल्लंघन के लिये भड़काना दण्डनीय माना जा सके क्या यह पतालगा है कि ऐसे उल्लंघदों पर कार्यवाही करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग आई० डी० आर० अधिनियम के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) : ट्रेड मार्कस, बम्बई के संयुक्त निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सैपट्रन नामक ट्रेड मार्क को, जिसके अन्तर्गत मैसर्स बुरोज वेल्कम द्वारा ट्राइमेथेप्रिम और सल्फा-मेथोक्साजोल के सूत्रयोगों का विपणन किया जा रहा है, प्रारम्भमें मेसर्स वैल्कम फाउन्डेशन लि० नामक एक ब्रिटिश कम्पनी के नाम पर पंजीकृत किया गया था, और बाद में उसे मेसर्स बुरोज वल्कम को दे दिया गया था यह ट्रेडमार्क विश्व में कहीं भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

बैक्ट्रिम, रोश प्रोडक्ट का ब्राण्ड नाम है। औद्योगिक विकास विभाग ने सूचित किया है कि मेसर्स रोश के आशयपत्र को आन्तरिक बिक्री के लिये विदेशी ब्राण्ड नाम के प्रयोग की शर्त के बिना औद्योगिक लाइसेंस में बदला गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कम्पनी के कार्यकलापों पर फेरा के अन्तर्गत जांच की जायेगी और फेरा के बारे में लिये गये निर्णयों में इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगी। अतः औद्योगिक लाइसेंस में इस संबंध में कोई अलग शर्त नहीं लगायी गयी है।

मालगाड़ियों की गति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

8804. **श्री सुभाष आहुजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा वर्ष 1970 में माल गाडियों के बारे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के बारे में की गई सिफारिश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गार्ड 'सी' के वेतनमान

8805. **श्री सुभाष आहुजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असंगतियों सम्बन्धी समिति की भूतलक्षी प्रभाव 1 जनवरी, 1973 से की गई सिफारिशों के बाद 19 दिसम्बर, 1976 से गार्ड "सी" के वेतनमानों में वृद्धि की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि "गार्ड" की श्रेणी में नया सिलेक्शन ग्रेड देना आरम्भ किया गया था जैसा ही वर्ष 1976 के भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 जनवरी, 75 से विशेष ग्रेड दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया और यदि भुगतान किया गया, तो इसका उल्लेख रेल मंत्री के बजट भाषण में किस प्रकार किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : विसंगति समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के फलस्वरुप, गार्ड "सी" के वेतनमान को 1-1-1973 से पूर्व व्यक्ति सहित 290-480 रु० से बढ़ाकर 290-530 रुपये कर देने के सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी गयी थी। मेल/एक्सप्रेस, गाड़ियां चलने वाले जिन विशेष ग्रेड के गार्डों का पदनाम गार्ड, विशेष ग्रेड, किया गया था और जिन्हें 425-640 रुपये का वेतनमन किया गया था, उन्हें यह ग्रेड भावी तिथि अर्थात् पदों के भरे जाने की तारीख से दिया गया था। इसलिए 1-1-1975 से पूर्व व्याप्ति सहित बकायों का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता । कुछ सामान्य सुधारों का बजट भाषण में उल्लेख किया गया था, जिन्हें रनिंग कर्मचारियों के मामले में लागू किया गया।

कार्मिक शाखा में कर्मचारियों की संख्या

8806. **श्री सुभाष आहुजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक शाखा के कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने का मानदण्ड रेलवे बोर्ड के गत् 20 वर्षों से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय लेने में कितना और समय लगेगा; और

(ग) इस अवधि में कर्मचारियों को सुविधाएं देने कितने से नये काम शुरु कर दिये गये है और अतिरिक्त कार्यभार को समाप्त करने के लिए कार्मिक शाखा के विद्यमान कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। रेलों ने कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्वयं की मार्गदर्शक नीति बनायी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह सही है कि कार्य को कुछ नयी मदें जैसे नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा तथा अन्य सुविधाएं देना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, अतिरिक्त भत्ते/अग्रिम आदि मदें बढ गयी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ सरलीकरण/कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा कार्यभार हल्का कर दिया गया है।

यह मानते हैं कि अधिकांश रेलों की कार्मिक शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि करना अपेक्षित है जो कि सरकार द्वारा पदों के सृजन और उनके भरने पर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण पूरी तरह नहीं की जा सकी है। लेकिन हाल में स्थिति कि समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित विनिश्चय किये गये हैं :--

1. कार्मिक शाखाओं के लिए अन्तरिम तौर पर 155 लिपिक वर्गीय पद मंजूर किये गये हैं।

2. कुशलता ब्यूरो से कहा गया है कि वह कार्मिक शाखाओं में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की आवश्यकता का अध्ययन करें और पदों के सृजन के लिए मार्गदर्शक नीति तैयार करे।

3. यह विनिश्चय किया गया है कि केवल 75 प्रतिशत रिक्तियों को भरने की अनुमति देने से सम्बन्धित पहले के आदेशों को वापस ले लिया जाय और रेलों को सभी रिक्तियां भरने को अनुमति दे दी जाये।

मैसर्स फाइजर को आयातित बल्क औषधियों का दिया जाना

8807. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० फाइजर को अधिक कितनी आयातित बल्क औषधियां लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक दी जा रही है;

(ख) प्रत्येक फार्मुलेशन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता का ब्यौरा क्या है और किन किन आयातित बल्क औषधियों का उपयोग किया जाता है, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्वालिटी के लिए वर्ष वार ब्यौरा क्या है ऐसी निकासी के अधिकार/आधार का ब्यौरा क्या है और आयातित बल्क औषधियों की निकासी के लिए उनके मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस कम्पनी को उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के स्तर तक ही कच्चे माल की निकासी को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 1976-77 तक मैसर्स फाइजर सहित संगठित क्षेत्र के सभी औषध निर्माण एकको को पिछले दो वर्षों की अधीकतम खपत के बराबर अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा बनायी गई मात्रा के बराबर जो भी कम हो, सरणी बद्ध कच्चा माल दिया जा रहा था तथापि 20-10-1977 को यह निर्णय कियां गया था कि ऐसे एककों को वर्ष 1977-78 में उनकी सरणी बद्ध कच्चे माल की आवश्यकता के लिए उनको 1976-77 की प्रत्येक मद की सप्लाई के आधार पर अथवा सूत्रयोगों के लिये लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार उनकी हकदारी के आधार पर, जो भी अधिक हो, कच्चे माल की सप्लाई की जायेगी।

1977-78 में क्राइस्टीलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, आयोडीन, बेटा-पिकोलाइन, विटामिन बी-2 (रिबोल्वेविन-5 फास्पट सोडियम सहित), विटामिन बी-1 और टारटरिक एसिड जैसे मदों को सप्लाई को सीधे आबंटन पद्धति के अन्तर्गत रखा गया था और उनकी सप्लाई सरणी बद्ध एजेंसियों द्वारा बिना प्रेषण आर्डर के की गई थी जैसाकि 1977-78 की आई० टी० सी० नीति (खण्ड--1) के पैरा 90 से 96 में व्यवस्था की गई है अतः गत 3 वर्षों के दौरान मसर्स फाइजर और अन्य डी० जी० टी० डी० के एककों को विभिन्न सरणी बद्ध कच्चे माल का प्रेषण (प्रत्येक सुत्रयोग की लाइसस शुदा क्षमता की हकदारी के आधार पर) नहीं किया गया था।

दूसरा मैसर्स फाइज़र सहित डी० जी० टी० डी० के एककों की सूत्रयोग वार क्षमताओं को हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसरण में प्रत्येक डी० जी० टी० डी० एकक को समेकित औद्योगिक लाइसेंस देने से संबंधित मामलों को लागू करने के एक मांग के रूप में अभी निर्धारित किया जाना है। उक्त निर्णयों के बारे में 20-3-78 को सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अतः मैसर्स फाइज़र को उनकी लाइसेंसिंग शुदा क्षमता से अधिक सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के आंकड़े निकालना संभव नहीं है।

तथापि गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फाइज़र को सरणीबद्ध ऐजेंसियों द्वारा सप्लाई की गई विभिन्न सरणीबद्ध कच्चे माल की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरणपत्र संलग्न है।

(ग) वर्ष 1978-79 के प्रथम 6 महीनों के लिये डी० जी० टी० डी० एककों को सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई निम्न आधार पर की जानी है:—

(i) लाइसेंस आदि के मामले में क्षमता दर्शाते हुए वर्ष 1977-78 के दौरान सी० पी० सी० द्वारा की गई सप्लाई का 50 प्रतिशत अथवा किसी भी मामले में लाइसेंस क्षमता बशर्ते कि उसके अनुसार हकदारी की अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत।

(ii) जिन मामलों में लाइसेंस की क्षमता दर्शायी नहीं गई है उन मामलों में 1977-78 के दौरान सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा की गई सप्लाई का 30 प्रतिशत।

यह प्रस्ताव है कि मैसर्स फाइजर सहित डी० जी० टी० डी० के एककों को सरणीबद्ध औषधों की सप्लाई पर उनको समेकित औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के पश्चात् लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार उनकी हकदारी के स्तर तक प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा मैसर्स फाइजर लि० की दी गई सरणीबद्ध कच्चे माल की मात्रा।

(आकड़े किलोग्राम में)

उत्पाद	1975-76	1976-77	1977-78
1. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट . . .	27,695	12,000	2,000
2. सल्फाडिमीडाइन . . .	1,050	11,150	10,000
3. पाइप्राजाइन हैक्साहाइड्रेट . .	..	5,000	13,185
4. आक्सी टैट्रासाइक्लीन एच सी एल .	..	..	5,000
5. विटामीन बी-1 एच सी एल . .	..	..	150

विवरण—जारी

उत्पाद	1975-76	1976-77	1977-78
6. विटामीन बी–1 ए एम पी . .	129	100	50
7. विटामीन बी–1 मोनो . . .	5,579	6,124	8,800
8. विटामीन बी–2 . .	2,736	2,998	3,550
9. फोलिक एसिड . . .	226	236	250
10. विटामिन बी-2 फास्फेट . .	93	..	..
11. विटामिन बी–6 . . .	1,205	880	1,505
12. क्लोरोकुनीन फास्फेट . .	4,65	550	775
13. कैलशियम बी पैंटोथेनेट . .	3,175	3,445	3,821
14. डीपैंथोल	80	78	75
15. विटामिन-सी	38,755	40,575	45,430
16. सिट्रिक एसिड*	40,337 रुपयों के बराबर	34,778* रुपयों के बराबर	..
17. टारटोरिक एसिड* . . .	37,905 रुपयों के बराबर	11,970*	39,273*
18. प्रेडनीसोलोन . . .	..	265	203.5

*मात्रा का प्रेषण आदेश पर उनके मूल्यों के अन्तर्गत किया गया।

मैसर्स फाइजर द्वारा नियमों का उल्लंघन

8808. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार के बारे में 15 मार्च, 1978 की आधे घंटे की चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर औक्सी टेट्रासाक्लीईन, प्रोटीलैक्स आदि के बारे में उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, एफ० ई० आर० ए० आई० टी० सी० पालिसी डी० पी० सी० ओ० आदि का उल्लंघन कर रहा है और यदि हां, तो इस बारे में किये गये उल्लंघन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र 1952 के आवेदनपत्र 1955 और 1971 की मूल्य सूची के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा निर्मित किये जा रहे दिखाये गये फार्मुलेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त फर्म द्वारा बिना औद्योगिक लाइसेंस के निर्मित किये गये फार्म्युलेशनों के ब्योरों की जांच की है और वे फार्मुलेशन कौन कौन से हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मैसर्स फाइजर द्वारा बिना किसी विशेष लाइसेंस के प्रोटोनेक्स का उत्पादन करके औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 का उल्लंन करने के सम्बन्ध में 6-12-77 को लोक सभा में पूछ गये अतारांकित प्रश्न सं० 2845 के भाग (क) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई थी।

जहां तक आक्सीटेट्रासाईक्लीन का सम्बन्ध है मैसर्स फाइजर्स इसका उत्पादन अपनी माईसेनसीकृत क्षमता से अधिक कर रहे हैं। नयी औषध नीति के अनुसार अधिक उत्पादन का नियमन करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या उन्होंने औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनिमय 1951 की किसी धारा का उल्लंघन किया है। जहां तक इस पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 1973 के उल्लंवन का सम्बन्ध है यहां यह बताना होगा कि फेरा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये सभी आवेदन पत्रों जिन्हें औषध एवं भेषज उद्योग पर हाथी समिति के सिफारिशों पर सरकार के निर्णय होने तक आस्थगित रखा गया था की अब जांच की जायगी।

(ख) और (ग) : इस कम्पनी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर जो सूत्रयोग बनाये जाते हैं उनके नाम 6-12-77 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न सं० 2845 के भाग (ग) के उत्तर में दिये गये हैं। नयी नीति के अनुसार समेकित लाइसेन्स देते समय जो कार्यवाई की जायेगी इससे सरकार इस बात की जांच करने में समर्थ होगी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र देते समय मैसर्स किन मदों का उत्पादन कर रहे थे और कौन से ऐसे मद हैं जिन का उत्पादन के सरकार से बिना अनुमोदन प्राप्त किये कर रहे है।

नयी औषध नीति के अनुसार किसी भी अनधिकृत उत्पादन (यानी वह उत्पादन जो कि औद्योगिक लाइसेन्स सी ओ बी लाइसेन्स अनुज्ञा पत्र या डी जी डी डी के पास पंजीकरण से अधिकृत नहीं है) का नियमन नहीं किया जायेगा।

मैसर्स वाइथ की तीन सहयोगी कम्पनियों द्वारा विनियोजन

8809. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री 15 मार्च, 1978 को विदेशी औषधी कम्पनियों के विस्तार के बारे में आधे घन्ट की चर्चा के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रही बाइथ की तीन सहयोगी कम्पनियों ने कितनी पूंजी निवेश की है, उनकी गतिविधियों का जिनमें गत तीन वर्षों में मदवार, वर्षवार प्रत्येक कम्पनी द्वारा निर्मित वल्क औषधी/फार्मुलेशन शामिल है, ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी राशि विदेशों में भेजी लाभ कमाया और कच्चे माल का जिसमें सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात किया गया कच्चा माल भी शामिल है का आयात और उपभोग किया; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों की साथ पूंजी को कम करने के बारे में कोई निर्णय लिया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय की क्रियान्विति कब की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : विएथ ग्रुप की कम्पनियों में निम्नलिखित चार कम्पनियां हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विदेशी साम्यपूंजी
(1)	**मैसर्स जिओफ्रे मैनरज एण्ड कम्पनी**	अमरीकन होम प्रोडेक्शन कारपोरेशन, यू०एस०ए० की 45% है (कुल प्रदत्त साम्यपूंजी 192 लाख रुपये है)
(2)	**मैसर्स वीऐथ लैज लि०**	अमरीकन होम प्राडेक्टस कारपोरेशन, यू०एस०ए० की 74% है (कुल प्रदत्त साम्यपूंजी 90 लाख रुपये है)।
(3)	**मैसर्स वीएथ (आई) प्राइवेट लि०**	अमरीकन होम प्रौडेक्टस कारपोरेशन, यू०एस०ए० की 100% है तथा मैसर्स वियथ लेबरोट्रीज लि० अमरीकन फर्म का नामजद है (कुल प्रदत साम्यपूंजी 5 लाख रुपये है)
(4)	**मैसर्स जोह्न वीएथ एण्ड ब्रदर्स लि०**	यह इंग्लैंड के मैसर्स जान वियथ एण्ड ब्रदर्स लि० की एक शाखा है जो अमरीकन होम प्रोटेक्स कारपोरेशन की एक सहायक कम्पनी है।

उनकी गतिविधियों के स्वरूप सम्बन्धी स्थिति, नीचे दिखाई गई है:

मैसर्स जिओफ्रे मैनेरज एण्ड कम्पनी :

(क) कम्पनी मूल बल्क औष , फार्मास्यूटिकल्स फार्मुलेशन्स, सौंदर्य प्रसाधन तथा श्रुंगार प्रसाधन तथा उपभोग करने की वस्तुएं के निर्माण करने में लगी हुई है ।

(ख) **मैसर्स वीएथ लेबारोट्रिज लि०**

कम्पनी औषध और भेषज के निर्माण में लगी हुई है ।

(ग) **मैसर्स वीएथ (आई) प्राइवेट लि०**

कम्पनी अन्य औषध निर्माण एककों को निर्माण कार्याकलापों के लिए अपने संयंत्र तथा मशीनरी किराय पर देती है तथा इस प्रकार केवल मकान मालिकों के रूप में काम करती है ।

(घ) **मैसर्स जान वीएथ एण्ड ब्रदर्स लि०**

कम्पनी मेसर्स जिओफ्रे मैनरल लि० से विभिन्न औषध फार्मूलेशनस निर्माण करने तथा उन्हें अपने नाम पर बेचने का काम करने में लगी हुई है ।

चूंकि उनकी अपनी कोई निर्माण करने की गतिविधि नहीं वे केवल व्यापारिक कार्यकलाप में लगी हुई कम्पनी मानी जाती हैं।

अन्य मांगे गये विवरण जहां तक उपलब्ध है संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं ।

(ग) फीरा 1973 के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर अभी सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

(रुपये लाखों मे)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निर्माण की मद	उत्पादन 1974	उत्पादन 1975 (मी० टनों में)	उत्पादन 1976	वर्ष	उत्पादन का मूल्य: बल्क औषधें	उत्पादन का मूल्य: फामूलेशनस	कुल आयात का सी आई एफ मूल्य	शुद्ध लाभ	दूसरे देश राशि का भेजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मैसर्स जीओफ्री मैनरज	बल्क ड्रगज									
		1 ऐलोमीनियम हाइड्रोक्साईड जैल	487.41	407.62	500.83	1974	137.89	441.20	56.59	59.76	9.49
						1975	154.98	557.84	63.67	56.60	6.03
						1976	204.81	592.29	78.62	73.29	20.32
		2 बैन्जाथीन पेनसीलीन	3.87	5.14	6.99						
		3 मैन्फैटर माईन	76 (किलो)	2 (किलो)	—						
		4 मेप्रोबामेट	4.42	0.55	2.60						
		5 प्रोमाजाईन ऐच सी एल	—	6 (किलो)	49 (किलो)						
		6 फार्मासीटीकल ऐलूमिना	31.95	36.76	36.60						

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7 सोरालिन	40 (किलो)	56 (किलो)	70 (किलो)						
		8 फेनासेटिन	—	—	—						
		तथा विभिन्न ड्रग फार्मुलेशन।									
2	मसर्स वीयथ लैवज लि०	बल्क ड्रगज									
		1 प्रेड नाईसोलीन/ प्रेड नाईसोलोन ऐसीटेट									
		2 प्रेड नाईसोन/ हाईड्रोकोटीसोन ऐसीटेट	997.94	1,049.15	1,186·60	1974	उप०नहीं	उप०नही	20.39	23.45	8.16
						1975	245.76	238.63	23.26	24.40	4.45
		3 मीयाईल टैस्टो-स्टेरोन	56.90	45.40	21.05	1976	285.68	302.47	24.28	31.48	11.09
		4 टैस्टोस्टेरोन	143.19	144.57	100.15						
		5 17 ऐल्फा हाई-ड्रोक्सी प्रोजेस्टरोन कैप्रोरीट	309.30	331.00	525.65						

	6 रोस्ट्रोजीन	0.72	0.067	—
	7 विविध प्रोजेस्ट्रोजीन व विविध इन्टस्पेडीऐट साम्मिलित है	2.87	2.73	3.41
3 मसर्स वीऐथ (आइ) लि०			उपलब्ध नहीं है।	
4 मैसर्स हान वीएथ एण्ड ब्रादर्स			उपलब्ध नहीं है।	

महाराष्ट्र एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के बारे में अभ्यावेदन

8810. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से महाराष्ट्र एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इस गाड़ी के गति तेज करने और इन गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने के बारे में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों को प्राप्त मुख्य सुझावों का ब्यौरा क्या है और प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां, ये मांगें 83/84 कोल्हापुर-नागपुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने उसके ठहरावों की व्यवस्था और उसमें अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था तथा 83 एक्सप्रेस के पुणे में और पहले पहुंचने तथा सी गाड़ी में भोजन यान को व्यवस्था करने के सम्बन्ध में थी।

अप्रैल, 78 की समय सारणी में 83 अप/84 डाउन एक्सप्रेस गाडियों की रफ्तार बढ़ाकर उनके चालन समय में क्रमशः 2'.15" और 2'.20" की कमी कर दी गयी है। 83 एक्सप्रेस के कोल्हापुर से जल्दी रवाना होने के फलस्वरूप मिरज में 207 बंगलरु-मिरज एक्सप्रेस के साथ मह मेल नहीं ले पायेगी और कोल्हापुर और बम्बई के बीच 83/84 और 323/324 एक्सप्रेस गाड़ियों में सीधे जाने वाले डिब्बे भी रुके रहेंगे।

1-4-78 से भिलवाड़ी में एक अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गयी है। अन्य ठहरवों की व्यवस्था/फिर से आरम्भ करने के बारे में विचार किया जायेगा तो यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होने पर निर्भर करेगा।

इस समय इस गाडी में और डिब्बे लगाना संभव नहीं है क्योंकि मिरज पुणे खंड पर ये गाडियां पुरे भार सहित चल रही हैं। भोजनयान की व्यवस्था के परिणामस्वरूप जो इस समय स्थान उपलब्ध है उसमें कमी करमी पड़ेगी।

हाथी समिति के सिफारिशों पर निर्णय

8811. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथी समिति की विभिन्न सिफारिशों के बारे में निर्णय ले लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक प्रमुख सिफारिश का ब्यौरा क्या है और लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में और अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का विवरण पत्र लोक सभा के पटल पर 29-3-1978 को रखा गया था। निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मध्य रेलवे में वैगनों की कमी

8812. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश रेलवे में वैगनों की कमी और अधिकारियों द्वारा वैगनों के आवंटन में कदाचार/भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1976-77 में हुए 172.72 लाख मीटरिक टन लदान के मुकाबिले 1977-78 में लगभग 173.32 लाख मीटरिक टन लदान होने के बावजूद मध्य रेलवे पर मालडिब्बों की कम सप्लाई होने की कुछ शिकायतें मिली हैं। कुछ ऐसे अभ्यावेदन भी मिले हैं जिनमें माल डिब्बों के आबंटन में कदाचार/भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये गये हैं।

(ख) कोयले के लदान में भारी वृद्धि होने के कारण (पिछले वर्ष के 544 मालडिब्बे प्रतिदिन के मुकाबले 1977-78 में 663 मालडिब्बे प्रतिदिन के मुकाबले 1977-78 में 663 मालडिब्बे प्रतिदिन) चूना, पत्थर और सिलिका रेत जैसी वस्तुओं के लदान के लिए माल डब्बों की कुछ कमी हो गयी थी। चूना, लकड़ी का कोयला, तिलहन, खली, अनाज और दालों जैसी अन्य वस्तुओं के लदान की मांग अपेक्षाकृत अधिक थी और 1977-78 के दौरान समग्र लदान में वृद्धि होने के बावजूद इनकी सम्पूर्ण ढुलाई नहीं की जा सकी। इन मांगों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जब भी आवश्यकता होती है अनिवार्य किस्म के यातायात जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की ढुलाई तदर्थ आधार पर की जाती है ताकि कारखाने बन्द न हो जायें।

मालडिब्बों की सप्लाई में अनियमितता के बारे में जबलपुर मंडल से दो शिकायतें मिली थी। ये सामान्य किस्म की थीं। इनकी जांच पड़ताल की गयी थी और यह पाया गया था कि कि इन शिकायतों का कारण कुछ गलत फहमियां थीं। एक मामले में मंडल अधीक्षक ने आबंटन क्लर्क के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था परन्तु शिकायत करने वाला जांच के लिए स्वयं ही उपस्थित नहीं हुआ।

क्षेत्र नागजरी रेलवे स्टेशन

8813. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के क्षेत्र नागजरी रेलवे स्टेशन पर कुछ सुविधाओं और प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वहां जिन सुविधाओं की मांग की गई है, उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) ; मध्य रेल प्रशासन को क्षेत्र नागजरी रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित यात्रीसुविधाएं प्रदान करने के लिए 6 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :--

(क) यात्री प्लेटफार्मों को ऊंचा करना।

(ख) यात्री प्लेटफार्मों पर सायबानों की व्यवस्था करना।

(ग) बिजली के प्रकाश की व्यवस्था करना ।

(घ) पीने के पानी की व्यवस्था करना ।

(ङ) डाक तथा एक्सप्रैस गाडियों को रोकना ।

(च) सवारी गाडियों के ठहरने का समय 2 मिनट से ब ाकर 7 मिनट तथा एक्सप्रेस गाडियों का ठहराव समय 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट करना।

(ग) तथा (घ) : कश्तरा नागजरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों को उंचा करने, प्लेटफार्मों पर सायबानों की व्यवस्था करने तथा स्टेशन के विद्युतीकर के कार्य को अगले वर्षों के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल करने के बारे में तभी विचार किया जायेगा, यदि रेल उपयोग कर्ता सुविधा समिति ने इसे स्वीकृत कर दिया और इसके लिए धन उपलब्ध हुआ ।

इस समय पीने के पानी की व्यवस्था एक खुले कुएं से की जाती है। स्टेशन पर पानी चट्टियों में इकट्टा किया जाता है और एक रेल कर्मचारी द्वारा यात्रियों को उपलब्ध किया जाता है। गर्मियों के दिनों में एक अतिरिक्त पानी वाले की व्यवस्था की जाती है ।

इस समय श्रीक्षेत्र नागजरी रेलवे स्टेशन पर 3 जोड़ी यात्री गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। जो कि वर्तमान यातायात की दृष्टि से पर्याप्त है। यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए इस स्टेशन पर डाक तथा एक्सप्रेस गाडियों को रोकने तथा यात्री गाड़ियों के ठहरने के समय में वृद्धी करने का कोई औचित्य नहीं है।

पलवल स्टेशन पर शेड का निर्माण

8814. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलवल स्टेशन (मध्य रेलवे) पर आने जाने वाली गाड़ियों के लिए प्लेटफार्मों पर कोई शैड नहीं है जहां से हजारों यात्री रेलों में चढते उतरते हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रीष्म, शरद तथा वर्षा ऋतु में यात्रियों की होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये वहां शैड बनाने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि प्लैटफार्मों पर शैड बनाने की अनमति पहले ही दी जा चुकी है और यदि हां, तो शैड न बनाये जाने के क्या कारण है; और

(घ) इन शैडों के बनाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है और ये कब तक बना दिये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : पलवल स्टेशन के प्लेट-फार्म पर लगभग 2/5 वर्ग मीटर माप के प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था है जिस पर दो अप और दो डाउन गाडियां ठहरायी जाती हैं। सायबान का यह क्षेत्र यात्रियों के आश्रय के लिए फिलहाल पर्याप्त समझा गया है। दूसरे प्लेटफार्मों पर सायबानों की व्यवस्था के बारे में तभी विचार किया जायेगा जब कि उन्हें क्षेत्रीय उपयोगकर्ता परामर्श समिति द्वारा रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिए अनुमोदित कर दिया जायेगा और जब इसके लिए धन उपलब्ध होगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Annual Income from Traffic at Palwal Station

8815. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the average annual income from passenger and goods traffic at Palwal Station in Jhansi Division on the Central Railway;

(b) the number of accidents which took place during the last 5 years while boarding the trains and getting down therefrom because the level of one platform at Palwal Railway Station is low; and

(c) whether Government are considering the question of raising the level of this platform and if so, when it is likely to be done?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) The annual average income for passenger and goods traffic is Rs. 8.16 lakhs and Rs. 29.5 lakhs respectively.

(b) Nil.

(c) No.

पलवल स्टेशन पर लूप लाइनों पर रुकने वाली रेलगाड़ियां

8816. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलवल स्टेशन (मध्य रेलवे) पर अप तथा डाऊन शटल रेलगाड़ियों को लूप लाइनों पर रोका जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त लूप लाइनोंपर उपरिपूल न होने के कारण यात्रियों को लाइनों को पार कर के प्लेटफार्म पर जाना पड़ता है जो गैरकानूनी है तथा जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त लूप लाइनों पर सरकार का विचार कब तक उपरिपुल बनाने का है और पूल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पलवल तक नयी दिल्ली/दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली 6 शटल गाड़ियों में से 2 गाडियां अर्थात् 368 अप और 374 अप दिल्ली-पलवल शटल, पलवल स्टेशन जो मौजूदा पैदल उपरी पुल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, की पूर्वी दिशा में स्थित पटरी तल के प्लेटफार्म पर ठहराई जाती है। दो डाऊन शटल एक हो रेक वालो अर्थात् 365 डाऊन और 367 डाऊन पलवल से उसी प्लेटफार्म से चलती है।

(ख) और (ग) : इस स्टेशन पर मौजूदा पैदल ऊपरी पुल पट्टी तल के प्लेटफार्म से जुड़ा हुआ नहीं है और इस प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए यात्रियों को रेल लाइनें पार करनी पड़ती हैं। पटरी तलस्तर के प्लेटफार्म को जोड़ने के लिए पैदल ऊपरी पुल का विस्तार कार्य प्रगति पर है और 1978 के अंत तक इसके पूरा होने को सम्भावना है।

Cases of Chain Pulling

†8817. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of cases of chain pulling in the country brought to the notice of the Government during the past one year;

(b) the number of cases out of them found to be genuine;

(c) the number of persons apprehended for pulling chains on ingenuine cases and the money realised from them by way of fine; and

(d) the measures proposed to be taken to check misuse of chain pullings?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c): There were 90821 cases of alarm chain pulling during the period from April, 1977 to February, 1978. Out of these, 3783 cases were found to be genuine. In the remaining cases of unauthorised alarm chain pulling, 486 persons were arrested and an amount of Rs. 10,471 was realised from them by way of fine.

(d) The following steps have been taken by the Railway Administrations to curb this evil mainly created by anti-social elements in the trains:—

(1) Posting of plain clothed TTEs and Railway Protection Force/Government Railway Police personnel in trains;

(2) Conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads consisting of TTEs and Railway Protection Force personnel;

(3) Surprise ambush checks at places noted for unauthorised chain pulling;

(4) Educative campaigns in press through posters, Cinema slides etc and by announcements on the Public Address System at important stations;

(5) Creating consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through senior railway officers, retired or in service by giving talks in educational institutions;

(6) Offering of rewards to those apprehending chain pullers;

(7) Blanking off of alarm chain apparatus on selected trains in vulnerable areas.

In addition, the railway administrations keep a watch on the vulnerable points which are prone to frequent incidents of unauthorised alarm chain pulling and take up the matter with the State Government concerned for necessary steps being taken by them to curb this evil.

मार्टिन लाइट रेलवे

8818. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्टिन लाइट रेलवे (हावड़ा-अमता सियाखला) के कर्मचारियो को पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में पाने का कोई आश्वासन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर दूर स्थानों पर क्यों भेजा गया;

(ग) क्या उन्हें एक और आश्वासन दिया गया था कि उन्हें कलकत्ता तथा उसके आसपास के स्टेशनो पर रिक्त स्थान होते ही वापस बुला लिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इनमें अभी कितने कर्मचारियों को कलकत्ता क्षेत्र में वापस लाना शेष है; और

(ङ) उनको शीघ्र स्थानान्तरित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) : (ख), (ग) और (ङ) : प्रारम्भ में 16-12-70 को यह निर्णय किया गया था कि हवड़ा-आमता और हवड़ा-शिया: शियाखला लाइन रेलों के कर्मचारियों को पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर समाहित कर लिया जायेगा। लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं नैमित्तिक कर्मचारियों के जो नियमित पदों पर समाहित होने की प्रतीक्षा में थे, विरोध के कारण इन रेलों पर भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों को समाहित करने में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई। इसलिए मामले पर पुन: विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि पूर्व रेलवे द्वारा इन कर्मचारियों की छानबीन की जायेगी तथा उपयुक्त

पाये गये कर्मचारियों को पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अतिरिक्त अन्य रेलों पर भेज दिया जायेगा ।

भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में स्थानान्तरण करने के अनुरोधों पर पूर्ण विचार किया जाता है। अगस्त, 1975 में पूर्व एवं दक्षिण पूर्व रेलों को कहा गया था कि भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों की तकलीफों को देखते हुए उनके स्थानान्तरण के अभ्यावेदनों को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा कुछ प्राथमिकता दी जाये। उन्हें यह आदेश भी दिया गया था कि वे कर्मचारियों के इस प्रकार के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभ्यावेदनों पर तुरन्त कार्रवाई करें । इन कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने के बारे में रेलों ने कुछ कठिनाइयां बतायी थी ।

लेकिन इस मोमले पर अभी पुनः विचार किया गया है और 13-4-78 को दोनो रेलों को यह निर्देश दिए गये हैं कि वे भूतपूर्व मार्टिम लाइट रेलवे के उन कर्मचारियों को जो इन रेलों पर आना चाहते हैं उन्हें ले लिया जाये । और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उन्हें कलकत्ता क्षेत्र में ही रखा जाये । उन्हें यह भी कहा गया है कि उनके अभ्यावेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और उनके मामलों का तुरन्त निपटारा किया जाये ।

(घ) भूतपूर्व मार्टिन रेलवे के जिन कर्मचारियों ने पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है अथवा जिन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है, से सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कलकत्ता के आस-पास औषधि बनान का नया कारखाना

8819. **श्री आर० क० महालगी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के आसपास औषधि बनाने का कोई नया कारखाना चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नया संस्थान स्मिथ स्टानिस्टीट एण्ड कम्पनी का सहायक कारखाना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों कारखानों में औषधि बनाने में नयी पुनर्व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का प्रपुंज औषधो तथा फार्मुलेशन के निर्माण के लिए पूर्वी भारत में एक यूनिट को स्थापना करने का अस्थायो प्रस्ताव है। इस प्रश्न की यथा समय जांच की जायेगी कि क्या नया सरकारी क्षेत्रीय एकक स्थापित किया जाये अथवा इसके विकल्प में, मैसर्स स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० नामक राष्ट्रीयकृत उपक्रम में उपलब्ध सुविधाओं का संकलन तथा विस्तार किया जाए तथा अन्य ऐसो औषध एक के स्थापित हो गई अथवा जिनके सरकार के भावी नियंत्रण में आने की आशा है कि इन सुविधाओं के साथ मिलान किया जाए ।

अजय नदी पर पुल

8820. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स के उन कर्मचारियों ने जो पास के गांवों में रहते है चितरंजन टाउनशिप के नजदीक अजय नदी पर पुल बनाने के बारे में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। बिहार के पड़ोस गांव में रहने वाले चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों ने अजय नदी के ऊपर जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच अन्तर्राज्य सीमा बनती है, पुल का निर्माण करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) बिहार राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है और उन्हें अनुस्मारक भी दिया जा चुका है इसके बारे में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से भी लिखा पढी की जायेगी, इस मामले के सम्बन्ध में दोनों राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखा जायेगा।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कर्मचारी लाभ निधि

8821. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के केवल परिवीक्षकों के लिये कर्मचारी लाभ निधि के माध्यम से एक विशेष निधि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो परिवीक्षकों को कितनी राशि की मजूरी दी गई और किस तारीख से दी गई; और

(ग) क्या धनाराशी को मंजूरी श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिये भी दी गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मार्च, 1975 में कर्मचारी हित निधि में 1/- रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से वार्षिक अंशदान किया गया था, जिनमें पर्यवेक्षक और अधिकारी शामिल नहीं थे तदनुसार, 1975-76 में पर्यवेक्षकों के लिए मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने 1,250/- रु० की राशि की व्यवस्था की थी।

(ग) जहां तक श्रेणी IV के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत इन सुविधाओं के लिए धन की व्यवस्था कर्मचारी हित निधि से की जाती है जिसमें प्रति व्यक्ति 7/- रु० के हिसाब से अंशदान किया जाता है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशासन द्वारा विभाजन की नीति

8822. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशासन ने सीनियर और जूनियर संस्थानों की स्थापना करके जो रेलवे में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी आगे विभाजन की नीति शुरु कर दी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राधिकारियों द्वारा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ऐसी कोई सीनियर अथवा जूनियर संस्थान स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग)। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की अतिरिक्त कालोनियों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए रेल कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित मनोरंजन

सम्बन्धी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाती है। इस समय, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए चार संस्थानों की व्यवस्था की है इनमें वे दो भी शामिल है जो 1975 में बनाये गये थे। अराजपत्रित कर्मचारियों को दी गयी इन सुविधाओं के लिए अर्थव्यवस्था कर्मचारी कल्याण निधि से निधि में प्रति व्यक्ति 7 रु० वार्षिक अंशदान करके की जाती है।

इसके अतिरिक्त 1975 से पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के मनोरंजन के लिए कर्मचारी कल्याण निधि में प्रति व्यक्ति एक रुपया वार्षिक अंशदान अलग से किया गया था। इस अतिरिक्त व्यवस्था में से ही, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का प्रशासन राजपत्रित और पर्यवेक्षक कर्मचारियों की पूर्ति के लिए एक अलग संस्थान की व्यवस्था का प्रबन्ध कर रहा है।

सिविल इंजीनियरी विभाग में नैमित्तिक श्रमिक

8823. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सिविल इंजीनियरी विभाग के अलावा विभिन्न विभागों में स्थायी किस्म के कार्यों में नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई परिपत्र जारी किया गया है;

(ग) क्या इस बारे में आदेशों का क्रियान्वयन न किये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : इस आशय के अनुदेश पहले से ही है कि सामान्यतया नैमित्तिक श्रमिक को नियमित किस्म के कार्यों पर लगाया जाय नियमित रिक्तियों में उनका आमेलन सुसाध्य करने के लिए रेलों से कहा गया है कि संवर्ग समीक्षाएं करें जिससे वहां नियमित पद सृजित किये जायं जहां नैमित्तिक श्रमिक संस्वीकृति तीन या उससे अधिक वर्ष से है।

(ग) समय समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं;

(घ) इन पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक समझा जाता है वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

रेल इंजन घरों (लोको शेड) का समाप्त किया जाना

8824. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल रेल इंजन घरों (लोको शेड) को समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जोनवार कितने रेल इंजन घरों को समाप्त किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। डीजलीकरण/विद्युतीकरण की प्रगति के परिणामस्वरूप कुछ भाप इंजन शेडों को धीरे धीरे बदला जा रहा है।

(ख) अभी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 2 शेड और दक्षिण रेलवे पर एक शेड को बदलने का प्रस्ताव है।

परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में योजना आयोग का कार्यकारी दल

8825. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में रेल परिवहन की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए और अपेक्षित विकास योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल के कार्य में रेलवे ने योगदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : योजना आयोग द्वारा गठित रेलों के कार्यकारी दलों ने 1978–83 योजना में शुरु किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। 1978–83 की योजना का प्रारूप तैयार करते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था और इस योजना को अन्तिम रूप देते समय भी इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

बड़ौदा में आई० पी० सी० आई० कम्पलैक्स

8826. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में आई० पी० सी० आई० कम्पलैक्स की स्थापना की गई है ; और

(ख) यह किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : बड़ौदा के निकट इण्डियन पेट्रोकेमिकलस कारपोरेशन लिमि० का पेट्रो रसायन कम्पलेक्स स्थापित किया गया है और इसमें निम्नलिखित परियोजनायें शामिल हैं :—

1. एरोमैटिक्स परियोजना ।
2. ओल्फिन्स परियोजना ।
3. डाउन स्ट्रीम यूनिट ।
   (क) लो डेंसिटी पोलीथिलिन
   (ख) पोलिप्रोपीलिन
   (ग) पोलीब्यूटाडीन रबड़
   (घ) डिटरजेण्ट एल्किलेट
   (ङ) ऐथलिन ग्लाइकोल
   (च) एक्रीलोनीइट्राल
   (छ) एक्रिलिक फाइबर
   (ज) पी० वी० सी०
   (झ) एक्रीलेट्स

एरोमैटिक परियोजना पूरी हो गई है और कार्य आरम्भ हो गया है और निम्नलिखित मदों का उत्पादन हो रहा है :—

1. डी० एम० टी०
2. आर्थोजाइलीन
3. मिक्सड जाइलीन
4. पैराजाइलीन (डी० एम० टी० में देशीय परिवर्तन के लिए) ।

औलीफिन्स प्रायोजना और डाउनस्ट्रीम संयंत्र जो (क) से (ङ) तक ऊपर दिया गया है, आरम्भ किये जाने के लिए तैयार हैं। नेफथा क्रैकर संयंत्र की शुरूआत की गई है और डाउनस्ट्रीम संयंत्र की शुरुआत क्रैकर के संचालन कार्य स्थापित किए जाने के बाद की जायेगी। एक्रीलोनिटाइल और एक्रीलिक फाइबर संयंत्र का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ गया है। एक्रीलेट्स और पी० वी० सी० प्रायोजना इस समय विकास की प्रारम्भिक अवस्था में है।

Gas burnt at Bombay High

8827. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether large quantity of gas is being burnt at the Bombay High resulting in loss to the tune of lakhs of rupees every day and the amount of estimated loss so far on this account;

(b) if so, the reasons therefor and the time by which this gas will be put to use; and

(c) the reasons for which arrangements in this regard have not been made so far?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (c) : The associated gas being produced from Bombay High is at present being flared. From the start of commercial production, the total quantity of associated gas flared till the 15th March, 1978, is of the order of approximately 262 million cubic metres. The value of gas would vary according to the use to which it is put.

Phase-I and Phase-II development of Bombay High aimed at early production of oil and, therefore, a tanker storage with single buoy mooring system for its loading and unloading was adopted. In view of this the associated gas produced alongwith oil had to be flared. Afterwards, the laying of the submarine trunk pipeline for the transport of gas from Bombay High field and North Bassein field to Uran as well as the laying of the transfer line from Uran to Trombay was taken up and same is likely to be completed by the end of May 1978.

दिल्ली-खुर्जा रेलगाड़ी का अलीगढ़ तक बढ़ाया जाना

8828. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-खुर्जा यात्री रेल गाड़ी अलीगढ़ जैंक्शन तक बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं जो किसी समय इस स्टेशन तक बढ़ाई गई थी ;

(ख) क्या दैनिक यात्रियों तथा अन्य यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस यात्री रेलगाड़ी को अलीगढ़ जंक्शन तक बढ़ाये जाने के बारे में दैनिक यात्रियों तथा संसद सदस्यों से सरकार को अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : दिल्ली-खुर्जा खण्ड पर चलने वाली 2 डी जी के/1 के जी आर शटल गाड़ी को अलीगढ़ तक और वहां से चलाना, फिलहाल, कुछ डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की समय पाबंदी के साथ-साथ माल गाड़ियों के परिचालन पर दुष्प्रभाव डाले बिना व्यावहारिक नहीं है। अलीगढ़ और दिल्ली के बीच प्रातः/सायं चलने वाली उपयुक्त और वैकल्पिक गाड़ियां पहले से ही उपलब्ध हैं।

तिनसुखिया मेल को गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय

8829. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिनसुखिया मेल गाड़ी को बरोरा से न्यू बोंगाई गांव तक पहुंचने में इसी लाइन पर चलने वाली अन्य डाक, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 156 तिनसुखिया मेल, बड़हरवा से न्यूबोगाई गांव पहुंचने में अन्य गाड़ियों से कुछ अधिक समय लेती है और यात्रियों को मीटर लाइन की तिनसुखिया मेल बदलने की सुविधा के लिए यह गाड़ी न्यूबोगाई गांव 5—25 बजे पहुंचती । नई दिल्ली से 156 तिनसुखिया मेल को और बाद में चलाना परिचालनिक दृष्टि से सम्भव नहीं है । लेकिन 155 तिनसुखिया मेल का, न्यूबोगाई गांव से बड़हरवा तक का चालन समय इस मार्ग पर चलने वाली अन्य तेज गाड़ियों के समतुल्य है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्तर बंगाल में तेल के लिए सर्वेक्षण

8830. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उत्तर बंगाल में तेल का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या भविष्य में कोई सर्वेक्षण करने का विचार है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : उत्तर बंगल में विगत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूगर्भीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण किए गए थ । तथापि इन भूगर्भीय और भू भौतिकीय सर्वेक्षणों के परिणाम आगामी सर्वेक्षणों के पक्ष में नहीं थे ।

मांग-पत्र

8831. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कार्मिक संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों पर रेलवे कर्मचारियों की कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ अब तक कोई द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रगति क्या है ; और

(ग) वार्ता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) : दोनों ही मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के साथ विचार विमर्श किया गया है और उनके द्वारा उठाये गए विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके समक्ष सरकार की स्थिति को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है ।

रेल मंत्री जी ने कुछ संसद सदस्यों और कर्मचारियों के कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया है ।

रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बोनस, आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन आदि जैसे कुछ विषयों पर विचार करने के लिए भूतलिंगम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि राष्ट्रीय आये, वेतन और मूल्य नीति के बारे में सविस्तर अध्ययन कर रही है। जबकि सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई, महंगाई भत्ता फार्मूला आदि जैसे अन्य मसलों पर अकेले रेल कर्मचारियों के लिए ही विचार नहीं किया जा सकता और समूची सरकार के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वही रेल कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, कलकत्ता द्वारा ज्ञापन

8832. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, कलकत्ता एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां, हाल ही में दिनांक 22-3-78 का एक ज्ञापन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, कलकत्ता से प्राप्त हुआ है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञापन में दो बातों का उल्लेख किया गया एक तो असम भूगर्भीय/भूभौतिकीय क्षेत्र पार्टियों के मुख्यालय का कलकत्ता से मझगांव में स्थान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में और दूसरा पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण कार्य कलापों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में हैं।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

Proposal to run a fast Train from New Delhi to Calcutta via Patna

†8833. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to run a fast train from New Delhi to Calcutta via Patna as early as possible because there is only one train for Calcutta via Patna in a week;

(b) if so, the outline thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : No 103/104 New Delhi-Howrah A. C. Express provides a bi-weekly fast service between New Delhi and Howrah via Patna. Besides, 4 more pairs of express trains are available for travelling between Delhi and Howrah/Sealdah via Patna. Running of any additional fast service between Delhi/New Delhi and Howrah via Patna is at present operationally not feasible due to lack of adequate terminal facilities at Delhi/New Delhi/Hazrat Nizamuddin.

पेट्रोल पम्पों के मालिकों द्वारा कमीशन में वृद्धि करने की मांग

8834. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के कारण पेट्रोल पम्प मालिकों ने उनमें अपनी कमीशन में वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : पिछली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल के मूल्य में बजट प्रस्तावों के अनुसार दिनांक 1-3-1978 को लगभग 11 पसे प्रति लिटर वृद्धि की गई थी और इससे पूर्व बजट प्रस्ताव के ही कारण दिनांक 1–3–1975 को लगभग 10 पैसे प्रति लिटर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की गई थी। यदि पिछली बार हुई वृद्धि की ओर ध्यान दे तो उसके बीच में तब से अर्थात 1–3–1978 से कमीशन में वृद्धि करने के लिए विक्रेताओं से कोई प्रत्यावदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ समय से डीलर इस विषय में प्रत्यावेदन देते रहे हैं। विगत समय में सरकार ने कमोशन की दर में दो बार वृद्धि की अनुमति दी। एक बार तो दिनांक 1–7–76 से और दूसरी बार दिनांक 1–4–1971 से। कमीशन की दर में और अधिक वृद्धि और डीलरों की एसोसिएशन द्वारा मांग किए गए बिक्री पर यथा मूल्य प्रतिशत के आधार पर कमीशन वसूल करना, सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

इलाहाबाद में पार्सल उठाने-धरने का कार्य

8835. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 1 अगस्त, 1975 से पार्सलों को उठाने-धरने का कार्य करने के लिए ठेका श्रमिकों के रूप में नियुक्त करने हेतु सोसायटी ने कितने श्रमिकों के लिए लाइसेन्स प्राप्त किये थे ;

(ख) क्या जैसा कि ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सर्जन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अपेक्षित है, पार्सल उठाने-धरने वाले श्रमिकों को उनके वेतन का भुगतान प्रमुख नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों को अगस्त, 1975 से जुलाई, 1977 तक दिये गये वेतन का माहवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सोसायटी अपने श्रमिकों को सप्ताह में वेतन सहित छुट्टी देती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Bogies attached to 219 Ajmer Passenger

†8836. **Dr. Vasant Kumar Pandit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the average monthly number of bogies attached to 219 Ajmer Passenger train leaving Delhi in the morning during the period from April, 1977 to March, 1978 and the number of second class bogies attached, the number of passengers and the number of seats available for the passengers;

(b) whether attention of the Government has been drawn to the fact that due to shortage of bogies and as it is first train from Delhi to Rewari, the passengers have to travel on the roof top of the bogies risking their lives; and

(c) whether in view of the difficulties of the passenger the Government would attach at least twelve additional bogies and if not, the difficulties in attaching the additional bogies and other measures, which would be taken to provide immediate relief ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The average load of 219 Up Delhi-Mehsana Passenger has been 12 coaches including 5 second class coaches, one 1st-*cum*-IInd class coach, 2 second class luggage brake van, and one IInd class-*cum*-postal van, providing sitting accommodation for approximately 500 passengers in IInd class.

(b) The first train from Delhi towards Rewari is 1 BDS Passenger leaving Delhi at 5.25 hrs. There is however, some overcrowding in 219 Delhi-Mehsana Passenger particularly beyond Gurgaon.

(c) It is not operationally feasible to attach 12 additional coaches to this train due to terminal constraints and limited hauling capacity of the locomotive. However, the Railways have been advised to run this train with normal load of 14 bogies.

Bogies attached to Bikaner Mail

†8837. **Dr. Vasant Kumar Pandit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the number of First Class, 2 tier, 3 tier and general class bogies attached to the 91 Bikaner Mail which starts from Delhi at 9 p.m.

(b) whether this is the last train for the persons of Rewari working in Delhi and whether due to less number of bogies attached to it passengers boarding this train from the stations falling on the way do not get any space and are compelled to sit on the roof of the train;

(c) if so, the remedial measure proposed to be taken by Government and whether the attendants of the train will be instructed to allow these passengers to travel by two and three tiers wihout seating facility upto Rewari; and

(d) if not, the reasons therefor and how this problem will be solved ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) A statement is attached.

(b) Yes, there is overcrowding in this train.

(c) & (d): 91UP Mail runs with 15 coaches on 3 days and 14 coaches on the remaining 4 days of the week as against the maximum permissible load of 15 coaches on Delhi-Rewari-Loharu section. There is thus no room for attaching any additional coach on this train as a regular measure. The possibility of introducing a shuttle train between Delhi and Rewari for the daily commuters following 91Up Mail was examined but not found feasible due to strained line capacity on Delhi-Rewari section and lack of terminal facilities at Delhi and Rewari. However, this will be considered as and when these facilities become available.

2-tier/3-tier second class sleeper coaches are fully reserved and it is not desirable to permit unreserved passengers in these coaches as this will cause inconvenience to passengers having reserved accommodation. However, unreserved passengers may occupy vacant seats/berths on payment of usual charges.

11—142 LSS/ND/78

Statement

Load composition of 91Up Delhi-Bikaner Mail

The load of 91Up/Bikaner Mail which leaves Delhi at 21.00 hours for Bikaner is as under:—

Delhi—Bikaner	VP (Parcel Van)	1
	SLR (Composite II luggage (Brake Van)	2
	GSCN (3-tier sleeper)	1
	GS (2nd Class)	3
	GSCNW (3-tier cum-2-tier sleepers)	2
	FC (I Class)	2
	GSCW (2-tier Sleeper)	1 (Triweekly)
	SPPC (II class-cum-Postal Van)	1
Delhi—Sikar	FS (Composite I & II class)	1
	GSCG (Partial 3-tier sleeper)	1
	Total	15 (3 days a week) 14 (4 days a week)

इलेक्ट्रोनिक अन्तःपाशन पद्धति (इंटर लाकिंग सिस्टम)

8838. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में इलेक्ट्रोनिक अन्तःपाशन पद्धति कुछ स्थानों पर लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) इस पद्धति को लागू करने के लाभ क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इलेक्ट्रोनिक अन्तःपाशन प्रणाली कुछ विदेशी रेलों में अभी तक परिक्षण के स्तर पर है। चल पुर्जों वाले मैकनिकल रिलेज की आवश्यकताएं कम किये जाने की सम्भावना है इस कारण यह खराब हो सकता है। सभी इलेक्ट्रोनिक प्रणालियों की तरह इसे बहुत सुसंगठित और प्रमापीय रूप में बनाया जा सकता है ताकि इसका रख रखाव सुगम हो ।

मध्य रेलवे में बिना-टिकट यात्रा रोकने के लिये जांच पड़ताल

8839. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 से 31 मार्च, 1978 तक मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए कितनी बार विशेष जांच पड़ताल की गई ;

(ख) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और जुर्माना वसूल किया गया और कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया ;

(ग) क्या जुर्माने के रूप में वसूल की गई धन राशि किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियत की जारी है ; और यदि हां, तो वह क्या है, और

(घ) रेल प्रशासन द्वारा क्या विशेष उपाय किए जा रहे है जिनसे बिना टिकट या त्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):(क)और (ख): 1-1-1978से 31-3-78 तक की अवधि के दौरान मध्य रेलवे पर बिना टिकट यात्रा के खिलाफ 4,996 विशेष छापे मारे गए थे। इन छापों के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए या गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए 78,153 व्यक्ति पकड़े गए और उनसे रेलवे को देय राशि के रूप में 13,25,208 रुपये वसूल किए गए। 6,329 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया जिनमें से 4,719 व्यक्तियों को जेल की सजा दी गयी। न्यायिक जुर्माने के रूप में 29,915 रुपये की रकम वसूल की गयी।

(ग) न्यायिक जुर्माने की रकम राज्य सरकारों को दे दी जाती है।

(घ) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए रेल प्रशासन निम्नलिखित उपाय कर रहे है :—

(1) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल; सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों के बड़े दल संगठित करके बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर विशेष जांच पड़ताल का आयोजन किया जाता है।

(2) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय में संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं।

(3) बार बार संकेन्द्रित अचानक जांच पड़ताल की जाती है। विशेष रूप से चल जांच दलों द्वारा यह काम सड़क परिवहन द्वारा यात्रा करके किया जाता है। इन दलों में रेल सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं।

(4) चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादी पोशाक में गुप्त रुप से जांच।

(5) मुख्यालय और मण्डल टिकट जांच दलों द्वारा मार्गवर्ती खंडों पर गाड़ियों को बीच में रोक कर कर्मचारियों की अदला बदली करके जांच करना।

(6) एक रेलवे के जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर टिकट जांच के लिए लगाना।

(7) यात्री जनता में विशेष कर विद्यार्थी समुदाय में बिना टिकट यात्रा के विरूद्ध शैक्षणिक प्रचार किया जाता है।

बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ अभियान में कोई ढील नहीं आयी है। टिकट जांच करने का काम और तेज कर दिया गया है।

Railway accidents in April, 1978

†8840. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) how many railway accidents have occurred in the country during April, 1978;

(b) the causes of these accidents; and

(c) the safety measures being adopted to avert them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) From 1-4-78 to 25-4-78, upto which date the information is available, 52 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains occurred on the Indian Government Railways.

(b) Prima facie causes of these accidents are as under:—

Cause	No. of train accidents
1. Failure of railway staff	12
2. Failure of persons other than railway staff . . .	6
3. Failure of equipment	13
4. Accidental	3
5. Cases in respect of which causes are not yet known .	18
TOTAL	52

(c) Safety Organisations on the railways have been engaged in relentless campaign to create greater safety consciousness amongest the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods. Examination of trains and spot checks in carriage and wagon depots have been intensified and greater care is being paid to the proper maintenance of track.

In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track circuiting, axle counters, automatic warning system etc. are being introduced progressively.

Incident in Calcutta Mail at Igatpuri Station

†8841. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the 23rd March, 1978 the Members of Maharashtra Legislative Assembly created a scene in the Calcutta Mail at Igatpuri railway station in Maharashtra and misbehaved with railway employees;

(b) whether the above employees have lodged a complaint with the Government and if so, the contents thereof;

(c) the action taken by Government in connection with the above incident; and

(d) the cases of this incident as well as reasons for late running of the train ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : Some of the MLAs/MLCs out of the 22 Members who were travelling without reservations on 1 Dn Mail leaving Bombay V.T. on 23-3-1978 insisted the Conductor Guard that accommodation must be provided to them in the train. At Igatpuri station one MLA pulled the alarm chain and insisted that he should be provided accommodation in the train. Other Members also joined him and started arguing with the Train Conductor. They were requested by the Assistant Station Master, Igatpuri and the Guard of 1 Dn Mail not to detain the train. The train Conductor tried to persuade two passengers bound for Nasik to vacate the berths in favour of the MLAs/MLCs but they declined to do so stating that these Members also did not have reservations. The Conductor informed the MLA who pulled the alarm chain that he would provide him accommodation at Nasik Road when these two passengers vacated their berths. The train left Igatpuri after a detention of 25 minutes but arrived Nagpur right time. Enquiries reveal that no specific written complaint has been received from the Railway staff in this regard. The incident has been brought to the notice of Government of Maharashtra with a request to take suitable action to avoid recurrence of such incident.

मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) कलकत्ता की निर्माण लागत में हो रही वृद्धि

8842. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री आर० डी० राम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) कलकत्ता के अन्तर्गत कलकत्ते की भूमिगत रेलवे की निर्माण लागत में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 10, 11 और 12 कसेशनों सहित प्रोजेक्ट के विभिन्न सेक्शनों में विभाग द्वारा माल की सप्लाई की लागत को शामिल न करते हुए डायफ्राग्म वाल एण्ड बाक्स कंकरीट की निर्माण लागत क्या है ;

(ग) मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोट प्रोजेक्ट (रेलवे) कलकत्ता ने डायफ्राग्म वाल एण्ड बाक्स कंकरीट के निर्माण को क्या दरें उस लागत के आधार पर स्वीकार की हैं जो प्रोजेक्ट के सेक्शन 13, 14, 15 और 16 के लिए हाल में खोले गए टेन्डरों में दी गई है, इन सेक्शनों के लिए टेण्डर दाताओं के नाम क्या हैं और किन्हें ठेके दिये गये हैं ;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित सेक्शनों की तुलना में हाल में खोले गये टेन्डरों की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यह परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डायाफ्राग्म वाल के निर्माण के लिए प्रतिवर्ग मीटर की दर और ठेका पाने वाले टेंडर दाताओं के नाम इस प्रकार है :—

खण्ड का नाम	प्रति मीटर लागत	ठेका पाने वाले टेंडर कर्ताओं के नाम
	रुपये	
13ए . .	373.00	मै० एशिया फांउन्डेशन एण्ड कन्सट्रेकशन कं० प्रा० लि० बम्बई।
13बी . .	391.00	,,
13सी . .	404.00	,,
14ए . .	411.00	मै० गैमन निर्माण लि० कलकत्ता।
14बी . .	404.00	,,
14सी .	449.00	मै० एशिया फांउन्डेशन एण्ड कन्सट्रेक्शन कं० लि० (प्रा०) बम्बई।
15ए-I . .	413.00	मै० सीमेंटेन्शन कं० लि० कलकत्ता
15 ए-II . .	381.00	,,
15 बी . .	437.00	,,
15 सी . .	342.00	मै० हिन्दुस्तान कन्सट्रेक्शन कं० लि०
16 ए . .	465.00	मै० सीमेन्टेशन कं० लि० कलकत्ता।

इन खण्डों में बाक्स कंकरीटिंग के लिए ठेके अभी दिए जाने हैं।

(घ) उपर्युक्त में उल्लिखित खण्ड (ख) 10, 11 और 12 की तुलना में उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित खण्डों में डायफ्राम वाल की दरों में औसतन कोई वृद्धि नहीं हुई है। बाक्स कंकरीटिंग दरों की तूलन करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(ड.) धन की उपलब्धता और स्थल को पूर्ण माता के अनुसार काम आरम्भ किए जा रहे हैं।

सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल लि० बरेली के लेखे में पाई गई अनियमिततायें

8843. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि०, बरेली के लेखे की 1 जनवरी, 1968 से 1 जनवरी, 1978 की अवधि के दौरान कितनी बार लेखा परीक्षा की गई और उसमें किन-किन अनियतिमताओं का पता चला और क्या प्रबन्धकों को दोषी पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण):(क) और (ख) : कम्पनी के लेखाओं की 31 दिसम्बर, 68 से 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुई उसके वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा की जाती थी। लेखा परीक्षकों ने उनकी रिपोर्ट 31-12-1969 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में पूरी की है। परिणाम विक्रेता अभिकर्ताओं को कमीशन की अदायगी के सम्बन्ध में था और इस प्रकार है :--

"हमारी राय में, एकमात्र विक्रेता अभिकर्ताओं को अदायगी अधिक की गई हैं अर्थात किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० को 30 सितम्बर, 1968 को समाप्त हुए दो चतुर्थांशों के सम्बन्ध में कमीशन लेखाओं पर 67,496 रु० की सीमा तक 5 नवम्बर, 1967 की बजाय उन दरों को लिया गया है जो 6 नवम्बर, 1967 की थी और जिनकी एकम त्र विक्रय अभिकर्ताओं के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के पत्र में सहमती प्रगट की गई थी।

विधि सलाहकार, जिनकी राय निदेशक की रिपोर्ट में "विक्रय अभिकरण कमीशन" के शीर्षक के अन्तर्गत संदर्भित की गई है, ने भी राय प्रगट की है कि इस मामले की सूचना देना हमारा कर्तव्य है।

परिणामस्वरूप, 12, 86,328 रु० टिप्पणी संख्या 5 में विक्रय अधिकर्ताओं को कम्पनी की देयता के सम्बन्ध में आकस्मिक देयता दिखलाई गयी थी, जो लेखे के अंश का निर्धारण करते हुए 10,78,249 रु० होगा, अगर 5 नवम्बर, 1967 के चलन के मूल्यों को 20,39,985 रु० जो लाभ और हानि लेखा में व्यय और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के लिए दिखलाए गए थे पर विचार करने के पश्चात लिए जाएं।

2. निदेशक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि कम्पनी में लेखा परीक्षकों के सुझाव पर एक बहुत योग्य विधि परामर्शदाता आर० जे० कोलाह की राय ली थी और विधि परामर्शदाता द्वारा दी गई राय के अनुसार, 6 नवम्बर, 1967 से विक्रेता अभिकरणों को देय कमीशन की गणना 6 नवम्बर, 1967 को या से मूल्यचलन पर विचार किया जाना चाहिए था। निदेशकों ने उल्लेख किया कि उन्होंने

विधि परामर्श दाता की राय को स्वीकार किया था और तुलन पत्र की टिप्पणी में दिखलाई गई आकस्मिक देयता 6 नवम्बर, 1967 के मूल्य चलन पर आधारित थी। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

रेल सेवा आयोग

8844. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या ई/74/आर० सी० वी०/11/ आर० बी० -2, दिनांक 1 सितम्बर, 1975, 7/8 नवम्बर, 1975 और 23 दिसम्बर, 1974 के द्वारा उत्तर रेलवे और रेल सेवा आयोग कलकत्ता से 1973 में तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कहा था और क्या इन कर्मचारियों की सेवाओं को उपर्युक्त स्थानों पर नियमित कर दिया गया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड में तदर्थ आधार पर नियुक्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का चयन सक्षम अधिकारी (सचिव रेलवे बोर्ड) द्वारा किया गया था और यदि हां, तो उनकी सेवाओं को अब तक नियमित न करने के क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो जोनल रेलवे के कर्मचारियों की तरह उन्हें नोटिस न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के ऐसे नियम है जिनके अधीन एक वर्ष की लगातार अस्थायी सेवा वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी माना जाता है और यदि हां, तो क्या इन आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यह सत्य है कि 1973 में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती पूर्ण अस्थाई और तदर्थ आधार पर रोजगार दफतर के माध्यम से हुई थी। चूंकि सांविधिक नियमों के अन्तर्गत, उन्हें रेलवे बोर्ड कार्यालय में समाहृत नहीं किया जा सका। ये निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित रूप से इस कार्यालय में लगभग दो वर्ष काम किया था, 1975 में रेलों पर समाहृत करने के लिए भज दिया गया था। उनके मूल कार्यालयों में उनकी सेवाओं को नियमित करने के सम्बन्ध में सही स्थिति की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सम्भवतः यहां पर सन्दर्भ दूसरे सेट के तदर्थ कर्मचारियों अर्थात् 8 हिन्दी टाइपिस्टों से है जोकि 1975 में रोजगार दफतर के माध्यम से भर्ती किए गये थे, जिनमें से 5 अब भी बोर्ड कार्यालय में सेवारत है। उनकी सेवाओं को तब तक नियमित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्हता प्राप्त न कर लें और कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत न कर दिये जायें।

(ग) इस प्रकार के कोई अनुदेश नहीं हैं।

Railway Service Commission

8844. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Ministry had vide its order No. E/74/RCV/11/RB2 dated

the 1st September, 1975, 7th/8th November, 1975 and the 23rd December, 1974 asked the Northern Railway and the Railway Service Commission, Calcutta to regularise the services of Class III employees appointed by the Railway Board in 1973 on ad-hoc basis and whether the services of these employees have been regularised at above places and if so, their particulars;

(b) whether the ad-hoc class III employees in the Railway Board were selected by competent authority (Secretary, Railway Board) and if so, the reasons for not regularising their services so far and if not, the reasons why notices were not served on them like employees of Zonal railways; and

(c) whether there are rules of the Finance and Home Ministries whereunder employees with one year continuous temporary service are treated as regular employees and if so, whether these orders are being implemented and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) It is true that in 1973, Lower Division Clerks were recruited on purely temporary and ad-hoc basis through the Employment Exchange. As under the statutory rules, they could not be absorbed in the Railway Board's Office, these Lower Division Clerks who continued to work in this office for about two years were sent to the Railways for absorption in 1975. The exact position about the regularisation of their services in their parent offices is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Presumably the reference is to another set of ad-hoc employees viz; 8 Hindi typists who were recruited in 1975 through the Employment Exchange, out of whom 5 are still serving in the Board's Office. Their services cannot be regularised unless they qualify through the Staff Selection Commission and are nominated by the Department of Personnel.

(c) There are no such instructions.

कर्नाटक के न्यायाधीश की राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के प में नियुक्ति

8845. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति की पूर्ववर्ती परिपाटी के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) यह नियुक्ति संविधान के उपबन्धों के अनुसार की गई है । इससे पहले भी अनेक अवसरों पर किसी एक उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सतर्कता निरीक्षकों के विरुद्ध आरोप

8846. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षकों ने रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षकों के विरुद्ध दिसम्बर, 1977 के दौरान कई घटनाओं का हवाला देते हुए रेलगाड़ी में ड्यूटी के समय भ्रष्ट गतिविधियों के गम्भीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है ;

(ख) यदि यह सही है तो ऐसे लोगों को हटाने में क्या संकोच है जबकि ऐसे संगठन में विवादास्पद सत्यनिष्ठा वाले लोगों को भी नहीं रखा जाता है ;

(ग) जबकि सतर्कता संगठानों पर आरोप लगाया गया है तथा उनके रवैये को चुनौती दी गयी है तब इसकी जांच का काम सतर्कता संगठन को सौंपने के बजाय किसी स्वतन्त्र प्राधिकरण को न सौंपने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि सतर्कता निरीक्षकों का कार्यकाल छः वर्ष है, यदि हां तो कितने सतर्कता निरीक्षक छः वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):(क) से (ग): रेलवे बोर्ड के जांच निरीक्षक को भ्रष्ट गतिविधियों के आरोप के सम्बन्ध में मुख्य टिकट निरीक्षक, नयी दिल्ली का 8-12-77 का पत्र मंत्रालय में 24-1-78 को प्राप्त हुआ था। 10-2-1978 को इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करने के पश्चात्, सतर्कता निदेशालय के एक अधिकारी को, जो सम्बन्धित जांच निरीक्षक का सीधा नियंत्रण नहीं करता, मामले की छानबीन करने के लिए आदेश दिया गया। एसा स्वतन्त्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए किया गया है। जांच के परिणामों के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चूंकि शिकायत इस निरीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात हुई है और दोषी टिकट जांच निरीक्षक के खिलाफ भारी दण्ड अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है अतः यह आवश्यक है कि शिकायत के बारे में किसी प्रकार के संशय को हटाने के लिए जांच पूरी की जाए।

(घ) जांच निरीक्षकों का 6 वर्ष का समय काल उनके विशिष्ट गुणों के मामले में ही बढ़ाया जाता है। निदेशालय में 24 निरीक्षकों में से इस समय केवल 2 निरीक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने सतर्कता संगठन में अपने 6 वर्षों के समय काल को पूरा कर लिया है।

ट्रांसवर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज

8847. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रान्सवर्ल्ड मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज के साथ कोई सहयोग करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी तारीख क्या है, लागू रहने की अवधि क्या है और करार की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या करार करने से पूर्व विश्वव्यापी टेन्डर मांगे गए थे और क्या उसकी शर्तें सबसे कम थी ;

(घ) यदि नहीं, तो करार करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस बीच करार का नवीकरण कर दिया गया था और यदि हां, तो क्या नवीकरण से पूर्व विश्व व्यापी टेंडर मांगा गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि शर्तें सब से कम हों ;

(च) करार के अन्तर्गत कितने व्यक्ति कितनी अवधि के लिए भारत भेजे गए हैं, और छुट्टी वेतन, विमान टिकट, यात्रा भत्ते, रिहायशी क्वार्टरों की लागत, चिकित्सा उपचार, मोटर वाहन तथा अन्य सुविधाओं सहित उक्त प्रति कर्मचारी पर प्रतिमास कितना औसत व्यय होता है ;

(छ) क्या करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संसद को अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ;

(ज) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

(झ) क्या कर्मचारियों तथा मैसर्स ट्रान्सवर्ड मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज को अदायगियां अलग अलग दिखायी गई थीं और प्रत्येक उक्त अदायगी के लिए प्रतिवर्ष स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया था ; और

(ञ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह करार 12-2-1962 से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। करार की मुख्य बातें अनुबन्ध 'क' में दी गयी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अमरीका में डीजल बिजली रेलइंजन का विकास कार्य बहुत उन्नति पर था। अतः यह वांछनीय था की उसी देश से किस सहयोगी को चुना जाये। अमरीका में डीजल बिजली रेल इंजनों के तीन मुख्य निर्माता थे, अर्थात मैसर्स एल्कोस, मैसर्स इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक्स और मैसर्स जनरल मोटर्स। इनमें से मैसर्स इंटरनेशनल जनरल इलेट्रिक्स 2400 और 2600 अश्व शक्ति के रेल इंजनों के निर्माण के क्षेत्र में कुछ नये थे। चूंकि उनके रेल इंजन काफी अधिक जांचे परखे हुए नहीं थे, इसलिए रेलवे बोर्ड उन्हें नहीं खरीदना चाहता था। मैसर्स जनरल मोटर्स की अच्छी खासी प्रसिद्धि थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने पाया कि वे भारत में निर्माण के काम में सहयोग देने के बारे में उत्सुक नहीं थे। इस प्रकार, केवल एक-मात्र पार्टी, जो इन रेल इंजनों के निर्माण में सहयोग देने के इच्छुक थी, वह थी मैसर्स एल्को प्राडक्टस इंका०। फलस्वरूप, मैसर्स ट्रान्सवर्ल्ड मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेस इंका० जो मैसर्स एलका प्राडक्टस लि० की एक सहायक कम्पनी थी, के साथ कार्मिकों की सप्लाई के लिए करार किया गया।

(ङ.) इस करार का नवीकरण नहीं किया गया था।

(च) सूचना अनुबन्ध 'ख' में दी गयी है।

(छ) जी नहीं।

(ज) नियमों के अन्तर्गत यथा-निर्धारित भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया गया था ।

(झ) और (ञ) : कार्मिकों तथा मैसर्स ट्रान्सवर्ल्ड मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेस इंका० को किया गया भुगतानडीजल रेल इंजन कारखाने के समग्र खर्च का भाग था और इसे अलग अलग नहीं दर्शाया गया था । चूंकि ये भुगतान करार के अनुसार किये गये थे, इसलिए इस भुगतान के लिए प्रति वर्ष विशिष्ट अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

विवरण क

1. ट्रान्सवर्ल्ड मन्यूफक्चरिंग सर्विसेस इंका०, न्यूयार्क को एल्को द्वारा प्रशिक्षित अनुभवी व्यवसायी इंजीनियरों की व्यवस्था करनी थी, जिनकी संख्या सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार एक समय में चार से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। इस दल ने एल्को इंजीनियरों द्वारा अपने कारखानों में उपलब्ध सुविधाओं, जिनमें उपयुक्त मशीनों उपस्कर, कार्मिकों, का चयन और निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं की संस्थापना, जांच प्रक्रियाएं, आदि शामिल हैं, को अपना कर लोकोमोटिव इंजन निर्माण के सभी चरणों में मार्ग-दर्शन की व्यवस्था करनी थी।

2. वेतन और परिलब्धियां जिनकी व्यवस्था की जानी थी इस प्रकार थीं :—

2.1 इन कार्मिकों का आय कर से मुक्त वेतन जो 12,000 डालर से 20,000 डालर प्रति वर्ष के बीच था।

2.2 अमरीका से भारत आने और वापस अमरीका जाने का निःशुल्क किराया ।

2.3 डीजल रेल इंजन कारखानों में रहने के लिए निःशुल्क सुसज्जित क्वार्टर ।

2.4 रेलवे अधिकारियों को यथा-स्वीकार्य डाक्टरी इलाज और अस्पताल की सुविधाएं।

2.5 उनके सरकारी उपयोग के लिए कार और ड्रायवर।

2.6 ड्यूटी पर यात्रा करते समय, श्रेणी-I के अधिकारियों का यथास्वीकार्य भत्ता और यात्रा सुविधाएं ।

3. ट्रान्सवर्ल्ड मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेस इंका० द्वारा की गयी सेवाओं और निभायी गयी उन जिम्मेदारियों के लिए, जिनका विस्तृत विवरण करारनामें में दिया गया है, सरकार को प्रत्येक तकनीकी कार्मिक के लिए उसके नियोजन काल के दौरान केवल एक बार एक मुश्त भुगतान करना था । यह राशि अमरीकी डालरों में उसकी कुल वार्षिक परिलब्धियों के 1/24 भाग के बराबर थी ।

विवरण ख

कुल 7 तकनीशियन भारत को स्थानान्तरित किये गए थे, जिनमें से एक अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत से चला गया और उसके स्थान पर दूसरा तकनीशियन मंगाया गया । तकनीशियनों की अवधि इस प्रकार है :—

एक 30-9-63 से 29-9-65 तक

एक 30-9-63 से 29-9-65 तक

एक 18-6-64 से 6-12-65 तक

एक 3-3-66 से 14-3-67 तक (बदलाव लेखे में)

एक तोन 23-9-64 से 29-9-66 तक

तोन 19-4-64 से 17-4-67 तक।

इन तकनोशियनों के वेतन पर औसत मासिक खर्च 60,681 रुपये बैठता है। छुट्टी वेतन के रूप में कुल 26,986 रुपये को राशि भारतोय मुद्रा में और 9045.99 डालर तथा हवाई जहाज के किराए के रूप में 21,178.27 डालर तथा आउटवर्ड पैसेज के लिए 1,32,834 रुपये का भुगतान किया गया। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, तकनोशियनों को 3,91,231 रुपये के खर्च पर टाइप 4 के निःशुल्क सुसज्जित बंगले दिए गए और उनमें लगभग 45000 रुपये के खर्च पर साज सामान की व्यवस्था को गई। इन सात बंगलों का प्रोफार्मा किया (बिना साज सामान के) 420 रुपये प्रति महोना बैठता है। रेलवे अधिकारियों को तरह इन तकनिशोयनों को निशुल्क डाक्टरी सुविधाएं भो स्वोकार्य थीं।

उन सब के लिये एक ड्राइवर ओटोमोब्राइल रखा गया और इस आटोमोबाइल सुविधा के लिए प्रतिमाह 600 रुपये खर्च किए गए।

विजयवाड़ा डिवीजन के स्विचमैन

8848. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे के विजय वाड़ा डिवीजन के स्वोचमैनों को उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है ;

(ख) उनको क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) उनको शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जो हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है ;

(ग) सरकारो नोति के अनुसार, किसो भो स्रोत से प्राप्त कर्मचारियो के अभ्यावेदनों पर समूचित रूप से विचार किया जाता है और कार्रवाई की जातो है। सभो कोटियों के कर्मचारीयों की मांगों पर विचार किया जाता है और उन्हें स्थायो वार्ता तन्त्र तथा संयुक्त परामर्श तन्त्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से हल किया जाता है।

विवरण

(1) विजयवाड़ा-गुडूर खण्ड में 6 घण्टे काम।

(2) बेहतर विश्राम के लिए 6 व्यक्तियों के सम्पर्क को फिर से आरम्भ करना।

(3) सहायक स्टेशन मास्टरों और 'सो' श्रेणी के गार्डों के ग्रेड़ों को पदोन्नत करना।

(4) 290-500 रु० के वेतनमान को फिर से निर्धारित करना।

(5) 40% तक पदों के ग्रेड बढ़ाना ।

(6) केबिन सहायक स्टेशन मास्टर अथवा ब्लाक आपरेटर के पदनाम बदलना ।

(7) स्विचमैन का आवधिक स्थानान्तरण ।

(8) केबिनों में नियंत्रक फोन को व्यवस्था ।

(9) रिक्तियों का भरा जाना ।

(10) शारीरिक श्रम वाले कामों के लिए सहायता की व्यवस्था ।

स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के लेखों का निरीक्षण

8849. **श्री के० लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशो पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की सांविधिक पुस्तकों तथा लेखा-पुस्तकों की जांच तथा उनका निरीक्षण अब तक पूरा हो चूका है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निरीक्षण तथा जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनो के प्रबन्धकों ने अधिकारियों को सहयोग नहीं दिया है तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं पत्रों को छिपाया है ;

(घ) क्या कम्पनो अधिनियम की धारा 408 के अधीन कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किताबों, दस्तावेजों तथा पत्रों को छिपाने के लिए कम्पनो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) : हां, श्रीमान जी । कम्पनो अधिनियम को धारा 209 क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों का निरीक्षण अभी हाल ही में पूरा हुआ है रिपोर्ट तयार को जा रही है और अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) इस प्रकार की कोई भो रिपोर्ट उन अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है, जिन्हों ने निरीक्षण सम्पन्न किया है ।

(घ) नहीं, श्रीमान जी ।

(ङ) (1) कम्पनो विधि बोर्ड निरीक्षण को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर विचार करेगा ।

(2) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किसी भी प्रकार को कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आगरा में पुलिस द्वारा गोली चलाने के बारे में

RE. POLICE FIRING IN AGRA

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आगरा में डा० अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष में अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा निकाले गये एक जलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना को लेकर मैंने एक स्थगत प्रस्ताव को सूचना दी थी । गृह मंत्री कृपया इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

दूसरे दिल्ली में लगभग 1500 जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल कर रखी है और अस्पतालों में काम लगभग ठप्प हो गया है । मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें । **(व्यवधान)**

Shri Chhabi Ram Argal (Morena): There is great resentment among Jatav Community throughout the country for Tear-gas and Lathi charge on Jatavs and other Scheduled Castes in Agra. You have not admitted Calling Attention on this subject. We want a reply from the Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा हूँ । वे आज ही प्राप्त हुए हैं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लिमिटेड के बन्द किये जाने की संभावना

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सैंण्ट्रल फिशरीज़ कारपोरेशन लिमिटेड को, जोकि एक सरकारी उपक्रम है बन्द किया जा रहा है । इसके बन्द होने से 500 व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे । उसका अनेक राज्यों के सरकारी खजाने पर विशेषकर पश्चिम बंगाल में विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उक्त कार्पोरेशन उनसे मछली खरीदता है । पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से कहा था कि इसे बन्द न किया जाये ।

सरकार ने दिन प्रति दिन काम में आनेवाली आवश्यक वस्तुओं के वितरण और उत्पादन के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है । मच्छली भी कुछ राज्यों के जनता के लिये एक अनिवार्य वस्तु है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस आशय का एक वक्तव्य दे कि सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ।

(दो) विशेष रूप से एअर इंडिया के विमान भाड़ा ढांचे में पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये की कमजोर स्थिति के बारे में समाचार ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज पौंड-स्टर्लिंग मुद्रा को कमजोर माना जाता है और हमारी सरकार का दावा है कि उसके मुकाबले रुपये की स्थिति मजबूत है । परन्तु वास्तविक एयर इंडिया से जो कुछ एक पौंड स्टर्लिंग से खरीदा जा सकता उसके लिये रुपये के मूल्य से उसके लिये तीन गुना देना होगा । एयर इंडिया ने भारतीय यात्रियों से व्यापार प्राप्त करने के मामले में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की बहुत सहायता की है। अनेक मार्गों पर एयर इंडिया के विमान खाली जाते है । वे एक तरीके से रुपये में भुगतान करने वाले यात्रियों को लेने से इन्कार करते हैं (जोकि भारतीय होते हैं) परन्तु बहुत सी छोटी विमान कम्पनियां विमान भर-भर कर उनको ले जाती है । मैं यह नही समझ पाया कि जो काम छोटी कम्पनियां करती हैं वह एयर इंडिया क्यों नहीं कर सकती । उनमें से बहुत सी कम्पनियां उसी साधन से ~~विमान और~~ ईंधन खरीदती है जहां से हम खरीदते है। फिर भी एयर इंडिया के यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ता है और विशेषकर जब भारतीय रुपये म भुगतान किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसका उत्तर दें ।

(तीन) सिन्थटिक कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा निदेशकों के नामनिर्देशन की अत्यावश्यकता

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहानपुर) : सिंथेटिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली (उत्तर प्रदेश)

के भारतीय जीवन बीमा, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि के अनेक शेयर हैं और उन्होंने इस कम्पनी को ऋण के रूप म भारी धनराशि दे रखी है। इसलिये भारत सरकार को इस कम्पनी के बोर्ड में दो निदेशकों को मनोनीत करना चाहिये। चूंकि इस कम्पनी के मामलों में शंका की गुंजाइश है और इसमें बहुत अधिक फजूल खर्ची की जाती है जिसको यह कम्पनी अपने कृत्रिम रबड़ के मूल्य बढ़ा कर उचित सिद्ध करती है, यह आवश्यक है कि सरकार इस कम्पनी के बोर्ड में दो निदेशक मनोनीत करें जो इस बात को सुनिश्चित करे कि सरकार और 25,000 अंशधारियों को उचित लाभ प्राप्त हो और अनुचित तथा हानिकारक ढंग से सिंथेटिक रबड़ के मूल्य मे वृद्धि को तत्काल रोक दिया जाये जिसका बोझ रबड़ का उपयोग करने वाले उद्योग और जनता पर पड़ता है। सिंथेटिक रबड़ के मूल्य तुरन्त कम किये जाने चाहिये और इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये और सरकार द्वारा उचितमूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये। मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा का नोटिस देता हूं।

(चार) 1 मई, 1978 को आगरा में बौद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का समाचार

Shri Kachrulal Hemraj Jain (Balaghat): There was lathi charge by the Police on 14-4-1978 on Scheduled Castes, Neo-Buddhists on the occasion of a procession taken out by them on the birth day of Dr. Ambedkar in which several person died and thousands sustained injuries. The Home Minister should make a statement.

(पांच) आई० टी० आई० नैनी में तालाबन्दी का समाचार

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (करवा): मैं संचार मंत्री का ध्यान आई०टी०आई० नैनी में तालाबंदी और अन्य टेलीफोन उद्योगों मे भी तालाबंदी की सम्भावना की ओर दिलाना चाहता हूं। आई०टी० आई० में 2300 श्रमिक काम करते थे। तालाबंदी की घोषणा के बाद अन्य टेलीफोन उद्योगो में भी आन्दोलन हो रहा है; वह के प्रबन्धक श्रमिकों की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करें और विवाद को सुलझा दे ताकि टेलीफोन सेवाओं में विघ्न न पडे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे तथा उत्तर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (सुरजित सिंह बरनाला): मैं पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2216/78]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : मैं श्री भानु प्रताप सिंह की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) गन्ना (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 28 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 197(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) सा०सां०नि० 199(ङ) जो दिनांक 29 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 1 मार्च, 1978 को अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 155 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2217/78]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं निम्नलिखित-पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 91-कस्टम्स जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुइ थी।

(दो) अधिसूचना संख्या 92—कस्टम्स जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 113--सेन्ट्रल एक्साइज जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या 114—सेन्ट्रल एक्साइज जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2218/78]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (श्री लकप्पा)।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उससे पूर्व मैं हरियाणा में संवैधानिक व्यवस्था ठप्प हो जाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हरियाणा में किसी का शासन दिखाई नहीं देता। मुख्य मंत्री भी राज्यपाल से मिले हैं?

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आ जाइये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टोंड दूध और डबल टोंड दूध के मूल्य में वृद्धि करने का दिल्ली दुग्ध योजना का निर्णय

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली दुग्ध योजना के 2 मई, 1978 से टोंड दूध का मूल्य प्रति आधा लिटर 65 पैसे बढ़ाकर 90 पैसे करने और डबल टोंड दूध का मूल्य प्रति आधा लिटर 35 पैसे से बढ़ाकर 45 पैसे करने के निर्णय का समाचार"

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर शुद्ध दूध सप्लाई करने तथा ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 1959 में भारत सरकार के एक विभागीय प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। इस योजना को "न लाभ, न हानि" के आधार पर चलाने का विचार था। केन्द्रीय डेरी की आरम्भिक क्षमता प्रति दिन 2.55 लाख लिटर दूध की थी। अब यह क्षमता तरल दूध के मामले में बढ़ कर प्रति दिन 3.75 लाख लिटर तथा डेरी उत्पादन तैयार करने के लिए दूध के मामले में प्रति दिन 0.60 लाख लिटर दी गई है। 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार योजना में 426.41 लाख रुपये का पूंजी निवेश था। वर्ष 1976-77 में 1830.41 लाख रुपये का क्रय-विक्रय हुआ।

2. वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 को छोड़कर दिल्ली दुग्ध योजना 1959 में स्थापना के प्रारम्भ से ही घाटे में चल रही है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	हानि/लाख रुपये	लाभ
1959–61	5.02	
1961–62	4.16	
1962–63	10.64	
1963–64	23.09	
1964–65	97.77	
1965–66	39.21	
1966–67	14.66	
1967–68	146.71	
1968–69	76.42	
1969–70		73.34
1970–71		11.23
1971–72	66.92	
1972–73	83.89	
1973–74	221.50	

12—142 L.S.S./N.D./78

1974–75	414.31	
1975–76 . .	576.78	(अनुमानित-प्रमाणीकरण हो रहा है)
1976–77	699.45	
	2408.45 ला	

3. चालू वर्ष (1977–78) के दौरान 808.60 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

4. दिल्ली दुग्ध योजना के ठोण्ड और डबल टोंड दूध इन दोनों के विक्रय मूल्य में समय समय पर संशोधन किया गया है। मूल्य में पिछला संशोधन 5 नवम्बर, 1973 को किया गया था। उस समय टोंड दूध का विक्रय मूल्य 1.30 रुपये और डबल टोंड दूध का विक्रय मूल्य 0.70 रुपये प्रति लिटर निर्धारित किया गया था।

5. 1973 से दुध, स्किम्ड दुग्ध चूर्ण और बटर आयल जैसी कच्ची सामग्री को लागत में वृद्धि होती रही है। वस्तुत: केवल कच्ची सामग्री की लागत ही कुल उत्पादन लागत की लगभग 81 प्रतिशत बैठती है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भी 1973 से वृद्धि हुई है। इस कारण से भी दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध परिसंस्करण और वितरण को लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतनों तथा मजदूरी में वृद्धि होने के कारण भी उत्पादन की लागत में और वृद्धि हुई है।

6. बड़ौदा, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में टोण्ड दूध का विक्रय मूल्य 1.80 रुपये से 1.90 रुपए प्रति लिटर तक और डबल टोण्ड दूध का विक्रय मूल्य 1.26 रुपए से 1.42 रुपए प्रति लिटर तक है।

7. अत: दिल्ली दुग्ध योजना को "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाने के लिए दूध के विक्रय मल्यों में 2 मई, 1978 से निम्न प्रकार से संशोधन करना आवश्यक हो गया है :—

1. टोण्ड दूध . .	1.80 रुपए प्रति लिटर
2. डबल टोण्ड दूध . .	0.90 रुपए प्रति लिटर

श्री के० लकप्पा : गत वर्ष अर्थात 1977–78 में दिल्ली दुग्ध योजना को लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि हुई। इससे पता चलता है कि वहां पर कितनी कार्यकुशलता से काम होता है और मंत्रालय का कितना अच्छा नियंत्रण है। मंत्री महोदय ने आंकड़े देकर बताया है कि वर्ष 1969–70 और 1970–71 में इस संस्थान को क्रमशः 73.34 लाख और 11.23 लाख रुपये का लाभ हुआ था। उन्होंने लाभ होने के कारण नहीं बताये बल्कि हानि होने के कारणों का उल्लेख किया है। एक वर्ष में 8 करोड़ रुपये की हानि से पता चलता है कि दिल्ली दुग्ध योजना का कार्यकरण न उपभोक्ताओं के हित में है न देश के हित में।

हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का मूल्य बढ़ाये जाने की विभिन्न संगठनों ने आलोचना की है। दिल्ली नगर निगम ने इस वृद्धि के खिलाफ दोष व्यक्त किया है। दूध के वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती रहती हैं और इस संस्थान के कर्मचारियों से साठ गांठ करके दूध की चोरी भी होती है। डा० कुरियन दिल्ली दुग्ध योजना और इंडियन डेयरी कार्पोरेशन के दूध की दर में समानता लाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं को, जो पहले ही मूल्य वृद्धि के कारण दुखी हैं, दूध का अधिक मूल्य देना होगा। जब दुग्ध की किस्म में कोई सुधार नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने को क्यों कहा जाता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय प्रशासन को व्यवस्था में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे जिससे यह संस्थान बिना लाभ या हानि के काम कर सके। दूध का मूल्य बढ़ने का प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की जनता पर पड़ा है। सरकार को मूल्य बढ़ाने के बजाय कदाचार, कुप्रशासन और भ्रष्ट तरीकों को रोकने के प्रयत्न करने थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे दूध के मूल्य में वृद्धि करनी पड़े।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : मैंने बताया था कि वर्ष 1971–72 में 66 लाख रुपये की हानि थी जो 6 वर्षों की अवधि में यह बढ़ कर 7 करोड़ रुपये हो गई। यह हानि उनके शासन काल में हुई और अब हम स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष 1969–70 और 1970–71 में लाभ का कारण यह था कि उस समय दूध के मूल्य में वृद्धि की गई थी। 22–2–69 को 'स्टैंडर्डाइज़्ड' और गाय के दूध का मूल्य 1.04 रुपये से बढ़ा कर 1.16 रुपये कर दिया गया था और टोंड दूध का मूल्य 0.74 पैसे से बढ़ा कर 0.84 पैसे कर दिया गया था। इस प्रकार दूध के मूल्य में 10–12 पैसे की वृद्धि की गई थी। फिर वर्ष 1973 में टोंड दूध का मूल्य 84 पैसे से बढ़ा कर 1.30 रुपये कर दिया गया था जो आज तक जारी रहा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुप्रशासन पर भी ध्यान देंगे ?

श्री सुरजितसिंह बरनाला : जी, हां। हम दिल्ली दुग्ध योजना में स्थिति को सुधार रहे हैं।

Shri Kachrulal Hemraj Jain (Balaghat) : Sir, corruption is rampant in D.M.S. No. concrete step has been taken to improve the working of D.M.S. In many cases D.M.S. employees have taken away money similarly Depot Managers misbehave with the people and drivers mix waters in milk bottles. No steps have been taken to remedy the situation. It is only one year that Government has changed in the country but the working of D.M.S. is far from satisfactory earlier also.

There is no justification to increase the price of milk. Earlier the price of Ghee and butter was also increased. The quantum of increase is very high. A person purchasing four bottles a day has to pay a sum of Rs. 30/- in addition to what he has been paying uptil now. It is too much. Our Government has has invited criticism by increasing the price of milk.

Milk is an essential item and we cannot reduce the quantum of milk after the increase in its price. There is already malnutrition in case of Children. I, therefore, suggest that status quo centre may kindly to restored and the old prices may be allowed to continue. Otherwise there will be agitations and demonstrations.

Shri Surjit Singh Barnala : The milk is purchased from different states. The milk is cheaper in Delhi than Bombay, Madras and Calcutta. It was being sold

cheaper because of subsidies. The farmers have also raised prices of their product and expenditure has, therefore, been increased.

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : There should be some policy according to which the prices should be increased. Government should give an assurance to the people that price of certain commodity will not increase beyond a particular limit. The increase in milk price is about 40—45 per cent whereas Government employees have been paid D.A. at the rate of 2.5 per cent. Therefore they have to pay more than what they have got.

There is no change in the administration set-up. It has been reported in the press that a driver mixed water with milk in thirteen drums and sold the milk in resettlement colonies where only poor families live. This is the state of affairs.

You can increase charges but you must see to it that we must get quality. Secondly may I know whether government has any scheme to make available pure milk to poor people? I also want to know administration expenses as well as charges paid for procurement of milk.

Shri Surjit Singh Barnala : The price of milk was last fixed in 1973 and were continuing since then. On the other hand there has been an increase of 45% in the price of raw milk during this period. Similarly there has been 59% increase in the price of SMP also. **The increase effected in the price of milk is** not commensurate with this increase.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : Sir, I have a point of order. A point has not been replied whether arrangements would be made to supply milk at cheaper or earlier rates to poorer people living in slums.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : गरीब लोग चूंकि डबल टौंड दूध का इस्तेमाल करते हैं इसलिये उसकी कीमत में 20 पैसे की वृद्धि की गई है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अब जो दूध लोगों को देते है उसमें चिकनाई की प्रतिशतता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । आप इस पर कैसे बोल रहे हैं ?

Shri Ram Vilas Paswan : Sir, my question has not been replied.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे मामले पर विचार करेंगे ।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : When this milk was sold at the rate of 25 P. then it contained 10% fat content and when it costed 35 P. its fat content was 40% which can down to 10% when its cost was 53 Paise. Now when its cost is 65 P. it contains 6% fat. I want to know where the profit is absorbed which accrues due to this lowering of fat content.

Previously also the prices were increased by 5 or 10 paise but this time it has been increased by 25 Paisas. When the Government increases the prices the benefit should go to the farmers who rear animals. But we find that the Government does not pay them remunerative price. There is lot of bungling in the working of D.M.S. This should be enquired into.

Milk is transported through Tankers via road and this entrails heavy expenditure. Government should examine the possibility of transporting it through Rail Tankers which would be economical and thereby obviating the need for increasing the price.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं स्पष्ट रूप से यह बता चुका हूं कि पहले हम 20% चिकनाई वाला दूध खरीद रहे थे। अब हमें केवल 6.5 प्रतिशत चिकनाई वाला दूध ही मिल पाता है। जहां तक दिल्ली दूध निगम के कार्यकरण का प्रश्न है मैं उसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूं और समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिवर्ष 7 करोड़ का घाटा हो रहा है। सरकार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। यदि हम लोगों के विचार यहां पर बता नहीं सकते तो हमारा यहां आने का क्या लाभ है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। नियमानुसार केवल जिनका नाम है उन्हें ही बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह एक गंभीर मामला है। मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा 25 अप्रैल, 1978 को दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT *RE*. CORRECTION OF CERTAIN INFORMATION GIVEN BY THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION ON 25TH APRIL, 1978

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : कृषि और सिंचाई मंत्रालय को अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान 25 अप्रैल, 1978 को श्री वसन्त साठे, संसद् सदस्य के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने उल्लेख किया था कि :—

> "एम एससी कृषि कक्षाओं के लिए केवल वह स्नातक पात्र है जिसने बी एससी कृषि उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा किसी को भी इसमें दाखिला नहीं मिल सकता। इसी प्रकार, कृषि में पी एच डी के लिए केवल वे ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कृषि में एम एससी किया हो।"

तथ्यों को सुनिश्चित करने पर मैं खेदपूर्वक कहता हूँ कि सही स्थिति इससे थोड़ी भिन्न है। अतः मुझे स्पष्ट करना है कि कृषि [सस्य विज्ञान, बागबानी विज्ञान तथा कृषि विस्तार] में एम०एससी० के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में केवल बी०एससी० (कृषि) स्नातक ही दाखिल किये जाते हैं। अन्य शाखाओं म प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों की सहवर्गीय शाखाओं के गैर-कृषि स्नातक भी पात्र हैं, यद्यपि व्यवहार में, दाखिल हुये अधिकांश छात्र कृषि स्नातक हैं। पी०एचडी० के लिए, गैर-कृषि स्नातकों का वास्तविक प्रवेश तो और भी कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, एम०एससी तथा पी०एचडी० में दाखिले के लिए पात्रता को केवल कृषि स्नातकों के लिये ही सीमित करने का सवाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक
ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को पता है कि आगामी पांच वर्षों में 18,500 मेगावाट की अधिस्थापित क्षमता स्थापित की जानी है । यह क्षमता आज की उपलब्ध क्षमता को लगभग दो तिहाई है । अतः कार्यक्रम निष्पादित करने वाली संस्थाओं पर भारी उत्तरदायित्व है । इसके लिये अभी निवेश किया जाना है अतः राज्य विद्युत मंडलों को इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिये तैयार किया जाना है । चूंकि देश में बिजली के उत्पादन एवं वितरण के मुख्य अंग वहीं हैं । इस विधेयक में राज्य विद्यत मंडलों के वित्तीय कार्यकरण में सुधार लाने के प्रस्ताव हैं ।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में विद्युत उद्योग के विकास का ढांचा उपलब्ध किया है । वर्ष 1976 तक इस अधिनियम में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किये गये । उस समय संशोधन करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भूमिका को व्यवस्था की गई तथापि उस संशोधन के द्वारा राज्य विद्युत मंडलों के वित्तीय उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये ।

राज्य विद्यत मंडलों में निवेश पूरी तरह से ऋण के रूप में किया जाता है । अधिकतर ऋण राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किये जाते हैं यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में वित्त पोषक संस्थाओं से भी ऋण लिये गय हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन द्वारा भी पारेषण एवं उत्पादन दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिये वित्त दिया जा रहा है । वित्त पोषी संस्थाए इस बात के लिये उत्सक है कि राज्य विद्युत मंडल पर्याप्त लाभ पर काम करें ।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तगत राज्य विद्युत मंडल स्वस्थायी संगठन है परन्तु इन्हें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार काम करना होता है । मंडलों के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । इन मंडलों को उन क्षेत्रों को ओर विशेष ध्यान देना होता है जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही अथवा अपर्याप्त रूप से की जा रही है । परंतु उन्हें इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश नहीं है कि वे किस प्रकार से उक्त उद्देश्य की पूर्ति करें । लगभग 14 वर्ष एक समिति ने सुझाव दिया था कि विद्युत बोर्डों को अपने पूंजो निवेश पर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ होना चाहिये । परंतु अधिकतर विद्युत मंडलों द्वारा आज भी इतना लाभ भी अर्जित नहीं किया जा रहा । इसका एक कारण यह है कि ऋण के रूप में पूंजी निवेश पर उन्हें बहुत अधिक व्याज अदा करना पड़ रहा है । विद्युत मंडल अपने संसाधनों से इस आवर्ती दायित्व का वहन करने में असमर्थ हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after lunch at ten minutes past fourteen of the Clock.

[**श्रीमति पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई ।**
Shrimati Parvati Krishnan in the Chair.]

विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक—जारी

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*Contd.*

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): विद्युत मंडलों पर ऋणों के आवर्ती ब्याज के रूप में देय राशि 1975–76 में 500 करोड़ थी जबकि 1972–73 में यह राशि 54 करोड़ रु० थी।

राज्य सरकारों को राज्य विद्युत मंडल के पूंजी निवेश में साझेदारी देने के विचार से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के उपबन्धों की जांच की गई और राज्य सरकारों के परामर्श के साथ उसमें संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

एक महत्वपूर्ण संशोधन के द्वारा राज्य विद्युत मंडलों को अपने पूंजी ढांचे में साझदारी देने का प्रस्ताव है। एक संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकारें विद्युत बोर्डों में पूंजी निवेश कर सकें तथा अपने वर्तमान ऋणों को शेयर पूंजो के रूप में बदल सकें। इससे उनका ब्याज अदा करने का दायित्व कम होगा और वित्तोय कार्यकरण में सुधार होगा। सरकार को आशा है कि अधिकतर राज्य सरकारें इस उपबन्ध का लाभ उठायगो।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम में उपबन्ध है कि बोर्ड अपनी गतिविधियां हटाने पर न चला कर समय समय पर प्रभारों में परिवर्तन करेगा। परंतु इस उपबन्ध के बावजूद विद्युत बोर्ड आन्तरिक स्रोतों से संसाधन नहीं जुटा पाये। अत: अधिनियम में प्रस्थावित संशोधन के द्वारा एक निश्चित निदेश दिया जा रहा है कि राज्य विद्युत बोर्ड अपनी वित्तीय गतिविधियों का समायोजन इस प्रकार करेंगे कि सब खर्चों को पूरा करने के बाद उनको लाभ हो। इस लाभ का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिया जायेगा। उसका निर्धारण करते समय राज्य सरकारें इस बात को ध्यान में रखेंगो कि पूंजीगत कार्यों की लागत के लिये उचित धनराशि रखो जाये। राज्य विद्युत मंडल वाणिज्यिक संगठन हैं और सुदृढ़ वित्तोय सिद्धांतों के अनुसार कार्यकरण के लिये यह आवश्यक है कि विद्युत क्षेत्र के लिये अपेक्षित निवश की कुछ राशि स्वयं उसी क्षेत्र के आन्तरिक संसाधनों द्वारा जुटाई जाये।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन मूल्य ह्रास की गणना के संबंध में है। अधिनियम में वर्तमान उपबन्ध के अनुसार मूल्यह्रास आरक्षण निधि में प्रतिवर्ष इस प्रकार अंशदान दिया जाये कि संयंत्र को अपेक्षित कार्याविधि को समाप्ति पर जो राशि जमा हो वह संयंत्र की लागत का 90 प्रतिशत हो। मूल्यह्रास बोर्ड के आन्तरिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है अत: मूल्यह्रास नियत करने मे कुछ लचीलेपन के द्वारा बोर्ड अतिरिक्त अंतर्गत संसाधन जुटा सकेंगे। मूल्यह्रास नियत करने के तरीके में परिवर्तन के लिये अधिनियम का संशोधन आवश्यक है। अत: सरकार का उस में संशोधन करने का विचार है। इस संशोधन के द्वारा केन्द्र सरकार मूल्य ह्रास नियत करने के सिद्धांत समय समय पर निर्धारित करेगी। ये सिद्धांत बोर्डों के वित्तीय दायित्वों तथा उनके ढांचे को ध्यान में रख कर निर्धारित किये जायेंगे।

अधिनियम को छठो अनुसूची में भो कुछ संशोधन करने का विचार है। एक संशोधन के द्वारा गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों को मूल्य ह्रास के संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों के एकरूप लाया जा रहा है। छठो अनुसूची के अनुसार लाइसेंस धारी विकास आरक्षण निधि भी बन सकते हैं परंतु 1976 के वित्त विधेयक में विकास छूट के संबंध में संशोधन के परिणाम स्वरूप छठी अनुसूची में संशोधन भी आवश्यक हो गया है। अत: उसके अनुरूप संशोधन करने का विचार है।

मुझे विश्वास है कि इन संशोधनों के परिणामस्वरूप राज्य विद्युत मंडलों के कार्यकरण में पर्याप्त सुधार होगा। राज्य सरकारें भी इसमें योगदान देंगी और बिजली के बारे में केन्द्र सरकार ने जो कार्यक्रम नियत किया है वह चालू योजनावधि के दौरान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa): Sir, I move:

"That the Bill be circulated upto 1st July 1978 to elicit public opinion."

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मंत्री महोदय ने संशोधन प्रस्तुत करते समय केवल इस बात पर ध्यान दिया है कि राज्य विद्युत मंडलों की वित्तीय स्थिति सुधारे।

एक संशोधन राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त करने के संबंध में है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार राज सहायता प्रदान करे। विद्युत बोर्डों के गठन से पूर्व उनका कार्य विद्युत विभागों द्वारा किया जाता था और हानियों का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इन बोर्डों के गठन के पश्चात् राज्य सरकारें बोर्डों को कुछ सहायता नहीं दे रही। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इन बोर्डों को राज सहायता देने से ही इन की वित्तीय स्थिति सुधारेगी।

इन विद्युत मंडलों का प्रशासकोय व्यय बहुत अधिक है। एक समिति को इस पर विचार करके इसमें मितव्ययता के उपाय सुझाने चाहिये। तापीय बिजली घरों के निर्माण में अनेक कमीयां रह गई हैं। जिनके कारण उनमें बार बार 'ब्रेक डाउन' होते हैं। इस बारे में जांच होनी चाहिये। जिससे यह पता चल सके कि इसका कारण डिजाइन, निर्माण अथवा मशीनों में दोष है अथवा कोई अन्य।

पारेषण एवं वितरण हानियों को घटा कर 20 प्रतिशत से कम किया जाना चाहिये। विशेषज्ञों का मत है कि यह हानि बिजली की चोरी के कारण है। इसका पता लगाने के उपाय किये जाने चाहिये जिससे उसको रोका जा सके।

सरकार को इस बात को भी देखना चाहिये कि तापीय बिजली घरों की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये राज सहायता दी जानी चाहिये और इसके लिये दरें एक समान होनी चाहियें तथा उनको कम किया जाना चाहिये। कई स्थानों पर कि ऊंची दरें होने के कारण किसान बिजली का उपयोग करने में असमर्थ हैं। आर्थिक समिति के अध्ययन दल ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में भी यह कहा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये राजसहायता दी जानी चाहिये और बिजली की दरें कम की जानी चाहियें। परंतु मंत्री महोदय के भाषण से यह आशंका पैदा हो रही है कि दरों में वृद्धि की जायगी।

सरकार का कहना है कि विद्युत मंडलों को 700 करोड़ रु० की हानि है। इसका कारण चालू परियोजनाओं का समय पर पूरा न किया जाना है। दस वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई परियोजनाएं भी अभी तक पूरी नहीं की गई हैं।

रामागुन्डम तापीय बिजली घर का कार्य तत्काल प्रारंभ करके 2-3 वर्षों में समाप्त किया जाना चाहिये। विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों से इन परियोजनाओं के लिये धन लिय

जाना चाहिये। विद्युत मंडलों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को जो ब्याज अदा किया जाता है उसकी दर भी कम की जानी चाहिये।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : I support this Bill with the hope that the proposed provisions will go a long way in improving the working of State Electricity Boards.

State Electricity Boards used to get loans from State Governments as well as Central Government and were required to pay interest over it. But now they would not be required any more to pay interest as they can get that loan converted into equity shares. This will reduce their burden. The largest portion of public sector investment is invested to Electricity Boards or Electricity generating plants but they suffer from utmost inefficiency. These Electricity Boards have become dens of corruption. Nepotism, favouritism rules in their working and this affects their working with the result that Electricity rates are raised every year.

I would like to suggest that a meeting of State Electricity Ministers be convened and an Expert Committee set up to look into the working of Electricity Boards. There is underutilisation of generating Capacity in our country with the result that our Industrial development is adversly affected. A number of Industries are shut down for want of Power. Shortage of Power is also affecting our Agricultural productions.

Some days ago Hon. Minister had given an assurance that there is enough Power for Delhi and there would not be any need for Power-shedding. But power-shedding was resorted to. This situation is likely to worsen in the summer.

We have not been able to complete our projects as per time-schedule and as per cost-estimates. Perhaps there is not a single plant in the Country which has been completed as per time-schedule and according to cost-estimates.

I have seen in Calcutta that there is no supply of power for 8-10 hours continuously. I do not know the reason of this thing.

Losses in transmission are to the extent of 23-24 percent and in my opinion they are in connivance with the officers concerned. Efforts should be made to reduce these losses to 10-12 per cent and efficient machinery should be set up by all the State Governments of the country.

In the matter of electricity distribution priority should be given to the rural people, to the farmers and to small scale industries and cottage industries. Even now, there are many big industrialists in this country, who are getting power at a very cheap rate and farmers pay a heavy price for that. This type of disparity should go, at least under the Janata Government because people expects you to give a fair deal to the common man.

Only 36 per cent of our villages have electricity. A phased programme should be formulated to electricity the remaining 64 percent villages within next five years.

A machinery should be set up to solve the labour problem.

Power position in Delhi has deteriorated after supply of power to it from Bhakra at cheaper rates has discontinued. The previous arrangement should therefore, be restarted, so that the demand of power in the capital may be met. Plants may be commissioned in time and they must work according to their installed capacity. I support this Bill.

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे (अहमदनगर) : इस देश में ऊर्जा की समस्याओं को पूरी तरह नहीं समझा गया है। तेल के संकट के कारण ऊर्जा संकट में और वृद्धि हुई है और विशेष रूप से बिजली के उत्पादन और वितरण में कुप्रबंध के कारण देश में बहुतसी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। इसके कई कारण हैं। धीरे-धीरे नीति निर्माता तथा प्रशासन देश में बिजली तथा विद्युत(पावर) के प्रबंध पर अपना नियंत्रण खो रहे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हाल ही में प्राक्कलन समिति ने इस समस्या पर विचार किया और इस मामले की जांच की। प्राक्कलन समिति ने कहा है कि देश में कोई भी ऐसा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है जहां बिजली का उत्पादन उसकी जरूरत के अनु-सार हो रहा हो और इससे अधिक चिन्ता की बात यह है कि कभी आने वाले कई वर्षों तक बनी रहेगी।

मंत्री महोदय ने समस्त नीति अपना ऊर्जा समस्या का वित्तीय प्रबंध के संकीर्ण दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है जो उचित नहीं है। वित्तीय प्रबंध विद्युत बोर्ड का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन यह ही एक मात्र बात नही हैं।

ऊर्जा के सभी स्रोतों को व्यवस्थित करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिये एक व्यापक विधेयक पेश किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। बेहतर यह होगा यदि ऊर्जा के सभी स्रोतों का प्रभार ऊर्जा मंत्री को सौंप दिया जाये ताकि वह उसकी उचित व्यवस्था कर सकें और इस देश के ऊर्जा स्रोतों को समचित व्यवस्था कर सकें। देश में बिजली हानि अथवा ट्रांसमिशन हानि 18 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच है जबकि विश्व में यह हानि 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच है। इस विधेयक को लाते समय मंत्री महोदय को सामान्य ट्रांसमिशन हानि 12–14 प्रतिशत तक निर्धारित करनी चाहिये और यह कहना चाहिये था कि इसके अतिरिक्त हानि का उत्तरदायिप्व बिजली बोर्ड का होगा अथवा ऐसे अधिकारियों का होगा जो विद्युत बोर्ड का संचालन करते हैं। किसानों या उद्योगपतियों पर दायित्व नहीं थोपा जाना चाहिये। मंत्री महोदय बिजली बोर्ड या संबंधित अधिकारियों की अकुशलता और कुप्रबंध को माफ करना चाहते हैं लेकिन सामान्य उपभोक्ता को दण्डित करना चाहते हैं। कहा जाता है कि किसान दूर-दराज के गांवों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन हानि अधिक होती है, अतः उन्हें अधिक भुगतान करना चाहिये। यह बहुत गलत बात है। उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करना सर्वथा गलत है।

किसान के जीवन में बिजली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु वितरण प्रणाली में इतना कुप्रबंध है कि किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय बिजली के उत्पादन, वितरण आदि के बारे में पूर्णतया संतुष्ठ है। लेकिन उन्हें यह निर्धारित करना चाहिये कि 12 या 14 प्रतिशत से अधिक की ट्रांसमिशन हानि की पूर्ति बिजली बोर्डों द्वारा की जायेगी। केवल तभी किसानों से उन्हें बिजली की ऊंची दरें मांगने और दस प्रतिशत लाभ कमाने का नैतिक अधिकार हैं।

इस देश में बिजली की आयोजना इस तथ्य को ध्यान में रख कर की जानी चाहिये कि विश्व में हमारा भी एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हमारे पिछड़ेपन के कारण निम्नतम है। हम कृषि और उद्योग का विकास करना चाहते हैं। परन्तु यह तब तक सम्यक नहीं होगा जब तक इस देश में ऊर्जा के सभी संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जाता। विशेष रूप से हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि तेल संकट के उपरान्त बिजली उत्पादन की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। मंत्री महोदय को इन बातों पर गौर करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जहां तक विद्युत सप्लाई का संबंध है, इस समय देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उद्योग, कृषि और जनजीवन लगभग ठप्प हो गया है। ऊर्जा की सप्लाई की कमी के कारण हमें इतनी हानि हो रही है जिसका हम सही हिसाब नहीं लगा सकते। इस संकट के लिये मैं पिछले शासक दल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता हूं। यदि मंत्री महोदय एक विस्तृत विधेयक लाते तो यह बेहतर होता। इस समस्या का समाधान इन छुट-पुट विधयकों से नहीं होगा। केवल यह चाहने से कि राज्य बिजली बोर्ड वाणिज्यिक रूप से कार्य करे, वे वाणिज्यिक रूप से नहीं चल सकते।

भूतपुर्व सरकार ने क्या किया था? चौथी योजना में अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य 9.26 मिलियन किलोवाट था। परन्तु इस लक्ष्य के आधे भाग से भी कम की ही पूर्ति की जा सकी है। बिजली की वर्तमान बुरी दशा का सारा उत्तरदायित्व भूतपूर्व सरकार पर है। इसके कई कारण हैं। मूल्यों पर नियंत्रण न रखना, चिह्नित मूल्यों की अदायगी और अंधाधुंध चोरी, अपर्याप्त जांच, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में त्रुटिया तथा कई और खामियां, टालम-टोल करना आदि और प्लांट और उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब और संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय त्रुटियां। पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन केवल 3.52 मिलियन किलोवाट था। तीसरे वर्ष अर्थात् 1976–77 में जो अनुशासन और आपातकाल का वर्ष था, लक्ष्य 2 मिलियन किलोवाट था परन्तु केवल 0.64 मिलियन किलोवाट की प्राप्ति हुई है।

इस देश में तापीय (थर्मल) बिजलीघरों की दशा तेजी से बिगड़ती जा रही है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा भूतपूर्व सरकार उसके लिए अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। यह उन्हीं का ही दोष है। यह एक दिन, एक माह या एक वर्ष का 'कारनामा नहीं है। यह गत 30 वर्षों से किया जा रहा है।

हाल ही में प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्य बिजली बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार-भाई भतीजा-वाद तथा अकुशलता व्याप्त है। पश्चिम बंगाल में 'यूथ कांग्रेस' ने 12,000 व्यक्तियों को, जो पढना लिखना नहीं जानते थे, विद्युत बोर्ड में भर्ती किया जिसके परिणामस्वरूप यह बोर्ड सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर सका।

पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान टर्बो जनरेटरों का समय पर ओवरहाल नहीं किया गया। अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में बिजली का वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत केवल विभिन्न वर्षों में 36–42 था। विदेशों से घटिया वस्तुओं की पर्याप्त खरीद की गई और उनका रख-रखाव भी ठीक नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि गैस टर्बाइन के बारे में अब सही स्थिति क्या है?

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम एक विदेशी नियंत्रित कम्पनी है। उसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुछ उद्योगपति उन्हें रिश्वत देते हैं ताकि बिजली की कटौती कम हो। मेरी समझ में नहीं आता कि एक विदेशी निगम को विद्युत व्यापार करने की अनुमति क्यों दी गई जब कि यह सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न की जाती हैं। 55 प्रतिशत बिजली दामोदर घाटी निगम और अन्य स्रोतों से आती है तथा वे इस पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। बिल बनाने की प्रणाली में बहुत भारी धोखा-धड़ी चल रही है। प्रतिदिन सैंकड़ों शिकायतें आ रही हैं। इस विदेशी कम्पनी के पास उपभोक्ता जमाराशि के रूप में 6 करोड़ रुपये की राशि है। यह राशि असुरक्षित ऋण है। अन्य स्रोतों से ऋण लेने पर इस कम्पनी को 16 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता और साथ प्रतिभूति भी देनी पड़ती। लेकिन यहां इसे यह राशि मुफ्त में

[श्री ज्योतिर्मय बसू]

मिल गई है। उन्होंने एक निश्चित राशि तक केवल 4 प्रतिशत ही भुगतान किया है उससे कम राशि पर कुछ भी नहीं किया है। अतः यह कम्पनी उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष 75 लाख रुपये की धोखाघड़ी कर रही है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। उपभोक्ता को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में राशि जमा करानी चाहिए और सावधिक जमा (फिक्सड डिपोजिट) की रसीद कलकत्ता विद्युत सप्लाई कम्पनी के नाम में लेनी चाहिए जिससे उस पर होने वाला ब्याज उपभोक्ता को मिले और धनराशि कम्पनी के पास पड़ी रहे।

मेरा सुझाव है कि विद्युत संकट को हल करने के लिये अधिक विस्तृत विधेयक लाया जाये और इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाय। अन्यथा हमें इससे भी अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): Gandhiji was not against electricity or machinery. He always said that he did not hate machinery but the craze for machinery. It is the responsibility of the Minister to see that our villages are electrified early. It is a matter of satisfaction that an amount of Rs. 20,800 crores has been provided for power for the Sixth plan, which is 102 per cent more than the amount of Rs. 10,219 crores provided for the Fifth Plan by the previous regime.

The Bill has been provided with good intention, but it seems as if it has been brought in haste. Now when the new dimensions of power are there, it should be ensured that concerted and coordinated efforts are made in the direction of their development. I would suggest that a separate new ministry should be set up to deal with solar energy, atomic energy and electric energy. It is necessary with a view to deal with effectively the power crisis in the country.

A national grid system should be set up to look after the completion of various projects being implemented in various States and also to have their control and management under one institution at national level to ensure their efficient and better functioning.

It would be letter if this Bill is referred to a Select Committee and action is taken to bring a comprehensive legislation on the subject.

Disparity between the rates of electricity supplied to the rural areas and urban areas, to the industries and common man should be removed.

The development of industries, agriculture and even our life and culture depend to a great extent on electricity. The Electricity Industry should, therefore, be nationalised to ensure the desired development.

Shri Durga Chand (Kangra): This amending Bill has 24 clauses and 15 more amendments have been moved by the Government. Electricity Boards have been working as white elephants and there is already a good deal of mismanagement in them. If the intention of this legislation is to make these Boards viable, it should have been redrafted and a comprehensive Bill should have been brought forward. This legislation ought to have a provision to subsidise or to give grants-in-aid for the electrification schemes to supply electricity to hilly and backward areas as well as tribal areas.

In Himachal Pradesh many small projects are going on. Previously for certain projects like Gaributa Project or Bairosol project no proper survey has been made. The Minister deserves congratulations for taking up these projects under

Hydel Power Generation Corporation and it is now hoped that work would start on these schemes. I also suggest that a high powered permanent committee should be formed to supervise the work of generation of electricity and a time-bound programme should be made to complete the schemes.

The Rural Electrification Corporation asks for justification for taking electricity to hilly areas. It is not easier task to take electricity in hilly areas because transmission lines are lengthy in these areas. Therefore a provision should be made in this Bill to subsidise the electricity Boards from the general revenue.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : मैं ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहां कोई विद्युत बोर्ड नहीं है। अतः जिन राज्यों के अपने विद्युत बोर्ड नहीं हैं वे बिजली का उत्पादन और वितरण तथा प्रबंध समुचित तरीके से कर सकते हैं। मनीपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कोई विद्युत बोर्ड नहीं है। मेरे अपने राज्य में विवाह-शादियों के मामले में बिजली सप्लाई का कनेक्शन प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है लेकिन यहां पर बिजली सप्लाई की पर्याप्त कमी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मणिपुर, मिजोरम, और नागालैंड के लिये लोकटक परियोजना एक मात्र आशा है। कोई विस्फोट होने और कुछ यांत्रिक कठिनाइयों के कारण यह की हुई थी। इस परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन वर्ष 1976 में होना था। अब पता नहीं इसका उद्घाटन कभी होगा भी कि नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कठिनाइयां होती है। हमें डीजल सैट से काम चलाना पड़ता है। ये डीजल सैट अन्य क्षेत्रों से लाये जाते है जिनका प्रयोग पहले हो चुका होता है। यदि वे कुछ ठीक भी हो तो मार्ग में कई खराबियां पैदा हो जाती है और एक या दो वर्ष के बाद वे बिल्कुल काम नहीं करती। वहां पर अनिवार्य सेवाओं के लिये भी बिजली जुटाना मुश्किल होता है। यद्यपि समूचे देश में बिजली की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो विशेष कठिनाईयां है और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष परियोजनाओं के बारे में विचार करना होगा मंत्री महोदय को अपने उत्तर में बताना चाहिये कि लोकटक परियोजना कब तक आरम्भ हो जायेगी यद्यपि श्रमिकों पर काफी धन खर्च किया जा रहा है परन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला क्या लोकटक परियोजना पूरी होने तक मणिपुर को डीजल सैट खरीदने के लिये विशेष सहायता दी जायेगी?

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho): I support Electricity Supply (Amendment) Bill. In this connection I may state that there are many rivers in Madhya Pradesh but power is not generated from water in spite of the fact that many dams have also been constructed there. The hon'ble Minister should look into this matter.

The rate of power being supplied to the industries is less whereas it is higher in case of irrigation. I would request the hon'ble Minister to arrange electricity for irrigation at cheapest rate so that the farmer may not have to incur heavy expenditure. Moreover electricity employees should be asked to cooperative with the farmers and not to exploit their ignorance. Rather they should acquaint the farmers with minor technicalities so that they can themselves repair their sets. Every effort should be made to electrify villages so that poor people are also benefitted. It will also benefit cottage industries and other small scale industries.

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : There should be no regional discrimination in the matter of supply of electricity. There is power crisis in Bihar. Although the capacity in 700 mwt, only 250 mwt electricity is generated. It has been observed that small Power Houses have been replaced by big Power Houses in the cities but they do not supply electricity to the extent it was done by Small Power Houses. I therefore suggest that electricity should be supplied through smaller Power Houses so that remaining electricity could be supplied to the farmers for agriculture. Whether one runs the motor or not, he has to pay a sum of Rs. 700 or 800 for the year. So There is no question of any loss. I would like to point out that cable and transformers are often stolen which results in a loss of lakhs and crores of rupees. Electricity Board should take necessary steps in this direction.

Main reasons for the losses are carruption, favouritism and lethargy. If money is spent on the equipment and proper accounts are not maintained the department will definitely incur losses. The parts are being created in the Electricity Board unnecessarily. Although a technocrat has been appointed as chairman, there is no improvement. He is simply creating the posts of Engineers. Now it is learnt that some Military man is being posted there.

Before concluding I would suggest that if workers claim bonus for the profit earned by the public undertakings, they should also share losses unless this is done, there can be no improvement.

Airconditioners and Refrigerators should not be allowed except for health services. Power should not be supplied for luxury purposes.

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : I think electricity is a public utility service and if it is so Government should take necessary steps to electrify villages or backward areas and bear the expenditure to put the electricity Board on sound footing. In a way consumers will also contribute towards this expenditure. The rates of electricity will be enhanced and consumer have to pay. It has been pleaded that the Bill has been introduced to make the Electricity Board financially sound. The employees are also denied increase in the wages taking the shelter of this being a utility service. Electricity Bill was first enacted in 1910 and then in 1948 but now the circumstances have been changed. In the changed circumstances the Bill should be changed in such a way that consumers and the employees both are benefitted. So I would suggest that a comprehensive Bill should be drafted after consulting the representatives of industries, industrial workers and farmers.

Shri Chaudhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : We should explore the possibility of generating power from Solar energy, water, tidal waves and other natural sources to meet our requirements. Electricity plays a vital role in the progress of any country. If power is supplied for cottage industries we can make rapid progress. We will have to take up the administration. First of all copper wire was used but when many instances of theft were reported Government started the use of aluminium wires. The result was that whenever the load increased it caught fire. Electricity Boards should see that proper material is used. It has also been observed that some time the number of connections given is very high as compared to the load available and the result is that bulbs are fused and the motors go out of order. Government should see that the load does not fluctuate and in case there is no escape, they should make some alternative arrangements so that people may not have to suffer because every body cannot afford to instal regulators.

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्यों ने पूछा है कि कोई व्यापक विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। वास्तव में वर्ष 1976 में ही बिजली अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया था जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण गठित किया गया था

और उसे आवश्यक निदेश देने के लिये समुचित शक्तियां प्रदान की गई थी। वही पर्याप्त है और इस विधेयक को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है कि बिजली बोर्ड और राज्य सरकारें बेहतर तरीके से काम करें और वाणिज्यिक दृष्टि से भी समर्थ हो जायें। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी एकक भलीभान्ति कार्य करें और देश के लिये आवश्यक बिजली उपलब्ध करे परन्तु हमारे सामने कई समस्याएं हैं और राज्य सरकारों को कुशलतासे रखरखाव कार्य संचालन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कुछ सदस्यों ने विद्युत कार्यक्रम के बारे में भी कुछ बात कही है। इस संबंध में उनको बताना चाहूंगा कि एक ही वर्ष में अधिउत्थित क्षमता में 2000 मेगावाट की वृद्धि की गई है। जो कि एक रिकार्ड है। इस वर्ष भी अधिष्ठापित क्षमता में 3,800/3,900 मेगावाट की वृद्धि करने का हमारा कार्यक्रम है। अतः हमारा प्रयत्न यही है कि हम इस क्षमता को बढ़ाते जायें और आगामी 5 या 6 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायें। इसीलिये हमने आगामी पांच वर्षों में इसमें 18,500 मेगावाट की और वृद्धि करने का वृहद् कार्यक्रम बनाया है और लगभग समुची क्षमता को मंजूरी दी जा रही है।

आज लगभग 36 प्रतिशत गांवों में बिजली लग चुकी है। हमारा लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में बिजली लगाने का है। इतना ही नहीं आगामी पांच वर्षों में 20 लाख पम्प सेट बिजली से चलाये जायेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सरकारों और बिजली बोर्डों की सहायता से चलाये जाते है। इसी लिए राज्य बिजली बोर्डों और सरकार के बीच निरंतर विचार-विमर्श चल रहा है ताकि कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

विद्युत मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, राजनैतिक नियुक्तियों आदि सभी समस्याओं पर विचार किया गया था। हमारा विचार है कि इन बोर्डों में विशेषज्ञ रखे जाये और उनका कार्य कुशलतापूर्वक चलाया जाये। बिजली बोर्डों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है जिसका काम बिजली बोर्डों द्वारा दक्षतापूर्वक कार्य किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना होगा।

दिल्ली में बिजली बन्द होने की भी चर्चा की गई है। बिजली की कमी के कारण दिल्ली में बिजली बन्द नहीं हुई भले ही इसका कोई अन्य कारण हो। कभी कभी किसी व्यवस्था में गड़बड़ हो जाती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है।

जहां तक कलकत्ता बिजली प्रदाय निगम का संबंध है उसकी लाइसेंस की अवधि को पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार ने 2000 ए० डी० तक अर्थात् सलग और 22 वर्षों के लिये बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकार राज्य के हित को ध्यान में रख कर इस संबंध में कार्यवाही कर रही है।

बिहार में अधिष्ठापित क्षमता 700 मैगावाट के करीब है, उसमें से 300 मैगावाट से कुछ अधिक बिजली पैदा की जा रही है। बिजली घर स्थापित करने और अतिरिक्त क्षमता जुटाने का काम तुरन्त नहीं किया जा सकता। उसमें समय लगता है, फिर तापीय केन्द्रों से पनबिजली केन्द्रों में अधिक समय लगता है। इसी लिये हम कोशिश कर रहे हैं कि आगामी पांच वर्षों में लगाये जाने वाले

[श्री पी० रामचंद्रन]

बिजली घर समय काम करने लगे । केन्द्रीय क्षेत्र में भी कुछ बड़े बिजली घर स्थापित किये जा रहे हैं रामगुंडम और नवेली बिजली घर निर्धारित समय पर चालू हो जायेंगे यदि कोई ऐसी बात हो जो हमारे नियंत्रण में न हो तो अलग बात है ।

जहां तक पश्चिम बंगाल में गैस-टरबाइन लगाने की बात है, सरकार इसके विरुद्ध रही है । परन्तु योजना का अनुमोदन किये जाने से पूर्व गैस टरबाइन लगाने वाली एजेंसियों को कुछ बातें बताना हमारा कर्तव्य है जैसे बिजली और लगाये जाने वाले उपकरणों की लागत, उनके रखरखाव की समस्या और महंगी बिजली लेने के लिये कुछ खरीदारों का भी पता लगाना होता है । ये सब बातें उनको बतानी पड़ती है । फिर गैस टरबाइन की सहायता से बिजली की क्षमता में थोड़ी वृद्धि होगी । बिना इन सब बातों पर विचार किये में गैस टरबाइन के लिये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये ।

वास्तव में गैस टरबाइन के इस्तेमाल के लिये अपेक्षित ईंधन की भी व्यवस्था करनी होगी । इन समस्याओं के बावजूद यदि कोई राज्य सरकार गैस टरबाइन लगाना चाहती है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

लोकटक परियोजना का भी उल्लेख किया गया है । इस परियोजना को कार्यरुप देने में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है और हम इसको यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया है । मेरे विचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके खंड बहुत सरल है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने किसी संशोधन पर मतदान कराये बिना इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : There is inefficiency, corruption and nepotism in State Electricity Boards. In view of this a comprehensive Bill should be introduced through which all the deficiencies in marking of the Boards could be removed and the work is done more effectively.

सभापति महोदय : बहुत से माननीय सदस्य इस बात को कह चुके हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ ।

संशोधन संख्या 16 सभा की अनुमति से वपास लिया गया ।

Amendment No. 16 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायगा । खंड 2 में संशोधन हैं ।

खंड 2

शोधन किये गये :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 और 7,--

for "after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:
Substitute—

"(a) in sub-section(4), for the words "sixth and seventh schedules", the words "Sixth Schedule" shall be substituted,

(b) after sub-section (4) the following sub-section shall be inserted, namely :—

"उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उप-धारा का अन्त : स्थापन किया जाये" अर्थात्

निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाय —

उपधारा (3) में "छठी और सातवीं अनुसूचियां" 'शब्दों के स्थान पर, छठी अनुसूची' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ;

(ब) उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाये अर्थात्:--

(संख्या 3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,

"1977" **के स्थान पर** "1978" प्रतिस्थापित किया जाये :

(संख्या 4)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13, "1977" **के स्थान पर** "1978" प्रतिस्थापित किया जाये :

(संख्या 5)

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,--

"1977" **के स्थान पर** "1978" प्रतिस्थापित किया जाये :

(संख्या 6)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:--

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : खंड 3 से 13 तक कोई संशोधन नहीं है । अतः इन सब को एक साथ सभा के मतदान के लिये रखा जायेगा:--

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 3 से 13 तक विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 से 13 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 3 to 13 were added to the Bill.

खंड 14

संशोधन किये गये —

पृष्ठ 4, पंक्ति 11, —

"(1)" का लोप किया जाये (संख्या 7)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33,—

"year" (वर्ष) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

"or which became due for payment in any previous year and has remained unpaid."

"अथवा किसी पिछले वर्ष में भुगतान करने के लिये देय हो गये थे और जिनका भुगतान नहीं किया गया ।"

(संख्या 8)

पृष्ठ 4, पंक्ति 36—

"Year" (वर्ष) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये –

"or which became due for payment in any previous year and has remained unpaid".

"अथवा किसी पिछले वर्ष में भुगतान करने के लिये देय हो गये थे और जिनका भुगतान नहीं किया गया" ।

(संख्या 9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 45, —

"Capital" (पूंजीगत) शब्द के स्थान पर "Capital Receipts" (पूंजीगत प्राप्तियां) शब्द प्रतिस्थापित किये जाये

(संख्या 10)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: --

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15

संशोधन किया गया, —

पृष्ठ 5, पंक्ति 12, —

"1977" के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 11)

(श्री पी० राम चन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

खंड 16 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 16 to 21 were added to the Bill.

खंड 22

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 6,

पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाये —

"(a) in paragraph I, clause (c) shall be omitted;"

"(क) पैराग्राफ I में खंड (ग) का लोप कर दिया जाये ;"

(संख्या 12)

पृष्ठ 6, पंक्ति 8,—

"(a)" (क) के स्थान पर "(b)" (ख) प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 13)

पृष्ठ 6, पंक्ति 12,—

"(b)" (ख) के स्थान पर "(c)" (ग) प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 14)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 22, संशोधीत रूप में विधयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

खंड 23

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 6, पंक्ति 37,—

"1977" के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाय।

(संख्या 15)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 23, संशोधित रूप मे विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

खंड 24 और 25 विधेयक मे जोड़ दिये गये।

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 4—

"1977" के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 2)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

विनियमन सूत्र

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

for "Twenty-eighth" (28 वां) के स्थान पर "Twenty-ninth" (29 वां) प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 1)

(श्री पी० रामचन्द्रन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विनियमन सूत्र संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री पी० राम चन्द्रन :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) विधेयक
COAL MINES NATIONALIZATION LAWS (AMENDMENT) BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम चन्द्रन): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में हुआ था। एक चरण में कोककारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया और दूसरे चरण में गैर-कोककारी कोयला खानो का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। सितम्बर, 1973 में दोनों राष्ट्रीयकरण अधिनियमों में कुछ संशोधन किये गये। अप्रैल, 1976 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम का संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया और कोयला खानें राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम 1976 ने उक्त अध्यादेश का स्थान लिया। उसके पश्चात् भी कुछ अन्य संशोधनों की आवश्यकता अनुभव की गई जिन्हें अब किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य संशोधन निम्न प्रकार से है :

(क) कोककारी कोयला खानों तथा गैर-कोककारी कोयलाखानों के राष्ट्रीयकरण की तिथियों से पूर्व कोयले एवं कोयला उत्पादों की बिक्रियों, राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के लिये राज सहायता आदि कुछ राशियां राष्ट्रीयकरण पर सरकार में निहित नहीं हुई यद्यपि सरकारी कम्पनी द्वारा इन को एकत्र कर लिया गया था। इस बारे में राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के शब्दों के बारे में कुछ संशय थे जिनको स्पष्ट करने का प्रस्ताव है।

(ख) उक्त अधिनियमों में नियुक्त दिन के पश्चात् दावा की गई राशियों पर ब्याज की दर निर्दिष्ट नहीं की गई। इस बारे में उपबन्ध न होने के कारण प्रतिभूति पर ऋण देने वालों ने अपने दावे पेश करते समय ऊंची दरों पर ब्याज जोड़ा है। यदि इन को स्वीकार कर लिया गया तो निम्न प्राथमिकता के ऋण दाताओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः उक्त अधिनियमों में एक नई धारा का समावेश करके ऋण की दर नियत की जा रही है।

(ग) अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त अदायगियों आयुक्त को शक्तियां दी जा रही हैं कि व :—

(i) अधिनियम 1972 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों को सभी व कुछ ऐसी शक्तियों जो अधिनियम के अन्तर्गत उनके पास हैं, का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकें;

(ii) एक सहायक आयुक्त से दूसरे को व स्वयं अपने आप को मामले अन्तरित कर सकें।

[श्री० पी० रामचन्द्रन]

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कम्पनी में निहित हुई मशीनों तथा अन्य सम्पत्ति के मालिकों, आदि को अदायगियां आयुक्त के पास दावे निपटाने के पश्चात् बची शेष राशियों के लिये आवेदन देने के लिये आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकें।

(घ) श्रमिकों के संयुक्त दावों को कानून रूप देने का विचार है।

अदायगियां आयुक्त के निर्णयों के विरूद्ध अपील दायर करने के लिये और समयसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को लागू करने के लिये 60 दिन की अवधि नियत करने का प्रस्ताव है। अनधिकृत रूप से कोयला खनन करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये कोयला खाने (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30 की उपधारा (2) का भी संशोधन करने का विचार है। जिसके अ ुसार कैद की अवधि की बढ़ा कर दो वर्ष से तीन वर्ष तथा जुर्मानों की राशी को 10,000/- से बढ़ाकर बीस हजार किया जाने का विचार है।

कुछ संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं और कुछ वर्तमान स्थिति से नियमित करने के बारे में है। दोनों प्रकार के मामलों में उद्देश्य राशि की अदायगी प्रक्रिया को सरल बनाना और उनमें शीघ्रता लाना है। इस पर सरकार का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होने वाला।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 1 अगस्त, 1978 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

***श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी)** : पिछली सरकार पर दिन-रात आरोप लगाया जाता है कि देश को गलत मार्गों की और ले जाने के लिये यह उत्तरदायी है परन्तु हमारी अर्थ-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् कोयला खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण उसी सरकार द्वारा किया गया था। जनता सरकार के प्रस्थापित संशोधन स्वागत योग्य हैं। विशेषरूप से श्रमिकों के संयुक्त दावों को कानूनी रूप देने तथा दावे पेश करने के लिये समय बढाने के संशोधन बहुत उचित है। यह सब को पता है कि भूतपूर्व खान मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों की अदायगियों नहीं की। नियोजकों की ओर इस बारे में करोड़ों रुपये बकाया हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी इस प्रकार की बातें चलते रहना दु:ख की बात है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत दक्षिणी राज्यों में तथा विशेष रूप से तमिल नाडु में स्थित तापीय बिजली घरों के पास कोयले का जमा भण्डार बहुत ही कम है। यह बहुत ही गंभीर खतरा है चूंकि उनके सुचारू कार्यकरण के लिये उनके पास कम से कम 15 दिन के लिये कोयले का भण्डार होना चाहिये। यदि कोयले की कमी के कारण बिजली घरों को बन्द करना पडा तो उसका आर्थिक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

गतिविधियों पर गंभीर कुप्रभाव पड़ेगा। इससे सारा औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो जायेगा। षि का क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा। अत: मंत्री महोदय को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

गर्तमुखों पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में जमा हो रहा है। रेल विभाग द्वारा कहा जाता है कि लदान धीमी गति से होता है जबकि ऊर्जा मंत्रालय का कथन है कि रेल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं। कारण कोई भी हो उसको दूर किया जाना चाहिये जिससे सप्लाई स्थिति न बिगड़े।

टैरिफ आयोग ने सीमेन्ट उद्योग के लिये कोयले को एक समान दर नियत की चाहे वह कारखाना सुदूर दक्षिण में हो, सुदूर पूर्व में अथवा सुदूर पश्चिम में हो। इसका लाभ उठा कर सीमेंट उद्योग अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकता है परन्तु भाड़े सहित कोयले की कीमत में वृद्धि का उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। संसद सदस्यों द्वारा इस बारे में दिये गये ज्ञापन पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये।

मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड को करोड़ो रु० की हानि हो रही है। जब कोयला खाने गैर-सरकारी क्षेत्र में थी तो व लाभ कमा रही थी। इस हानि के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है इसे बीमार उद्योग नहीं बनने देना चाहिये। इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि यह स्थिति कहीं अफसर शाही पूंजीपतियों एवं भूतपूर्व खान-मालिकों की सांठगांठ के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने के प्रयास तो नहीं। गैर-कानूनी खनन के लिये दंड संबंधी उपबन्ध कठोर बनाये जा रहे है। परन्तु न्यायालयों में मामले के निपटान में बहुत अधिक समय लगता है। कानूनों के उपबन्धों को कठोरता से तथा तजी से लागू किया जाना चाहिये।

Shri Ram Das Singh (Giridih) : A perusal of the proposed amendments shows that foreign Department has not taken the matter seriously.

When the mines were nationalised in 1972 and 1973, the Government machinery was not geared to take over these mines. Immediately thereafter workers complained that mine owners were to pay arrears of their wages. They had also not deposited Provident Fund dues deducted from the wages of workers with P. F. Commissioner. A Commissioner was appointed to look into the claims. Now after 5 years an Assistant Commissioner is proposed to be appointed to assist him.

I had brought to the notice of the authorities instances relating illegal mining of coal. But now a bill is proposed to enhance imprisonment from 2 years to 3 years and fine from Rs. 10,000/- to Rs. 20,000/-. During 1976, Inspector General had raided Chalkani Colliery in Bermo coalfield and defiected theft worth Rs. 50,000 in a day. In view of this large amount whether enhancing time limit General had raided Chalkani Colliery in Bermo coalfield and detected theft worth be able to deal effectively this problem with the help of this amendment?

Even to-day four collieries are being illegally worked near Daniya Station under Mandu Thanna. Two mines are being illegally run near Chandrapur Railway Station near Dugdha. These people are very powerful. Nobody can dare to speak against them. If anybody dares to open his mouth he is murdered in broad day light. I have been raising the matter of illegal mining of coal from Dodi Colliery since 1971-72. A casual enquiry was conducted in this regard which is not satisfactory.

[Shri Ram Das Singh]

In the light of above I would suggest that this provision is not enough to deal with this problem. Some stringent measures be adopted against those indulging in such activities. I would request the hon. Minister to take the matter seriously and stop the misuse of national property.

Shri Durga Chand (Kangra): These amendments seek to remove the ambiguities that existed in 1972 and 1973 acts, to make them more effective.

The rate of interest payable was not defined in earlier acts. Now it is proposed to define the same. I would suggest that the rate being paid by nationalised banks should be prescribed.

If one sees the ambiguities which are proposed to be removed one wonders how the original acts were being implemented all these years. The proposed amendment would help the workers. The management would improve.

I want to point out that shortages of coal is still continuing at certain places though it was hoped that nationalisation of the Industry would solve this problem. The Government should see to it that it is made available to common people so that the objectives behind the nationalisation are fulfilled.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): The prices of coal have increased after nationalisation of the industry. It has adversely affected public opinion. But there is complete mismanagement in coal mines and this Industry is running on loss. Irregular mining of coal is taking place. It is beatening that provisions and this regard have been made more strict. But those who have experience in this regard feel that there proposed would still not be enough to deal with this problem. I feel that a special police squad be set up to check this illegal mining of coal.

Coal Industry has been nationalised but Tata's mines have been excluded from nationalisation this ambiguity should have been removed through this Amending Bill. I request that the Government should consider nationalisation of those mines which were not nationalised earlier. Expedious arrangements should be made to arrange payments of dues of workers and recover Provident Fund dues from employers. These dues should be deducted from the amount of compensation payable to Colliery owners. A time bound programme may be drawn in this regard losses in the industry have raised doubts in the minds of people about nationalisation. I suggest that a High Powered Committee be set up to look into this aspect as well as mine in prices of coal. A comprehensive amendment bill be brought but keeping in view the recommendations of such a committee.

Recently it was reported in the newspapers that wagons are not available for speedy movement of coal. Therefore there should be coordination between Steel and Mines Department, Railway Department and Energy department.

Before nationalisation there were eight mines in Santhal Pargana. Now only one mine is under operation where 152 workers are employed. When there is unemployment and there is adequate coal deposits for which there is a demand, why efforts are not being made to increase the production.

I hope that my suggestions would be kept in view while introducing the Coal Nationalisation (Amendment) Bill. I support the Bill.

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं होना चाहिये। यह छोटा सा विधेयक है। बेहतर यह होता यदि मंत्री जी ने व्यापक विधेयक पेश किया होता। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि कोल इंडिया लिमिटेड को कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि 3 करोड़ रुपये के मूल्य के कोयले का कोई हिसाब नहीं है। ठेकेदारों तथा अधिकारियों की सांठ-गांठ से इसे चुराया गया होगा। जब तक इन सब का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक इसे घाटा होता रहेगा। दो अथवा तीन वर्ष पूर्व चासनाला तथा अन्य खानो में गंभीर दुर्घटनायें हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में मेरे व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को अभी तक रोजगार और पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है।

भूतपूर्व कोयला खान मालिकों ने कोयला खानों से अपनी सारी सम्पत्ति निकाल ली थी। अब उन्हें भूमि तथा अन्य मामलों के लिए बडी मात्रा में मुआवजा मिल सकता है। 1971 में राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरुप जो श्रमिकबेरोजगार हुए है, उन्हे भी मुआवजा दिया जाना चाहिय। उन्हे अभी तक पूरा मुआवजा नहो दिया गया है। इस विधयक में उन श्रमिकों के लिये जो बेरोजगार हुए हैं, मुआवजा भविष्य निधि तथा अन्य देय राशियो के भुगतान के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिए था।

ठेकेदारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम उद्योगों को नियमित रूप से कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। ठकेदार तथा अधिकारी आपसी सांठ-गांठ से कोयला चुरा रहे हैं। पुराने ठेकदारों की जगह नये ठेकेदार नियुक्त किये जाने चाहिए। जहां तक धनबाद तथा आसनसोल क्षेत्र में कोयला खानों का संबंध है, वे घाटे में नहीं चल रहे हैं। किन्तु वहां प्रबंध-व्यवस्था ठीक नहीं है। विवादों को हल करने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये और इसकी सिफारिशों के आधार पर भुगतान हो ताकि कोई खामियां न रह सके।

एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए जिसका चेयरमैन खान सुरक्षा का महानिदेशक हो और उन्ही सभी कोयला खानों में कार्य कर रहे श्रमिकों को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिये। अधिकारियों की उपेक्षा के कारण ये कोयला खाने घाटे में चल रही हैं और प्राय: प्रत्येक महीने इन खानों में दुर्घटना होती रहती हैं। ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहिये जिससे इस प्रकार की दुर्घटना दुबारा न हों।

माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले के आवागमन पर प्रभाव पड़ रहा है। रेल प्राधिकारियों, ऊर्जा मंत्री तथा खान मंत्री के बीच समन्वय होना चाहिये। राष्ट्रीयकरण जनहित के लिये किया जाता है। लेकिन लोगों को लाभ पहुंचाने की बजाय लागत में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। लोगों को कोयला समुचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है।

मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करने लिये कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे कि मूल्य न बढे। यदि प्रबंध व्यवस्था सक्षम तथा सही हो और यदि कोयले की उत्पादन लागत कम कर दी जाये केवल तभी हम कोयले के मूल्य को कम कर सकते हैं। यहां तक कि हम इसका मूल्य कम भी कर सकते है यदि भारी व्यय में कमी की जाये।

Shri Yuvraj (Katihar) : The Coal India Ltd. is incurring huge losses. A sum of rupees 1800 crores is invested in it and still we are incurring losses. This is due to mismanagement by the bureaucracy. In 1974-75 the loss incurred by the Coal India Ltd. was Rupees 75.28 crores whereas in 1977-78 the loss is to the extent of Rs. 88 crores.

Condition of workers of coal mines is very miserable. There is no guarantee for their safety. On the other, officers are enjoying and getting higher posts. There is serious corruption charges against Manager of Nagpur Western Coal fields. He would retire after two months. No action is being taken against him. Colliery workers of Dhanbad have contributed five rupees each for victims of cyclone in Tamilnadu and Andhra. That money amounting to many lakhs is not deposited in the Prime Minister's National Relief Fund. This is corruption and nothing less to it.

It appears from the provisions of the Bill that it has been brought to help the erstwhile colliery owners who have earned crores of rupees. There are a number of provisions to protect their interests. The officers in this undertaking are becoming richer and richer, while the company is suffering huge losses. Although coal is very important for our economy, yet due to maladministration this company is not functioning properly. This is a matter of great concern for all of us.

Seventy to eighty percent of coal is produced in Bihar and yet there is no thermal plants in Bihar for generating electricity. This is really unfortunate.

Shri Shrikrishana Singh (Monghyr) : I welcome this Bill but I would say that the objective of nationalisation has not been fulfilled. Not only the price of coal has gone up, it is not available even in the State where it is being produced. It is time for the Government to take some steps to regulate the distribution of coal through co-operatives and put an end to the corruption that has crept into the present system of distribution. It is hoped that Janata Government will do something to improve the distribution system so that common people do not feel any difficulty in its supply. Still corruption is prevalent. It is unfortunate that during the emergency about 1 lakh workers became out of employment and they are crying for jobs to this day. It is the duty of present Government to provide employment to those people. Has any provision been made for those people in the Bill? Would the Government pay attention to them only when they start some agitation?

If those one lakh workers can not be absorbed anywhere let a cooperative society be formed of those people and let these coal mines be entrusted to them. I am sure that they would be able to turn there so called uneconomic mines into an economic proposition.

श्री एन्थ् साहू (बोलनगीर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। साथ ही मुझे मंत्री महोदय से भी सहानुभूति है जिन्होने भूतपूर्व मंत्री से एक रुग्ण शिशु को प्राप्त किया है। राष्ट्रीयकरण तो राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से किया गया था। जब यह किया गया था उस समय हमारा विचार था कि स्थिति में सुधार किया जायेगा। इसके विपरीत स्थिति बिगड़ी है।

कोयला खानों में इस प्रकार के घोटाले हो रहे है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को क्षति पहुंचती है और यह बड़े व्यापार गृहों द्वारा किये जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हे कोयला सस्ती दरों

पर उपलब्ध किया जाये। परन्तु इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। इससे नि:सन्देह गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकारी क्षेत्र में नौ कोयला खान एकक हैं जिनमें से छह एकक लाभ कमा रहे हैं लेकिन यह लाभ कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा खत्म किया जा रहा है।

डा० लोहिया ने, जब वह जीवित थ, कहा था कि राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं होना चाहिये। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। एक हजार करोड़ रुपये का जो घाटा हो रहा है उस घाटे का भुगतान गरीब करदाताओं को करना पड़ता है। आज के समाचार-पत्र से पता चलता है कि एक महीने में 25 लाख जन दिवसों की हानि हो रही है। मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि घाटे वाली कोयला खानों का अनावश्यक खर्च कम कराया जाये और उनके काम में सुधार किया जाये।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : I want to raise a basic question about the objective of nationalisation. There is a difference between nationalisation and officialisation. While we support nationalisation, we have always been opposed to officialisation. Unfortunately the present nationalisation is not nationalisation at all, it is officialisation. Nationalisation means that there is less interference by the Government. But at present we find more and more Government control and bureaucratisation. This is the legacy of the congress rule and the Janata Government would have to change it. The public sector institutions are purposely run in loss. Behind it is the conspiracy of the Government officers and capitalists to create an illusion in public mind that the public sector can never run in profit. Ever since the coal mines in Bihar have been nationalised, they have been running in loss. Has any attempt ever been made to find out the reason for it?

So far as the question of contractors is concerned, it has been rightly pointed out that big officers are in league with them. So it is not possible to catch hold of those persons. Those who are running the coal mines in private sector are so powerful that they can kill anybody whom they do not like. It is these people who killed Shri B. P. Sinha because he was a person of socialistic ideology and always struggled against big industrialists.

I support this Bill in the hope that in the coming days the Janata Government would move towards socialism and set up a permanent commission to go into the question of recurring losses in the public sector. I also hope that in coming days the Janata Party would change its attitude towards the question of nationalisation.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, आप इस पर कितना समय लेंगे?

श्री पी० रामचन्द्रन : पन्द्रह-बीस मिनट।

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : यदि छह बजे के बाद सदन लगभग आधे घंटे का समय बढ़ाने के लिये सहमत हो जाये तो यह चर्चा खत्म हो सकती है।

सभापति महोदय : क्या सदन आधे घंटे का समय बढाने के लिये सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अत: यह बैठक साढ़े छह बजे तक चलेगी।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : The labourers were having many hopes after the change of the Government. But nothing has happened. It does not appeal to reason that coal mines are incurring loss to the extent of Rs. 88 crores even to-day when the price of coal has been raised from Rs. 27 and Rs. 40 per ton to Rs. 84 and Rs. 94 per ton respectively. The DVC has already been doing the mining work but they have been deprived of that work. Why Tata colliery has not been nationalised. On the other, the Government Department has been deprived of mining work. Therefore attention must be paid to this aspect.

At the time of nationalisation of coal mines, a great injustice had been done to the labourers. Such loading workers as did not collaborate with the corrupt officers in CCL and DCL were retrenched on a large scale.

The Chasnala accident is a glaring example of corruption rampant in coal mines because the corrupt officers there have made false bills for lakhs of rupees on the pretext of filling up earth in the mine where water has emerged. This accident could have been averted and many labourers could have been saved but for their corrupt practices this accident has happened. Nevertheless, no action has been taken against such officers as have been found guilty and responsible for the accident. An inquiry should be conducted into the whole affair.

When there is an increase in the price of coal, private coal mine owners make huge profits, then why the nationalised coal mines are running into loss. Therefore right policy should be pursued in the interests of lakhs of labourers who are being exploited by the contractors as well as Government officials. Stringent legal action should be taken against those officers who are responsible for this state of affairs. The present Bill is not a very effective legislation. Besides due attention must be paid to the difficulties faced by workers and labourers. I support the Bill

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हम इस बजट सत्र में ऊर्जा मंत्रालय के बारे में पूरी बहस नहीं कर सके हैं और हमें इस विधेयक पर बोलने का एकमात्र यही अवसर मिला है. . . अतः वाद-विवाद का समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : समय बढ़ाने के लिये इस सदन को निर्णय लेना है ।

Shri Choudhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : The hon'ble Minister has moved this amendment Bill to remove the deficiencies in the nationalisation of coal fields. The main purpose of nationalisation is to make the things available at cheaper rates and spend the profit hitherto earned by the private sector for the good of the nation. But none of the purposes has been achieved by nationalisation of coalfields. After nationalisation the previous Government have done bungling to the extent that instead of profit coal mines have to incur losses. The hon'ble Minister should look into the reasons for losses because prices have been increased manifold and as a result thereof there should have been profit. It is not that the wages of workers have been increased. When the worker has not been paid any additional wages then why the prices should have gone up. The hon'ble Minister claims that the coal is in abundance and the Railway Minister says that the wagons are available. When both the things are available then why should there be any crisis. The coal does not reach kilns and the prices of bricks have been doubled. Who is responsible for such a situation. The Government should own the responsibility. They should try to bring down the prices and improve the working condition of the workmen. There should be no slackness in the Security measures.

Shri Rajendra Kumar Sharma (Rampur): I welcome the Nationalisation of Coalmines (Amendment) Bill, I would like to point out that coal output in our country is much less as compared to U.S.S.R. and China. The coal does not reach villages and they use cowdung and as fuel which can be served as good manure. We have to depend on other type of fertilizers. Similarly crores of tons of wood is used as fuel. Main reason is that we have not been able to supply coal to villages. If this situation persists there will be more and more desert. The aim of nationalisation of coal industry was to increase the output of coal and solve the problems of the country. Before nationalisation ex-owners earned crores of rupees and after nationalisation it has became a losing industry. The Government should look into this aspect.

The production of coal should be increased manifold. The Government should appoint a Committee consisting of some experts alongwith some hon'ble Members who should look into the causes of loss and suggest remedial measures.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरे विचार में इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या इससे इस उद्योग की प्रगति के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर हो जायेंगी जनता सरकार के आ जाने से लाइसेंस, आयात और भ्रष्टाचार आदि में अधिक स्वच्छंदता दिखाई देती है। यह भूतपूर्व मालिकों को अधिक मुआवजा देने में भी उदार है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। इससे श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं होती। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि अधिकांश कोयला खदानों में आस्तियों से देयताएं अधिक हैं। इन मालिकों ने भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने अपनी आस्तियों में से देय राशि का बिहार सरकार को भुगतान नहीं किया है। उन्होंने खानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देयताओं की कुल राशि आस्तियों से अधिक होगी, आज सरकार उनकी सम्पत्ति में से वर्तमान आस्तियों को अलग कर रही है और कल जब क्षतिपूर्ति आयुक्त देखेगा कि देयताएं आस्तियों से अधिक है तो सरकार कैसे मुआवजा देगी ? सरकार का उन पर क्या नियंत्रण रह जायेगा ? इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जब तक क्षतिपूर्ति आयुक्त अथवा विशेषज्ञों द्वारा देयताओं और आस्तियों का निर्धारण न कर लिया जाये, सरकार को अपना नियंत्रण ढीला नहीं करना चाहिये।

मूल विधेयक में यह व्यवस्था थी कि केवल दावेदार को, यदि वह क्षतिपूर्ति आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट न हों, अपील करने का अधिकार होगा। परन्तु इस संशोधन में इनका कहना है कि दावेदार और मालिक दोनों अपील कर सकते हैं। यदि मंत्री महोदय श्रमिक के साथ न्याय करना चाहते है तो उनको कोकिंग कोयला खान विधेयक के खंड 9 में संशोधन करना चाहिये। इसमें कहा गया है कि यदि किसी श्रमिकों को बर्खास्त किया जाता है तो नयी राष्ट्रीयकृत कम्पनी पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी श्रमिक को गैर-कानूनी और अनधिकृत ढंग से निकाला गया है तो उसे उस पुरानी कम्पनी में रोजगार प्राप्त करना होगा। तो उस समय नहीं होगी। यदि उसको उपदान का दावा करना है तो वह उसे बी०सी०सी०एल से प्राप्त नहीं कर सकता। उसे पुराने मालिक के पास जाना होगा जो उस समय वहां पर नहीं होगा। इस प्रकार श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा, हमें इसमें संशोधन करना चाहिये।

अनेक सदस्यों ने कहा है कि कोयला उद्योग को हानि हो रही है। वस्तुतः कोयले का बहुत घोटाला होता है। हजारों बोरे चोरी छिपे ले जाये जाते हैं। एक महीना पहले मेरे पास कुछ लोग

[श्री ए० के० राय]

आये और उन्होंने बताया कि बाधा और झरिया में हजारों बोरे कोयला पड़ा है। मैं ने प्रशासन को बताया और वह सब पकड़ा गया। उसका कोई मालिक नहीं था। हमें पता नहीं कि वह कोयला कहां से आया था और वहां पर कैसे पहुंचा था।

अतः हमें मूल्यवान कोयले को बरबाद होने से बचाने की आवश्यकता है। इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले धनबाद जिले में 800 लाख टन कोयला जलता है। कहा जाता कि कोयला उत्पादन पर आने वाली कुल लागत की 70 प्रतिशत लागत श्रम पर आती है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का विधेयक लाने की बजाय मंत्री महोदय अधिक प्रभावकारी विधेयक लाये जिससे देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति अर्थात् कोयला खानों को सुरक्षा हो सके तथा देश समृद्ध हो सके।

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य श्री राममूर्ति ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार इस बारे में पीछे नहीं हटेगी तथा राष्ट्रीयकरण को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

जहाँ तक कोयले की उपलब्धता का प्रश्न है यह सच है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को कोयले की सप्लाई में आवश्यक कुछ कठिनाइयां रही किन्तु अब उन्हें दूर कर दिया है तथा दक्षिण भारत में बिजली घरों को कोयले की सप्लाई से कोई बाधा नहीं होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि यह विधेयक कोयला खान मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिये लाया गया है। यह धारणा गलत है। मुआवजा आयुक्त के पास जो धनराशि उपलब्ध है उसको निम्न प्रकार बांटा जायेगा :—

1. श्रमिकों को देय राशि को पहली प्राथमिकता दी जायेगी
2. दूसरी प्राथमिकता जमानतरहित ऋण के भुगतान को दी जायेगी
3. तीसरी प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण के भुगतान के लिये दी जायेगी
4. चौथी प्राथमिकता राज्य सरकारों के ऋणों के भुगतान के लिये दी जायेगी तथा
5. पांचवीं प्राथमिकता अन्य दावों के भुगतान को दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई राशि बचेगी तो उसका भुगतान खान मालिकों आदि को किया जायेगा। इससे स्पष्ट होगा कि इस कानून के तदर्थ खान मालिकों को कोई लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है। ऋण दाताओं ने 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत की अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया है। सरकार इस दर को सरकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण की ब्याज दर के बराबर करना चाहती है। इसीलिये यह व्यवस्था की गई है।

जनता सरकार का शासन होने से चार-पांच वर्ष पूर्व की अवधि में केवल 9,000 मुआवजे के मामलों का निपटान किया गया जबकि जनता सरकार ने गत आठ महीनों में 16,000 ऐसे मामलों का निपटान किया है। हमारा यह उद्देश्य है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 18 से 24 महीनों की अवधि में मुआवजे का भुगतान कर दिया जाये। हम चाहते हैं कि मुआवजे का यथा शीघ्र भुगतान कर दिया जाये जिससे प्रभावग्रस्त लोगों को अधिक कठिनाई न हो।

जहाँ तक वर्तमान परिसम्पत्ति आदि (करेंट एसेट्स) की परिभाषा के संशोधन का प्रश्न है उसमें पहले कुछ अस्पष्टता थी। हमने उसे अब बिलकुल स्पष्ट कर दिया है जिससे दावों का निपटान शीघ्रता से हो सके तथा लोग मुकदमाबाजी न करें।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1977–78 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा हमने विभिन्न उपभोक्ताओं को 40 लाख टन कोयला अधिक भेजा है। 31 मार्च को हमारे पास कोयले का 125 लाख टन स्टाक था। गोंदिया कारखाने के बंद होने के कारण तीन–चार महीने तक कोयला उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा किन्तु फिर भी, गत एक वर्ष में कोयला उद्योग ने अच्छा कार्य किया। मैंने स्वयं तथा मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने कोयला खानों में जाकर श्रमिकों से अनुरोध किया कि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाये। गत वर्षों की तुलना में 1977–78 में कोयला खानों में दुर्घटनायें भी कम हुई तथा मौतें भी कम हुई। यह सच है कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी उतनी ही दुःखद है और हम खानों में पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये हमने अपने मंत्रालय में एक सतर्कता और जांच सैल की स्थापना की है। उस सैल के अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे कोयला कम्पनियों में जाकर भ्रष्टाचार और कदाचार आदि के मामलों का पता लगायें। जैसे ही किसी मामले का पता लगता है उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है। वाद–विवाद के दौरान और भी अनेक बातें उठाई गई हैं किन्तु समय के अभाव के कारण सभी का उत्तर देना सम्भव नहीं है। मैंने विशेष मुद्दों का जवाब दे दिया है। श्री राय ने इस स्थान पर गोलमाल किये जाने की बात कही थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि स्थानीय क्षेत्रों के कोयले के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। कोयले के अवैध खनन का भी उल्लेख किया गया है। पहले अवश्य ऐसी घटनाएं अधिक होती थी किन्तु जब से जनता सरकार ने शासन सम्भाला है उसमें बहुत कमी हुई है तथा जैसे ही हमारा ध्यान अवैध खनन की किसी घटना की ओर दिलाया जाता है केन्द्रीय सरकार उस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाती है तथा उसे रोकने का आदेश दिया जाता है। इस विषय में मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि कुछ मामले उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं पुनः इस सदन के आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।
(व्यवधान)

जहां तक छटनी आदि का प्रश्न है मैं कह सकता हूँ कि जनता सरकार के आने के पश्चात् कोयला उद्योग में किसी श्रमिक की छटनी नहीं की गई। इतना ही नहीं हम तो और भी श्रमिकों को रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

जहां तक आपात स्थिति के दौरान या उससे पूर्व छटनी शुदा श्रमिकों का प्रश्न है ऐसे मामलों की जांच करनी पड़ेगी। इस मामले में मैं कोई वायदा नहीं कर सकता क्योंकि देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं तथा एक श्रेणी के बेरोजगारों के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है।

देश में जैसे ही अधिक कोयले की आवश्यकता होगी उसके लिये नई खानों की व्यवस्था की जायेगी तथा उस स्थिति में रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

श्री ए० के० राय : स्थिति यह है कि खान में काम करने वाले श्रमिकों को निकाला जा रहा है या उनको छटनी को जा रही है किन्तु खानों में अनुत्पादक कर्मचारियों को भर्ती की जा रही है जिससे कोयला खानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति से आप श्रमिकों को रोजगार कैसे दे सकते हैं? उसके लिये आपको नीति में परिवर्तन करना पड़गा।

श्री पी० रामचन्द्रन : इस दिशा में भी हम मार्गदर्शी सिद्धान्त बना रहे हैं। खानों में उत्पादन प्रधान श्रमिक होने चाहिये। माननीय सदस्य निश्चित रहे आगामी वर्षों में खानों में अनुत्पादक श्रमिकों को नहीं रखा जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान क लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 18 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 18 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 18 were added to the Bill.

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 19 and 20 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात्, लोक सभा बुधवार 3 मई, 1978/13 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

(The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 3, 1978/Vaisakha 13, 1900 (Saka).

भा०स०नु०ना०—से० 4—142 एल एस एस/78—31-8-78—210.